खण्ड-424, अंक-5
बुधवार, 3 आषाढ़, शक संवत् 1920
(24 जून, 1998 ई0)

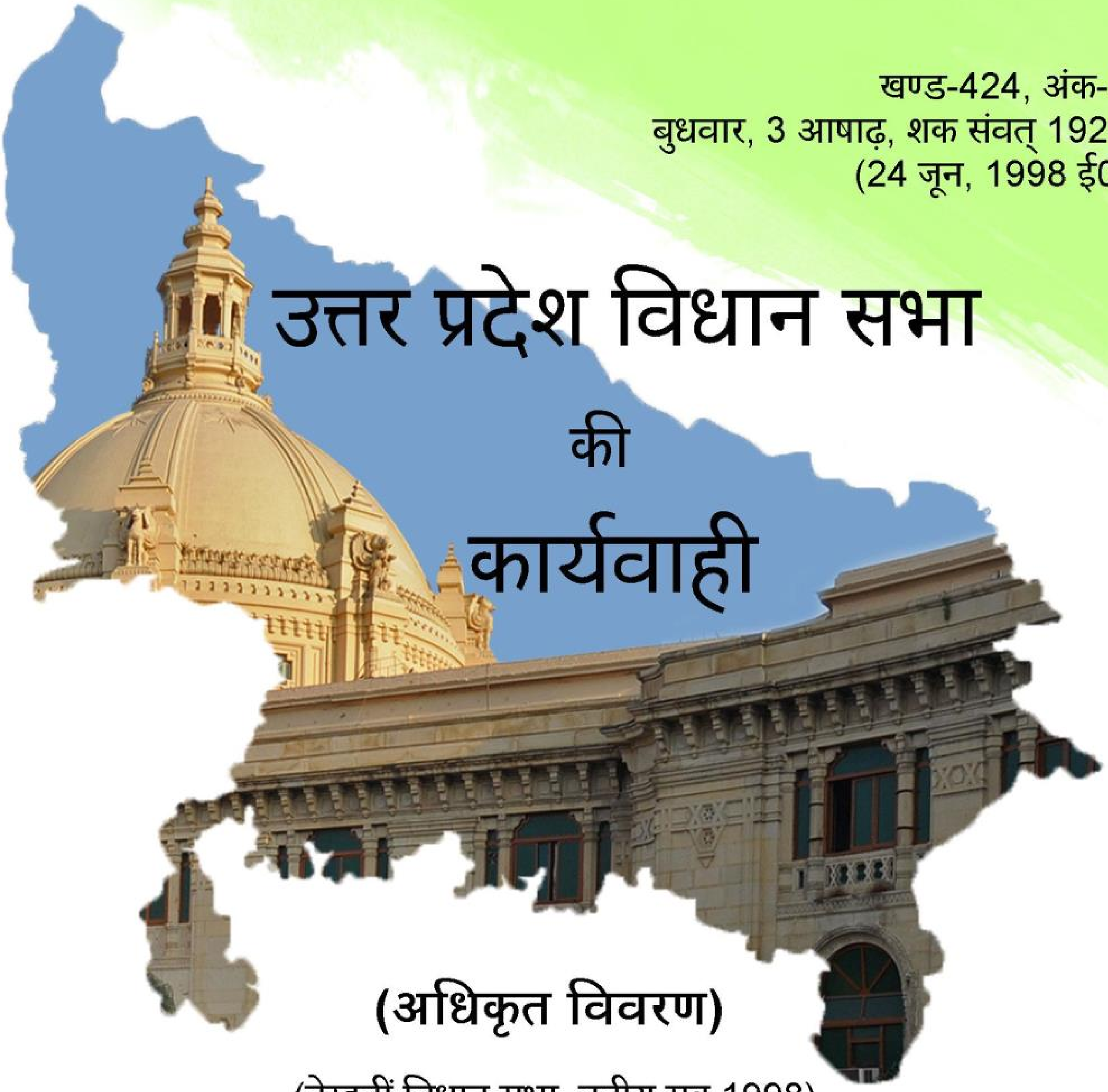

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1998)

खण्ड 424 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1998

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग–घ
प्रश्नोत्तर	1–91
प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	91–92
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	92–93
मेरठ महानगर में अनियमित/अघोषित विद्युत कटौती के निराकरण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93
जनपद मैनपुरी के भोगांव क्षेत्रान्तर्गत अधूरी सड़कों का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93
जनपद ज्योतिबा फूले नगर के गांव डिडौली में रामलीला मैदान व मरघट के पट्टे निरस्त करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	93–94
हरिद्वार शाहपुर शीतलखेड़ा, भोजपुर निरंजनपुर रायसी लक्सर बस सेवा प्रारम्भ किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
आजमगढ़ जिले की गोपालपुर माइनर की खुदाई से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
जनपद गोण्डा के मुजेहना एवं मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत जंगली जानवरों एवं नीलगायों से किसानों की फसलों को बचाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
जनपद कुशीनगर में चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान करने के बावजूद बैंकों द्वारा भुगतान में देरी करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
विधान सभा के उपाध्यक्ष के पद पर अविलम्ब निर्वाचन कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	95
गन्ना किसानों को उनके बकाया का ब्याज न दिये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	96
वर्तमान मंत्रिमण्डल के मंत्री और राज्य मंत्री में मतभेद होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	96–103
वर्तमान मंत्रिमण्डल द्वारा संविधान के अनुसार कार्य न कर पाने से उत्पन्न संवैधानिक संकट उत्पन्न विषयक औचित्य का प्रश्न	103–104
दिनांक 24 मार्च, 1998 से दिनांक 26 मार्च, 1998 तक नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण	104
श्री भोनू द्वारा दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी ...	104
उ० प्र० युवा जनता दल के लोगों पर लाठीचार्ज तथा डा० अम्मार रिजवी के साथ कथित दुर्व्यवहार किये जाने विषयक घटना की न्यायिक जांच की मांग ...	104–106
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	1106–149
नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं	149–150
नत्थियां	151–154

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 24 जून, 1998

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अनीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनीस खां, श्री	पीलीभीत
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अशफाक अहमद, श्री	बरेली
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ
इन्द्रजीत सरोज, श्री	इलाहाबाद
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
ओइमूवेश, स्वामी	बिजनौर
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कृष्णा राज, श्रीमती	खीरी
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गोरखनाथ पाण्डेय, श्री	भदोही
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
छोटे लाल राजभर, श्री	बलिया
जगदीश नारायण (मुन्ना), श्री	जौनपुर
दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री	कानपुर देहात
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकर नगर
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
पटेल राम कुमार वर्मा, श्री	खीरी
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
बंश नारायण सिंह, श्री	भदोही
बी० आर० वर्मा, श्री	जौनपुर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबू राम, श्री	जालौन
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री	सीतापुर
भगवती प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
मंगल सिंह सैनी, श्री	मुरादाबाद
मनेश चन्द्र सोनकर, श्री	इलाहाबाद
महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा०	वाराणसी
महेन्द्र पाल निषाद, श्री	बांदा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
मानवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुराद लारी, श्री	देवरिया
यशवंत, श्री	आजमगढ़
रंगनाथ मिश्र, श्री	भदोही
रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
राज राय सिंह, श्रीमती	पीलीभीत
राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राधेश्याम गुप्त, श्री	फतेहपुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
राम नक्षत्र, श्री	पडरौना
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम ललित चौधरी, श्री	बस्ती
रामवीर उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राम सिंह सैनी, श्री	हरिद्वार
राम सेवक सिंह, श्री	इलाहाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लालमणि प्रसाद, श्री	बस्ती
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय पाल सिंह, श्री	आगरा
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
विभूति प्रसाद निषाद, श्री	आजमगढ़
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
श्रीनिवास मणि, श्री	देवरिया
श्रीराम, श्री	जालौन
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सतीश शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
सन्त राम सिंह, श्री	जालौन
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सरवर अली खां, श्री	बाराबंकी
सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
रिक्त	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 24 जून, 1998

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरीनाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के शिक्षकों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों पर पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग

**1–श्री जगदम्बिका पाल, डा० धर्मज्ञ मिश्र तथा श्री रमेश राही–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रदेश के शिक्षकों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों पर लागू करने का निर्णय लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

शिक्षकों से सम्बन्धित वेतन समिति की संस्तुतियां शासन द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं । इस सम्बन्ध में शासनादेश शीघ्र निर्गत किया जायेगा । स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के सम्बन्ध में वेतन समिति की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है । इस पर विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय शीघ्र लिया जायेगा ।

शिक्षकों के सम्बन्ध में शासनादेश शीघ्र जारी किया जायेगा और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के सम्बन्ध में संस्तुतियां प्राप्त होने पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन् मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, कदाचित नई चीजें होने लगी हैं । मान्यवर, आप कृपा कर प्रश्नों को स्वीकार करते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर माननीय मंत्रीगण की तरफ से सम्यक और सही आयेगा इसकी हम अपेक्षा करते हैं । पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह सदन को गुमराह करने वाला है । पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि शिक्षकों से सम्बन्धित वेतन समिति की संस्तुतियां शासन द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं । श्रीमन्, अभी दो दिन पूर्व पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान दिये जाने की घोषणा की है । यह जो घोषणा की है । यह जो घोषणा की गयी है वह पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुकूल नहीं है । उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को जो पुनरीक्षित वेतनमान दिया है वह 3600 रुपये का स्केल दिया है और केन्द्र सरकार जो वेतनमान लागू कर चुकी है, उसने प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को 4500 रुपये का वेतनमान दिया है । इसी तरह से माध्यमिक शिक्षकों को जो वेतनमान केन्द्र सरकार ने दिया है वह रु० 7500/- का है और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो संस्तुतियां की है वह 4500/- का है, इसी तरीके से प्रिंसिपल के लिए रु० 10,000–15000/- का वेतनमान केन्द्र सरकार लागू कर चुकी है और प्रदेश सरकार ने जो संस्तुति की है वह रु० 8,000–10,000/- का मान्यवर, इतनी बड़ी विसंगतियां हैं । मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो केन्द्र द्वारा पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें माध्यमिक टीचर्स और प्रिंसिपल के लिए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान में भारी विसंगतियां हैं, इसका क्या आधार है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर त्यागी)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि जो उत्तर आया है उसमें कहा गया है कि शिक्षकों से सम्बन्धित वेतन समिति की संस्तुतियां शासन को प्राप्त हो गयी हैं और इस सम्बन्ध में शीघ्र शासनादेश जारी किया जायेगा । उत्तर प्रदेश सरकार ने जे०एल० बजाज की अध्यक्षता में जो वेतन समिति गठित की थी और उसने जो संस्तुति की है शिक्षकों के वेतनमान के संबंध में उसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है । यह संस्तुति पांचवें वेतन आयोग के संबंध में नहीं किया गया है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले दिनों मंत्रि-परिषद् का फैसला है कि जब भी केन्द्र द्वारा कोई भी पे कमीशन की रिपोर्ट आयेगी तो उसे अक्षरशः राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों के पदों से पदों की समानता के साथ लागू किया जायेगा लेकिन ऐसा न करके बजाज समिति की संस्तुतियों को लागू किया गया क्या पिछली मंत्रि-परिषद् के फैसले के विपरीत इस मंत्रि परिषद् द्वारा कोई फैसला हुआ है, तो किस तारीख को हुआ है जिसमें कहा गया है कि हम केन्द्र के बराबर न लागू करके कोई कमीशन समिति की संस्तुतियों को लागू करेंगे ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि राज्य कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के समकक्ष वेतनमान दिये जाने की बात केवल स्वीकार की गई थी और इस संबंध में 14 अक्टूबर, 1988 को एक संकल्प भी लिया गया था । इस संकल्प के अनुसार राज्य कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के समकक्ष वेतनमान की बात कही गई है ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वेतन समिति की रिपोर्ट शासन को कब प्राप्त हुई है और उसे अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है तथा उसे कब तक लागू कर देंगे ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, कैबिनेट में निर्णय हुआ है, शासनादेश शीघ्र जारी होने वाला है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य का प्रश्न है कि यह रिपोर्ट शासन को कब प्राप्त हुई है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, बजाज समिति की अन्तरिम रिपोर्ट 22 दिसम्बर, 1997 को प्राप्त हुई थी और 23 दिसम्बर, 1997 को शासनादेश जारी हो गया, राज्य कर्मचारियों के संबंध में ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, धर्मज्ञ मिश्र जी के प्रश्न का उत्तर नहीं आया । अगर मंत्री जी तैयार नहीं हैं तो इसे स्थगित कर दीजिये, आपके निर्देश के बावजूद मंत्री जी प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने कहा है कि शीघ्र निर्णय किया जायेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय मंत्री जी संभवतः तैयार नहीं हैं । धर्मज्ञ मिश्र जी का सीधा सवाल है कि रिपोर्ट कब आई है, कब तक लागू करेंगे ? मंत्री जी बता रहे हैं, अन्तरिम रिपोर्ट आई है, उसे लागू कर दिया गया है । जबकि मूल प्रश्न के जवाब में है कि इसे अभी लागू नहीं किया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

धर्मज्ञ मिश्र जी के प्रश्न का जवाब देना आसान होता है क्या ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1998 में जब वेतन आयोग केन्द्र का आया था तो तत्कालीन सरकार और कर्मचारियों के बीच एक समझौता हुआ था कि जिस प्रकार से केन्द्र में वेतनमान होंगे या केन्द्र के अनुसार जो भी संस्तुतियां होंगी उस पर बाध्यकारी होंगी, सदैव लागू करते रहेंगे तो क्या ऐसे किसी समझौते का ज्ञान राज्य मंत्री को है या नहीं ? यदि है तो उसे न मानने का मौजूदा सरकार का क्या कारण है ? तीसरा सवाल मान्यवर, आप कहें तो पूछ लूं । जब यह निर्णय हो चुका है कि केन्द्र की जो भी संस्तुतियां वेतन आयोग की होंगी उसका लाभ शिक्षकों और स्वायत्तशासी संस्थाओं को मिलेगा तो इसमें विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, चतुर्थ वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में किसी आयोग का गठन नहीं हुआ था, एक समता समिति का गठन हुआ था जिसके उसमें सरकार ने स्वीकार किया कि राज्य कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के समान वेतनमान देंगे और बाकी के सम्बन्ध में समता समिति को यह कहा गया था कि वह बाकी के संबंध में अपनी संस्तुति दें कि क्या वेतनमान दिया जाय और तदनुसार समता समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद वेतनमान लागू किया गया था इसके अलावा सरकार का और कोई निर्णय नहीं हुआ ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि समता समिति का गठन जब इस प्रदेश में किया गया तो उसने समान वेतनमान देने की बात की, स्वायत्तशासी संस्थाओं और शिक्षकों के द्वारा उठाये गये तमाम बिन्दुओं पर उत्तर प्रदेश सरकार में समता समिति का गठन हुआ था तो केन्द्र में बराबर की पैरिटी के लिए पदों से पदों की समानता के लिये हुआ था उसमें कुछ विसंगतियां रह गयी थीं जिसके लिए एक विसंगति समिति का गठन हुआ । कुछ ऐसे पद थे जो दिल्ली में, केन्द्र में नहीं थे और उत्तर प्रदेश में थे उनके वेतनमान के लिए विसंगति समिति का गठन हुआ । चतुर्थ वेतन आयोग की रिपोर्ट जो शिक्षकों पर, स्वायत्तशासी संथाओं पर लागू हो चुकी है तो जो चतुर्थ वेतन समिति आई है वह राज्य कर्मचारियों पर, शिक्षकों पर, स्वायत्तशासी संस्थाओं पर लागू हुई है यदि हां, तो पांचवें वेतन आयोग को लागू करने में क्या कठिनाई है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, यह जो 14 अक्टूबर, 1989 को संकल्प प्रस्तुत हुआ जिसके आधार पर समता समिति का गठन हुआ उसमें पहले ही यह कहा गया कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों की इस मांग को सिद्धान्तः स्वीकार किया है कि राज्य कर्मचारियों को उनके समकक्ष पदों पर, जो केन्द्र सरकार में विद्यमान हैं, केन्द्र के समान वेतनमान दिया जाय । लेकिन आगे बाकी के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि समता समिति निम्नलिखित कर्मचारी वर्गों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार में विद्यमान पदों से तुलनात्मक अध्ययन करके पदों की तुलनीयता के आधार पर वेतनमानों के सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करेगी । उसमें राजकीय कर्मचारी/अधिकारी, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर

कर्मचारी, स्थानीय निकायों एवं जिला परिषद् जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरणों सहित के कर्मचारी अधिकारी, सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कर्मचारी/अधिकारी वर्ग को इस परिधि में रखा गया है । समता समिति ऐसे शिक्षकों जिनका वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति पर निर्धारित नहीं होता है, के संबंध में भी विचार कर अपनी संस्तुतियां प्रेषित करेगी ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मंत्री जी ने प्रकारान्तर में यह स्वीकार कर लिया कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार के समान वेतनमान देगी । मान्यवर, जिनके पद नाम केन्द्र के पद नाम से मिलते हुए नहीं हैं उनके बारे में शासन अन्तिम निर्णय कब तक ले लेगा चाहे वह स्वायतशासी संस्थाओं शिक्षकों और सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों से संबंधित अधिकारी कर्मचारी हों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, केवल राज्य कर्मचारियों के बारे में सरकार की घोषणा है बाकी सबके संबंध में नहीं है पदों के समान समानता की । मान्यवर, तीन उप समितियां बनी हुई हैं, उनके आधार पर जो रिपोर्ट प्राप्त होगी, उसके विचार करने के बाद यथा शीघ्र सरकार कार्यवाही करेगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह 6 लाख कर्मचारियों से जुड़ा मामला है मूल प्रश्न और उसके बाद के उत्तरों में अन्तर है आप कृपया इस पर चर्चा करा लें ।

श्री अध्यक्ष–

मुझे लिखित रूप में मिल गया है मैं उस पर विचार कर लूंगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर आप संसदीय कार्यमंत्री जी से दिलवा दें वे अन्य सरकारों में मंत्री रहे हैं उन्हें जानकारी है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, सिफारिशों को लागू करने में जितना वित्तीय भार आयेगा और यह कब तक लागू कर देंगे, इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं । आज शिक्षक आन्दोलित है, आप इस पर चर्चा करा दें ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, रिपोर्ट आ गयी है तो कब तक लागू करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

चर्चा के बारे में विचार कर लूंगा । अब अगला प्रश्न लेता हूं ।

अक्षम एवं खराब छवि वाले राज्य कर्मचारियों व अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्ति किये जाने की शासन की कथित योजना

**2–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अक्षम एवं खराब छवि वाले राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति हेतु सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? क्या उसका कार्यान्वयन शीघ्र किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोरख नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, जिस प्रकार पुलिस विभाग में दोषी पुलिस कर्मियों को दण्डित करने का प्राविधान किया जा रहा है क्या इसी प्रकार अन्य विभागों में भी जो अधिकारी/कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जिनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टियों की सूचनायें आ रही हैं क्या ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ भी सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है या उनको छूट दे रही है या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कोई समिति बनाने जा रही है जो बाद में उनके खिलाफ संस्तुति करे और उसके अनुसार उन पर कार्यवाही की जाये ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, यह अक्षम एवम् खराब छवि वाले राज्य कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित प्रश्न है । इसके लिये पहले से एक नियम बना हुआ है । अक्षम अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच होती है और उसके अनुसार कार्यवाही होती है । उनकी पदावनति होती है उन्हें पदच्युत किया जाता है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति इन पर न लागू होकर उसके लिये अलग से कानून बना हुआ है । इससे उसका कोई संबंध नहीं है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत चिकित्सकों की वरिष्ठता सूची का बनाया जाना तथा विसंगति को दूर किये जाने की मांग

*1–श्री गोरख नाथ पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत हजारों पी०एम०एस०, पी०एम०एस० (महिला) पी०एच०एस० डाक्टरों को एकीकरण करके कोई समेकित ज्येष्ठता सूची बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ? क्या यह सही है कि ज्येष्ठता का आधार विसंगतिपूर्ण होने के फलस्वरूप सेवा में वर्षों कनिष्ठ डाक्टर महानिदेशक के पद पर चयनित कर लिये गये हैं और निदेशक तथा अपर निदेशक के पद पर चयन की भी वही दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी समुचित जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

जी नहीं, प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के पुरुष एवं महिला चिकित्सकों को अलग अलग वरिष्ठता सूची प्रख्यापित की गई है ।

प्रश्नगत वरिष्ठतासूची, प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में पारित मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 23–3–95 व सपठित निर्णय दिनांक 26–7–96 में प्रतिपादित सिद्धान्तों पर आधारित है ।

जी नहीं, महानिदेशक/निदेशक/अपर निदेशक के पदों पर चयन/प्रोन्नतियां मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 23–3–95 व 26–7–96 के अनुपालन में प्रख्यापित वरिष्ठता सूची दिनांक 22–11–96 के अनुसार पात्रता में आने वाले अर्ह अधिकारियों के मध्य "श्रेष्ठता" के आधार पर की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है । क्या ज्येष्ठता सूची निर्धारित करने के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई मानक निर्धारित किये हैं, यदि हां, तो वह क्या है । क्या ऐसे मानकों पर लोक सेवा आयोग द्वारा भी राय ली गई है ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है, उस पर कार्मिक विभाग की व न्याय विभाग की राय ली गई । माननीय न्यायालय द्वारा पारित अपने निर्णय दिनांक 23-3-95 एवं सपठित निर्णय दिनांक 26-7-96 में निम्न निर्देश दिये गये :–

1–सेवा निवृत्त चिकित्साधिकारियों को, उनकी प्रथम नियुक्ति की तिथि से सेवा की गणना करते हुए, उनकी नोशनल नियमित नियुक्ति मानते हुए, सेवा निवृत्तिक एवं पेंशनरी लाभ दिये जायं ।

2–ऐसे चिकित्सक, जिनके पक्ष में किसी न्यायालय का निर्णय अन्तिम हो गया है, की वरिष्ठता उनकी प्रथम नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की जाय और उन्हें वर्ष 1972 में आयोग से चयनित चिकित्सकों के ऊपर रखा जाय ।

3–वर्ष 1972 में आयोग से चयनित चिकित्सकों की वरिष्ठता उनकी मैरिट के आधार पर निर्धारित की जाय और उनके नीचे आयोग की चयन सूची 23-12-77, 16-6-78 एवं 10-5-79 में चयनित चिकित्सकों को, आयोग की मैरिट के आधार पर रखते हुए वरिष्ठता निर्धारित की जाय ।

4–शेष ऐसे तदर्थ/विनियमित (नान सेलेक्टी) चिकित्सकों को आयोग की चयन सूची दिनांक 10-5-79 के नीचे रखते हुए, उनकी वरिष्ठता निर्धारित की जाय ।

5–आरक्षित वर्ग के अधिकारियों की वरिष्ठता क्रमावली (रोस्टर) के अनुसार निर्धारित की जाय ।

इस प्रकार इन बिन्दुओं के आधार पर सूची बनायी गयी और उनका प्रमोशन किया गया ।

श्री अध्यक्ष–

महानिदेशक और अपर निदेशक के पदों पर क्या प्रोन्नति हुई और कितने अधिकारियों को पात्रता सूची में रखा गया ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, यह पात्रता सूची 1995 में बनाई गई और प्रोन्नति जल्दी ही की गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

अगर जल्दी की गयी तो फिर 1995 से 1998 तक तीन साल में जो लोग पात्र हो गये, क्या उनको भी इस सूची में सम्मिलित कर विचार किया गया ।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, वरिष्ठता सूची के संबंध में जो अपना प्रतिवेदन देना चाहते हैं, वह आवेदन कर सकते हैं, यह कहा गया । आवेदन करने वाला कोई नहीं आया । उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो गये और उसी के आधार पर किया गया । उसके बाद 4 लोग सुप्रीम कोर्ट चले गये । अब वह जैसा निर्देशित करेगा उसके अनुसार हम जारी करेंगे ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सूची बनाते समय पी० एम० एस० संघ से इस बारे में सुझाव प्राप्त किये गये थे ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, 1995 की सूची सुप्रीम कोर्ट के पास थी उसी आधार पर हुआ था। पी० एम० एस० संघ से बात नहीं हुई है। लेकिन कार्मिक विभाग और न्याय विभाग से परामर्श ले लिया गया है।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, पदोन्नति के संबंध में तीन साल 95 से 98 तक, का अन्तराल रहा। क्या इस अन्तराल में कोई कमेटी बैठी और अगर नहीं बैठी तो कब तक बैठेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, कमेटी बैठी और कमेटी बैठने पर ही सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 23-3-95 और 26-7-96 के अनुपालन में शासनादेश संख्या–4837/96 दिनांक 9 जुलाई, 1997 का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हुआ या नहीं ?

(2) वंचित चिकित्सकों की कोई सूची सरकार ने बनायी है और यदि हां, तो उसकी संख्या क्या है ?

(3) इन वंचित चिकित्सकों की प्रोन्नतियां कब तक सरकार करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। इसके लिये आप अलग से प्रश्न कर लीजियेगा।

प्रदेश में कुत्ता काटने से प्रभावित मरीजों के इलाज हेतु ए० आर० वी० उत्पादन केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव

*2.—श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में कुत्ते के काटने से प्रभावित मरीजों की संख्या की तुलना में इसके इलाज हेतु ए० आर० वी० का उत्पादन अतिशून्य है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश के कुत्ते काटने से प्रभावित सभी मरीजों के उपचार हेतु ए० आर० वी० से उत्पादन के अन्य केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? इन केन्द्रों में कब तक उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मैंने जो माननीय मंत्री जी से जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर जी नहीं मिला। मान्यवर, कुत्ता काटने से प्रभावित मरीजों का कोई सर्वेक्षण क्या माननीय मंत्री जी ने कराया है और उसका औसत क्या है यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। मान्यवर, आज दवाइयों का उत्पादन कम है। हम लोगों का अपना अनुभव है कानपुर में और जगह-जगह सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं और इसका उत्पादन बहुत कम हो रहा है ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, इन्होंने कहा कि अति न्यून है, मैंने कहा जी नहीं। आपूर्ति न्यून है, लेकिन अति न्यून नहीं है। जितनी आवश्यकता है, उतनी नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मरीजों की तुलना में दवा की आपूर्ति नहीं है। अगर न्यून है, तो अन्य कोई उत्पादन केन्द्र खोलने की योजना आपके विचाराधीन है। यह जो आप कह रहे हैं, वह तो बाल की खाल निकालने वाली चीज हुई। अगर उत्पादन न्यून है तो कमी है, तो क्या शासन उत्पादन बढ़ाने पर विचार करेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

मैं तो स्वीकार करता हूं कि जितनी आवश्यकता है उतनी उपलब्ध नहीं है। अलग से कारखाना खोलने की कोई योजना नहीं है। पटवा डांगर में एक कारखाना है। उसी को रा-मैटेरियल नहीं मिल पाता है। एक प्रकार की भेड़ होती है, जो राजस्थान में पायी जाती है, उसी से इसका रा-मटेरियल मिलता है। रा-मैटेरियल मिल नहीं पाता है, तो परेशानी होती है। दूसरा कारखाना बनाने की कोई योजना नहीं है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि इस कारखाने को बन्द कर दिया जाये और बाजार में महंगी कीमत पर यह दवा उपलब्ध है। दूसरा कारखाना नहीं खोलते हैं कि उत्पादन बढ़ सके। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण लोगों को यह दवा नहीं मिल पाती है। उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या नया कारखाना खोलेंगे। -

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मैंने प्रार्थना किया था कि नया कारखाना नहीं खोला जा सकता है क्योंकि हमारे पास रा-मैटेरियल उपलब्ध नहीं है। जो कारखाना पटवा डांगर में है उसी को अगर पूरा रा-मैटेरियल मिल जाये तो उत्पादन बढ़ सकता है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, बाजार में महंगे दामों पर वही दवा मिल रही है।

श्री अध्यक्ष–

कच्चे माल के उपलब्ध होने के बारे में बता दें।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, जो स्थिति है उस पर हम गम्भीर हैं, सरकार गम्भीर है, लेकिन.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री राम नरेश यादव जी को बुला लिया है।

श्री राम नरेश यादव–

अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि सरकार इस पर बहुत गम्भीर है और यह भी उत्तर आया है कि जो उत्पादन हो रहा है, वह कम है। इस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि जब बाहर दवा मिल जाती है, तो सरकारी अस्पतालों में न मिलने का क्या कारण है। बाहर महंगे दाम पर मिल जाती है। क्या इस कमी को पूरा करने पर सरकार विचार कर रही है। या इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कोई नया कारखाना लगाने पर विचार कर रही है। अगर रा-मैटीरियल की कमी है तो उसे पूरा करने के लिये बाहर कोई व्यवस्था हो सकती है, ताकि जो लाखों लोग मर रहे हैं वे बच सकें।

श्री रमापति शास्त्री–

इसकी दवायें काफी महंगी आती हैं पिछले साल हमने काफी मात्रा में खरीदी थी । माननीय राम नरेश जी उ० प्र० के मुख्य मंत्री रह चुके हैं । कुत्तों को मारने के लिये नहीं कुत्तों को पकड़ने के लिये स्थानीय निकायों की तरफ से टीम है । मारने के लिये नहीं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं रा-मैटीरियल की कमी का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया । दो परिस्थितियां बड़ी गम्भीर हैं एक तो रा-मैटीरियल जिसका जिक्र उन्होंने किया, जो सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल रही है, दूसरा अस्पतालों से बाहर महंगी दवायें मिलती हैं । तो क्या दोनों का रा-मैटीरियल भिन्न है । स्थिति बहुत गम्भीर है क्योंकि अगले 6 महीनों में पूरी तरह से इस सुई का उत्पादन बन्द होने जा रहा है, रा-मैटीरियल न मिलने से कारखाना बन्द होने जा रहा है । दूसरा अगर दोनों का रा-मैटीरियल एक ही है तो उनको कैसे मिल रही है, वहां एम्पल मात्रा में उपलब्ध है ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर काफी समय हो गया ।

श्री रमापति शास्त्री–

कारखाना बंद होने की कोई योजना नहीं है । हां, दोनों के दामों में काफी अन्तर है । 10 एम० एल० के हमारे यहां जो है साढ़े 7 रु० है और दूसरा ब्रांड जो रवीपुर नाम से है उसके दाम 185 रु० एक एम० एल० के हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य की जिज्ञासा है कि कुत्तों के काटने की दवा बाजार में तो उपलब्ध है । आप कहते हैं हमें कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है बाजार में जो दवा मिल रही है उनके पास आपूर्ति हो रही है तो इस दिशा में सरकार क्या कर रही है । माननीय सदस्य की आशंका यह भी है कि कारखाना बन्द होने जा रहा है जब उन्हें रा-मैटीरियल की आपूर्ति हो रही है तो आपको क्यों नहीं हो रही है ।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, यह जो मल्टी नेशनल कम्पनी से जो दवायें आती हैं इसकी आपूर्ति वे कैसे करते होंगे मुझे पता नहीं । (व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को पता नहीं मल्टी नेशनल कम्पनी कहां से रा-मैटीरियल लेती है आश्चर्य हो रहा है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, प्रत्येक वर्ष कुत्तों के काटने से प्रदेश में हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है और मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के पेज 18 पर लिखा है कि हमारा बजट कल्याणकारी है तो इसकी कल्पना की जा सकती है कि यह कल्याणकारी सरकार है यह कहते हैं कि रा-मैटीरियल राजस्थान से मिलता है वह हमें नहीं मिल रहा है इससे बड़ी समस्या और क्या हो सकती है कि आप किसी अस्पताल में आज चले जाइये मेरे फैजाबाद के किसी अस्पताल में कुत्ते काटने की दवा उपलब्ध होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

यह तो भाषण हो गया ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी हैकि बाजार में भारी पैमाने पर नकली दवायें बेचे जाने का काम चल रहा है । यदि हां, तो क्या इसको रोकने की कार्यवाही करेंगे ? दूसरी बात मंत्री जी ने कहा कि दवाई न्यून है अति न्यून नहीं है तो क्या सरकार प्रत्येक सरकारी अस्पतालों में थोड़ी मात्रा में कुत्ता काटने की दवाई का प्रबन्ध करायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

यदि दवाई अपर्याप्त या न्यून है तो क्या पर्याप्त मात्रा में इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां, हम व्यवस्था पूरी करेंगे ।

श्री अवधेश प्रसाद–

गांव में गरीब कुत्ता काटने से तड़प-तड़प कर मर जाता है । गांव में ज्यादा मौतें होती हैं । इसलिये नियम 49 में इस पर चर्चा करायी जाय ।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

मान्यवर, गरीब लोग और सड़कों पर चलने वाले लोग तथा सायकिल पर चलने वाले लोग ज्यादा कुत्ता काटने के शिकार होते हैं । यह उनके मरने और जीने का सवाल है । माननीय मंत्री जी कहते हैं कि कच्चा माल नहीं मिलता इसलिए इतना ही उत्पादन होगा । यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा । कोई दो दिन बुखार में रह सकता है लेकिन कुत्ता काटने से मरेगा, उसकी जिन्दगी का सवाल है । इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे और सरकार कोई योजना बनायेगी इस कमी को पूरा करने के लिए ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने कह दिया है कि कमी को पूरा करेंगे ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में कुत्ता काटने की दवाई नकली बेची जा रही है । इससे एक तरफ पैसे का नुकसान हो रहा है दूसरी तरफ मरीज को नुकसान हो रहा है । तो क्या मंत्री जी नकली दवाई की बिक्री को रोकने के संबंध में कार्यवाही करेंगे ?

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कुत्ता काटने से जो बीमारी होती है वह एक किलर डिजीज के रूप में स्थापित है । आज तक मेडिकल हिस्ट्री में दुनिया में एक भी केस ऐसा नहीं हुआ जिसमें इस बीमारी के सिम्टम आ जाने के बाद मरीज बचा हो, रैबीज से डेथ प्योर है । लिहाजा यह सवाल मरने और जीने का है । मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि रैबीज वैक्सीन की सप्लाई और डिमांड के बीच में गैप है । उन्होंने कहा कि अति न्यून नहीं है । न्यून और अति न्यून में एक आफ लाइन नहीं है । मान लीजिये 10 परसेंट की कमी है तो क्या 10 प्रतिशत मरीजों को मरने के लिये छोड़ा जा सकता है । यह सरकार की संवेदनशीलता पर प्रश्नचिन्ह है । इसके ऊपर एक कार्य योजना की घोषणा मंत्री जी को करनी चाहिए । सरकार इस दवा को इम्पोर्ट करने की पालिसी बनाकर अविलम्ब आपूर्ति के लिये कोई योजना बनाये या प्राइवेट सेक्टर से खरीदे या विदेशों से इसका रा-मैटीरियल मंगायेगी यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष–

क्या कोई योजना शासन ने बनायी है इस कमी को पूरा करने के लिए, कच्चा माल मंगायेंगे या दवाई का आयात करेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने तय किया है कि किसी भी प्रकार से कुत्ता काटने की दवा की उपलब्धता में कमी नहीं होने पायेगी । 98-99 के लिये 12 हजार ऐम्पिल बाहर से मंगाया है और कम पड़ेगा तो कहीं न कहीं पूरा करेंगे ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जीवन के लिये आवश्यक हैं लेकिन बहुत से गरीब लोग हैं जो उन्हें नहीं खरीद सकते हैं सरकार को चाहिए कि उस पर सब्सीडी दे दें । यह जो मांग और आपूर्ति का गैप है जो गरीब लोग हैं वह इससे प्रभावित हो रहे हैं । बाजार से नहीं खरीद पा रहे हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन गरीबों के लिये बाजार में जो महंगी दवाइयां उपलब्ध हैं उसमें उनको रियायत देकर उपलब्ध कराने पर विचार करेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, हमने बता दिया कि हम व्यवस्था करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये कह दिया है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जो नियम–49 में.....

श्री अध्यक्ष–

चर्चा के बारे में दो सूचनायें मिली हैं । इन पर समय का ध्यान रखते हुए देखेंगे कि चर्चा कराना कहां तक सम्भव होगा । मैंने कह दिया है कि मैं इस पर विचार कर लूंगा ।

प्रदेश में नकली दवाइयों के उत्पादन में रोक लगाने की मांग

*3—श्री राम औनार शाक्य–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में नकली दवाइयों का उत्पादन हो रहा है । यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1997-98 में अब तक ऐसे कितने प्रकरण प्रकाश में आये हैं और उनमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार ऐसे अवैध उत्पादन पर रोक लगायेगी और उसका कोई सर्वेक्षण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

वर्ष 1996-97 में जनपद इलाहाबाद में विभाग द्वारा डाले गये छापों में पकड़ी गयी नकली दवाइयों के आधार पर जनपद देहरादून में एक अवैध दवा निर्माणशाला में छापे में नकली औषधियों के उत्पादन की जानकारी प्राप्त हुई ।

राजकीय विश्लेषक, उत्तर प्रदेश से वर्ष 1997-98 की प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ऐसे 50 औषधियों के प्रकरण संज्ञान में आये हैं । संगत नियमों के अन्तर्गत दोषियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस देने तथा अभियोजन की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ।

प्रदेश में अवैध दवाइयों के उत्पादन पर रोक लगाये जाने हेतु औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 एवं उसके अन्तर्गत निर्मित नियमावली, 1945 के नियम–51 एवं 52 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, यह आदमी की जिन्दगी से जुड़ा हुआ ऐसा महत्वपूर्ण सवाल है। एक तो दवाई मिलती नहीं है और जो दवाइयां मिलती हैं वह नकली होती हैं। मंत्री जी ने हमारे प्रश्न के जवाब में यह स्वीकार किया है कि दो जगह छापे डाले गये इलाहाबाद और देहरादून में वहां पर नकली दवाइयां बनाने के कारखाने पकड़े गये। उन्होंने कहा है कि 50 औषधियां 97-98 में नकली पकड़ी गयी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 50 औषधियां नकली पकड़ी गयी हैं वह सब इन दोनों जगहों की हैं या उसके उत्पादक और भिन्न-भिन्न हैं ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, जो पचास औषधियां नकली पकड़ी गई हैं कहिए तो उनके नाम पढ़कर सुना दूं या उनकी सूची माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूं।

श्री अध्यक्ष–

सवाल यह नहीं है। माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि जो 50 औषधियां नकली पकड़ी गयी हैं वह सब इलाहाबाद और देहरादून के छापे में पकड़ी गयी फैक्ट्रियों का उत्पादन है या अन्य और जगहों का भी शामिल है।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, इनसे भी सम्बन्धित है और अलग-अलग भी हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपने उल्लेख किया है कि संगत नियमों के अन्तर्गत दोषियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस देने तथा अभियोजन की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है। नकली दवाई के उत्पादन में इन उत्पादन इकाइयों को सील किया कि नहीं कि यूं ही लोगों को नकली दवाओं से मरने के लिये छोड़ दिया।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, रिपोर्ट कराकर न्यायालय में चले गये और न्यायालय में लम्बित है और फैक्ट्री को तत्काल बन्द कर दिया।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से अधिनियम के बारे में बता दिया कि यह नियमावली है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन्होंने नकली दवाइयों की बिक्री की है उनको एन० एस० ए० में बन्द करने के लिये सरकार प्राविधान करेगी जिससे भविष्य में नकली दवाइयां बनाने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही हो सके ?

श्री रमापति शास्त्री–

मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं।

श्री अध्यक्ष–

न्यायालय में तो, जो प्रकरण पकड़े हैं जो दोषी हैं उनके खिलाफ चल रहे हैं। क्या नकली दवाइयां बनाने वालों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में निरुद्ध करने के बारे में विचार करेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूची मिल जायेगी तो कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

इनका प्रश्न सीधा है क्या नकली दवाइयां बनाने वालों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में निरुद्ध करने के बारे में सरकार विचार करेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

निश्चित तौर पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री रामजग–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा यह गम्भीर मामला है पूरे प्रदेश में अधिकांशतः नकली दवाइयां बिक रही हैं तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने नकली दवाइयों के कारखाने कड़े गये हैं कितने लोगों को पकड़ा है कितने लोगों को जेल भेजा गया है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

50 नकली औषधियों के बारे में 1997-98 में रिपोर्ट प्राप्त हुई है यह उत्तर आ चुका है ।

श्री रामजग–

यह बहुत ही गम्भीर मामला है नकली दवा बनाने के बहुत से ऐसे कारखाने हैं जो चल रहे हैं इसमें सरकार क्या कर रही है ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से नहीं निकलता है ।

श्री मुन्ना चौहान–

देहरादून के दवा के कारखाने को पकड़े जाने के बाद से मुझे जानकारी है नकली दवा के कारखाने के विरुद्ध कार्यवाही हुई वह व्यक्ति जिसका रैकेट पकड़ा गया बम्बई और देहरादून तक दवा सप्लाई करता था तो जिन मेडिकल स्टोर को वह दवा भेजता था उनके खिलाफ कोई कार्यवाही हुई ? ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जिन मेडिकल स्टोर को दवा जानी थी उनको जानकारी नहीं थी उनको पुख्ता जानकारी थी क्योंकि वह नकली दवायें औने-पौने दाम में खरीदते थे उनकी भी मिली भगत थी तो उन मेडिकल स्टोर के खिलाफ, जो व्यक्ति मेडिकल स्टोर चलाते थे उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रमापति शास्त्री–

नकली दवायें पकड़ी गईं और उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी हो गई ।

(नत्थी–ग तारांकित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, एक प्रश्न और पूछ लेने दीजिए । मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो जवाब दिया नकली दवाओं के प्रकरण में, सरकार की जो नीति है उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि सरकार गम्भीर नहीं है लेकिन मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं क्या कोई उच्च स्तरीय कमेटी प्रदेश स्तर पर बनायेंगे कि जहां से भी सूचना मिले कि फलां जगह नकली दवाओं का कारखाना है, नकली दवायें बन रही हैं तो प्रदेश स्तर से कमेटी वहां जाए और उसको पकड़े ? निचले स्तर पर मिली भगत रहती है । अस्पतालों तक में नकली दवाई सप्लाई हो जाती है । अस्पतालों के निकट जो मेडिकल स्टोर होते हैं वहां भी नकली दवाइयां मिलती हैं । इसको रोकने के लिये कोई कार्ययोजना सरकार के पास है ?

श्री रमापति शास्त्री–

इस तरह की व्यवस्था महानिदेशालय में पहले से ही है । सूचना मिलते ही कार्यवाही करते हैं ।

डा० ज्ञानवती सिंह–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो बिसलेरी पानी मिलता है वह नकली पानी बेचने का काम किया जा रहा है । इसके लिए मंत्री जी ने कोई समिति बनायी है । जो पानी हमारे यात्री लोग 10-12 रुपये में खरीदते हैं उसमें इतनी मिलावट है तो दवाइयों के बारे में मैं नहीं कह

सकती । अनेक दवाई की फर्में नकली चल रही हैं । उनके प्रति सरकार कोई कठोर कदम उठा रही है ? कोई समिति बना रही है जिससे हमारी जनता के स्वास्थ्य पर जो बुरा असर पड़ रहा है उसका निवारण हो सके । दूसरे मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि अनेक क्षेत्रों में एक्स-रे मशीन प्लेटें न होने के कारण काम नहीं कर रही हैं । हमारे क्षेत्र खैर में अस्पताल में स्टरलाइजर की मशीन 50 लाख रुपये में बाहर से मंगाई गई लेकिन उसमें एक दिन भी स्टरलाइजेशन नहीं किया गया है । ऐसे अनेक अस्पताल हैं जहां लाखों करोड़ों रुपये बेकार पड़े हैं ।

श्री अध्यक्ष–

दूसरा प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री रमापति शास्त्री–

पहले से ही समिति बन चुकी है । नित्यानन्द समिति, जिसकी संस्तुतियां विचाराधीन हैं ।

तारांकित प्रश्न

जनपद बहराइच में स्थापित जरवल रोड चीनी मिल पर सत्र 1997-98 का बकाया रुपया भुगतान किये जाने की मांग

1. श्री राम नेज यादव (अनुपस्थित)–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में स्थापित जरवल रोड चीनी मिल पर वर्तमान सत्र 1997-98 में कितना रुपया किसानों का बकाया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि किसानों का पिछला कितने रुपये का भुगतान अब तक बकायां है ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? भुगतान में शिथिलता बरतने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्तमान सत्र में कितने गन्ने की खरीद किसानों से की जा चुकी है ? क्या किसानों को बकाये मूल्य का भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जरवल रोड चीनी मिल ने वर्ष 1997-98 के रु० 1447.52 लाख गन्ना मूल्य का रु० 1316.02 लाख भुगतान कर दिया है जो 90.92 प्रतिशत है । प्रश्नगत चीनी मिल पर पेराई सत्र 1997-98 से सम्बन्धित रु० 131.50 लाख का गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष है ।

उक्त चीनी मिल पर पेराई सत्र 1997-98 के पूर्व का कोई भी गन्ना मूल्य बकाया नहीं है ।

भुगतान में कोई शिथिलता नहीं बरती जा रही है ।

वर्तमान पेराई सत्र में किसानों से 19.65 लाख कुन्टल गन्ना क्रय किया गया है ।

जी हां । अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान यथाशीघ्र कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालयों को वर्ष 1994 के बाद आवर्तक अनुदान सूची पर लाने हेतु सभी औपचाकिरता पूर्ण करने की जानकारी

*2—श्री योगेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालयों को वर्ष 1994 के बाद आवर्तक अनुदान सूची पर लाने हेतु शासन स्तर से सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गयी हैं ? यदि हां, तो उन्हें अभी तक अनुदान सूची पर न लाने के क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मझगवां बरेली के तत्कालीन प्रभारी चिकित्साधिकारी स्व० डा० एस० एस० रावत की आत्महत्या का मामला

*3—श्री कृपा शंकर सिंह (अनुपस्थित)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में है कि सन् 1993 में डा० एस० एस० रावत, चिकित्साधिकारी, बरेली ने तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी संयुक्त निदेशक (कार्मिक) एवं विशेष सचिव के उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण की विभागीय जांच तत्कालीन महानिदेशक द्वारा की गयी थी ? क्या उक्त जांच में उपरोक्त तीनों अधिकारियों को दोषी पाया गया था ? यदि हां, तो उक्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

स्व० डा० एस० एस० रावत, तत्कालीन प्रभारी चिकित्साधिकारी, मझगवां, बरेली ने दिनांक 6-7-93 को सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली थी ।

जी हां ।

जी नहीं ।

उपरोक्त प्रकरण की प्रारम्भिक जांच में दो अधिकारी प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये । लेकिन उक्त जांच नियमान्तर्गत न होने के कारण वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से पुनः जांच करायी गयी । जांचोपरान्त संयुक्त निदेशक वेतनमान के दो अधिकारी दोषी पाये गये । इन अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र देते हुए नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की गयी । जांच अधिकारी की जांच के आधार पर एक अधिकारी को दोषमुक्त करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही दिनांक 29-11-96 को समाप्त कर दी गयी । दूसरे अधिकारी के विरुद्ध अपराध अनुसंधान विभाग में जांच प्रचलित होने के कारण विभागीय कार्यवाही नियमानुसार नहीं की जा सकती है ।

जवाहर रोजगार योजना व अन्य योजनाओं में विधायकों से प्रस्ताव मांगे जाने का सुझाव

*4—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना व अन्य योजनाओं में विधायकों से उनके क्षेत्रों के विकास हेतु संबंधित जनपदों में प्रस्ताव मांगने का शासनादेश जारी किया गया है ? यदि हां,तो कब और उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 1996-97 में जनपद मैनपुरी में विभिन्न विकास योजनाओं में विधायकों से प्रस्ताव मांगे गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जनपदों के विकास योजनाओं में विधायकों से प्रस्ताव मांगने का निर्देश निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (चौ० नरेन्द्र सिंह)–

जवाहर रोजगार योजना का भारत सरकार की मार्ग निर्देशिका के प्राविधानों के अन्तर्गत क्रियान्वयन किया जाता है । इस योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं का अनुमोदन जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के शासी निकाय में किया जाता है । अभिकरण के शासी निकाय में क्षेत्र के समस्त मा० संसद सदस्य/विधायक एवं सदस्य विधान परिषद् सदस्य हैं तथा शासी निकाय द्वारा लिये गये निर्णय में उनकी सहभागिता है । इसी प्रकार ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अन्य योजनाएं भी भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्ग निर्देशों के आधार पर संचालन किया जाता है । जी हां । वित्तीय वर्ष 1996-97 में विभिन्न विकास कार्यक्रमों में विधायकों से प्रस्ताव मांगे गये थे ।

जी नहीं । चूंकि जवाहर रोजगार योजना एवं अन्य योजनाएं केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं हैं, जिनका कार्यान्वयन भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप ही किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम औतार शाक्य–

हमारे मूल प्रश्न का अन्तिम भाग क्या सरकार जनपदों के विकास योजनाओं में विधायकों से प्रस्ताव मांगने का निर्देश निर्गत करेगी ? इसके जवाब में कहा–''जी नहीं'' । चूंकि जवाहर रोजगार योजना एवं अन्य योजनाएं केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं हैं, जिनका कार्यान्वयन भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप ही किया जाता है । मेरी निश्चित जानकारी है कि विधायकों की उपेक्षा करके जनपद के अधिकारी नीचे स्तर के कुछ लोगों से प्रस्ताव ले लेते हैं और उनके आधार पर विकास योजनाएं क्रियान्वित करते हैं । जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधायकगण हैं, उनकी उपेक्षा की जाती है । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह का कोई सर्वेक्षण मंत्री जी करायेंगे कि विधायकों के अलावा अन्य लोगों के प्रस्ताव पर विकास के कार्य किये गये हैं ?

मान्यवर, 1996-97 में मैनपुरी जनपद में विधायकों से प्रस्ताव मांगे गये थे, जो मंत्री जी ने कहा है, उसमें मैं बताना चाहता हूं कि 1996-97 में ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं मांगे गये और न विधायकों ने प्रस्ताव दिये हैं । क्या मंत्री जी इस प्रकरण की जांच करायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने उपेक्षा के संबंध में कहा है तो बताना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से कोई उपेक्षा नहीं हुई है । जो ग्रामीण विकास अभिकरण है उसमें माननीय सदस्य बैठकों में हिस्सा लेते हैं और अपनी राय देते हैं । दूसरी बात जहां तक सर्वेक्षण का प्रश्न है यह बात जरूर जानकारी कराने की है कि इसमें सहभागिता कितनी है चूंकि बहुत सी शिकायतें आती हैं, इसलिये हमारा यह प्रयास होगा कि माननीय विधायकों की ज्यादा से ज्यादा राय ली जाय क्योंकि ग्राम्य पंचायत और क्षेत्र पंचायत स्तर पर अधिक धन जवाहर रोजगार योजना का व्यय होता है । क्षेत्र पंचायत में माननीय विधायकगण अच्छी योजनायें बनायें और उनका कार्यान्वयन करायें तो इससे अधिक मदद मिलेगी ।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जवाब दिया है कि सरकार की ऐसी मंशा नहीं है । तो क्या सरकार की मंशा के खिलाफ अधिकारी कार्य कर रहे हैं ?

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि जिला विकास प्राधिकरण की बैठकों में यह सवाल सामूहिक रूप से विधायकगण रख चुके हैं कि बिना विधायकों की संस्तुति के जो कार्य किये गये हैं उसका स्रोत क्या था ? अधिकारियों को कहां से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे ? इसलिये जिन अधिकारियों ने सीधे कार्य कराकर जो मिलना था वह ले लिया और जिला विकास प्राधिकरणों की कोई राय नहीं थी, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या मंत्री जी कार्यवाही करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जिला विकास प्राधिकरण की बैठकों में माननीय विधायकगण, सांसद उपस्थित होकर अपनी बात कहते हैं और वहां प्रस्ताव देते हैं, तथा जो प्रस्ताव देते हैं वह सर्वसम्मति से स्वीकार होते हैं । बैठक में निर्णय के बाद उनका क्रियान्वयन जो कार्यदायी संस्थायें हैं वह उन्हें पूरा करती हैं ।

जहां तक ग्राम पंचायत का सवाल है उसमें माननीय विधायकों की राय जरूर नहीं ली जाती है चूंकि ग्राम पंचायत और क्षेत्रीय पंचायत के जो सदस्य होते हैं वह अपनी राय दे सकते हैं । यदि कहीं से उपेक्षा माननीय सदस्य को नजर आती है तो वह हमें बतायें तो हम जिला अधिकारियों को निर्देशित करेंगे ।

श्री बाबूलाल यादव–

मान्यवर, हमारे दोनों प्रश्नों कथनों का आप मंत्री जी से जवाब दिलवा दें चूंकि आप हमारे संरक्षक हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यदि किसी अधिकारी ने ऐसा किया है, तो मंत्री जी के संज्ञान में आप बात लायें जिस पर वह कार्यवाही करेंगे, ऐसा मंत्री जी ने कहा है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान/शोर)

श्री अध्यक्ष–

एक-एक माननीय सदस्य अपनी बात कहें तो बात समझ में आयेगी ।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, आपकी पीठ से ऐसा निर्देश जारी हो और माननीय मंत्री जी सदन में घोषणा करें कि जब कभी भी जनपद के अन्दर विकास अभिकरण की बैठक होगी तो माननीय विधायकों से प्रस्ताव लिये जायेंगे और उन प्रस्तावों पर ही कार्य होगा ।

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, गोरखपुर का मामला है, हम लोग जो प्रस्ताव देते हैं चाहे वह सड़क, नाली या खड़न्जे का हो उसको अधिकारी कूड़े में डाल देते हैं । ठेकेदार डी० आर० डी० ए० में बैठे रहते हैं, ठेकेदार जो पैसा देते हैं वही सड़क बननी है चाहे वहां उसकी आवश्यकता हो या नहीं । खेतों की मेड़ में सड़क बनती है जहां जनता की सुविधा के लिये सड़क बननी चाहिए वहां नहीं बनती है । क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो अधिकारी इस तरह से मनमाने ढंग से जनप्रतिनिधि की उपेक्षा कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि के प्रस्ताव को कूड़े में डाल रहे हैं, उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने निवेदन किया कि ग्राम्य विकास की अधिकांश योजनायें केन्द्र की गाइड-लाइन के आधार पर संचालित होती हैं । जहां तक माननीय सदस्यों की उपेक्षा का प्रश्न है । मैं पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर कोई सम्मानित सदस्य हमको लिख देंगे या हमारे संज्ञान में लायेंगे तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस प्रश्न को स्थगित कर दें क्योंकि यह माननीय विधायकों के अधिकार का प्रश्न है । माननीय मंत्री जी इसमें तैयारी कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न माननीय विधायकों के भागीदारी से संबंधित है और इस सदन के बाहर जो सूचना प्राप्त होती है उसका उल्लेख नहीं करेगा, इस सदन के माननीय सदस्यों ने जो सूचना दी है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जिन अधिकारियों के ऊपर जवाहर रोजगार योजना लागू करने या क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी है, कहीं न कहीं उसमें कमी की शिकायत आ रही है । मैं तो समझता हूं कि इसमें माननीय मंत्री जी सर्वदलीय बैठक बुला लें, जिसमें सदन के विभिन्न दलों के नेतागण को बुलाकर, समस्या का समाधान ढूंढ लें और जिलाधिकारियों को सरकुलर भेजें कि कैसे विधायकों की अधिक से अधिक भागीदारी पर बल दिया जाय । मार्गनिर्देशिका तो केन्द्र सरकार की है जो उनकी गाइडलाइन्स हैं, उसके अनुसार कार्य होगा, लेकिन जनप्रतिनिधि चुने गये हैं, उनकी अपेक्षाओं के अनुसार योजना नहीं बनी तो ठीक नहीं रहेगा । जैसे कुछ ठेकेदार पहुंच जाते हैं, उन्होंने व्यवस्था कर दी और योजना स्वीकृत हो गई, इसको समाप्त करने के लिये एक बैठक बुला लें और एक मार्ग निर्देशिका बना दें, जिसके अनुसार कार्य हो जाय ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी का आदेश स्वीकार है

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

सुनिश्चित रोजगार योजना के प्रस्ताव जो माननीय विधायक देते हैं, उनके प्रस्ताव को प्राथमिकता देकर विकास कार्य करवाने का प्रयास माननीय मंत्री जी करेंगे, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने बहुत ही साफ तौर पर निवेदन किया कि जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना या अन्य योजनायें केन्द्र सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार चलती हैं। जहां तक जवाहर रोजगार योजना का प्रश्न है, इसमें 70 प्रतिशत ग्राम पंचायत का हिस्सा है, 15 प्रतिशत क्षेत्र पंचायत के हिस्से में है और ग्राम विकास अभिकरण का हिस्सा 15 प्रतिशत है। सुनिश्चित रोजगार योजना में भी इसी प्रकार केन्द्र की गाइडलाइन्स हैं, उसी के मुताबिक कार्य किया जाता है। जैसा पीठ द्वारा आदेश दिया गया है, हम सम्मानित सदस्यों से बात करके कोई तरीका निकालेंगे कि सम्मानित सदस्यों की जो भावनायें हैं, उनका आदर हो सके।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि बैठक करके कोई रास्ता निकालेंगे।

नेता, विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, यह जो विवाद चल रहा है, इसका समाधान जल्दी हो जाय, इसकी तिथि निश्चित करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

बैठक शीघ्र बुला लीजिये।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जैसे ही हल निकलेगा, उसके अनुसार परिपत्र चला जायेगा।

श्री जगदीश सिंह राणा–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी सुनिश्चित रोजगार योजना में माननीय विधायकों के प्रस्तावों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्य हो, इसके निर्देश देने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

जो बैठक में तय होगा, उसके अनुसार सूचित कर देंगे।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान बना रहा)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, सुनिश्चित रोजगार योजना के दोषी अधिकारी खा रहे हैं और विधायकों के प्रस्ताव को नहीं मान रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। मैंने निर्देश दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

एक ऐसा आदेश जाना चाहिए कि सुनिश्चित रोजगार योजना में विधायकों का प्रस्ताव माना जाय।

श्री अध्यक्ष–

मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है।

(व्यवधान)

*5.–श्री राजीव कुमार सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश के विभिन्न जिला चिकित्सालयों में स्टाफ नर्सों के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही

*6-श्री राजधारी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के विभिन्न जिला चिकित्सालयों में स्टाफ नर्सों की भारी कमी है ? यदि हां, तो उक्त कमी को पूरा करने के लिये स्टाफ नर्सों की नियुक्तियां कब तक की जा रही हैं ? इसके लिये सरकार की क्या योजना है ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां ।

नियुक्ति पर लगे प्रतिबन्ध के समाप्त होते ही रिक्त पदों को नियमानुसार भरा जायेगा ।

प्रशिक्षित उपचारिकाएं उपलब्ध हैं । नियुक्ति पर प्रतिबन्ध समाप्त होते ही रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी ।

श्री राजधारी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा स्थिति में कितनी स्टाफ नर्सों की जगह रिक्त हैं और दूसरा माननीय मंत्री जी स्टाफ नर्सों के महत्व को देखते हुए जो नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध है उसको हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश भर में रिक्त स्थान 977 है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा किया है कि तुरन्त यह लगे हुए प्रतिबन्ध को हटाकर जुलाई माह में भर्ती सुनिश्चित कर ली जाये । उसके अनुसार पूरी भर्ती कर लेंगे ।

श्री राजधारी-

मान्यवर, यह पद कई वर्षों से रिक्त हैं तो क्या यह घोषणा करेंगे कि भर्ती कब करेंगे, क्या योजना है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने कह तो दिया कि रिक्तियों पर लगी रोक को हटाकर जुलाई माह तक रिक्तियां भर दी जायेंगी ।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

एस० जी० पी० जी० आई० में वर्ष 1997 के जून माह में सभी कैडरों में की गयी प्रोन्नति में आरक्षण कोटे का पूरा न किया जाना

*7-श्री चेतराम-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि एस० जी० पी० जी० आई० में वर्ष 1997 के जून माह में चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के लगभग सभी कैडरों में पदोन्नतियां की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उसमें पदोन्नतियां रोस्टर के अनुसार न करके एवं आरक्षण कोटे को संज्ञान में न लेकर वरिष्ठता के क्रम में की गयी है ? क्या यह सही है कि प्राविधिक संवर्ग में आरक्षण कोटे को ध्यान में रखकर पदोन्नतियां की गयी हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में की गयी नियुक्तियां में आरक्षण कोटा लागू न किये जाने हेतु कौन दोषी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री शिवाकान्त ओझा)–

जी हां ।

संस्थान द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कैडर में रोस्टर के अनुसार एवं आरक्षण कोटे को संज्ञान में न लेकर की गयी पदोन्नतियों का मामला शासन के संज्ञान में आने पर इसकी जांच आदेशित कर दी गयी है । जांच में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद जालौन के ग्राम मुसमरिया तथा अकबरपुर इटौरा में जिला योजना के अन्तर्गत पेयजल उपलब्ध कराये जाने की समय सीमा

*8–श्री श्रीराम पाल तथा श्री जगदम्बिका पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल निगम द्वारा सामूहिक पेयजल इकाइयों का निर्माण कार्य धनराशि उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त समाप्त करने की कोई समय सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जनपद जालौन के ग्राम मुसमरिया तथा अकबरपुर इटौरा में जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 में धनराशि का प्राविधान व धन की उपलब्धता के बावजूद अभी तक उक्त ग्रामोंग में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पाइप लाइनें नहीं बिछाई गयी हैं ? क्या उक्त कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का फर्जी उपयोग दिखाकर धनराशि का गबन किया गया है ? यदि हां, तो क्या जल निगम, उरई, जालौन के वित्तीय घोटाले की उच्च स्तरीय जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां । सामान्य योजना में पूर्ण धनराशि उपलब्ध होने पर दो से ढाई वर्ष का समय लग जाता है ।

वर्ष 1993-94 में प्रश्नगत योजनाओं हेतु कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी अपितु वर्ष 95-96 से अब तक आंशिक धनराशि ही उपलब्ध करायी जा सकी जिस कारण प्रश्नगत योजनायें पूर्ण नहीं हो पायीं ।

प्राप्त शिकायतों पर अधीक्षण अभियन्ता, पंचम मण्डल, झांसी से जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती गन्ना समिति एवं बाल्टरगंज गन्ना समिति द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान

*9–श्री राम ललित चौधरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अप्रैल, 98 के तीसरे या अन्तिम सप्ताह में बस्ती गन्ना समिति एवं बाल्टरगंज गन्ना समिति द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान के धन को बैंकों में पूरी धनराशि न भेजने के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? मिलों द्वारा इन समितियों को अब तक कुल कितना भुगतान किया गया है और समितियों ने कितना भुगतान बैंकों में भेजे हैं तथा पूरा धन बैंक में न भेजने का क्या कारण है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

वर्तमान पेराई सत्र में बस्ती तथा बाल्टरगंज गन्ना समितियों को चीनी मिलों से प्राप्त गन्ना मूल्य रु० 2080.50 लाख की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान कृषकों को करा दिया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा टेसाही बुजुर्ग के मैनेजर एवं ब्लाक कर्मचारियों व दलालों द्वारा मिलकर फर्जी ऋण वितरण

*10–श्री मुरलीधर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा टेसाही बुजुर्ग के मैनेजर एवं ब्लाक कर्मचारियों व दलालों ने मिलकर ग्राम शाहजहांपुर सेलरहा, ग्राम नरोत्तमपुर एवं ग्राम असदुल्ला नगर सिठियानी के गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के नाम फर्जी ऋण निकाल लिया है ? क्या उसकी जानकारी होने पर जांच भी की गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच पूरी हो गयी है ? यदि हां, तो क्या दोषी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दण्डित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वर्ष 1995 व 1996 के दौरान ऋण वितरण में अनियमिततायें बरते जाने की शिकायत जनपद स्तर पर प्राप्त हुई थीं ।

प्रकरण में परियोजना निदेशक एवं संख्या सहायक, डी० आर० डी० ए०, फतेहपुर की संयुक्त टीम से जांच कराई गई । जांच में श्री सुधाकर दुबे एवं श्री रामपाल सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, श्री सै० कमर अब्बास रिजवी, लेखा लिपिक, आई० आर० डी० पी०, श्री राम विलास सिंह, सहायक विकास अधिकारी (आई० एस० बी०) एवं श्री मिश्री लाल, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं । दोषी पाये गये कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देकर सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि रु० 1.98 लाख की वसूली हेतु कार्यवाही जिलाधिकारी, फतेहपुर द्वारा की जा रही है ।

फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबन्धक, टेसाही बुजुर्ग श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव को आरोप-पत्र देकर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है । जांच अधिकारी की जांच आख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । तत्कालीन शाखा प्रबन्धक को अन्यत्र स्थानान्तरित कर कम महत्वपूर्ण पद पर तैनात कर दिया गया है, जहां उन्हें किसी प्रकार के वित्तीय अधिकार नहीं है ।

प्रश्नगत प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त दलाल/बिचौलियों श्री ओमकार नाथ गुप्ता तथा श्री हरिलाल के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है ।

जनपद अम्बेडकर नगर में चीनी मिल लगाये जाने की मांग

*11–श्री लालजी वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के कृषकों के हित में वहां कोई चीनी मिल लगाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त चीनी मिल की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम भगवानपुर पट्टी में नई चीनी मिल स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के उद्यमी को आशय-पत्र स्वीकृत है ।

उद्यमी द्वारा प्रेषित प्रगति आख्या के अनुसार पेराई सत्र, 1999-2000 तक चीनी मिल स्थापना की संभावना व्यक्त की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला चिकित्सालय, बहराइच में एंटी-रैबिक वैक्सीन की आपूर्ति

*12–डा० वकार अहमद शाह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में हाइड्रोफोबिया के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं ? जिला चिकित्सालय, बहराइच में वर्ष 1997-98 में कुत्ता काटने के कितने मरीज आये ? इस वर्ष अस्पताल में एन्टी-रैबिक वैक्सीन कितनी आपूर्ति की गयी ? इसकी आपूर्ति कहां से की जाती है ? क्या यह वैक्सीन सभी मरीजों को सहज ही उपलब्ध करा दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों और उनके लिये शासन क्या प्रबन्ध करता है ? क्या बाजारू कुत्तों को मारने की कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

जिला चिकित्सालय, बहराइच में 1 जनवरी, 1997 से 18 जून, 1998 तक कुत्ता काटने के कुल 1551 मरीज आये ।

इस वर्ष जिला चिकित्सालय, बहराइच में कुल 4500 एम० एल० एन्टी रैबिक वैक्सीन की आपूर्ति की गयी ।

राज्य रक्षालय संस्थान, पटवाडांगर द्वारा निर्मित वैक्सीन मंडलीय अपर निदेशक द्वारा मंगाकर आपूर्ति की जाती है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्थानीय निकायों द्वारा आवारा कुत्तों (स्ट्रीट डांग्स) को पकड़ने की व्यवस्था है ।

चीनी विभाग में सहायक चीनी आयुक्त के पदों को भरे जाने की मांग

*13–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी विभाग में सहायक चीनी आयुक्त के कितने पद कितने वर्षों से किन कारणों से रिक्त पड़े हैं ? क्या उन्हें निकट भविष्य में भरे जाने पर शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो यह पद का कब तक भर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि सहायक चीनी आयुक्त के पदों को 50 प्रतिशत खांडसारी अधिकारी के पदों से भरे जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो अब तक उन्हें खांडसारी अधिकारियों द्वारा न भरे जाने का क्या कारण है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

चीनी आयुक्त अधिष्ठान के अन्तर्गत वर्तमान में चयन वर्ष 1993-94 से गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त के तीन पद तथा चयन वर्ष 1995-96 से एक पद, कुल चार पद नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों की अनुलब्धता के कारण रिक्त है । यह सभी पद पदोन्नति कोटे के हैं । भविष्य में जिन खांडसारी अधिकारियों द्वारा निर्धारित अर्हता पूर्ण कर ली जायेगी, नियमानुसार पदोन्नति द्वारा रिक्त पदों को भरा जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

नियमानुसार अर्ह खांडसारी अधिकारियों की अनुलब्धता के कारण रिक्त पदों को नहीं भरा गया है ।

स्वास्थ्य विभाग में निदेशक स्तर के अधिकारियों की चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा तथा उसकी जांच की मांग

*14–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में निदेशक स्तर के अधिकारियों ने अपने चल और अचल सम्पत्ति का ब्योरा सेवा में प्रवेश करने के बाद प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो क्या उक्त ब्योरे और अब उनके द्वारा अर्जित सम्पत्ति में कोई अन्तर हुआ है ? क्या सरकार किसी निष्पक्ष एजेन्सी से इसकी जांच कराकर उनके आय के स्रोतों का पता लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रश्नांकित ब्योरा संकलित किया जा रहा है ।

15–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

नान वर्किंग सेवाकाल को पूर्ण करने वाले अवर अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं एवं अधिशासी अभियन्ताओं को वर्किंग सेवा में स्थानान्तरित करने की सरकार की नीति की जानकारी

*16–डा० लक्ष्मी कान्त वाजपेयी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नान वर्किंग सेवाकाल को पूर्ण करने वाले अवर अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं एवं अधिशासी अभियन्ताओं को वर्किंग सेवा में स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या वर्तमान स्थानान्तरण वर्ष में उक्त नीति का कड़ाई से अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चीनी मिलों से गन्ना मूल्य प्राप्त होने के बाद भी सहकारी समितियों द्वारा भुगतान रोके रहने के कारणों की जानकारी

*17–श्री समर पाल सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि चीनी मिलों से गन्ना मूल्य प्राप्त होने के बाद भी सहकारी समितियां भुगतान रोके रहती है ? यदि हां, तो किसानों को तुरन्त भुगतान कराने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

चीनी मिलों से गन्ना मूल्य प्राप्त होने के उपरान्त सहकारी गन्ना समितियों द्वारा कम्प्यूटर/मैनुअल पद्धति के अनुसार एडवाइजशीट बना कर बैंक को भेजे जाने में सामान्यतया तीन दिन से लेकर एक सप्ताह का समय प्रक्रियात्मक कारणों से लगता है। गन्ना मूल्य भुगतान में अब किसी प्रकार की कोई रुकावट समितियों के स्तर पर नहीं हो रही है।

गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति की समीक्षा विभिन्न स्तरों पर बराबर की जा रही है और सभी समितियों को चीनी मिलों से धनराशि प्राप्त होते ही तुरन्त भुगतान किये जाने के स्थाई निर्देश हैं।

जनपद गोण्डा के बभनान शुगर मिल द्वारा अब तक मृतक आश्रितों को सेवा में न लिये जाने के कारणों की जानकारी

*18–श्री राम विशुन आजाद–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के बभनान शुगर मिल द्वारा अब तक कितने सेवा दौरान मृतक आश्रितों को प्रतिष्ठान में सेवा में लिया गया है ? क्या यह सही है कि इस मिल में अभी तक मृतक आश्रितों को सेवा हेतु नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस हेतु उच्च स्तरीय जांच करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

बभनान चीनी मिल निजी क्षेत्र में है तथा मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली निजी मिलों पर लागू नहीं है तथापि बभनान चीनी मिल के निजी प्रबन्धन से प्राप्त सूचना के अनुसार इस चीनी मिल में वर्तमान प्रबन्धन के अन्तर्गत अभी तक सेवा के दौरान कार्य करते हुये तीन कर्मचारियों की मृत्यु हुई है जिनके आश्रितों को सेवा में लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

दि बलरामपुर चीनी मिल इकाई बभनान पर गन्ना किसानों का बकाया धन

*19–श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार को जानकारी है कि दि बलरामपुर चीनी मिल बभनान इकाई पर गन्ना किसानों का 31 मार्च, 1998 तक कितना रुपया बकाया था ? क्या सरकार ऐसी नीति बनायेगी कि किसानों को उनके गन्ना मूल्य का भुगतान दस दिन के अन्दर उनके बैंक खाते में निश्चित रूप से आ जाये ? क्या इसके बाद भुगतान करने एवं मिल मालिकों को किसानों का भुगतान मय-ब्याज पर करने का आदेश प्रसारित करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

बलरामपुर चीनी मिल इकाई बभनान पर 31 मार्च, 1998 को रु० 428.29 लाख गन्ना मूल्य मद में अवशेष था जिसका भुगतान किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति एवं खरीद) अधिनियम, 1953 की धारा 17(2) एवं (3) में यह व्यवस्था विद्यमान है, कि यदि चीनी मिल द्वारा गन्ना आपूर्ति के 15 दिन के अन्दर गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया जाता है तो 12 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। अतः पृथक से कोई आदेश प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

विकलांगों को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने की सरकार की नीति की जानकारी

*20–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या विकलांग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकलांगों को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा नियमावली 1998 में कूपन के आधार पर यात्रा की सुविधा प्रदान की गयी है ? क्या सरकार को जानकारी है कि यात्रा हेतु कूपन के लिये विकलांगों को बार-बार जिला समाज कल्याण कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त समस्या निदान हेतु कूपन के बजाय परिचय-पत्र के आधार पर ही सुविधा दिये जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जी हां ।

जी हां ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

अतारांकित प्रश्न

बलरामपुर चीनी मिल इकाई बभनान गोण्डा द्वारा बभनान से खेड़ारे जाने वाली सड़क के मरम्मत कराने का मामला

1–श्री जटाशंकर सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि बलरामपुर चीनी मिल बभनान इकाई गोण्डा द्वारा बभनान से खेड़ारे जाने वाली सड़क पर कस्बा बभनान में भीषण धंसाव होने के कारण जनता के आवागमन के लायक नहीं रहा है ? क्या सरकार उक्त मिल को उक्त सड़क की मरम्मत कराने का आदेश देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, वर्तमान में मार्ग जनता के आवागमन के योग्य है ।

जी नहीं, क्योंकि यह मार्ग लोक निर्माण विभाग का है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मार्ग लोक निर्माण विभाग से संबंधित है ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 18 अक्टूबर, 1997 का प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

2–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18 अक्टूबर, 1997 को प्रश्नकर्ता के पत्रांक 244876, 244877 एवं 244878 मा० मंत्री जी को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में प्राप्त नहीं हुए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित हार्डिंग पुल से ऊपर के गोमती नदी के तटीय बांध के अपूर्ण कार्य को पूर्ण किये जाने की मांग

3–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित हार्डिंग पुल से ऊपर से गोमती नदी के बायें तटीय बांध के मिट्टी के कार्यों (वर्ष 1980-81 में प्रारम्भ) को मेसर्स पाल कांस्ट्रक्शन कं० नई दिल्ली तथा मै० ब्रिटिश इण्टरप्राइजेज लखनऊ द्वारा अपूर्ण छोड़ दिये जाने की स्थिति में उक्त कार्यों को किस धरातल की ऊंचाई को आधार मानकर किस डेबिटेबल एजेन्सी से किस दर पर कार्य कब पूरा कराया गया तथा इसमें शासन को कुल कितनी क्षति हुई ? अधूरे कार्यों पर नियमानुसार 10 प्रतिशत का अर्थदण्ड न लगाये जाने के कारण शासन को पुनः हुई क्षति के लिये उत्तरदायी अधिकारी का नाम/पद क्या है ? उपरोक्तांकित कार्यों का हस्तान्तरण सप्तम् मण्डल के अन्तर्गत हो जाने के उपरान्त उक्त क्षति की भरपाई किये जाने हेतु शासकीय हित में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

लखनऊ स्थित हार्डिंग पुल के ऊपर के गोमती नदी के बांये तटीय बांध के मिट्टी के कार्यों को मेसर्स पाल कांस्ट्रक्शन कम्पनी, नई दिल्ली तथा मेसर्स यू० पी० इन्टरप्राइजेज, लखनऊ द्वारा छोड़े गए अधूरे कार्यों को डेबिटेबल एजेन्सी द्वारा कराये जाने के फलस्वरूप शासन को हुई क्षति, ठेकेदारों के विरुद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड न लगाने के कारण हुई क्षति तथा डेबिटेबल एजेन्सी के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की मात्राओं की सही गणना करने आदि के लिए दो अभियन्ताओं की एक समिति का गठन किया गया है । जिनकी जांच आख्या प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद महराजगंज की नहर गनेशपुर माइनर पर ग्राम बहरौली के सामने निर्मित क्षतिग्रस्त पुल के पुनर्निर्माण का मामला

4–श्री राजीव कुमार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद महराजगंज की नहर गनेशपुर माइनर पर ग्राम बहरौली के सामने निर्मित पुल ध्वस्त हो गया है ? यदि हां, तो उक्त पुल के नवनिर्माण की क्या कोई व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त पुल कब तक निर्मित करा दिया जायेगा ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्तमान में ग्रामीणों के आवागमन हेतु क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, जनपद महराजगंज की नहर गनेशपुर माईनर पर ग्राम बहरौली के सामने पुल का बांया एब्टमेन्ट क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण पुल का स्लैब बायी ओर कुछ झुक गया है ।

नव निर्माण की आवश्यकता नहीं है । क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

आवागमन अवरुद्ध नहीं है ।

सिंचाई विभाग में अवर अभियन्ताओं (यांत्रिक) में अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

5-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिंचाई विभाग में सन् 1977, 1982, 1984, 1989, 1991 तथा 1992 में अवर अभियन्ताओं (यांत्रिक) अनुसूचित जाति को प्रोन्नति न करके सामान्य वर्ग को प्रोन्नति दी गयी ? यदि हां, तो उक्त वर्षों में कुल कितने सामान्य वर्गों के अवर अभियन्ताओं को प्रोन्नति दी गई ? अनुसूचित जाति के अवर अभियन्ता (यांत्रिक) के कुल कितने अवर अभियन्ताओं को विभागीय नियमानुसार प्रोन्नति दी जानी थी ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त वर्षों में दी गई कर्मचारियों को प्रोन्नति में शेष रहे अनुसूचित जाति अवर अभियन्ता (यांत्रिक) को प्रोन्नति कब तक दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं । सामान्य वर्ग के साथ अनुसूचित जाति के उपयुक्त पाये गये अवर अभियन्ता (यांत्रिक) की प्रोन्नति भी अंकित वर्षों में की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1997 में नियमित चयन में शेष रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति के अवर अभियन्ता (यांत्रिक) की प्रोन्नति की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ब्लाक खण्डासा, तहसील मिल्कीपुर जिला फैजाबाद में की गई बोरिंग के पारिश्रमिक के भुगतान का मामला

6-श्री हरीश चन्द्र गंगवार तथा श्री तिलकराज बेहड़-

क्या सरकार को जानकारी है कि ब्लाक खण्डासा तहसील मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद में वर्ष 1994-95 में जिन किसानों द्वारा निःशुल्क बोरिंग कराई गई थी, उन्हें अभी तक लेबर चार्ज का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त लेबर चार्ज का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

लघु सिंचाई ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द)-

जी नहीं ।

तहसील मिल्कीपुर जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत खण्डासा नाम से कोई विकास खण्ड नहीं है, वरन तहसील मिल्कीपुर के अन्तर्गत अमानीगंज विकास खण्ड के अन्तर्गत खण्डासा नाम का ग्राम है । अमानीगंज विकास खण्ड में वर्ष 1994-95 में की गई समस्त बोरिंग के पारिश्रमिक का भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के ग्राम रहटा विकास खण्ड माल में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत खर्च किये गये धन की जांच की मांग

7-श्री चन्द्र नाथ सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा रहटा, विकास खण्ड माल, जनपद लखनऊ में वित्तीय वर्ष 1994-95, 1995-96, 1996-97 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से संबंधित ग्राम प्रधान द्वारा कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है और आवंटित धनराशि को निजी

प्रयोग में खर्च किया गया है ? क्या सरकार आवंटित धनराशि एवं कराये गये कार्य की जांच टेक्निकल आडिट सेल से करवाकर हड़पी गयी धनराशि की वसूली करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

आवंटित धनराशि से कराये गये कार्यों की जांच सहायक अभियन्ता, डी० आर० डी० ए० से कराई गई । जांच में धनराशि का गबन नहीं पाया गया, अतः वसूली का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला लखनऊ में ग्राम रहटा, विकास खण्ड माल के प्रधान को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम प्रधान को दी गई धनराशि की जानकारी

8–श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा रहटा, विकास खण्ड माल, जनपद लखनऊ को वर्ष 1994 से अब तक कितनी धनराशि इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत संबंधित ग्राम प्रधान को दी गयी है और उससे क्या-क्या कार्य कराया गया है ? क्या सरकार उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

ग्राम सभा रहटा, विकास खण्ड माल जनपद लखनऊ को वर्ष 1994 से अब तक इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम प्रधान को कोई धनराशि नहीं दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर में लगे इण्डिया मार्क हैण्ड पम्पों की वर्तमान स्थिति की जानकारी

9–श्री मुरलीधर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में कितने हैण्डपम्प इण्डिया मार्का स्थापित हैं ? कितने चल रहे हैं तथा कितने बन्द हैं ? क्या सरकार बन्द पड़े एवं रिबोर वाले हैण्डपम्प ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद फतेहपुर में दिनांक 15-6-98 तक 10767 हैण्डपम्प स्थापित हैं ।

दिनांक 16-6-98 को 10316 हैण्डपम्प पूर्णतया चल रहे हैं तथा 189 अस्थायी रूप से तथा 217 हैण्डपम्प स्थायी रूप से खराब हैं । इसके अतिरिक्त 45 हैण्डपम्पों में जी० आई० पाइप बदलने की आवश्यकता है ।

जी हां ।

अस्थायी रूप से खराब तथा जी० आई० पाइप वाले हैण्डपम्प 15 दिन में ठीक करा दिये जाने का प्रयास है । स्थायी रूप से खराब हैण्डपम्पों में से 53 हैण्डपम्प दिनांक 15-6-98 तक रिबोर किये जा चुके हैं तथा 97 हैण्डपम्प 31-7-98 तक ठीक करा दिये जाने का लक्ष्य है । शेष स्थायी रूप से खराब हैण्डपम्पों को जिला प्लान में धनराशि की व्यवस्था होने पर ठीक करा दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर में श्री राम नाथ पुत्र श्री पोल्ला ग्राम टेकसारी खुर्द ब्लाक हसवा को आवंटित आवास की रकम हड़प करने की शिकायत तथा दोषी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

10-श्री मुरलीधर–

क्या ग्राम विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री राम नाथ पुत्र श्री पोल्ला ग्राम टेकसारी खुर्द ब्लाक हसवा, जनपद फतेहपुर को एक निर्बल वर्ग आवास प्रदान किया गया था ? क्या यह सही है कि तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं पंचायत अधिकारी ने धनराशि निकाल कर हड़प ली है एवं लाभार्थी को धनराशि न दिये जाने के फलस्वरूप लाभार्थी को बैंक ऋण एवं ब्याज देना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जी हां । संबंधित पंचायत अधिकारी द्वारा वित्तीय अनियमितता की गयी है ।

जी नहीं ।

दोषी कार्मिक श्री संत कुमार मिश्र, ग्राम पंचायत अधिकारी से राशि वसूली के आदेश पारित किये जा चुके हैं । श्री संत कुमार मिश्र, ग्राम पंचायत अधिकारी उपरोक्त एवं अन्य प्रकरणों में की गयी वित्तीय अनियमितता के कारण दिनांक 14-8-97 से निलम्बित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद में दी जा रही वृद्धा पेंशन में हो रही धांधली का मामला

11-श्री शिव सिंह चक–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में कितने वृद्ध व्यक्ति अनुदान पा रहे हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि कार्य पटल सहायक द्वारा पंजिका में फर्जी वृद्धों के नामों से चेकें बनवाकर, प्रतिवर्ष लाखों रुपयों का घोटाला किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घोटाले के संबंध में उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्ध व्यक्तियों को अनुदान प्रदान करने की कोई योजना संचालित नहीं है । इस विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना चलायी जाती है ।

अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र टुण्डला में पड़ने वाले राजवाहा में पर्याप्त मात्रा में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने की मांग

12-श्री शिव सिंह चक–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र टुण्डला में पड़ने वाले राजवाहा से किसानों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने की कोई योजना शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

निर्माणाधीन टाटरी डैम के पानी उपयोग की योजना में यह क्षेत्र सम्मिलित है ।

बलरामपुर चीनी मिल बभनान इकाई गोण्डा के ऊपर पेराई सत्र 1997-98 में बकाये गन्ना मूल्य की अदायगी का मामला

13–श्री श्याम किशोर यादव–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि बलरामपुर चीनी मिल बभनान इकाई गोण्डा के ऊपर किसानों को मिल चालू होने के पूर्व एवं अब तक कितना रुपया बकाया था ? क्या सरकार को जानकारी है कि मिल प्रबन्धक द्वारा किसानों के बकाये की अदायगी की अपेक्षा मिल इकाई के विस्तार आवास निर्माण एवं अनुरक्षण पर अधिक बल दिया गया है ? क्या यह सही है कि इसके कारण किसानों के बकाये की अदायगी नहीं हो पायी ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये मिल प्रबन्ध तंत्र को दण्डित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

बलरामपुर चीनी मिल बभनान इकाई गोण्डा के ऊपर पेराई सत्र 97-98 में मिल चालू होने के पूर्व विगत सत्र का कोई गन्ना मूल्य बकाया नहीं था । उक्त मिल द्वारा वर्तमान पेराई सत्र में देय गन्ना मूल्य रु० 5205.50 लाख की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान किया जा चुका है तथा अब कोई गन्ना मूल्य बकाया नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड सल्टीआ के ग्राम भाटी से ककरहवा के पास पुलिया निर्माण का मामला

14–श्री राम ललित चौधरी–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 में जनपद बस्ती के विकास खण्ड सल्टीआ के ग्राम भाटी से ककरहवा के पास किसी पुलिया के निर्माण का कार्य आर० ई० एस० विभाग से प्रारम्भ कराया गया था ? यदि हां, तो क्या वह कार्य अब तक पूरा कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी नहीं ।

विभाग को कार्य ही प्राप्त नहीं हुआ था । इसलिये पूरा कराने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

15–श्री रामसेवक यादव एडवोकेट–

(2रे गुरुवार में अता० प्र० सं० 155 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

आयुर्वेद यूनानी विभाग उ० प्र० में किये गये भ्रष्टाचार की शिकायत एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

16–श्री अफजाल अहमद–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुर्वेद यूनानी विभाग, उ० प्र० में किये गये भ्रष्टाचार आदि की शिकायत मा० विधायक हरदेव सिंह एवं प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 5-2-98 को लिखित शिकायती-पत्र मा० मंत्री जी, मा० मुख्य मंत्री, सचिव, चिकित्सा शिक्षा को दिया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र में शिकायती बिन्दुओं की उच्च स्तरीय जांच क्यों नहीं कराई गई है ? क्या दोषी अधिकारी कर्मचारी अब भी [illegible] ढंग से [illegible] को प्रभावित कर रहे हैं [illegible]

तो इसकी निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराने एवं दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए निदेशालय से तत्काल हटाने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जी हां ।

उक्त पत्र में शिकायती बिन्दुओं की उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड फरेन्दा में कार्यरत टेक्नीशियनों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने तथा कृषकों के शोषण का मामला

17–श्री अक्षयवर लाल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खण्ड फरेन्दा जनपद महराजगंज में कार्यरत बोरिंग टेक्नीशियन कितने वर्षों से एक ही ब्लाक एवं जनपद में कार्यरत हैं ? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उक्त कर्मचारी द्वारा अपने निजी दुकान से बोरिंग का सामान क्रय करने हेतु विवश कर कृषकों का शोषण किया जा रहा है ? क्या सरकार जनहित में उक्त कर्मचारी को मण्डल से बाहर स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

विकास खण्ड फरेन्दा जनपद महराजगंज में वर्तमान में 03 बोरिंग टेक्नीशियन क्रमशः 24 वर्ष, 3½ वर्ष तथा 2 वर्ष से कार्यरत है ।

जी नहीं । क्योंकि किसी भी कर्मचारी द्वारा बोरिंग का सामान विभाग से प्राप्त होने पर ही कृषक को दिया जाता है ।

जी हां ।

उक्त में से एक बोरिंग टेक्नीशियन जो 24 वर्षों से कार्यरत था, का स्थानान्तरण अधीक्षण अभियन्ता (ल० सिं०) गोरखपुर के आदेश दिनांक 30-5-98 द्वारा जनपद-बस्ती के लिए कर दिया गया है ।

18–श्री अक्षयवर लाल–

(1ले गुरूवार में अता० प्र० सं० 126 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद मुरादाबाद के डा० ज्ञानेन्द्र कुमार जैन का जिला चिकित्सालय मुरादाबाद से अन्यत्र स्थानान्तरण का मामला

19–श्री अकबर हुसैन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र [illegible] अगस्त, 1997 जो डा० ज्ञानेन्द्र कुमार जैन, जिला चिकित्सालय, मुरादाबाद को अन्यत्र स्थानान्तरित कर जांच कराये जाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन्हें मुरादाबाद से अन्यत्र स्थानान्तरित न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या उनके विरुद्ध जांच करायी गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रश्नकर्ता का माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित शिकायती-पत्र दिनांकित 26 अप्रैल, 1997 प्राप्त हुआ है ।

मात्र शिकायत के आधार पर तत्समय डा० जी० के० जैन के स्थानान्तरण का औचित्य नहीं पाया गया ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बी० के० जैन तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई विभाग बनाम उ० प्र० राज्य सरकार के सम्बन्ध में पारित निर्णय की जानकारी

20–श्री अकबर हुसैन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि याचिका सं०-211/एफ/चतुर्थ/83 श्री बी० के० जैन, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग बनाम राज्य सरकार उ० प्र० के संबंध में माननीय उपाध्यक्ष, सेवाधिकरण, लखनऊ द्वारा जो निर्णय पारित किया गया था क्या उसके आधार पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त दिये गये निर्णय के आधार पर विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । प्रश्नगत याचिका संख्या अथवा उसमें पारित माननीय अधिकरण का निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ खण्ड शारदा नहर सिंचाई विभाग में मितव्ययिता की शासकीय नीति के अनुसरण में वाहनों के ईंधन पर खपत नियन्त्रण अनुपालन में आडिट करवाने की मांग

21–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मितव्ययिता की शासकीय नीति के अनुसरण में वाहनों के ईंधन पर खपत संबंधी व्यय नियंत्रण हेतु शासनादेश संख्या 1820–टी/तीस–4–18 के एम–75, दिनांक 21-4-1977 का अनुपालन न करने वाले सिंचाई विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लेते हुए, उक्त आदेशों का अनुपालन सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित करवाने की कृपा करेंगे ? उक्त प्रकरण पर विभागीय आंतरिक सम्परीक्षा प्रकोष्ठ के माध्यम से "लखनऊ खण्ड, शारदा नहर, लखनऊ" का स्पेशल आडिट करवाकर तथ्यों से अवगत करायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ खण्ड, शारदा नहर लखनऊ में सेवानिवृत्त लोक सेवक के विरुद्ध वसूली का आदेश

22–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "लखनऊ खण्ड, शारदा नहर, लखनऊ" के पत्रांक 55/आर-17, दिनांक 4-1-1992 द्वारा जिस लोकसेवक के विरुद्ध रु० 30690.00 की वसूली न हो पाने के लिये उत्तरदायी सरकारी सेवक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

श्री परमहंस मिश्रा, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध रु० 30,690.00 की वसूली के आदेश जारी किये गये थे । श्री मिश्रा द्वारा धनराशि जमा न करने के कारण जिलाधिकारी, लखनऊ के माध्यम से वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के कैण्ट रोड पर स्थित सिंचाई विभाग के नाले पर अवैध निर्माण को हटाये जाने की मांग

23–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के कैण्ट रोड पर स्थित सिंचाई विभाग के नाले पर अवैध निर्माण को हटाने विषयक शासन के पत्रांक 1792/सख/95-27/सिं–3-69–एल०एस०/95, दिनांक 31-8-1995 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? प्रकरण पर विलम्ब के लिये दोषी लोकसेवक के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु विवादित भूमि के स्वामित्व संबंधी 1924 के अभिलेख तहसीलदार सदर, लखनऊ से प्राप्त किये जाने हैं जो वर्तमान में सील बन्द है । उक्त के अभाव में प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

दि किसान सहकारी चीनी मिल सठियांव आजमगढ़ के ब्वायलर ट्यूबों की आपूर्ति का मामला

24–श्री वसीम अहमद–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि दि किसान सहकारी चीनी मिल सठियांव, आजमगढ़ में क्रय किये गये ब्वायलर ट्यूब की आपूर्ति समय से न होने के कारण चीनी मिल को लाखों रुपयों की क्षति हुई ? यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी एवं फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । ब्वायलर ट्यूबों की आपूर्ति के कारण कोई क्षति नहीं हुई । ब्वायलर के सही ढंग से कार्य करने के कारण मिल की पेराई क्षमता 100.15 रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई बांदा द्वारा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के कर्मचारियों पर उत्पीड़न का मामला

25–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के जिलाधिकारी को सम्बोधित श्री गया चरण दिनकर पूर्व विधायक का पत्र दिनांक 18-10-1997 जो लघु सिंचाई विभाग, बांदा में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के कर्मचारियों का उत्पीड़न अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई बांदा द्वारा किये जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में वांछित कार्यवाही कब तक कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर शासन के आदेश संख्या–28 वी०आई०पी०/62–2–98–2/4(8)/98, दिनांक 3–2–98 द्वारा निदेशक, लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग द्वारा विस्तृत जांच कराई गई, जिन्होंने अपनी जांच आख्या पत्र दिनांक 17–4–98 द्वारा प्रेषित की गई । जांच में किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कोई उत्पीड़न किया जाना नहीं पाया गया ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में चन्द्रावल नदी पर लघु सिंचाई विभाग द्वारा रपटा व चेक डैम बनाने में की गई अनियमितता में दो दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

26–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा अन्तर्गत गौरी कला/अमारा में चन्द्रावल नदी पर लघु सिंचाई विभाग बांदा द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना अन्तर्गत रपटा व चेक डैम का निर्माण वर्ष 1995–96 में प्रारम्भ कराया गया था जो दिनांक 10–3–1998 तक पूरा नहीं हो सका है ? क्या प्रारम्भिक प्राक्कलन की अपेक्षा अधिक धनराशि प्राप्त करने के बावजूद भी निर्माण में सीमेंट का प्रयोग कम किया गया है तथा फर्श के जाल में प्राक्कलन की अपेक्षा कम सरिया लगाई गई है ? यदि हां, तो क्या उक्त रपटा व चेक डैम में अनियमितताओं की तकनीकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां ।

प्रश्नगत चेकडैम अप्रैल, 1998 में पूर्ण हो चुका है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

27–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी अन्तर्गत ग्राम निडौरा में लघु सिंचाई विभाग द्वारा दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत चेक डैम कम रपटा का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो उसकी कुल लागत कितनी है ? क्या यह सही है कि प्राक्कलन में दर्शाई गई रपटें की नींव की गहराई कार्य के समय कम कर दी गई है ? क्या इसकी तकनीकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी नहीं ।

प्रश्नगत चैकडैम का निर्माण ग्राम भिडौरा में किया गया है ।

ग्राम भिडौरा में निर्मित उक्त चैकडैम की लागत 8.22 लाख रु० है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के ग्राम दीथ को वर्ष 1996–97, 1997–98 आवंटित धन तथा उसके उपभोग की जानकारी

28–श्री राम कृपाल–

क्या ग्राम विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के ग्राम सभा दीथ के लिये वर्ष 1996–97, 1997–98 में कितना-कितना धन जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है ? उक्त धन का कहां-कहां पर उपयोग किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त सारे धन का दुरुपयोग किया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से करवायेगी और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के ग्राम सभा दीथ को वर्ष 1996–97 में 38,092.94 रुपये एवं वर्ष 1997–98 में 17,951.00 रुपये की धनराशि प्राप्त हुआ ।

विवरण संलग्न है ।

जी नहीं ।

खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया है ।

श्री विजय कुमार दुबे, ग्रा० पो० सरेसर जनपद सुल्तानपुर का ग्रामीण बैंक के कैशियर/मैनेजर के विरुद्ध ऋण आदि में की गई धांधली की शिकायती-पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

29–श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अध्यक्ष, ग्रामीण बैंक, सुल्तानपुर को सम्बोधित तथा जिलाधिकारी, सुल्तानपुर तथा खण्ड विकास अधिकारी, जगदीशपुर, सुल्तानपुर को पृष्ठांकित दिनांक 4–8–97 का श्री विजय कुमार दुबे, ग्राम-पो० सरेसर जनपद सुल्तानपुर का रजि० प्रार्थना-पत्र जिसमें ग्रामीण बैंक के कैशियर/मैनेजर के विरुद्ध डी०आर०डी०ए० व अन्य लोन को गलत तरीके से एक ही व्यक्ति को कई बार देने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

श्री विजय कुमार दुबे, ग्राम व पोस्ट सरेसर जनपद सुल्तानपुर का कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ अपितु श्री विजय कुमार दुबे, ग्राम पूरे सघई मौजा मद्दूपुर उमरवल, नोडाइ सुल्तानपुर का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है जो सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सरेसर के कैशियर के विरुद्ध शिकायत से सम्बन्धित है । शिकायत पत्र में दर्शाये गये ऋणी श्री जगधर को कई बार ऋण देने की बात सत्य नहीं है । श्री जगधर पुत्र श्री जगई निवासी ग्राम–पूरे औसान मद्दूपुर को केवल एक बार स्पेशल कम्पोनेंट योजना अन्तर्गत आटा चक्की हेतु ऋण/अनुदान दिया गया है एवं एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्हें कोई भी ऋण/अनुदान नहीं दिया गया है, अतः किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गई ।

(विवरण हेतु देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 151 पर)

श्री रामदेव तिवारी (सेवा निवृत्त) रोडमेट नवाबगंज गोण्डा के सेवा निवृत्ति के देयों के भुगतान कराये जाने की मांग

30–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के तीसरे बुध के अता० प्र० सं०–21 के उत्तर के संदर्भ में क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रामदेव तिवारी (सेवा निवृत्त) रोडमेट नवाबगंज गोण्डा के सेवा निवृत्ति के देयों के भुगतान हो गये हैं ? यदि हां, तो उनको किन-किन अवशेष देयों का भुगतान किस-किस चेक/ड्राफ्ट नं० से कितनी-कितनी धनराशि में किस तारीख को किया गया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

श्री रामदेव तिवारी, सेवानिवृत्त रोडमेट ने बकाया वेतन रु० 574.80 सी०पी०एफ० की धनराशि रु० 9504.65 नये वेतनमान का नकदीकरण एरियर रु० 437.50, बोनस का एरियर रु० 137.75 नये वेतनमान का एरियर रु० 3665.95 क्रमशः दिनांक 23–12–93, 23–10–93 व 20–4–92, 23–12–93 एवं 12-12-91 को स्वयं नकद प्राप्त किया । सी०डी०एस० की धनराशि रु० 187.95 चेक संख्या 477127 दिनांक 29–3–94 तथा बीमा की धनराशि रु० 1513.00 बैंक ड्राफ्ट संख्या 0018881 दिनांक 20–5–94 द्वारा भुगतान किया गया ।

ग्राम बनगढ़, पोस्ट वाल्टरगंज जिला बस्ती के कहार/कोहांर और दलित वर्ग के लोगों की पेंशन बहाली का पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

31–श्री राम ललित चौधरी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम बनगढ़, पोस्ट वाल्टरगंज, जिला बस्ती के 16 कहार/कोहांर और दलित वर्ग के लोगों की पेंशन की बहाली जांच रिपोर्ट के आधार पर करने के लिए प्रश्नकर्ता का कोई पत्र माह अप्रैल, 1998 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

जी हां ।

प्रश्नगत ग्राम के पेंशन प्राप्तकर्ताओं की अपात्रता/मृत्यु के आधार पर अपर जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा निरस्त की गयी पेंशन की पुनः जांच कराने का निर्णय लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

32–श्री श्याम किशोर यादव–

(3रे सोमवार में अता० प्र० सं०–120 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद फतेहपुर में वर्ष 1994-95 में मनावां बजहा सम्पर्क मार्ग से ददलेवां पुरवा के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में की गयी अनियमितता की जांच कराने की मांग

33–श्री मुरलीधर–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र किशनपुर जनपद फतेहपुर में वर्ष 1994-95 में मनावां बजहा सम्पर्क मार्ग से ददलेवां पुरवा के लिए सम्पर्क मार्ग स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उसमें कुछ मिट्टी डालकर पूरा पैसा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग

द्वारा निकाल लिया गया है ? क्या उक्त की जांच टी० ए० सी० से करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को समयमान वेतनमान दिये जाने की मांग

34–श्री कृपा शंकर सिंह तथा श्री बाबू खां–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के कितने आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को 8 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने के उपरान्त प्रोन्नति वेतनमान (3000–4500) देय हो गया है ? क्या उक्त चिकित्साधिकारियों को वेतनमान प्रदान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जनपद मुरादाबाद के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कार्यरत 4 चिकित्साधिकारियों को 8 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने के उपरान्त प्रोन्नति वेतनमान देय हो गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला हरदोई के ग्राम मनकापुर और सोहिलामऊ के मध्य में स्थित तालाब से मोहदियापुर तक ड्रेन की सफाई में हुई अनियमितता में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

35–श्री कृपा शंकर सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के पहले बुध० के अता० प्र० सं०–21 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई के ग्राम मनकापुर और सोहिलामऊ के मध्य में स्थित तालाब से मोहदियापुर तक ड्रेन की सफाई करा दी गई है ? यदि नहीं, तो सफाई न कराने हेतु कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? सफाई कब तक करा दी जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्नगत ड्रेन की सफाई हेतु डी० आर० डी० ए० से धन आवंटन का प्रस्ताव जिला ग्राम विकास अभिकरण, हरदोई को दिनांक 6 जून, 1997 को भेजा जा चुका है । धनावंटन के पश्चात् ही कार्य कराया जाना संभव होगा । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति गोंड़ की जनपदवार संख्या वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कम अंकित किये जाने की शिकायत

36–श्री अक्षयवर लाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जाति गोंड़ की जनपदवार जनसंख्या कितनी-कितनी हैं ? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि

प्रदेश के कतिपय जनपदों में गोंड़ जाति की जनसंख्या वर्ष 1981 की तुलना में वर्ष 1991 में कम दर्ज की गयी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर जातिवार जनसंख्या के आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

37–श्री अक्षयवर लाल–

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लखनऊ में स्वीकृत तकनीकी अधिकारी/गैर तकनीकी प्रकृति के कार्यों के निष्पादन हेतु सम्बद्ध किये गये पदों को समाप्त करने की मांग

38–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लखनऊ में कितने तकनीकी अधिकारी गैर तकनीकी प्रकृति के कार्यों के निष्पादन हेतु सम्बद्ध किये गये हैं ? क्या इस संबंध में पूर्व में भी कोई सूचना शासन को विभाग द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है ? शासकीय हित में उक्त स्थिति का परीक्षण उ० प्र० डेवलपमेन्ट सिस्टम कार्पोरेशन अथवा इंसपेक्टर आफ आफिसेज के माध्यम से कराकर अवांछित पदों को समाप्त करने एवं आवश्यक पदों के सृजन पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शून्य ।

जी नहीं ।

आवश्यकता नहीं ।

39–श्री अजय भट्ट–

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

40–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

(2रे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जिला महराजगंज, निवासी मृतक विनोद कुमार सिंह की विधवा को रोजगार न देने के कारणों की जानकारी

41–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ड्यूटी पर मृत्यु होने पर सैनिकों के आश्रितों को रोजगार देने का प्राविधान है ? यदि हां, तो धानी बाजार जिला महराजगंज (उ० प्र०) निवासी मृतक विनोद कुमार सिंह की विधवा को रोजगार देने हेतु क्या कार्यवाही की गई ? साथ ही साथ प्रश्नकर्ता द्वारा इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखे पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? मृतक आश्रित को कब तक रोजगार दे दिया जायेगा ?

श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

उ० प्र० सरकार द्वारा ऐसे सैनिक, जो लड़ाई में मारे गये हों अथवा शान्तिकाल में देश के आंतरिक मामलों में सहायता करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हों, के परिवार के दो आश्रितों तक को वर्ग–3 और

वर्ग–4 की ऐसी सेवाओं में जो लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हो, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।

मृतक विनोद कुमार सिंह की मृत्यु आवासीय बैरक की छत से नीचे गिर जाने के कारण दिनांक 5 अक्टूबर, 1997 को हुई थी। चूंकि मृतक विनोद कुमार सिंह लड़ाई में अथवा शान्तिकाल में देश के आन्तरिक मामलों में सहायता करते हुए वीरगति को नहीं प्राप्त हुए थे, अतः मृतक विनोद कुमार सिंह की विधवा रोजगार पाने की पात्रता श्रेणी में नहीं आती है।

प्रश्न में अंकित पत्र का दिनांक इंगित नहीं किया गया, तथापि पत्र की खोज करने पर पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, मृतक विनोद कुमार सिंह के आश्रित, शासनादेश के अन्तर्गत रोजगार पाने की पात्रता श्रेणी में नहीं आते हैं।

42–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

(2रे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जिला चिकित्सालय बहराइच में स्वीकृत नर्स के पदों को भरे जाने की मांग

43–डा० वकार अहमद शाह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला चिकित्सालय, बहराइच में नर्स के कितने पद स्वीकृत हैं ? इन पदों के विरुद्ध कितनी नर्स कार्यरत हैं ? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जिला चिकित्सालय बहराइच में नर्स के कुल 30 पद स्वीकृत हैं।

स्वीकृत पद के विरुद्ध वर्तमान में 19 नर्स कार्यरत हैं।

नियुक्ति पर प्रतिबन्ध हटाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र नियमानुसार रिक्त पदों को भरा जायेगा।

होम्योपैथिक कम्पाउन्डर पद के प्रशिक्षण हेतु चयनित प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण कार्य पूरा न होने के कारणों की जानकारी

44–श्री हीरा लाल गौतम–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1990 में होम्योपैथिक कम्पाउन्डर पद के प्रशिक्षण हेतु चयनित प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण पूरा करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जी नहीं।

प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

45–श्री शिव सिंह चक–

(दिनांक 23-6-98 को अता० प्र० सं०–181 द्वारा उत्तरित)

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में संचालित आयुर्वेदिक चिकित्सालयों/डिस्पेंसरी के ठीक से कार्य न करने की शिकायत

46–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में कितने आयुर्वेद चिकित्सालय/डिस्पेंसरी संचालित हैं ? क्या यह सही है कि उक्त डिस्पेंसरियां कर्मचारियों एवं दवाओं के अभाव में बन्द पड़ी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 1996-97, 97-98 में उक्त डिस्पेंसरियों पर कितनी दवायें विभाग द्वारा दी गई है ? यदि नहीं, दी गयी है, तो क्यों ? इसके लिए जिम्मेदार विभागाध्यक्ष/अधिकारी को दण्डित करते हुए सदन को अवगत करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में चार पुराने आयुर्वेदिक तथा दो नये आयुर्वेदिक चिकित्सालय कुल छः आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित है ।

जी नहीं ।

उक्त चारों पुराने आयुर्वेदिक चिकित्सालय को वर्ष 96-97 में प्रति चिकित्सालय रुपये 2,075-11 की औषधि तथा वर्ष 97-98 में रु० 1,508-73 की औषधि दी गयी है । इसके लिये किसी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

तत्कालीन प्रधानाचार्य श्री वी० एन० सिंह टुड़ियागंज कालेज लखनऊ को निदेशक/आयुर्वेद एवं यूनानी बनाये जाने हेतु न्यायालय का निर्देश

47–श्री अफजाल अहमद–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन प्रधानाचार्य श्री वी० एन० सिंह, टुड़ियागंज कालेज लखनऊ को निदेशक/आयुर्वेद यूनानी के पद पर बनाये जाने हेतु न्यायालय का आदेश हुआ है ? यदि हां, तो न्यायालय के आदेश का पालन विभाग द्वारा अब तक क्यों नहीं किया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर वी० एन० सिंह को निदेशक का चार्ज दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जी नहीं । माननीय न्यायालय ने विभागीय अधिकारियों में से चयन करके निदेशक बनाने के निर्देश दिये थे ।

निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी के पद पर चयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दि० 22-1-98 को चयन समिति की बैठक हुई । पात्रता सूची में आने वाले सभी अधिकारियों की विभागीय कार्यवाही में लिप्त होने के कारण संस्तुतियां मोहर बंद लिफाफे में रखी गयी है । अतः निदेशक आयुर्वेद एवं यूनानी के पद पर किसी भी अधिकारी को पदोन्नति कर नियुक्ति किये जाने की चयन समिति द्वारा संस्तुति नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक औषधि नियंत्रक के दोषी पाये जाने की शिकायत सम्बन्धी आरोप पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

48–श्री अफजाल अहमद–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1998 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न 19 के संदर्भ में क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक औषधि नियंत्रक को कथित रूप से दोषी पाये जाने पर उन्हें आरोप-पत्र कब दिया गया था ? और इतने दिन बीत जाने के बावजूद ऐसे अधिकारी को क्यों दण्डित नहीं किया गया है ? क्या सरकार तत्काल उन्हें पद से हटाकर उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

श्री मंगल देव त्रिवेदी, सहायक औषधि नियंत्रक को शासनादेश सं०–3718 सेक–9/पांच–55/92, दिनांक 30-6-92 द्वारा आरोप पत्र दिया गया है । स्थानान्तरण एवं कतिपय अन्य कारणों से इस प्रकरण में जांच अधिकारी बदलते रहे हैं, जिससे मामले में जांच अभी पूरी नहीं हो सकी है । जांच पूर्ण हो जाने के पश्चात मामलें यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

49–श्री तेजभान सिंह–

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

50–श्री तेजभान सिंह–

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी अन्तर्गत ग्राम बरैठी कला; पेयजल योजना, पपरेन्दा पेयजल योजना व कानाखेड़ा पेयजल योजना के बन्द हो जाने की शिकायत

51–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बांदा में विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी अन्तर्गत ग्राम बरैठी कला, पेयजल योजना, पपरेन्दा पेयजल योजना व कानाखेड़ा पेयजल योजना विगत दो वर्षों से बन्द पड़ी है ? क्या यह सही है कि जनता के फर्जी बिलों की जबरिया वसूली की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या फर्जी बिलों को निरस्त कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं । योजनाऐं बन्द नहीं हैं । श्रोत का डिस्चार्ज कम हो जाने, विद्युत की उपलब्धता कम होने तथा ग्रामवासियों द्वारा पाइप लाइन क्षतिग्रस्त कर दिये जाने आदि कारणों से सभी ग्रामों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

52–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

(दिनांक 19-6-98 को अता० प्र० सं०–194 द्वारा उत्तरित)

जनपद बरेली की तहसील नवाबगंज की गंगापुर माइनर से वर्ष 1995-96 व 1996-97 में ग्राम चेना में भयंकर कटान को रोके जाने की मांग

53–श्री छोटेलाल गंगवार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की तहसील नवाबगंज की गंगापुर माइनर से वर्ष 1995-96 व 1996-97 में ग्राम चेना में भयंकर कटान हुआ है ? यदि हां, तो वर्ष 1997-98 में उस कटान को रोके जाने हेतु विभाग ने क्या प्रयास किये हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । कुछ स्थानों पर नहर को जानवरों द्वारा क्षति पहुंचाने के कारण नहर के बैंक कमजोर हुए जिसके कारण नहर का पानी गांव के आस-पास फैल गया ।

वर्ष 1997-98 में ग्राम चेना के पास नहर के फैले हुए पानी को रोकने हेतु बैंकों को मजबूत करा दिया गया है ।

एलोपैथिक स्टेट मेडिकल कालेज में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के आरक्षण को पूरा किये जाने की मांग

54–श्री चेतराम–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एलोपैथिक स्टेट मेडिकल कालेज में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्गों का प्रवक्ता सह आचार्य एवं सहायक आचार्य, आचार्य का कोटा पूर्ण है? यदि नहीं, तो क्या सरकार तत्काल समयबद्ध तरीके से कोटा (आरक्षण) पूरा कराने के आदेश देगी? क्या समस्त चयन समितियों में नियमानुसार आरक्षित वर्ग के अधिकारियों को रखेंगे ? क्या सरकार उक्त आरक्षण वर्ग के अधिकारी एवं कर्मचारियों को आरक्षण पूरा होने तक नियमों में शिथिलीकरण करेगी ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जी नहीं ।

प्रदेश की समस्त सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का कोटा विशेष अभियान चलाकर पूरा करने के शासन के स्थायी आदेश हैं । मेडिकल कालेजों में कोटा पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

समस्त चयन समितियों में नियमानुसार आरक्षित वर्ग के अधिकारियों को रखे जाने का प्राविधान है ।

ऐसा प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

जनपद महराजगंज की नारायणी नहर के कि० मी० 15.834 पर पुल की सुविधा ग्रामीणों को पुनः दिये जाने की मांग

55–श्री राजीव कुमार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज की नारायणी नहर के कि० मी० 15.834 पर एक पुल की सुविधा ग्रामीणों को दी गयी थी ? क्या वह सुविधा समाप्त कर दी गयी है ?

यदि हां, तो क्यों ? क्या पुल की सुविधा पुनः प्रारम्भ करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

निर्माण कार्य के सुविधा हेतु अस्थाई लोहे का पैदल पुल बनाया गया था और जर्जर होने के बाद असुरक्षित हो गया इसलिये ग्रामीणों की सुरक्षा की दृष्टि से इसे हटाया गया ।

प्रश्नगत स्थल कि०मी० 15.834 के ऊपर एवं नीचे क्रमशः 14.800 एवं 17.900 पर पक्के ग्रामीण पथ हेतु उपलब्ध है । अतः इसके बनाये जाने हेतु आवश्यकता नहीं है ।

56–श्री चौधरी रवीन्द्र प्रताप सिंह–

[दिनांक 19-6-98 को अता० प्र० सं०–195 द्वारा उत्तरित]

मुख्य अभियन्ता शारदा सहायक सिंचाई विभाग लखनऊ के द्वारा पत्रांक 152/मु०आ०/शा०सं०/शिविर/लखनऊ दिनांक 8 अक्टूबर, 1997 का अधीक्षण अभियन्ता चतुर्थ दशम् मण्डल सिंचाई कार्य को प्रेषित पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

57–श्री अफजाल अहमद–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता शारदा सहायक सिंचाई विभाग लखनऊ के पत्रांक 512/मु०आ०/शा०सं०/शिविर/लखनऊ दिनांक 8 अक्टूबर, 1997 द्वारा जौनपुर जनपद के विधायक को सूचित किया गया है कि उनके पत्र को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता चतुर्थ दशम् मण्डल सिंचाई कार्य आजमगढ़ के पास भेजा जा रहा है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

शारदा सहायक खण्ड–23 आजमगढ़ के लालगंज राजबहा की सर्विस रोड को इटौरा बाजार से हेड तक एवं शारदा सहायक खण्ड–36 जौनपुर की शाहगंज राजबहा की सर्विस रोड राजेपुर से ग्राम बहाउद्दीनपुर तक पक्का करने का प्रस्ताव जिलाधिकारी जौनपुर को वर्ष 1998-99 के कार्यक्रम में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित किया जा चुका है ।

शारदा सहायक खण्ड जौनपुर के शाहगंज रजबहा कि०मी० 24 पर ग्रामीण मार्ग सेतु निर्मित है अतः पैदल पुलिया के निर्माण की आवश्यकता नहीं है ।

9.60 कि०मी० लम्बी महरांवा ड्रेन के किमी० 4.66 से कि०मी० 4.81 (150 मी०) में खुदाई होनी शेष है इसे इस वर्ष पूर्ण करा लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के तीन जूनियर इंजीनियरों के द्वारा वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 में कराये गये कार्यों की जांच टी० ए० सी० से कराये जाने की मांग

58–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के तीसरे बुधवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–118 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनहित में स्थगित किये गये तीन जूनियर इंजीनियरों के द्वारा वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 में कराये गये कार्यों की विशेष जांच टेक्निकल यूनिट से करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां, प्रश्न में संदर्भित अवधि के कार्यों की टी० ए० सी० जांच कराये जाने के सन्दर्भ में तीनों अवर अभियन्ताओं में से केवल श्री राम सनेही पाण्डेय के विषय में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिनकी टी० ए० सी० से जांच करायी गयी । टी० ए० सी० से प्राप्त जांचाख्या के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ।

भविष्य में शेष दो अवर अभियन्ताओं के सम्बन्ध में यदि कोई शिकायतें प्राप्त होगीं तो गुणावगुण के आधार पर यथावश्यक निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

59–श्री तेजभान सिंह–

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जनपद फिरोजाबाद में सिरोलिया के कतिपय ग्रामों की जलमग्न भूमि का मुआवजा/राहत दिये जाने की मांग

60–श्रीमती उर्मिला यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद में सिरोलिया के कुछ ग्रामों की लगभग पांच हजार एकड़ भूमि 12 महीने जलमग्न रहती है ? क्या यह सही है कि इस जमीन में कानपुर ब्रांच निचली गंगा नहर के 6 नालों का पानी गिरता है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को राहत दिलाने हेतु कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद फिरोजाबाद के ग्राम सिरौलिया के पास 5 प्राकृतिक तथा एक निचली गंगा नहर का विभागीय नाला गिरने से लगभग 100 एकड़ भूमि जलमग्न रहती है । इस भूमि के जल की निकासी प्राकृतिक नाला कोसेन के माध्यम से सेंगर नदी में होती है । विभागीय नाले की खुदाई से जल भराव की और समस्या उत्पन्न हो जायेगी । प्राकृतिक नाला कोसेन व नदी की आवश्यकतानुसार खुदाई होने पर ही इस क्षेत्र की जल निकासी सम्भव है, इन प्राकृतिक नालों की खुदाई का विभागीय कार्यक्रम नहीं है ।

जनपद फिरोजाबाद को वर्ष 1996-97 में सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर योजना तथा दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के विवरण की जानकारी

61–श्रीमती उर्मिला यादव–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1996-97 में जनपद फिरोजाबाद को कुल कितना-कितना धन सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना तथा दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुआ है ? क्या सरकार बतायेगी कि किन

विकास खण्डों पर कितना धन उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत अवमुक्त किया गया है ? क्या सरकार विकास खण्ड अरांव व विकास खण्ड मदनपुर में इन योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची सम्पूर्ण विवरण के साथ सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वर्ष 1996-97 में जनपद फिरोजाबाद को निम्न प्रकार से धनराशि प्राप्त हुआ है :–

(धन लाख रु० में)

क्र०सं०	योजना का नाम	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल धनराशि
1	सुनिश्चित रोजगार योजना	40.00	9.929	49.929
2	जवाहर रोजगार योजना	277.75	73.74	351.49
3	दस लाख कूप योजना	79.65	19.91	99.56

वर्ष 1996-97 में उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि का विकास खण्डवार विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	विकास खण्ड	सुनिश्चित रोजगार योजना	जवाहर रोजगार योजना	दस लाख कूप योजना
1	फिरोजाबाद	—	58.40	5.013
2	टूण्डला	13.12	44.81	20.699
3	नारखी	14.62	52.795	—
4	शिकोहाबाद	—	44.22	5.23
5	मदनपुर	—	47.51	12.762
6	अरांव	—	27.68	14.025
7	जसराना	—	21.64	18.772
8	हाथवंत	—	37.95	19.757
9	एका	—	27.67	17.672
	योग	27.74	362.675	113.93

प्रश्नगत विकास खण्डों के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची विस्तीर्ण है । अतः यदि मा० सदस्या चाहें तो मेरे कार्यालय कक्ष में अवलोकन कर सकती हैं ।

जनपद मैनपुरी को वर्ष 1996-97 में सुनिश्चित रोजगार योजना व जवाहर योजना तथा दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि एवं स्वीकृत कार्यों के विवरण की जानकारी

62–श्रीमती उर्मिला यादव–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1996-97 में मैनपुरी जनपद को कुल कितना धन सुनिश्चित रोजगार योजना व जवाहर रोजगार योजना तथा दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुआ है ? किन किन विकास खण्डों पर कितना-कितना धन

उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत अवमुक्त किया गया है ? क्या सरकार विकास खण्ड घिरोर विकास खण्ड मैनपुरी व विकास खण्ड कुरावली में इन योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची सम्पूर्ण विवरण के साथ सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वर्ष 1996-97 में जनपद मैनपुरी में सुनिश्चित रोजगार योजना क्रियान्वित नहीं थी । जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल रु० 244.75 लाख एवं दस लाख कूप योजनान्तर्गत कुल रु० 66.42 लाख की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त हुई ।

विकास खण्डवार अवमुक्त की गई धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	ज० रो० यो० अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि	दस लाख कूप योजनान्तर्गत अवमुक्त धनराशि
1	घिरोर	1108375	1349986
2	कुरावली	717000	1147614
3	मैनपुरी	1495700	554370
4	बरनाहल	759000	394240
5	करहल	661950	1723845
6	सुल्तानगंज	596600	1163753
7	जागीर	439170	765811
8	किशनी	567000	1481082
9	बेवर	486000	—

जी हां । विवरण संलग्न है ।

संजय गांधी स्नातकोत्तर/आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में वार्ड मास्टरों से अतिरिक्त कार्य लिये जाने की शिकायत एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

63–श्री चेतराम तथा श्री लालजी वर्मा–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय गांधी स्नातकोत्तर/आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में वार्ड मास्टरों की संख्या कम होने के कारण एक वार्ड मास्टर से दो-दो वार्डों का कार्य लिया जा रहा है ? क्या यह सही है कि 6 वार्ड मास्टरों का वार्डों से हटाकर आपरेशन थियेटर (ओ०टी०) में लगाकर स्टोर/फार्मासिस्ट का कार्य लिया जा रहा है ? यदि हां, तो वार्ड मास्टरों की कम संख्या के बावजूद उन्हें वार्डों से हटाने एवं दो-दो वार्डों का कार्य लेने के क्या कारण हैं ? क्या उन्हें स्टोर/फार्मासिस्ट के कार्य का भत्ता/अन्य भुगतान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार वार्ड मास्टरों से नियम विरुद्ध कार्य लेने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जी नहीं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 152-153 पर)

कुछ वार्ड मास्टरों को वार्डों से हटाकर आपरेशन थियेटर (ओ०टी०) में तैनात किया गया है किन्तु उनसे स्टोर/फार्मासिस्ट का कार्य नहीं लिया जा रहा है ।

कार्य की महत्ता एवं मरीजों के हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है ।

वार्ड मास्टरों से ऐसा कोई अतिरिक्त कार्य नहीं लिया जा रहा है जिसके लिए उन्हें किसी प्रकार का भत्ता दिया जाय ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली में अफसरैहा नदी की क्योलट्रिया दरम से अपर ग्राम जिमनियों भगवतपुर के टूटे हुए पुल के निर्माण की मांग

64—श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में अफसरैहा नदी की क्योलट्रिया दरम से अपर ग्राम जिमनियों भगवतपुर का पुल टूट गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पुल के निर्माण कराने संबंधी कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक पुल का निर्माण हो जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

धन उपलब्ध होने पर पुल की मरम्मत करा दी जायेगी ।

65–श्री छोटे लाल गंगवार–

(दिनांक 19-6-98 को अता० प्र० सं०–192 द्वारा उत्तरित)

66–श्री बाबू खां–

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

जनपद मुरादाबाद के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को प्रोन्नति वेतनमान न दिये जाने के कारणों की जानकारी

67–श्री बाबू खां–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मुरादाबाद के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों के प्रोन्नति वेतनमान के संबंध में सन्तोषजनक सेवा संबंधी अभिलेख निदेशालय स्तर पर प्राप्त हो गये हैं ? यदि हां, तो वेतनमान प्रदान करने में विलम्ब के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? क्या दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जी हां ।

प्रोन्नति वेतनमान (रु० 3700–5000) वरिष्ठता के आधार पर 20% अर्ह पद धारकों को दिए जाने का प्राविधान है । शासन द्वारा निर्गत चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता सूची के विरुद्ध डा० आर० डी० शर्मा द्वारा मा० अधिकरण में दायर निर्देश याचिका संख्या–16-11-88 में पारित निर्णय के अनुपालन में संशोधित वरिष्ठता सूची तैयार किये जाने की कार्यवाही की जा रही है । संशोधित वरिष्ठता सूची के उपरान्त (रु० 3700–5000) का प्रोन्नति वेतनमान पात्र अधिकारी को अनुमन्य किया जायेगा । इसमें कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं है ।

ग्राम सभा जरगांव बिछिया जनपद उन्नाव में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धन को ग्राम प्रधान द्वारा दुरुपयोग किये जाने की शिकायत

68–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सभा जरगांव बिछिया जनपद उन्नाव में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा को वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 में कितना धन आवंटित किया गया है ? क्या ग्राम प्रधान द्वारा उक्त धन के दुरुपयोग के संबंध में ग्रामवासियों का कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक 8-8-97 को खण्ड विकास अधिकारी, उन्नाव तथा दिनांक 21-8-97 को मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुआ है ? क्या उक्त निर्माण कार्यों को उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर धन की वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा जरगांव विकास खण्ड बिछिया जनपद उन्नाव को वर्ष 1995-96 में रु० 98,569–00 वर्ष 1996-97 में रु० 88,648–00 एवं वर्ष 1997-98 में रु० 1,03,567–00 की धनराशि आवंटित की गई है ।

जी हां ।

प्रभारी अधिकारी विकास खण्ड बिछिया/जिला युवाकल्याण अधिकारी, उन्नाव, खण्ड विकास अधिकारी बिछिया, अवर अभियन्ता (ग्रा०अ०से०) बिछिया की जांच समिति गठित की गई है गठित समिति द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

69–श्री तेजभान सिंह–

(1ले गुरुवार में अता० प्र० सं०–127 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद सुल्तानपुर में स्थित गौरीपुर ड्रेन में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के बाद भूमि के प्रतिकर के भुगतान का मामला

70–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्रश्न संख्या–127 के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में स्थित गौरीपुर ड्रेन में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या भूमि मालिकों को नियमानुसार देय भूमि प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को भूमि प्रतिकर का भुगतान किया गया है और कितने अभी शेष हैं ? क्या श्री गुरुबख्स सिंह पुत्र महादेव सिंह, ग्राम गौरीपुर, जिला सुल्तानपुर को भी मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? संबंधित भूमि मालिकों को भूमि प्रतिकर का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । नियमानुसार भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भूमि प्रतिकर के भुगतान की कार्यवाही की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरांचल में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में सुधार लाने के उद्देश्य से पृथक महानिदेशक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) के सृजित पद पर तैनाती की मांग

71–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में सुधार लाने के उद्देश्य से पृथक महानिदेशक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) का पद सृजित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त महानिदेशक बलरामपुर अस्पताल लखनऊ के प्रमुख अधीक्षक के पद पर भी तैनात हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी नहीं ।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (उत्तराखण्ड) के पद पर नियमित चयन के उपरान्त पर्वतीय क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा/सुधार हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (उत्तराखण्ड) का कार्यालय देहरादून में स्थापित किये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत यमुना नदी के आकूदपुर गांव के पुस्ता (बांध) के पुनर्निर्माण में खर्च किये धन की जानकारी

72—श्री नवाब सिंह नागर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत यमुना नदी के आकूदपुर गांव का पुस्ता (बांध) के पुनर्निर्माण पर अब तक कुल कितना धन व्यय हो चुका है और क्या यह सही है कि मा० सिंचाई राज्य मंत्री ने कोई घटिया निर्माण संबंधी जांच रिपोर्ट भेजी है ? यदि हां, तो वह जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्या उसकी जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

रु० 80.12 लाख का व्यय हो चुका है ।

मा० राज्य मंत्री जी, (बाढ़ नियंत्रण) स्वतंत्र प्रभार द्वारा कार्यों की टी० ए० सी० द्वारा जांच कराने के आदेश पारित किये गये हैं ।

टी० ए० सी० की जांच रिपोर्ट परीक्षणाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ खण्ड शारदा नहर लखनऊ द्वारा बी० आई० पी० निरीक्षण भवनों आदि के प्रयोगार्थ खरीदे गये फर्नीचरों की जानकारी

73–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ खण्ड शारदा नहर लखनऊ के सप्लाई आर्डर नम्बर 693/अस-6 एस०, दिनांक 24-5-96 द्वारा किस बी० आई० पी० निरीक्षण भवनों आदि में प्रयोगार्थ, कौन-कौन से आईटम क्रय किए गये थे तथा इन्हें किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अभिलेखों में

प्राप्त होना दर्शाया गया है ? इस हेतु भुगतान की गयी कुल धनराशि कितनी है ? वर्तमान में उक्त क्रय की गयी सामग्री कहां पर है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ के सप्लाई आर्डर सं०–693/एस–6 (एस) दिनांक 24-5-96 द्वारा कैनाल कालोनी स्थित वी० आई० पी० निरीक्षण भवन हेतु ठीक उड सोफा (एक सेट) खरीदा गया था।

श्री एस० एन० वर्मा, अवर अभियन्ता।

रु० 20,000/– (रु० बीस हजार)

वी० आई० पी० निरीक्षण भवन।

कैनाल कालोनी लखनऊ में परिसर के अन्दर पार्क बनाने की मांग

74–अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के कैन्ट रोड स्थित सिंचाई विभाग की आवासीय कालोनी में प्रवासियों के कल्याणार्थ निर्मित पार्क जो कि वर्ष 1955, 1965 एवं 1985 में नये भवनों के निर्माण होने से समाप्त हो गए हैं को पुनः नवीन रूप में व्यवस्थित करने की कृपा करेंगे ? इस संबंध में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर शासन के सिंचाई–3 अनुभाग द्वारा मांगी गयी आख्या पर विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर पर अन्तिम कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

कैनाल कालोनी परिसर में निर्मित भवनों की स्थिति को देखते हुए पार्क हेतु स्थान न उपलब्ध होने के कारण व्यवस्थित करना संभव नहीं है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

लाल बहादुर शास्त्री, होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल इलाहाबाद में हो रही लूट पाट की शिकायत

75–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि लाल बहादुर शास्त्री, होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, इलाहाबाद में कार्यरत कर्मचारियों को माह अक्टूबर, 1996 का वेतन दिनांक 4-11-96 को अराजक तत्वों द्वारा लूट लिया गया था ? यदि हां, तो क्या लूट काण्ड में लुटेरे धनराशि सहित पकड़े गये हैं ? यदि हां, तो पीड़ित कर्मचारियों का माह अक्टूबर, 1996 का वेतन कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जी हां। किन्तु लूट की घटना दिनांक 4-11-96 की नहीं बल्कि दिनांक 4-12-96 की है। लूटा गया वेतन माह अक्टूबर, 1996 का नहीं बल्कि माह नवम्बर, 1996 का है। पांच अभियुक्त गिरफ्तार किये गये थे। लूटी गयी धनराशि में से रु० 62,000/–पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया था। कर्मचारियों का माह नवम्बर, 1996 का वेतन पुनः आहरण किये जाने के प्रकरण में कार्यवाही विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश के दसों राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों एवं अस्पतालों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

76–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के दसों राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों एवं अस्पतालों में कितने दैनिक वेतन भोगी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कब से कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि राजकीय होम्योपैथिक डिस्पेन्सरियों में रिक्त पड़े सैकड़ों पदों पर समायोजित किये जाने हेतु वर्ष 1977 में कोई आदेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो उसके तहत अब तक कितने कर्मचारियों को समायोजित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को समायोजित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

प्रदेश के दसों राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों एवं अस्पतालों में वर्ष 1982 से वर्ष 1993 तक की अवधि में दैनिक वेतन भोगी तृतीय श्रेणी के 14 तथा चतुर्थ श्रेणी के 36 कर्मचारी अलग-अलग तिथियों से कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चतुर्थ श्रेणी के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित पदों पर समायोजित किये जाने की मांग के विभिन्न प्रशासनिक व विधिक पहलुओं का परीक्षण किया जा रहा है तथा यथासमय औचित्यपूर्ण निर्णय लिया जायेगा ।

जनपद फिरोजाबाद के नारखी ब्लाक में खारे पानी की समस्या के निदान का मामला

77–श्री शिव सिंह चक–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के नारखी ब्लाक में खारी पानी की समस्या के निदान हेतु शासन स्तर पर प्रकरण विचाराधीन है ? यदि हां, तो पेयजल समस्या के निदान हेतु अब तक क्या ठोस कदम शासन स्तर पर उठाया गया है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

ब्लाक नारखी में रासायनिक अशुद्धियों वाले जल के 31 हैबीटेशन इंगित हैं । इनमें से 16 हैबीटेशन को पाइप पेयजल दिया जा रहा है । फ्लोराइड प्रभावित कार्य था की योजना भारत सरकार से स्वीकृत हो चुकी है, शेष 14 हैबीटेशन के संबंध में प्रारम्भिक कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है । तथा इन हैबीटेशन के संबंध में जल निगम द्वारा प्राक्कलन शीघ्र ही भारत सरकार को उनकी सहमति हेतु भेजी जा रही है ।

जनपद फतेहपुर में अनुसूचित जाति के गरीब किसानों के लिए सींच व पेयजल की सुविधा दिये जाने की मांग

78–श्री मुरलीधर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फतेहपुर में अनुसचित जाति के गरीब किसानों के लिए सींच एवं पेयजल हेतु दस लाख कूप योजना अन्तर्गत निर्माण कराने हेतु प्रत्येक ब्लाक में चयनित लाभार्थियों के लिए धनराशि उपलब्ध करायी थी ? यदि हां, तो कितने सींच एवं पेय कूप निर्मित कराये गये तथा कितने शेष हैं ? क्या चयनित शेष कूपों का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद फतेहपुर में वर्ष 1994-95 में माननीय विधान सभा सदस्यों द्वारा दिये गये प्रस्तावों के क्रम में दस लाख कूप योजना एवं जवाहर रोजगार योजना से समस्त विकास खण्डों में सिंचाई कूपों के निर्माण हेतु मानक प्राक्कलन के आधार पर समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को 50 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध कराते हुए प्रस्तावित कूप निर्माण से सम्बन्धित लाभार्थियों से स्थल विवरण खसरा खतौनी तथा विस्तृत प्राक्कलन मांगे गये थे किन्तु खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा संबंधित लाभार्थियों से वास्तविक स्थल एवं स्थल के खसरा खतौनी आदि उपलब्ध न होने के फलस्वरूप धनराशि वापस कर दी गयी है जिसमें अब कराया जाना सम्भव नहीं होगा केवल विकास खण्ड हसवा में 5 कूपों का निर्माण प्रारम्भ कराकर कुछ निर्माण कार्य कराया गया है, जिसके स्थल चयन एवं निर्माण से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुयी हैं और प्राप्त शिकायतों के आधार पर कूपों की जांच की गयी जिसमें अत्यधिक अनियमितता पायी गयी है तथा सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है तथा संबंधित के विरुद्ध एफ०आई०आर० थाने में दर्ज करा दी गयी है।

किशुनपुर विधान सभा क्षेत्र जिला फतेहपुर में लगे नलकूपों को ठीक कराने की मांग

79–श्री मुरलीधर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किशुनपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद फतेहपुर में अब तक कितने नलकूप लगे हैं ? लगे नलकूपों में कितने चल रहे हैं एवं कितने बन्द पड़े हैं ? क्या सरकार किसानों के हित को देखते हुए बन्द पड़े नलकूपों की जांच कर ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद फतेहपुर की किशनपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल 183 राजकीय नलकूप लगे हैं जिनमें से 142 नलकूप चल रहे हैं तथा 41 नलकूप बन्द हैं। बन्द नलकूपों को ठीक कराये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

जनपद फतेहपुर की सीमा में पड़ने वाले नहर एवं बम्बों की सफाई में वर्षवार किये गये व्यय का मामला

80–श्री मुरलीधर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर की सीमा में पड़ने वाले नहर एवं बम्बों की सफाई प्रतिवर्ष की जाती है ? यदि हां, तो 3 वर्षों के अन्तर्गत किन-किन नहरों एवं बम्बों की सफाई की गयी एवं कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या इसकी जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

पिछले तीन वर्षों में निम्न प्रकार नहरों की सफाई कराई गयी एवं व्यय किया गया :–

वर्ष	(लम्बाई) किमी०	व्यय (लाख रु०)
1995-96	569	38.38
1996-97	490	34.91
1997-98	526	36.47

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भुगतान नियमानुसार माप चेकिंग के पश्चात् किया जाता है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में फैली महामारी

81-श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में महामारी की बीमारी से कितने लोग मारे गये हैं और उसके बचाव के लिए क्या-क्या सहायता मुहैया कराई है ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या यह सही है कि वर्ष 1996-97, 97-98 में बरसात के महीनों में बाढ़ आने से महामारी फैली थी ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में महामारी से कोई मृत्यु नहीं हुई । महामारी/बीमारी से बचाव के लिये जनपद मुख्यालय पर संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है । चिकित्सा विभाग की समस्त इकाइयों पर प्रचुर मात्रा में दवायें उपलब्ध करा दी गई हैं एवं विधान सभा क्षेत्र के समस्त पेय जलकूपों को विसंक्रमित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री अरुण कुमार चौबे राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय काझा जनपद मऊ के स्थानान्तरण की मांग

82-श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री अरुण कुमार चौबे राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय काझा जनपद मऊ में कब से तैनात है ? क्या यह सही है कि उक्त चिकित्साधिकारी का गृह जनपद मऊ है और जिले में रहकर राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर इनके विरुद्ध कार्यवाही करने एवं जिले से बाहर स्थानान्तरण करते हुए सदन को अवगत करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा-

डा० अरुण कुमार चौबे, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कांझा में चिकित्साधिकारी (साम० स्वा०) के पद पर दि० 4-7-94 से कार्यरत है ।

जी हां । डा० चौबे के मऊ से अन्यत्र स्थानान्तरण पर विचार किया जा रहा है ।

जनपद मऊ में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा बिना अनुमति नियुक्ति का मामला

83-श्री अफजाल अहमद-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक कार्यालय मऊ में वर्ष 1994-95, 95-96, 96-97 में चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों पर निदेशालय की बिना अनुमति से कितनी नियुक्तियां क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी, मऊ द्वारा कर ली गई हैं ? क्या यह सही है कि कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति निदेशालय द्वारा की गई थी जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और जिले स्तर से नियुक्त कर्मचारियों को रखा गया है ? यदि हां, तो ऐसा दोहरा मापदण्ड अपनाने एवं बिना अनुमति की नियुक्ति करने वाले आयुर्वेदिक अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी मऊ द्वारा कथित अवधि में निदेशालय की बिना अनुमति के कोई नियुक्ति नहीं की गयी है। तत्कालीन निदेशक द्वारा चार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण मैनपुरी से मऊ किया गया था। संदेह होने पर उनकी जांच की गई और जांच के फलस्वरूप स्थानान्तरण आदेश, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं चार्ज सर्टीफिकेट फर्जी पाये जाने पर चारों कर्मचारियों को निकालने के आदेश दिये गये और क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी, मऊ ने अपने पत्र दिनांक 14-7-97 द्वारा उनकी सेवायें समाप्त कर दी।

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी मऊ के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

डा० सुरेश चन्द्र द्विवेदी सम्बद्ध आयुर्वेद निदेशालय, लखनऊ के विरुद्ध जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

84—श्री अफजाल अहमद–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा० सुरेश चन्द्र द्विवेदी सम्बद्ध आयुर्वेद निदेशालय, लखनऊ की शिकायतों की जांच कराने विषयक पत्र मा० सांसद श्री खरवार फैजाबाद व अन्य लोगों द्वारा तत्कालीन मुख्य मंत्री को वर्ष 1997 में दिया था ? क्या अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर सदन को अवगत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

डा० सुरेश चन्द्र द्विवेदी के विरुद्ध शिकायतों की जांच विषयक मा० सांसद श्री खरवार, फैजाबाद द्वारा जुलाई, 1997 में तत्कालीन मुख्य मंत्री को पत्र दिये जाने के अभिलेख उपलब्ध हैं परन्तु उक्त पत्र चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्राप्त नहीं हो सका है। इस संबंध में मा० विधायक श्री हरदेव सिंह एवं प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-2-97 प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र में शिकायती बिन्दुओं पर जांच करायी जा रही है जिसे शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।

85—श्री हरदेव सिंह–

[3रे मंगलवार में अता० प्र० सं०–163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आयुर्वेदिक यूनानी निदेशालय, लखनऊ में सहायक औषधि नियंत्रक पद पर की गयी नियुक्ति का मामला

86—श्री हरदेव सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुर्वेद, यूनानी निदेशालय, लखनऊ में तैनात सहायक औषधि नियंत्रक कौन है ? क्या उसकी योग्यता सहायक नियंत्रक औषधि की है ? यदि नहीं, तो उन्हें उक्त जिम्मेदार पद पर क्यों तैनात किया गया है ? क्या यह सही है कि वर्तमान सहायक औषधिक नियंत्रक कुछ फर्जी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर उक्त पद पर बिना योग्यता होते हुए बने हुए हैं ? यदि हां, तो सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच शासन स्तर से कराने एवं तत्काल पद से हटाने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

आयुर्वेद, यूनानी निदेशालय, लखनऊ में सहायक औषधि नियंत्रक के पद पर श्री मंगल देव त्रिवेदी तैनात है।

सहायक औषधि नियंत्रक का पद उत्तर प्रदेश राजकीय चिकित्सा सेवा नियमावली, 1990 के नियम–5(4) के अनुसार प्रोन्नति से भरा जाने वाला पद है तथा श्री त्रिवेदी उक्त पद पर प्रोन्नति हेतु अर्ह थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस संबंध में मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या–4604/93 डा० लाल सिंह कनौजिया बनाम राज्य सरकार व अन्य योजित की गयी है, जो विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चरखारी विधान सभा क्षेत्र, जिला महोबा में सिंचाई योजनाओं को चालू किये जाने का मामला

87––डा० छोटे लाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चरखारी विधान सभा क्षेत्र, जिला महोबा में सिंचाई हेतु 25 ट्यूबवेल एवं 6 लिफ्ट योजनाओं के संबंध में पत्र द्वारा दिनांक 27-6-97 को मांग की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

चरखारी विधान सभा क्षेत्र में केन्द्रीय भूगर्भ जल संगठन की रिपोर्ट के अनुसार राजकीय नलकूपों का निर्माण कराया जाना साध्य नहीं है । जहां तक इस क्षेत्र में लिफ्ट नहरों के निर्माण से संबंधित योजनाओं का प्रश्न है, इस संबंध में अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र चरखारी में 4 नदियां विद्यमान हैं और उन सभी नदियों पर बांध पूर्व से ही बने हैं । ऐसी स्थिति में जल की उपलब्धता संदिग्ध है, फिर भी जल उपलब्धता की पुष्टि करायी जा रही है ।

बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत स्व० श्री रामबालक की सेवावधि में मृत्यु के उपरान्त देय अवशेषों के भुगतान का मामला

88––श्री पीतम राम–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत स्व० श्री राम बालक की सेवा अवधि में दिनांक 6-11-97 को मृत्यु हो जाने के पश्चात् अब तक वेतन तथा सामूहिक बीमा योजना की धनराशि के भुगतान हेतु विभाग द्वारा कोई सक्रिय कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार वेतन तथा सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान पीड़ित परिवार को शीघ्र करायेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

स्व० श्री राम बालक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की दिनांक 6-11-97 को मृत्यु होने के फलस्वरूप उनकी पत्नी श्रीमती कान्ता देवी को क्रमशः पुनरीक्षित वेतन के अवशेष रु० 10,174.00 का भुगतान दिनांक 27-3-98 को, सामान्य भविष्य निधि रु० 46,119.00 का भुगतान दिनांक 27-4-98 को, अवकाश नकदीकरण रु० 9,544.00 पैसे का भुगतान दिनांक 31-3-1998 को, चिकित्सा अवकाश वेतन (1-10-97 से 6-11-97) के रु० 4334.00 पैसे का भुगतान दिनांक 15-6-98 को किया जा चुका है । सामूहिक बीमा धनराशि की स्वीकृति बलरामपुर चिकित्सालय के पत्र संख्या–बी०एच०/98/1888, दिनांक 10-6-98 द्वारा सामूहिक बीमा निदेशालय, उ० प्र० को भेजा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सामूहिक बीमा योजना निदेशालय, उ० प्र० को भुगतान की स्वीकृति हेतु बलरामपुर चिकित्सालय के पत्रांक–बी०एच०/98-1888, दिनांक 10-6-98 द्वारा निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आजमगढ़ में कार्यरत हेल्थ विजिटरों के स्थानान्तरण के उपरान्त कार्यमुक्त न किये जाने के कारणों की जानकारी

89—श्री समरपाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अजमतगढ़, जनपद आजमगढ़ में कार्यरत हेल्थ विजिटरों में से कितने का स्थानान्तरण गत वर्ष माह जून-जुलाई, 1997 में परिवार कल्याण महानिदेशालय द्वारा किया गया था ? क्या स्थानान्तरित हेल्थ विजिटरों को उपरोक्त केन्द्र से कार्यमुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह)–

जी हां,

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अजमतगढ़, जनपद आजमगढ़ में कार्यरत एक स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला) पूर्व हेल्थ विजिटर का स्थानान्तरण माह जून, 1997 में परिवार कल्याण महानिदेशालय द्वारा किया गया था ।

स्थानान्तरित स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला) के स्थानान्तरण आदेश के अनुपालन में कार्यमुक्त कर दिया गया था, किन्तु बाद में स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में कतिपय स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं के पदों पर 18 वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत रहने की शिकायत

90—श्री समरपाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में कितने स्वास्थ्य निरीक्षिका (हेल्थ विजिटर) एक ही स्थान पर 15 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ? क्या इनका स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह–

जनपद आजमगढ़ में 42 स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला) पूर्व स्वास्थ्य निरीक्षिका, एक ही स्थान पर 15 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ।

स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला) जनपदीय संवर्ग का पद है । अतः चालू वर्ष के स्थानान्तरण नीति के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला) के नियुक्ति प्राधिकारी हैं, को स्थानान्तरण संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

91—श्री मुरलीधर–

[दिनांक 19-6-98 को अता० प्र० सं०–193 द्वारा उत्तरित]

विधान सभा क्षेत्र 9, पिथौरागढ़ में नहरों की संख्या की जानकारी तथा क्षतिग्रस्त नहरों को ठीक कराये जाने की मांग

92—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का विधान सभा क्षेत्र 9, पिथौरागढ़ में नहरों की संख्या कितनी है ? कितनी नहरों में पानी चल रहा है ? कितनी क्षतिग्रस्त हैं ? क्या विकास खण्ड पाटी की मछियाड़ नहर चालू हालत में है ? यदि हां, तो इसमें वार्षिक मरम्मत व्यय कितना है ? क्या सरकार क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

विधान सभा क्षेत्र–9, पिथौरागढ़ में नहरों की कुल संख्या 109 हैं ।

कुल 78 नहरों में पानी चल रहा है ।

कुल 22 नहरें क्षतिग्रस्त हैं तथा शेष 9 स्रोतों में पानी उपलब्ध न होने एवं कृषकों द्वारा पानी न लेने से बन्द हैं ।

जी नहीं ।

केवल उक्त नहर के 6.00 कि०मी० से नीचे के क्षेत्र की सींच हेतु अस्थाई व्यवस्था की गयी है । उसकी देख-रेख हेतु लगाये गये अस्थाई बेलदार पर मात्र रु० 3510.00 व्यय वर्ष 1997-98 में किया गया है । क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत अनुरक्षण मद में उपलब्ध धनराशि से कराई जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधालयों के निजी भवनों में चलने के कारण भवन स्वामियों को किराया भुगतान किये जाने की मांग

93—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधालयों के लिये निजी भवनों को किराये पर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या शासन स्तर से भवन स्वामियों को किराया भुगतान कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जी हां ।

शासन द्वारा स्वीकृत किराये के भवनों हेतु मार्च, 1997 तक के किराये की धनराशि को अवमुक्त किया जा चुका है तथा किराये के भुगतान हेतु बैंक ड्राफ्ट भेजे जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) के विरुद्ध अनियमितता की जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

94—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास अनुभाग–3 के पत्रांक यू० ओ०–61(1)/38-3-85-670/91-आ० डी०–7, दिनांक 20-4-95 द्वारा विभागीय अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) के विरुद्ध बाउचरों में अनियमितता करके लाखों रुपये हड़पने की जांच हेतु श्री एन० एन० पाण्डेय, अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश को जांच अधिकारी

नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

प्रश्नगत अनियमितता की प्रारम्भिक जांच हेतु अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था किन्तु उनके द्वारा किसी लेखा विशेषज्ञ से जांच कराये जाने के अनुरोध पर शासन द्वारा विचार करके श्री हामिद मुस्तफा, निदेशक वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था किन्तु जांच आख्या उपलब्ध कराने में हो रहे विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत जांच अब श्री एम० एम० संगल, मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को सौंपी गयी है ।

जांच अधिकारी से जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, टुड़ियागंज लखनऊ के विरुद्ध वर्ष 1993-94 में की गई वित्तीय अनियमितता की जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

95–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रिन्सिपल टुड़ियागंज कालेज, लखनऊ के विरुद्ध वर्तमान में कितनी जांचें शासन एवं विभागीय स्तर पर चल रही है ? क्या सरकार इनके भ्रष्टाचार की जांच किसी बाह्य एजेन्सी से करायेगी ? क्या दोषी अधिकारी को तत्काल दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवकान्त ओझा–

प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, टुड़ियागंज लखनऊ के विरुद्ध वर्ष 1993-94 की वित्तीय अनियमितता की जांच एवं एम० डी० (आयुर्वेद) प्रवेश परीक्षा 1997-98 में संचालन एवं मूल्यांकन में हुई अनियमितता की जांच शासन स्तर से तथा मा० विधायक श्री उबैदुर्रहमान के शिकायती पत्र दिनांक 31-3-98 के संबंध में जांच निदेशालय स्तर से चल रही है ।

विभागीय जांच रिपोर्ट आने के उपरान्त ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा ।

किसी जांच रिपोर्ट के अभाव में दण्डित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान प्राचार्य के विरुद्ध चल रही जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है । जांच रिपोर्ट आने के उपरान्त ही इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड उतरौला/गेण्डास/बुजुर्ग/श्री दत्तगंज में वर्ष 1995-96, 96-97 व 97-98 में नलकूपों में व्यय किये गये धन की जानकारी तथा भौतिक सत्यापन कराये जाने की मांग

96–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड उतरौला/गेण्डास बुजुर्ग/श्री दत्तगंज में किन-किन राजकीय नलकूप पर किन-किन कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 1995-96, 96-97 व 97-98 में कितना-कितना धन व्यय हुआ है ? क्या सरकार इन कार्यों का भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत अवधि में जनपद गोण्डा के विकास खण्ड उतरौला/गेण्डास बुजुर्ग तथा श्री दत्तगंज के अन्तर्गत स्थापित राजकीय नलकूपों पर वार्षिक अनुरक्षण मद के लिये निर्धारित औसतन रु० 7,000/- प्रति नलकूप के मोटरों की रिवाइंडिंग, उपकरणों/पम्पसेटों तथा जल वितरण प्रणाली की छोटी-मोटी मरम्मतों के अतिरिक्त विकास खण्ड उतरौला के अन्तर्गत नलकूप संख्या–1 यू० जी० पर रु०–61,875.00 तथा 32 यू० जी० पर रु० 36,508.00 विकास खण्ड गेण्डास बुजुर्ग के अन्तर्गत नलकूप संख्या–114 यू० जी० पर रु० 7,882.00, विकास खण्ड श्री दत्तगंज के अन्तर्गत नलकूप संख्या–121 यू० जी० पर रु० 34,090.00 तथा नलकूप संख्या–96 यू० जी० पर रु० 29,175/- की धनराशि से जीर्ण शीर्ण गूलों के जीर्णोद्धार के विशेष कार्य वर्ष 1995-96 में कराये गये, जिसका भौतिक सत्यापन सहायक अभियन्ता द्वारा किया जा चुका है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जिला बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड उतरौला/गेण्डास बुजुर्ग में राप्ती नदी के कटान से प्रभावित गांवों को बचाने हेतु सरकार की योजना की जानकारी

97– श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड उतरौला/श्रीदत्तगंज/गेण्डास बुजुर्ग में राप्ती नदी से कौन-कौन गांव कटान से प्रभावित हैं और 1-6-1996 से 15-4-98 तक कितने हेक्टेयर भूमि जलमग्न थी ? क्या सरकार भविष्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को बचाने के लिये कोई ठोस कार्यक्रम प्रस्तावित कर रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत अवधि में जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड उतरौला के ग्राम सुरहिया देवर व महुवा धनी विकास खण्ड श्री दत्तगंज के ग्राम लखमा व टडवा, चुहहिया तथा विकास खण्ड गेण्डास बुजुर्ग के ग्राम भरवलिया एवं टेढवा, तप्ता, बांक की आबादी की भूमि जो राप्ती नदी के तट पर स्थित थे, कटान से प्रभावित हुए। आबादी की 1.518 हेक्टेयर भूमि कटकर जल मग्न हो गयी। बाढ़ से 786.930 हेक्टेयर भूमि जल मग्न हुई।

मैदानी क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि तथा फ्लड जोन में बसे ग्रामों के लिये बाढ़सुरक्षा कार्य कराये जाने की नीति शासन की नहीं है। फ्लड जोन में के गांव की आबादी को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर बसाये जाने की नीति शासन की है जिसके संबंध में राजस्व विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है।

विकास खण्ड घिरौर जनपद मैनपुरी एवं फिरोजाबाद के ग्राम भैसामई की क्षतिग्रस्त पुलिया के निर्माण की मांग

98–श्रीमती उर्मिला यादव–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड घिरौर जनपद मैनपुरी एवं फिरोजाबाद के ग्राम भैसामई की पुलिया ध्वस्त होने के कारण आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो इन पुलियों का निर्माण कब कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा इस पुलिया का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है और न ही इसकी मरम्मत हेतु धनराशि विभाग को प्राप्त हुई है। अतः ऐसी स्थिति में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा इस पुलिया का निर्माण सम्प्रति किया जाना सम्भव नहीं है।

अधिशासी अभियन्ता लखनऊ खण्ड शारदा नहर के सरकारी सेवकों द्वारा किये गये अवैध निर्माण को हटाने की मांग

99–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड शारदा नहर के पत्रांक 1750/नि०टि०, दिनांक 15-6-96 के क्रमांक–6 पर स्थित बिन्दु पर सरकारी सेवकों द्वारा अवैध निर्माण कैनाल कालोनी लखनऊ में किये जाने की बात स्वीकार की गयी है, उन लोक सेवकों के विरुद्ध अब तक अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ न करने का क्या कारण है । उपरोक्तांकित अवैध अतिक्रमण कब तक समाप्त करवा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड शारदा नहर लखनऊ के पत्रांक 1750/नि० दिनांक 15-6-96 के क्रमांक–6 पर स्थित बिन्दु पर जिन 2 सरकारी सेवकों द्वारा अवैध निर्माण किये जाने की बात स्वीकार की गयी है, में से एक लोक सेवक को अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत चेतावनी दे दी गयी है तथा दूसरा सेवानिवृत्त हो चुका है और उस अवैध निर्माण को हटा दिया गया है ।

अधीक्षण अभियन्ता सप्तम मण्डल लखनऊ में कार्यरत सेवकों के सरकारी आवासों में रहने तथा भवन निर्माण अग्रिम की स्वीकृति की जानकारी

100–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम मण्डल, लखनऊ के पत्रांक 1602/वि०स०प्र०, दिनांक 27-1-98 द्वारा जिन सरकारी आवास में रहने वाले लोक सेवकों की सूचियां विभागाध्यक्ष कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, उनमें से कितने सेवकों ने सरकार से भवन निर्माण अग्रिम लेकर लखनऊ जनपद में स्वयं के मकान बनवा लिये हैं ? कितने ने भवन निर्माणोपरान्त भवन मरम्मत हेतु अग्रिम ले लिया है ? उक्त प्रकरण में कितने लोक सेवकों द्वारा भवन निर्माण अग्रिम फार्म में यह अंकित किया गया है कि वे निर्मित भवन में स्वयं प्रवास करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिंचाई विभाग में उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति उनसे कार्य लेने की समीक्षा एवं वेतन भत्तों में खर्च की जानकारी

101–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति के उपरान्त किस-किस अनुवादक ने किन-किन तिथियों में कार्य भार ग्रहण किया ? कार्यभार ग्रहण के उपरान्त से दिनांक 30-4-1998 तक प्रत्येक अनुवादक द्वारा कुल कितने पत्रों का अनुवाद किया गया ? उक्त अवधि में प्रत्येक अनुवादक द्वारा वेतन-भत्तों एवं अन्यान्य प्रकार के मदों में कुल कितनी धनराशि राजकीय कोष से प्राप्त की जा चुकी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिंचाई विभाग के अवर अभियन्ताओं की स्थानान्तरण नीति के आधार पर स्थानान्तरण न किये जाने की शिकायत

102—श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सत्र 1996-97 में स्थानान्तरण नीति का उल्लंघन करते हुए कितने ऐसे अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण नहीं किया गया जिन्हें एक ही जनपद में तैनात रहते हुए दस वर्ष हो चुके थे ? कितने ऐसे अवर अभियन्ता थे जिन्हें एक ही राजस्व मण्डल में तैनात रहते हुए पन्द्रह वर्ष हो चुके थे, फिर भी नीति अनुसार उनका स्थानान्तरण नहीं हुआ ? कितने ऐसे अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण उक्त सत्र में नीति विरुद्ध किया गया जिन्हें एक खण्ड के अन्तर्गत तैनात हुए एक वर्ष या उससे कम समय हुआ था ? कितने अवर अभियन्ता (सिविल) की पदस्थापना में नीति विरुद्ध उनके निवास जनपदों में की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम के कर्मचारियों के वेतन भुगतान का मामला

103—श्री दद्दू प्रसाद–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम के कर्मचारियों का वेतन भुगतान विगत कितने माह से नहीं किया गया ? वेतन भुगतान न होने के क्या कारण हैं ? क्या निगम के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु सरकार धन उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या इस निगम के संविलियन का निर्णय शासन स्तर पर ले लिया गया है ? यदि हां, तो किस निगम या विभाग में इस निगम के कर्मचारियों को समायोजित किया जायेगा ?

श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

विगत माह नवम्बर, 1997 से वेतन भुगतान नहीं किया गया ।

निगम की आर्थिक स्थिति खराब होने से धनाभाव के कारण शासन द्वारा उत्तर प्रदेश तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम को उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में संविलियन के लिये गये निर्णय से क्षुब्ध होने की स्थिति में उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के कर्मचारी संघ द्वारा मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गयी । मा० उच्च न्यायालय में संविलियन संदर्भी शासनादेश दिनांक 6-6-96 के सापेक्ष दोनों निगमों के मध्य विवाद की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए समस्या के समाधान हेतु मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को इस प्रकरण में अन्तिम निर्णय लेने हेतु आदेश दिये । तदनुसार मुख्य सचिव द्वारा आदेश पारित किये गये हैं जिसमें नियमानुसार आवश्यक उच्च स्तरीय आदेश प्राप्त करते हुए विधिवत् कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा है जिसके संदर्भ में समुचित अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ।

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में कार्यरत कम्पाउन्डरों/भेषजिकों की सेवा नियमावली प्रख्यापित किये जाने का प्रकरण

104—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दस राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में कार्यरत कम्पाउन्डरों/भेषजिकों का स्थायीकरण सेवा नियमावली, प्रख्यापित किया जाना, कार्यदायित्वों

निर्धारण किया जाना, पदनाम फार्मेसिस्ट किया जाना, आदि समस्याओं का प्रकरण कई वर्षों से शासन स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो उसका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में कार्यरत कम्पाउन्डरों/भेषजिकों की सेवा नियमावली प्रख्यापित किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है । सेवा नियमावली के प्रख्यापन के उपरान्त उनकी सेवा के अधिष्ठान सम्बन्धी समस्याओं का समाधान हो जायेगा ।

इस बिन्दु पर शीघ्र ही अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा ?

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों के फर्जी दाखिले दिखाकर छात्रवृत्ति के रूप में करोड़ों रुपये हड़पने का मामला

105—श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों के फर्जी दाखिले दिखाकर छात्रवृत्ति के रूप में करोड़ों रुपये हड़पे जाने का मामला इस वर्ष रायबरेली जिले में पकड़ा गया है ? यदि हां, तो इस प्रकार के धन हड़पने की कार्यवाही को रोकने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

106—श्री श्याम देव राय चौधरी–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

107—श्री श्याम देव राय चौधरी–

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

सम्पे गोसिया माइनारिटी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल सहेड़ी, नन्दगंज, गाजीपुर में चिकित्सक के रूप में फर्जी डिग्री दिये जाने का मामला

108—श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या सम्पे गोसिया माइनारिटी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल सहेड़ी नन्दगंज, गाजीपुर को छात्रों को चिकित्सक के रूप में उन्हें डिग्री या डिप्लोमा देने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है ? यदि नहीं, तो भारी प्रवेश शुल्क लेकर प्रवेश हेतु पंजीयन किस प्रकार किया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त विद्यालय/कालेज के अवैध संचालन को रोकने हेतु वैधानिक कार्यवाही करेगी ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जी नहीं ।

शासन के संज्ञान में इस प्रकार की जानकारी नहीं आयी ।

यह एक अवैध संस्था है और शासन द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इस संस्थान को बन्द कराने तथा इसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने हेतु शासनादेश दिनांक 14 अगस्त, 97 द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त को निर्देश दिये गये हैं।

परिकल्प निदेशालय, लखनऊ के अन्तर्गत वर्तमान में तकनीकी स्टाफ की श्रेणीवार तथा उनके द्वारा निष्पादित कार्यों की जानकारी

109—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के परिकल्प निदेशालय के अन्तर्गत वर्तमान में कुल कितने अभियन्ता (श्रेणीवार) वास्तुविद तथा ड्राइंगस्टाफ व अन्य तकनीकी स्टाफ की स्थापन है ? उक्त अधिष्ठान पर प्रतिमाह औसतन कितना राजस्व का व्यय है ? उक्त निदेशालय में वर्ष 1996-97 के मध्य कितनी डिजाइनें अन्तिम करके ड्राइंग्स बनाई गई हैं ? इस निदेशालय की उपयोगिता किन मापदण्डों पर आकलित की जाती है जबकि वर्ष 1997-98 हेतु मानक व्यय के पक्के कार्य लगभग नगण्य हैं ? निदेशालय में तैनात अभियन्ताओं को वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन क्यों दिया जाता है जबकि उनके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्य उनके कर्तव्यान्तर्गत आते हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

परिकल्प निदेशालय, लखनऊ के अन्तर्गत वर्तमान में तकनीकी स्टाफ (श्रेणीवार) निम्नवत् पदस्थापित हैं :—

पदनाम	संख्या
मुख्य अभियन्ता	1
निदेशक, परिकल्प निदेशालय	1
अधीक्षण अभियन्ता	4
वरिष्ठ वास्तुविद	1
अधिशासी अभियन्ता	19
अधिशासी अभियन्ता (नव प्रोन्नत पदस्थापना प्रतीक्षित)	15
वास्तुविद	1
सहायक अभियन्ता	49
अवर अभियन्ता	4
संगणक	11
मुख्य वास्तु प्रारूपकार	2
प्रारूपकार/ट्रेसर	88
वास्तु प्रारूपकार	13
मौडलर	1

उपरोक्त तकनीकी अधिष्ठान पर प्रतिमाह लगभग रु० 22.97 लाख का व्यय होता है।

निदेशालय में वर्ष 1996-97 के मध्य 263 ड्राइंगें अन्तिम करके निर्गत की गयी।

वृहत एवं मध्य परियोजनाओं के निर्माण में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के नवीनतम तकनीकी ज्ञान एवं शोध को समाविष्ट कर कार्य स्थल के आवश्यकता के अनुरूप सुरक्षित, कम लागत एवं उच्च स्तर के निर्माण को परिकल्पित करना निदेशालय का उद्देश्य एवं उपयोगिता है ।

जी नहीं ।

नवीनतम तकनीकी ज्ञान एवं शोध को समाविष्ट कर उच्च स्तर के निर्माण को परिकल्पित करने हेतु पूर्व में प्रस्तावित अलग संवर्ग बनाये जाने के बजाय अभियंत्रण संवर्ग को शासनादेश संख्या–1583/23-सिं-1/87/342/85, दिनांक 7-3-87 के आधार पर तथा वास्तुकी संवर्ग को शासनादेश संख्या–अ–51/23-सिं–8/81अ/81, दिनांक 4-2-1982 एवं जी–1–993/दस-219/89, दिनांक 15-7-1989 के आधार पर विशेष वेतन दिया जा रहा है ।

लखनऊ खण्ड शारदा नहर के चतुर्थ उपखण्ड के सब डिवीजनल आफिसर द्वारा कैनाल कालोनी परिसर में अवैध रूप से विद्युत उपभोग का मामला

110—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ खण्ड, शारदा नहर के चतुर्थ उपखण्ड के सब डिवीजनल आफिसर (श्री डी० बी० गम्भीर) के पत्रांक 4447/आर०–8, दिनांक 17-9-97 द्वारा कैनाल कालोनी परिसर में अवैध रूप से विद्युत का उपभोग कर राजस्व की हानि करने वाले, जिन 69 लोक सेवकों की सूची प्रसारित की गयी है, क्या उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित करके उनके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? उक्त परिपत्र के निर्गमन से पूर्व उपरोक्त सब डिवीजनल आफिसर द्वारा कैनाल कालोनी के रिहायशी क्षेत्रों में बिजली का अवैध रूप से (बिना मीटर लगाये) उपभोग करने वालों की जो सूची स्थलीय निरीक्षणोपरान्त बनाकर उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत की गयी थी, उस पर समुचित कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों का नाम/पद क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

69 विद्युत के अवैध संयोजनों में से 29 के वैध मीटर लगाये जा चुके हैं एवं शेष के अवैध विद्युत संयोजना विच्छेदित कर दिये गये थे ? अतः अब निलम्बन की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है ।

उक्त परिपत्र के निर्गमन से पूर्व उपरोक्त सब डिवीजनल आफिसर (श्री डी० बी० गम्भीर) द्वारा स्थलीय निरीक्षण के बाद अवैध रूप से बिना मीटर लगाये बिजली का उपभोग करने वालों की कोई सूची उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत नहीं की गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला छत्रपति साहूजी महाराज नगर में सेरावल पश्चिम बताई व चिल्ली मल पम्प कैनाल को ठीक कराने की मांग

111—श्री दद्दू प्रसाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला छत्रपति साहूजी महाराज नगर में क्या सेरावल, पश्चिम बताई व चिल्ली मल पम्प कैनाल खराब है ? यदि हां, तो इन तीनों पम्प कैनाल को संचालित करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों के उत्थान एवं विकास के लिये सरकारी योजनाओं की जानकारी

112—श्री दद्दू प्रसाद–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों के उत्थान एवं विकास के लिये सरकार क्या-क्या योजनायें चला रही है ? सरकार अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये और भी योजनायें चलाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

उ० प्र० शासन समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों के उत्थान एवं विकास के लिए निम्न योजनायें चला रहा है :—निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, बालक/बालिकाओं के लिये छात्रावास/राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के भवन निर्माण संचालन एवं उच्चीकरण, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण/संचालन, स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों के रख-रखाव हेतु आर्थिक सहायता, एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं द्वारा गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के कार्यक्रम, कृषि बागवानी, कुटीर उद्योग एवं सहकारिता कार्यक्रम आदि संचालित किये जाते हैं । जन चिकित्सीय सुविधाएं, उत्पीड़न होने पर उत्पीड़ित व्यक्ति/परिवार को आर्थिक सहायता, आवासीय सुविधा का विकास, अवस्थापना सुविधा तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु सामुदायिक केन्द्रों पर टी० वी० सेट उपलब्ध कराया जाना भी सम्मिलित है ।

इसके अतिरिक्त अन्य विकास विभागों द्वारा भी मात्राकृत धनराशि से अनुसूचित जनजातियों के उत्थान एवं विकास हेतु कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं ।

प्रदेश की विषम आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सम्प्रति उक्त के अतिरिक्त कोई और योजना प्रस्तावित नहीं है ।

जिला छत्रपति साहूजी महाराज नगर में अनुसूचित जाति छात्रावास निर्माण की घोषणा के उपरान्त न बनाये जाने के कारणों की जानकारी

113—श्री दद्दू प्रसाद–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6 मई, 1997 को तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा बांदा में मऊ जिला छत्रपति साहूजी महाराज नगर में एक अनुसूचित जाति छात्रावास निर्माण कराये जाने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो छात्रावास के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री हरीश चन्द्र ''हरीश जी''–

जी हां ।

छात्रावास निर्माण में विलम्ब का कारण चयनित स्थल पर निर्माण प्रारम्भ के समय स्थानीय लोगों द्वारा उठाया गया भूमि सम्बन्धी विवाद है ।

114—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद संत रविदास नगर विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में ग्राम बेरवापहाड़, ओझापुर तथा कई ग्रामों में पेयजल की आपूर्ति न होने के बावजूद बिलों के भुगतान का मामला

115—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद संत रविदास नगर विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में ग्राम बेरवापहाड़पुर ओझापुर तथा कई ग्रामों में पेयजल कनेक्शन इनारगांव से संबंधित है ? क्या यह सही है कि उपभोक्ताओं को बिना पानी की आपूर्ति प्राप्त किये ही उसके बिलों का भुगतान करना पड़ता है ? इसमें सुधार हेतु सरकार की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । वर्तमान में ग्राम गोपालपुर जगदीशपुर एवं बेरवा पहाड़पुर के सभी निजी संयोजनों, जो कि 18 नगर है, में वर्तमान में पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है । इन संयोजन धारकों को मार्च, 98 में पानी का बिल भेजा गया था परन्तु किसी भी संयोजन धारक द्वारा बिल के विरुद्ध धनराशि जमा नहीं की गयी । इन संयोजन धारकों के बिलों में जिस अवधि में जलापूर्ति बाधित रही है, उस अवधि का बिल चार्ज न करते हुए संशोधित बिल भेजे जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

जलापूर्ति ग्रामों में सुधार हेतु पाइप लाइन सुदृढ़ीकरण की योजना नीदरलैंड एम्बेसी को फरवरी, 97 में प्रेषित की जा चुकी है क्योंकि जनपद सन्त रविदास नगर के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में इनारगांव ग्राम समूह पेयजल योजना डच सरकार की सहायता से क्रियान्वित की गयी है । उक्त योजना पर नीदरलैंड एम्बैसी की स्वीकृति अपेक्षित है । स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् बिछी हुई पाइप लाइनों की टूट फूट व बस्तियों के नये हिस्से एवं नयी बस्तियों में पाइप लाइन के विस्तार का कार्य किया जा सकेगा । इस योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् इनारगांव योजना के समस्त ग्रामों की सभी बस्तियों में पेयजल उपलब्ध होने लगेगा । प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त रविदास नगर के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में बन्द पड़े नलकूपों को चालू कराये जाने की मांग

116—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में कितने नलकूप बन्द हैं तथा कितने का बोरिंग असफल है ? क्या इन्हें सुधारने का प्रयास किया गया ? यदि हां, तो कब और क्या प्रयास किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सप्ताहान्त 11-6-98 को जनपद संत रविदास नगर की विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में यांत्रिक दोष से 23 तथा विद्युत दोष से 8 नलकूप बन्द थे, दो नलकूपों की बोरिंग असफल रही । यांत्रिक दोष से बन्द नलकूपों में से 6 नलकूप चालू किये जा चुके हैं । विद्युत दोष से बन्द नलकूपों को ठीक कराये जाने के लिये अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, भदोही के स्तर पर संयुक्त बैठक की गयी है और उनके द्वारा अतिशीघ्र दोष निवारण का आश्वासन दिया गया है । असफल दोनों नलकूपों के पुनः निर्माण कराये जाने की स्वीकृति मिल चुकी है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

117—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[3सरे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 198 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बांदा जनपद में माडक बांध के रिसाव का मामला

118—श्री दद्दू प्रसाद–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 6 मई, 1997 को तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा बांदा में माडक बांध के रिसाव रोकने हेतु एक परियोजना की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो परियोजना के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

बांदा जनपद में माडक नाम का कोई बांध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला छत्रपति साहूजी महाराजनगर के ग्राम रैपुरा में गुन्टा बांध टूटने के कारणों की जानकारी

119—श्री दद्दू प्रसाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला छत्रपति साहूजी महाराजनगर में इस वर्ष निर्मित कराये गये ग्राम रैपुरा में गुन्टा बांध टूट गया है ? यदि हां, तो इसके टूटने के क्या कारण हैं ? शासन क्या इस संबंध में उच्च स्तरीय तकनीकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस प्रकरण में विभागीय जांच का क्या औचित्य है ? क्या इस संबंध में सिंचाई विभाग व नलकूप निगम के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा कायम करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, निर्माणाधीन गुन्टा नाला बांध दिनांक 1-9-97 को क्षतिग्रस्त हो गया था ।

अभी तक इसके क्षतिग्रस्त होने के निश्चित कारणों के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है ।

बांध के टूटने की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच एक समिति के माध्यम से करायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासकीय क्षति को देखते हुए निर्माण एवं रख-रखाव कार्य में कमियों का पता लगाने एवं दोषी कार्मिकों को दण्डित करने हेतु विभागीय जांच का पूर्ण औचित्य है ।

बांध के क्षतिग्रस्त होने के निश्चित कारणों का पता लगने पर समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद पौड़ी, द्वारिखाल विकास क्षेत्र के अन्तर्गत बागी अम्बेडकर गांव की सिंचाई नहर चालू किये जाने की मांग

120—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या पौड़ी जनपद में द्वारिखाल विकास क्षेत्र के अन्तर्गत बागी अम्बेडकर गांव की सिंचाई नहर बन्द है ? यदि हां, तो क्या उक्त नहर को पुनः चालू करने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो नहर कब तक चालू हो जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

वित्तीय वर्ष 1998-99 में नहर चालू कराने का प्रस्ताव है ।

जनपद महाराजगंज में फरेन्दा अस्पताल में डाक्टरों की नियुक्ति, एक्सरे प्लाण्ट आदि सुविधाएं उपलब्ध किये जाने की मांग

121—श्री विनोद मणि–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महाराजगंज में निर्मित 30 शैय्या अस्पताल पर डाक्टरों की नियुक्ति कब तक हो पायेगी ? क्या उक्त अस्पताल पर एक्स-रे प्लाण्ट व अन्य सभी सुविधाएं हैं ? यदि नहीं, तो कब तक अस्पताल में उक्त सुविधायें उपलब्ध हो जायेंगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

जनपद महाराजगंज के फरेन्दा में 30 शैय्या युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अधीक्षक, दो साधारण ग्रेड चिकित्सक और एक दन्त चिकित्सक के पद पर चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं । शेष रिक्त पदों पर अतिशीघ्र नियुक्ति कर दी जायेगी ? उक्त चिकित्सालय में एम्बुलेंस सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं और एक्स-रे प्लाण्ट क्रय कर शीघ्र ही स्थापित कर दिया जायेगा । तत्पश्चात् एक्स-रे की सुविधा भी उपलब्ध हो जायेगी ।

जनपद अम्बेडकर नगर की नवीन तहसील आलापुर के एक निवासी परिवार के नाम राजकीय चिकित्सालय नामकरण किये जाने का मामला

122—श्री शेर बहादुर सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1997 के पहले बुधवार को उत्तरित अता० प्र० सं०–19 के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परीक्षण किस स्तर पर कराया गया तथा परीक्षण में क्या तथ्य प्रकाश में आये और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

प्रकरण का शासन स्तर पर परीक्षण किया गया । यह प्रकाश में आया कि इस चिकित्सालय के नामकरण की संस्तुति तत्कालीन जिलाधिकारी व निदेशक आयुर्वेद ने की थी तथा इसका शिलान्यास तत्कालीन महामहिम ने 7-12-95 को उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया था । परीक्षणोपरान्त इस चिकित्सालय का नाम यथावत बनाये रखने का निर्णय लिया गया ।

प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में औषधियों के वितरण/क्रय हेतु अपनायी जा रही प्रक्रिया की जानकारी

123—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में प्रदेश के प्रथम श्रेणी के सरकारी अस्पतालों में वितरण हेतु औषधि के क्रय की क्या प्रक्रिया निर्धारित है ? क्या सरकार को ज्ञात है कि औषधि के क्रय में मांगे गये टेण्डरों के आधार पर आपूर्ति की जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता अत्यन्त निम्न स्तर की होने के फलस्वरूप रोगी अस्पतालों से दवा न लेकर बाजार से उसे क्रय करते हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करवा कर निर्धन रोगियों को निम्न स्तर की दवाओं से मुक्ति दिलाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में औषधियों के वितरण/क्रय की प्रक्रिया विभाग द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित है :––

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आय-व्ययक में औषधियों के क्रय हेतु आवंटित कुल धनराशि का 80% बजट सीधे परिधिगत अधिकारियों के निस्तारण पर रखा जाता है, जिससे मास्टर सूची में उल्लिखित औषधियों का क्रय डी० जी० क्यू० ए०/डी० आई० (एस० पी० एस०) में पंजीकृत अथवा जी० एम० पी० प्रमाण पत्र धारक सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की फर्मों से प्राप्त निविदा में न्यूनतम दर कोड करने वाली फर्म की दरों को केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है । अनुमोदित औषधियां, तथा उनकी दरों फर्मों की सूची समस्त परिधिगत अधिकारियों को भेज दी जाती हैं । परिधिगत अधिकारी अपनी आवश्यकता एवं बजट के अनुसार अपने जनपद की क्रय समिति के माध्यम से मानक सूची में उल्लिखित दवाओं का क्रय करते हैं । उक्त के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर परिधिगत अधिकारियों द्वारा डी० जी० एस० एण्ड डी०/ई० एस० आई० दर अनुबन्ध में अनुमोदित दरों पर भी दवाओं का क्रय किया जाता है ।

अवशेष 20% धनराशि, जो कि केन्द्रीय औषधि भण्डार के निस्तारण पर रखी जाती है, से मात्रा अनुबंध/ब्रान्ड नेम के अन्तर्गत मास्टर सूची में उल्लिखित उन जीवन रक्षक एवं खतरनाक श्रेणी की औषधियों का क्रय किया जाता है, जिनके क्रय में परिधिगत अधिकारियों को कठिनाई होती है । सर्वप्रथम परिधिगत अधिकारियों से प्राप्त औषधियों की मांगों से, औषधि समीक्षा समिति द्वारा औषधियों का चयन किया जाता है । तत्पश्चात् चयनित औषधियों हेतु सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की ऐसी फर्में, जिनका कि स्वयं का डी० जी० क्यू० ए०/डी० आई० (एस० पी० एस०) में आइटम वाइज पंजीकरण होता है अथवा जी० एम० पी० प्रमाण-पत्र धारक फर्मों के न्यूनतम दर कोट करने वाली फर्म से, केन्द्रीय क्रय समिति की संस्तुति एवं उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदन के पश्चात् केन्द्रीय औषधि भण्डार द्वारा औषधियों का क्रय किया जाता है । क्रय की गई प्रत्येक औषधि के रेण्डम बैचेज का विश्लेषण राजकीय जन-विश्लेषक द्वारा कराया जाता है । मानक स्तर पर पाई गई औषधियों का ही वितरण एवं भुगतान किया जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्रय की गई प्रत्येक औषधि के रेंडम बैचेज का विश्लेषण राजकीय जन-विश्लेषक द्वारा कराया जाता है । मानक स्तर की पाई गई औषधियों का ही वितरण किया जाता है । अधोमानक स्तर की पाई गई औषधियों के निर्माताओं के विरुद्ध संगत नियमों के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जाती है । परिधिगत अधिकारियों द्वारा क्रय की गयी औषधियो का भी नमूनों के विश्लेषण की व्यवस्था है ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गोण्डा/बलरामपुर द्वारा दिनांक 10-10-96 से 15-4-98 के बीच अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण

124—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 30-10-1996 से 15-44-1998 के बीच में जिला ग्राम विकास अभिकरण गोण्डा/बलरामपुर द्वारा पैक्स फैड को तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा की तथा डी० पी० ए० पी० प्रथम/द्वितीय को कितनी धनराशि किस-किस कार्य के लिये जनपद के विकास खण्ड को

आवंटित किया गया है ? क्या यह सही है कि कार्यदायी विभागों ने मिट्टी का कार्य ट्रैक्टर व ठेकेदारी प्रथा से कराया है और मानव दिवस का सृजन नहीं किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार भ्रष्टाचार निवारण संगठन तथा अपराध अनुसंधान शाखा से जांच कराकर कार्यदायी विभागों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां। दिनांक 10-10-96 से 15-4-98 के बीच जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गोण्डा/बलरामपुर द्वारा निम्न विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की गयी :––

विभाग का नाम	विकास खण्ड का नाम	अवमुक्त धनराशि	कार्य का नाम
पैक्सफैड	गेंडास बुजुर्ग	12.31 लाख	सम्पर्क मार्ग
डी० पी० ए० पी० प्रथम	उतरौला	45.41 लाख	भूमि संरक्षण कार्य बांध एवं नाला निर्माण
,, ,,	गैंडास बुजुर्ग	2.500 लाख	बांध निर्माण
,, ,,	श्रीदत्तगंज	1.600 लाख	बांध निर्माण
डी० पी० ए० पी० द्वितीय	श्रीदत्तगंज	41.88 लाख	भूमि संरक्षण कार्य एवं ड्रेन तथा नाला निर्माण
,, ,,	गैंडास बुजुर्ग	7.18 लाख	भूमि एवं जल संरक्षण
ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	श्रीदत्तगंज	28.61 लाख	सम्पर्क मार्ग कार्य
,, ,,	उत्तरौला	25.66 लाख	सम्पर्क मार्ग कार्य
,, ,,	गैंडास बुजुर्ग	21.26 लाख	,, ,,

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला फैजाबाद में परगनाधिकारी अकबरपुर व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा एक मुस्लिम जाति के व्यक्ति को फर्जी अनुसूचित जाति की सुविधा दिये जाने की शिकायत

125—श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधिकारी, फैजाबाद ने अपने पत्र संख्या 931 (एस० टी०) मिसशि० जांच–93, दिनांक 15-4-93 द्वारा परगनाधिकारी अकबरपुर व मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद को एक मुस्लिम जाति के व्यक्ति द्वारा फर्जी तरीके से अनुसूचित जाति होना दर्शाकर शासन द्वारा मिलने वाली सुविधाओं को प्राप्त करने की प्रथम जांच करने व प्राप्त धन की वसूली सुनिश्चित करने व तद्नुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश किया था ? यदि हां, तो आदेश के अनुरूप परगनाधिकारी ने प्रथम सूचना दर्ज कराकर जांच करायी ? यदि हां, तो कब और किस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री हरीश चन्द्र "हरीश जी"–

जी हां।

खण्ड विकास अधिकारी, अकबरपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी । दिनांक 28-5-94 को थाना मालीपुर, जनपद फैजाबाद सम्प्रति अम्बेडकरनगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी । प्रश्न ही नहीं उठता ।

126—श्री राम विशुन आजाद—

[दिनांक 19-6-98 को अता० प्र० सं०— 201 द्वारा उत्तरित]

मान्ट ब्रांच गंगा नहर मथुरा द्वारा कराहरी नाले के निर्माण हेतु अधिगृहीत की गयी जमीन के मुआवजे की मांग

127—प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मान्ट ब्रांच, गंगा नहर, मथुरा द्वारा वर्ष 1985 में कराहरी नाले के निर्माण हेतु दिनांक 26-4-85 को कराहरी गांव के किसानों की भूमि पर कब्जा लिया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अधि०अभि० मांट ब्रांच ने अपने पत्रांक 1167/मांट/एल—21, दिनांक 20-3-97 द्वारा इस अधिगृहीत जमीन के मुआवजे के लिए धन प्राप्त करने की मांग शासन से की थी ? यदि हां, तो क्या अब तक इस पर कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त रविदास नगर में ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में डुहिया इनारगांव में पेयजल की समस्या

128—श्री गोरखनाथ पाण्डेय—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद संत रविदास नगर में ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में डुहिया इनारगांव दानी पट्टी में पेयजल की घोर समस्या है ? क्या यह सही है कि इनारगांव पेयजल टंकी से कनेक्शन चार्ज (धनराशि) दो वर्षों से दिया गया किन्तु पानी कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? इन्हें पेयजल कनेक्शन कब तक दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं ।

जी हां । यह सही है कि इनारगांव पेयजल टंकी से नया कनेक्शन चार्ज (धनराशि) लिया गया है परन्तु इन नये कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु ग्रामों में पाइप लाइन विस्तार की आवश्यकता है ।

जलापूर्ति ग्रामों में सुधार हेतु पाइप लाइन सुदृढ़ीकरण की योजना नीदरलैंड एम्बैसी को फरवरी 97 में प्रेषित की जा चुकी है उक्त योजना पर नीदरलैंड एम्बैसी की स्वीकृति अपेक्षित है । स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् बस्तियों के नये हिस्से एवं नयी बस्तियों में पाइप लाइन के विस्तार का कार्य किया जा सकेगा ।

जनपद मैनपुरी, फिरोजाबाद में मच्छरों के आतंक से निपटने हेतु दवा के छिड़काव की मांग

129–श्रीमती उर्मिला यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी, फिरोजाबाद में मच्छरों का आतंक बहुत है ? क्या यह सही है कि पहले मच्छरों की दवा छिड़कने का कार्य गांव-गांव किया जाता था ? यदि हां, तो सरकार पुनः मच्छरों की दवा छिड़काने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

जी हां ।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार वर्ष 1998 में छिड़काव कार्य 20 मई, 1998 से प्रारम्भ किया जा चुका है जिसमें जनपद मैनपुरी में 3,80,000 जनसंख्या क्षेत्र में छिड़काव कराया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड जामो में बाल विकास परियोजना द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र कटारी तथा रामपुर चौधरी के बन्द रहने तथा पुष्टाहार फर्जी तरीके से बांटे जाने का मामला

130–श्री तेजभान सिंह–

क्या महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री को जानकारी है कि जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड जामो में बाल विकास परियोजना द्वारा चलाये जा रहे आंगनबाड़ी केन्द्र कटारी तथा रामपुर चौधरी विगत एक वर्ष से बन्द हैं तथा कार्यकत्री गायब है ? क्या यह सही है कि इस केन्द्र का पुष्टाहार आई०सी०डी०एस० द्वारा फर्जी तरीके से बेचा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इस केन्द्र का सत्यापन कराया गया है ? यदि हां, तो कब तथा किस अधिकारी द्वारा ? इसमें कौन दोषी पाये गये हैं ? यदि जांच नहीं हुई तो क्यों ?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्रीमती प्रेम लता कटियार)–

आंगनबाड़ी केन्द्र कटारी तृतीय दिनांक 21-11-97 से 31-12-97 तक बन्द रहा तथा वर्तमान में रामपुर चौधरी केन्द्र बंद है, रामपुर चौधरी के केन्द्र की कार्यकत्री माह सितम्बर, 97 से अनुपस्थित रहने के कारण उसकी सेवाएं 17-3-98 को समाप्त कर दी गयी हैं ?

पुष्टाहार फर्जी तरीके से बेचे जाने का मामला प्रमाणित नहीं हुआ ।

जी हां ।

दिनांक 29-1-98, 12-2-98 एवं 21-3-98 को जांच/सत्यापन जिला कार्यक्रम अधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा कराया गया है । इस प्रकरण में केन्द्र कटारी की आंगनबाड़ी कार्यकत्री तथा संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी दोषी पाई गई हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशालय महिला कल्याण द्वारा विभागीय संस्थाओं में संवासिनियों की नियुक्ति का मामला

131–श्री समरपाल सिंह–

क्या महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि निदेशालय महिला कल्याण द्वारा विभागीय संस्थाओं में संवासिनियों की संवासी की तदर्थ मानदेय संविदा के आधार पर नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो कितनी ? क्या नियुक्ति हेतु कोई वरिष्ठता सूची बनायी गयी ? यदि हां, तो नियुक्त किये गये संवासनियों एवं संवासियों की सूची सदन के पटल पर रखी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

संविदा के आधार पर नियुक्तियां की गयी हैं ।

13 नियुक्तियां की गयी हैं कोई वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई है ।

सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 154 पर)

राजपत्रित पदों पर अस्थाई/संविदा के आधार पर नियुक्ति की सरकारी योजना की जानकारी

132—श्री समरपाल सिंह–

क्या महिला कल्याण व बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या राजपत्रित पदों पर अस्थाई/संविदा के आधार पर नियुक्ति करने का कोई प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि लोक सेवा आयोग के परिधि के अन्दर आने वाले पदों पर निदेशक, महिला कल्याण द्वारा संविदा के आधार पर कोई नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

अस्थायी नियमित नियुक्तियों का प्राविधान है, परन्तु संविदा के आधार पर नियुक्तियां प्रतिबन्धित हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली में बाल सदन व राजकीय कर्मशाला फुरसतगंज में रिक्त अधीक्षिकाओं के पदों को भरे जाने की मांग

133—श्री समर पाल सिंह–

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद रायबरेली में बाल सदन व राजकीय कर्मशाला फुरसतगंज में अधीक्षिकाओं के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उनको भरने के लिये कार्यक्रम बना रही है ? यदि हां, तो कब तक भर दिये जायेंगे ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जी हां । सेवा नियमावली प्रख्यापित होते ही रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

महिला कल्याण विभाग में नर्स संवर्ग में आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

134—श्री समर पाल सिंह–

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला कल्याण विभाग में नर्स संवर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति का आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उसे पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

जी हां ।

संगत सेवा नियमावली के प्राख्यासन के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर में ऊपरी गंगा खण्ड की खुदाई में अनियमितता की जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

135—श्री महेन्द्र कुमार (बुलन्दशहर) तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर में ऊपरी गंगा खण्ड की खुदाई करोड़ों रुपये की भारी भूमिगत मशीनें एवं सैकड़ों यांत्रिक कर्मचारियों के रहते हुए यह कार्य ठेकेदारी के माध्यम से किन परिस्थितियों में कराया जा रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि माह जनवरी, 1995 से मार्च, 1998 के मध्य कार्यरत यांत्रिक कर्मचारियों से क्या-क्या कार्य लिया गया ? खुदाई हेतु कुल कितनी भारी मशीनें हैं ? इन मशीनों से इन्हीं वर्षों में क्या-क्या कार्य लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

समानान्तर ऊपरी गंगा नहर के कि०मी० 189.5 से 197.0 तक 7.56 लाख घन मीटर मिट्टी की खुदाई का कार्य विभागीय मशीनों से कराया गया ।

एक लाख ग्यारह हजार घन मी० मिट्टी की खुदाई का कार्य समानान्तर ऊपरी गंगा नहर पर किया गया ।

वर्तमान में 12 मशीनें हैं ।

वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 97-98 में जनपद बुलन्दशहर में समानान्तर ऊपरी गंगा नहर में कुल, एक लाख ग्यारह हजार घन मी० मिट्टी का कार्य हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महिला कल्याण विभाग में सहायक अधीक्षक, सहायक अधीक्षिका एवं उप अधीक्षिका के सृजित पदों की स्वीकृति तथा वेतनमान में विसंगति की जानकारी

136—श्री समर पाल सिंह—

क्या महिला कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि महिला कल्याण विभाग में सहायक अधीक्षक, सहायक अधीक्षिका एवं उप अधीक्षिका के कुल कितने पद सृजित हैं ? क्या एक ही तरह के कर्तव्यों एवं दायित्वों के होते हुए भी उक्त पद धारकों को दो अलग-अलग वेतनमान स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पद धारकों का वेतनमान एक समान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार—

महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत सहायक अधीक्षक, सहायक अधीक्षिका एवं उप-अधीक्षिका के कुल 93 पद स्वीकृत हैं ।

सहायक अधीक्षक, राजकीय बाल सदन, रायबरेली एवं आजमगढ़ हेतु रु० 4500—7000 एवं अन्य सभी सहायक अधीक्षिकाओं/उप-अधीक्षिका के लिये रु० 4000—6000 के वेतनमान की स्वीकृति हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

137—श्री राम विशुन आजाद—

[दिनांक 23-6-98 को अता० प्र० सं० 182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में श्री अनिल कुमार दुबे, दैनिक श्रमिक के भुगतान का मामला

138—श्री संजय गर्ग—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1998 के पहले बुधवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं०—16 के उत्तर के संदर्भ में क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भुगतान कब और कितनी धनराशि का किया गया है ?, प्राप्ति स्वीकार पत्र दिनांक 13-12-95 तथा 22-3-96 प्रखण्डीय कार्यालय में कब किस दिनांक में प्राप्त हुआ और भुगतान किस तारीख को किया गया ? विलम्ब का क्या कारण रहा ?

श्री मारकण्डेय चन्द—

श्री अनिल कुमार दुबे, दैनिक श्रमिक को रु० 2904.00 की धनराशि का भुगतान दिनांक 2-5-95 को किया गया ।

प्राप्ति स्वीकार पत्र दिनांक 13-12-95 तथा 22-3-96 प्रखण्डीय कार्यालय में क्रमशः दिनांक 27-12-95 तथा दिनांक 27-3-96 को प्राप्त हुआ था । इसके पूर्व ही भुगतान दिनांक 02-5-95 को किया जा चुका है ।

विलम्ब का कोई कारण नहीं है ।

राज्य में विकलांग एक्ट, 1995 के आधार पर विकलांग आयुक्त की नियुक्ति का मामला

139—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य में विकलांग जन एक्ट, 1995 के प्राविधान के तहत विकलांग जन आयुक्त की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि हां, तो 31 मार्च, 1998 तक उक्त अदालत

में कितने विकलांगों की शिकायतें प्राप्त हुई ? क्या आयुक्त ने विकलांगों की शिकायतों के निराकरण हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा–60 के अन्तर्गत विकलांग कल्याण विभाग के पूर्व सचिवों को अपने पद के कार्य के साथ-साथ आयुक्त, विकलांग जन भी नियुक्त किया गया था। वर्तमान में कार्यरत सचिव, विकलांग कल्याण को तद्नुसार नियुक्त किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। किन्तु उक्त अधिनियम की धारा–60(4) के अन्तर्गत अभी तक आयुक्त, विकलांग जन के कार्यालय की विधिवत स्थापना एवं अपेक्षित स्टाफ की स्वीकृति नहीं हो सकी है।

चूंकि अभी तक आयुक्त, विकलांग जन के कार्यालय की विधिवत स्थापना नहीं हुई है अतः आयुक्त, विकलांग जन की अदालत में शिकायतें प्राप्त होने का प्रश्न नहीं उठता। किन्तु आयुक्त विकलांग जन को सम्बोधित 31 मार्च, 1998 तक विकलांग कल्याण विभाग के कार्यालय के अभिलेखानुसार 16 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से 13 आवेदन पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही की गयी है।

जी नहीं।

आयुक्त विकलांग जन के कार्यालय की विधिवत स्थापना एवं स्टाफ की स्वीकृतिं न मिल पाने के कारण।

जनपद वाराणसी में परिवार कल्याण कर्मियों के वेतन भुगतान का मामला

140–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में परिवार कल्याण कर्मियों को विगत 27 माह से वेतन न मिलने तथा उन्हें मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी द्वारा नियमित भुगतान न किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18 नवम्बर, 1997 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां। स्वैच्छिक संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत पोषित योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि में से ही राज्य अनुदान समिति में विचार कर स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किये गये कार्यों के अनुरूप धनराशि की उपलब्धता अनुसार अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान वेतन मद के सापेक्ष नहीं दिया जाता बल्कि स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करने हेतु दिया जाता है।

किसी भी स्वैच्छिक संस्था के कर्मचारियों को वेतन आदि दिये जाने का दायित्व स्वयं संस्था का है। राज्य सरकार द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन भुगतान की व्यवस्था नहीं की जाती है। संस्था के कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं होते हैं।

प्रश्नगत संस्था स्वैच्छिक संस्था है अतएव स्वैच्छिक संस्था के कर्मचारियों को स्थायी वेतन दिये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

मौजा डुरेड़ी, जिला बांदा के गवाइन नाले पर बने चैक डैम के टूट जाने के कारण पुनः निर्मित किये जाने की मांग

141—श्री दद्दू प्रसाद–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजा डुरेड़ी, जिला बांदा के बवाइल नदी को रोककर जो चैकडैम बनवाया गया था टूट गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका दुबारा निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जनपद बांदा, मौजा डुरेड़ी में बवाइल नामक कोई नदी नहीं है । मौजा डुरेड़ी, जनपद बांदा में गवाइन नाले पर वर्ष 1986-87 में इन्द्रा पुरवा नाम से एक चैकडैम निर्मित किया गया था, जो टूट गया है ।

जी नहीं ।

कोई भी निर्माण कार्य शासी निकाय की बैठक में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत करने एवं धन प्राप्त होने के पश्चात् ही कराया जाता है और उक्त निर्माण कार्य हेतु न तो कोई प्रस्ताव पारित हुआ है और न ही धन उपलब्ध है ।

अधिशासी निदेशक, राज्य अभिनवीकरण परिवार कल्याण योजना (सिफ्सा) में डिस्पोजेवल डिलवरी किट की आपूर्ति हेतु टेण्डर आमंत्रित करने एवं टेण्डर प्रस्ताव दाता को आपूर्ति विषयक आदेश की जानकारी

142—श्री समर पाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अधिशासी निदेशक, राज्य अभिनवीकरण परिवार कल्याण योजना (सिफ्सा) में डिस्पोजेबल डिलवरी किट की आपूर्ति हेतु टेण्डर प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या निम्न टेण्डर प्रस्ताव दाता को आपूर्ति करने हेतु आदेश दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवार कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टेण्डर प्रस्ताव सिफ्सा द्वारा आमंत्रित ही नहीं किये गये थे ।

महानिदेशालय, उ० प्र० स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के कार्यालय हेतु लेखा परीक्षा संवर्ग के साथ-साथ सांख्यिकीय और लेखा संवर्ग के पदों के सृजन की जानकारी

143—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की संस्तुतियों पर जारी किये गये शासकीय संकल्प संख्या वे०आ०–1590/दस–42(एम)–1980, दिनांक 29 सितम्बर, 1981 के साथ पठित शासनादेश संख्या वे०आ०–1–1802/दस-34(एम)–83, दिनांक 11 अगस्त, 1983 के अनुपालन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें महानिदेशालय, उ० प्र०, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के कार्यालय हेतु लेखा परीक्षा संवर्ग के साथ-साथ सांख्यिकीय और लेखा संवर्ग भी सृजित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त सभी संवर्ग कब तक सृजित कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महानिदेशालय में लेखा सेवा संवर्ग सृजित नहीं है । सम्प्रति लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, उ० प्र० द्वारा लेखा संबंधी प्रशिक्षण प्रदान कर लेखा एवं सांख्यिकीय कार्यों का निष्पादन किया जाता है ।

स्व० डा० आर० पी० गुप्ता, अपर निदेशक ग्रेड अधिकारी पी० एम० एच० एस० संवर्ग के देयकों का उनके आश्रितों को भुगतान

144—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के लखनऊ खण्डपीठ में दायर रिट पिटीशन संख्या 350(एस० बी०)-1997, श्रीमती उमा गुप्ता पत्नी स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश गुप्ता बनाम निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उ० प्र० लखनऊ व अन्य के मामले में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 1997 को पारित किये गये आदेश के अनुपालन में संबंधित पक्ष को पारिवारिक पेंशन एवं अन्य बकाया देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस मामले से संबंधित समस्त भुगतान कब तक कर दिये जायेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री–

स्व० डा० ओ० पी० गुप्ता, अपर निदेशक ग्रेड अधिकारी, पी० एम० एच० एस० संवर्ग के निम्न देयकों का भुगतान उनके आश्रित को किया जा चुका है :—

मद	भुगतान की तिथि
(क) 90 प्रतिशत जी० पी० एफ० का भुगतान धनराशि रु० 1093.00	7-9-96
(ख) 10 प्रतिशत जी० पी० एफ० का भुगतान धनराशि रु० 8711.00	14-2-97
(ग) जी० आई० एस० की धनराशि रु० 1,42,144.00	2-4-96
(घ) मृत्यु के उपरान्त देय उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकदीकरण का धनराशि रु० 48,156.90	
(ङ) 28 दिन उपार्जित अवकाश की धनराशि रु० 45,148.90 का एरियर भुगतान	

स्व० डा० ओ० पी० गुप्ता के अन्य लम्बित देयकों यथा निलम्बन अवधि दिनांक 6-6-95 से 0-7-95 तक की अवधि की वेतन आदि देने, पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी आदि के देयकों के भुगतान स्व० डा० ओ० पी० गुप्ता के विरुद्ध प्रचलित एक अनुशासनिक कार्यवाही में अन्तिम निर्णय न होने के कारण नियमान्तर्गत लम्बित है ।

दि किसान सहकारी चीनी मिल स्नेह रोड, नजीबाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार से सम्बन्धित पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

145—श्री राम जग तथा श्री राम कृपाल–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम स्वरूप सिंह, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 26 मार्च, 1998 जोकि माननीय मुख्य मंत्री एवं माननीय गन्ना विकास मंत्री तथा प्रमुख सचिव, गन्ना एवं आयुक्त/रजिस्ट्रार सहकारी समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० सहकारी चीनी मिल संघ लि०, लखनऊ को सम्बोधित थे तथा जो दि किसान सहकारी चीनी मिल, स्नेह रोड, नजीबाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में थे, संलग्नकों सहित प्राप्त हुए ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर शासन स्तर से जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम आये ? यदि जांच नहीं करायी गयी, तो क्यों ? कब तक जांच पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दिनांक 26 मार्च, 1998 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, परन्तु श्री राम स्वरूप सिंह सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 16 मार्च, 1998 जो मा० मुख्य मंत्री, प्रमुख सचिव, गन्ना एवं आयुक्त/रजिस्ट्रार सहकारी समिति, उ० प्र० लखनऊ तथा प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० सहकारी चीनी मिल को सम्बोधित था, तथा जो दि किसान सहकारी चीनी मिल स्नेह रोड, नजीबाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में था, संलग्नकों सहित प्राप्त हुआ है ।

पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर संघ स्तर से जांच करायी जा रही है .

जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शीघ्र ही जांच पूर्ण कर ली जायेगी ।

जिला छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई हेतु नलकूप स्थापित करने का मामला

146—श्री दद्दू प्रसाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला छत्रपति शाहूजी महाराज नगर में मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई हेतु कितने नलकूप स्थापित हैं ? क्या सिंचाई हेतु अतिरिक्त नलकूप लगाये जाने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो वे कब तक लगा दिये जायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद छत्रपति शाहूजी महाराजनगर के मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र में कोई राजकीय नलकूप स्थापित नहीं है ।

जहां तक इस विधान सभा क्षेत्र में अतिरिक्त नलकूप लगाये जाने के प्रस्ताव होने का प्रश्न है, इस संबंध में अवगत कराना है कि माननीय प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा चार ग्रामों में राजकीय नलकूप लगाने का प्रस्ताव किया गया था । इन ग्रामों का सर्वेक्षण ग्राउण्ड वाटर, जियोफिजिकल सर्वे खण्ड, इलाहाबाद से कराया गया था । सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर जल की उपलब्धता निश्चित न होने के कारण राजकीय नलकूपों का निर्माण कराया जाना साध्य नहीं पाया गया ।

निर्वाचन क्षेत्र पुवायां, जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में नहर विभाग के विकास हेतु स्वीकृत धनराशि तथा उसके उपभोग की जानकारी

147—श्री चेतराम—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र पुवायां, जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में शासन स्तर से नहर विभाग को विकास हेतु कुल कितनी धनराशि प्रदान की गयी थी ? विभागीय जांच के दौरान विकास कार्य बन्द होने के क्या कारण रहे ? क्या सरकार जनहित में स्वीकृत धनराशि से विकास कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सिंचाई कार्य मण्डल सीतापुर में राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना (शारदा नहर खण्ड) शाहजहांपुर के अन्तर्गत तहसील पुवायां में हरदोई ब्रांच सब प्रोजेक्ट के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में 33.59 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था ।

विभागीय जांच में प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने को दृष्टिगत रखते हुए कार्य बन्द करा दिये गये थे ।

सरकार जनहित में स्वीकृत धनराशि से स्वीकृत विकास कार्य कराती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम विकास अभिकरण बांदा में वर्ष 1997-98 मस्टर क्राफ्ट मैनों व प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के अतिरिक्त फर्जी संस्थाओं के संचालन की शिकायत एवं जांच की मांग

148—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम्य विकास अभिकरण, बांदा में कुल कितने मस्टर क्राफ्ट मैनों व प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को अनुमति प्रदान की गयी है ? क्या यह सही है कि परियोजना निदेशक द्वारा कुछ फर्जी संस्थाओं की सूची बढ़ा कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

वर्ष 1997-98 में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत 5 मास्टर क्राफ्ट मैनों व 6 सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को अनुमति प्रदान की गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा विकास खण्ड जसपुरा के अन्तर्गत ग्राम गडरिया को वर्ष 1996-97 में जवाहर योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि तथा उसके दुरुपयोग की शिकायत एवं तकनीकी जांच की मांग

149—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा विकास खण्ड जसपुरा के अन्तर्गत ग्राम गडरिया को वर्ष 1996-97 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी ? क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सेक्रेटरी द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग कर फर्जी बिल वाउचरों द्वारा

भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्यों की सरकार तकनीकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां । जनपद बांदा विकास खण्ड जसपुरा के अन्तर्गत ग्राम गड़रिया को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में रु० 167719.00 की धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी । इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

तकनीकी जांच की गई, जिसमें रुपये 11667/- का अन्तर पाया गया, उक्त अन्तर की धनराशि को दिनांक 28-5-98 को ग्राम सभा संचित निधि खाते में जमा की जा चुकी है ।

जनपद गाजियाबाद में गढ़/ब्रजघाट मेले में की गयी अनियमितता की जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

150—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1993 में जनपद गाजियाबाद में गढ़/ब्रजघाट मेले में बरती गयी अनियमितता के संबंध में क्या विभागीय सम्प्रेक्षा की जांच रिपोर्ट पत्रांक 15फ/ए/59/0176, दिनांक 13 अक्टूबर, 1996 द्वारा शासन को प्राप्त हो गयी ? यदि हां, तो उक्त जांच में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाये गये डा० चन्द्र प्रकाश उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शासनादेश दिनांक 15 मई, 1998 के द्वारा हरिद्वार डा० एस० आर० टोपानी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शासनादेश दिनांक 20 जून, 1998 के द्वारा महोबा, श्री के० जी० गौड़, वरिष्ठ लिपिक को निदेशालय के आदेश दिनांक 13-2-96 के द्वारा हमीरपुर तदन्तर संशोधित कर दिनांक 21-11-96 द्वारा अलीगढ़ एवं श्री एस० सी० उपाध्याय, वरिष्ठ लिपिक को निदेशालय के आदेश दिनांक 13-2-96 द्वारा जनपद बांदा स्थानान्तरित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ़/महामायानगर द्वारा किये गये लाखों के घोटालों के संबंध में शिकायती पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

151—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या परिवार कल्याण मंत्री को जानकारी है कि मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ़/महामायानगर द्वारा किये गये लाखों के घोटालों के संबंध में कोई शिकायती पत्र दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह–

जी हां, श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा का शिकायती पत्र दिनांक 12-12-97 प्राप्त हुआ है ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच अपर निदेशक (यू० आई० पी०) से करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निरोधक संस्था, एच–96 नेहरू नगर गाजियाबाद का केन्द्रीय जांच ब्यूरो सी० जी० काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली को सम्बोधित पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

152—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निरोधक संस्था, एच–96, नेहरू नगर, गाजियाबाद का पत्रांक 102/अ०भा०भ०नि०स०/97/1/12/97, दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 केन्द्रीय जांच ब्यूरो, सी० जी० ओ० काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली को सम्बोधित एवं उन्हें तथा मुख्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण को पृष्ठांकित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई विभाग की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने की कार्यवाही

153—श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई विभाग की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे एवं निर्माण वर्तमान में हो चुके हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? इस संबंध में निर्गत शासनादेशानुसार उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? प्रकरणान्तर्गत मुख्य अभियन्ता (नलकूप–मध्य) के पत्रांक 1959/न०म०/अवैध निर्माण दिनांक 4-4-98 के अनुपालन में अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अद्यावधिक कार्यवाही की क्या स्थिति है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

विश्व बैंक नलकूप कालोनी (पकरी का पुल) आलमबाग, लखनऊ में मन्दिर के अगल-बगल व पीछे अवैध निर्माण किये जाने का प्रकरण प्रकाश में आया है । संबंधित अधिकारियों के प्रयास के बावजूद भी अवैध निर्माण कर लिया गया है तथापि ऐसे मामलों में जांच कराये जाने की व्यवस्था है ।

प्रश्नगत पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अवैध निर्माण को चिन्हित करके उन्हें हटाये जाने हेतु एक समिति का गठन किया गया है ।

लखनऊ जनपद स्थित कैनाल (कैण्ट रोड) के 'एम' ब्लाक की निर्माणार्थ प्राप्त भूमि का लखनऊ खण्ड शारदा नहर द्वारा अधिग्रहीत करने का मामला

154–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद स्थित कैनाल कालोनी (कैण्ट रोड) के "एम" ब्लाक निर्माणार्थ जो भूमि लखनऊ खण्ड शारदा नहर द्वारा अधिग्रहीत की गयी थी, उस संबंध में दायर किये गये वाद संख्या–एल० एस०–56/1971 में सिविल जज, मोहनलालगंज, लखनऊ द्वारा दिनांक 27-3-1972 को दिये गये निर्णय के अनुसार उक्त खण्ड के अधिकारियों द्वारा अब तक क्या कार्यवाही निष्पादित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिंचाई विभाग के भूमि अध्याप्ति निदेशालय में बिहारीपुर एवं फतेहपुर माईनर से संबंधित पत्रावली के गायब होने की शिकायत

155–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के भूमि अध्याप्ति निदेशालय में भूमि-अध्याप्ति प्रकरण विषयक पत्रावली संख्या–438/82, 439/82, 441/82, 442/82 तथा 445/83 जोकि बिहारीपुर एवं फतेहपुर माइनर से संबंधित है गायब होने पर जिस लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी, क्या इस प्रकरण के अभिलेख गायब हो गये हैं ? उक्त प्रकरण पर संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाही प्रकरण की वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

156–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

सिंचाई विभाग में आफीसर्स क्लब कैनाल कालोनी को दिये गये अनुदान की उपयोगिता प्रमाण-पत्र की जानकारी

157–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) के पत्रांक 168/शा० स० अनु०, दिनांक 18-5-1987 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर शासनादेश सं०–3034/बयालिस–230/एस०पी/77, दिनांक 14-9-87 द्वारा आफिसर्स क्लब, कैनाल कालोनी को दिये गये अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उसे पत्रांक 651/बयालिस–93/230/एसपी/7, दिनांक 4-9-1983 के निर्देशों के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किया गया है ? उक्त क्लब द्वारा भवन का व्यावसायिक उपयोग एवं "सराय ऐक्ट की धारा–3" का उल्लंघन करते हुए कितना धनोपार्जन किया जा चुका है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

आफीसर्स क्लब कैनाल कालोनी एक पंजीकृत स्वशासित संस्था है । इस पर सिंचाई विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग में की गयी लिपिकों की अवैध नियुक्ति का मामला

158–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं०–27/2/1974–कार्मिक–2, दिनांक 6-10-81 के उल्लंघन स्वरूप जिन लिपिकों की अवैध नियुक्तियां प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग में की गयी थी ? क्या शासन (सिंचाई–7 अनुभाग) ने अवैध नियुक्तियां समाप्त करके उनके स्थान पर चयन समिति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश वर्ष 1987 में दिये थे ? तदुपरान्त भी बिना अवैध नियुक्तियां समाप्त किये चयन समिति अभ्यर्थियों की जो नियुक्तियां की गयी वे किस वर्ष की रिक्ति के अभिमुख (अगेन्स्ट) थी ? उक्त की गयी नियुक्तियों के कारण क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद–16 (अवसरों की समानता का अधिकार) का उल्लंघन हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । शासनादेश दिनांक 5-3-87 द्वारा तदर्थ नियुक्तियों को समाप्त कर वर्ष 1979-80 की रिक्तियों को जिला चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों से भरने तथा शासनादेश दिनांक 17-9-87 द्वारा उ० प्र० लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर (तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण) नियमावली के प्राविधानों के अधीन पात्र व्यक्तियों को विनियमित किये जाने के निदेश दिये गये थे ।

जिला चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 79-80 की रिक्तियों के विरुद्ध की गयी तथा विनियमितीकरण नियमावली के अधीन 8 कनिष्ठ लिपिकों को वर्ष 1987 की रिक्तियों के विरुद्ध विनियमित किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ खण्ड शारदा नहर में दिवंगत सहायक अभियन्ता (पंचम उपखण्ड) के चार्ज का मामला

159–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ के पूर्व अधिशासी अभियन्ता श्री राणा प्रताप सिंह की कार्यावधि (दूसरी बार) में दिवंगत सहायक अभियन्ता श्री भगवती प्रसाद सक्सेना (पंचम उपखण्ड) के अभिलेखों का चार्ज कितने, किस तिथि में लिया है ? कितने अभिलेख अब तक उपलब्ध नहीं पाये गये हैं ? मृत्यु के पूर्व के भुगतान की चेकों के कार्यों की स्थलीय जांच माप-पुस्तिका के अनुसार करके चेकें किसके माध्यम से वास्तविक ठेकेदारों को हस्तगत करायी गयी ? उक्त जांच किस अधिकारी (नाम एवं पदनाम सहित) द्वारा किस तिथि में सम्पन्न की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दिवंगत सहायक अभियन्ता श्री भगवती प्रसाद सक्सेना (पंचम उपखण्ड) के अभिलेखों का चार्ज श्री कामता प्रसाद, सहायक अभियन्ता ने दिनांक 13-9-94 को प्राप्त किया । जिस सहायक अभियन्ता द्वारा अभिलेखों का चार्ज लिया गया उनके द्वारा किसी अभिलेख के उपलब्ध न होने की कोई जानकारी नहीं दी गई है । चार्ज में प्राप्त अभिलेख 44 पृष्ठों में सूचीबद्ध है ।

मृत्यु के पूर्व श्री सक्सेना द्वारा काटे गये 32 चेकों को श्री कामता प्रसाद सहायक अभियन्ता ने प्राप्त किया जिनमें से 6 चेकों के नवीनीकरण पश्चात् श्री कामता प्रसाद सहायक अभियन्ता द्वारा ही संबंधित ठेकेदारों को दिया गया । शेष 26 चेकें जिनमें से 3 नवीनीकृत है, उपखण्ड में अभी भी उपलब्ध है । ठेकेदारों को हस्तगत कराये गये चेकों के संबंधित कार्यों की स्थलीय जांच माप-पुस्तिका के अनुसार नहीं की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के कैण्ट रोड स्थित कैनाल कालोनी से अनुलग्न हैदर कैनाल की सिंचाई विभाग की कब्जे वाली भूमि पर लगे वृक्षों का भौतिक सत्यापन एवं उसकी आख्या की जानकारी

160–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के कैण्ट रोड स्थित कैनाल कालोनी से अनुलग्न हैदर कैनाल की सिंचाई विभाग के कब्जे वाली भूमि पर लखनऊ खण्ड शारदा नहर के पूर्व अधिशासी अभियन्ता (श्री राम शरण) द्वारा वन विभाग के सहयोग से कितनी व्यय करके कितने वृक्ष लगवाये गये थे ? वर्तमान में उक्तांकित स्थल पर कितने वृक्ष बचे हैं तथा उक्त स्थल पर अवैध कब्जे व

वृक्षों की क्षति के विरुद्ध विभाग के उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा शासन को कब-कब अवगत कराया गया ? इरीगेशन मैनुअल आफ आर्डर्स के प्राविधानों के अनुसार उक्त स्थल पर उपलब्ध वृक्षों का भौतिक सत्यापन किस-किस अधिकारी द्वारा किन तिथियों में किया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मेडिकल कालेजों में पी० जी० पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की जानकारी

161–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मेडिकल कालेजों में पी० जी० पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फरवरी, 1997 में कोई फैसला दिया गया है ? यदि हां, तो वह फैसला क्या है ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जी हां ।

याचिका संख्या–679/95 डा० साधना देवी व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिनांक 19-2-97 द्वारा यह आदेश दिया है कि शासनादेश दिनांक 31-8-95 को निरस्त करते हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम अर्हकारी अंक का प्राविधान किया जाये तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा अर्हकारी अंक न प्राप्त कर सकने के फलस्वरूप आरक्षित कोटे की जो सीटें बच जाती हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जाये ।

जनपद जौनपुर में शारदा सहायक खण्ड–36 के नहर की पटरियों को पक्का करने एवं निर्माण किये जाने की मांग

162–श्री अफजाल अहमद–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में शारदा सहायक खण्ड–36 के नहर की पटरियों को पक्का करने एवं अन्य निर्माण हेतु किसी मा० विधायक का 29-9-97 का कोई पत्र उनको मिला है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

मा० विधायक द्वारा प्रेषित पत्र शा० सहायक खण्ड–36 जौनपुर की शाहगंज रजवाहे की सर्विस रोड को ग्राम राजेपुर से बहाउद्दीनपुर तक पक्का कराये जाने के संबंध में हैं । वर्ष 1998-99 की नहर पटरी पक्का करने की योजना जिला स्तर पर बनाई जायेगी । अतः प्रस्ताव जिलाधिकारी जौनपुर को भेज दिया गया है । अन्य निर्माण के संबंध में शाहगंज रजवाहे के किमी० 24 पर ग्रामीण मार्ग सेतु निर्मित है अतः पैदल पुलिया की आवश्यकता नहीं है ।

9.6 किमी० लम्बी महरांवा ड्रेन के किमी० 4.660 से 4.810 (150 मी०) में खुदाई शेष है । इसे इस वर्ष पूर्ण करा लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

163–श्री अफजाल अहमद–

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

जनपद आजमगढ़ में लगे इण्डिया मार्क–2 के खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराने की मांग

164–श्री नरेन्द्र सिंह (आजमगढ़)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में कितने इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प इस समय खराब पड़े हैं ? क्या सरकार के पास इन हैण्ड पम्पों को ठीक करने के लिये कोई योजना है ? यदि हां, तो इन्हें कब तक ठीक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद आजमगढ़ में दिनांक 31-5-98 की स्थिति के अनुसार निम्नानुसार हैण्डपम्प खराब है :

अस्थाई रूप से खराब	80
जी० आई० पाइप की खराबी के कारण प्रभावित	400
स्थायी रूप से खराब	311

जी हां ।

अस्थायी रूप से खराब हैण्डपम्प को ब्लाक स्तर पर नियुक्त हैण्डपम्प मैकनिकों द्वारा मरम्मत किये जा रहे हैं । जी० आई० पाइप के खराबी के कारण प्रभावित हैण्डपम्पों तथा स्थायी रूप से खराब हैण्डपम्पों को भी ठीक कराने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

समाज कल्याण निर्माण निगम के महाप्रबन्धक (निर्माण) के विरुद्ध वर्ष 1996 में दहेज उत्पीड़न, रिश्वत लेने की शिकायत पर जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

165–श्री संजय गर्ग तथा श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि समाज कल्याण निर्माण निगम के महाप्रबन्धक (निर्माण) के विरुद्ध वर्ष 1996 में दहेज उत्पीड़न का मामला महानगर थाना लखनऊ में दर्ज हुआ था ? क्या यह सही है कि रिश्वत लेने के मामले में सतर्कता विभाग का छापा भी उसी वर्ष उनके कार्यालय कक्ष में पड़ा था ? क्या उनके विरुद्ध अन्य दस मामलों में सतर्कता विभाग की एक विभागीय जांच चल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध तत्काल कोई कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जी हां ।

श्री विनोद कुमार चोपड़ा, महाप्रबन्धक (निर्माण) सह मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध थानाध्यक्ष, गाजीपुर, लखनऊ का पत्र दि० 2-7-96 प्राप्त हुआ था जिसमें श्री चोपड़ा के विरुद्ध श्री ओम प्रकाश साहनी द्वारा मु०अ०स०–498 ए० आई० पी० सी० एवं 3/4 की एक्ट का अपराध पंजीकरण कराये जाने की सूचना देते हुए उनकी गिरफ्तारी हेतु मदद मांगी गयी थी इस संबंध में श्रीमती कमलारानी चोपड़ा एवं अन्य द्वारा मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ में याचिका दायर की गयी थी जिस पर विचारोपरान्त मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25-11-97 को पारित निर्णय में प्रश्नगत एफ० आई० आर० तथा विवेचना को रद्द कर दिया गया है ।

उ० प्र० सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ, परिक्षेत्र, लखनऊ की टीम द्वारा दिनांक 17-6-96 को श्री विनोद कुमार चोपड़ा महाप्रबन्धक (निर्माण) सह मुख्य अभियन्ता के उ० प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०, के पंजीकृत कार्यालय स्थित कक्ष में श्री नीलकमल सिंह, अवर अभियन्ता, उ० प्र० समाज

कल्याण निर्माण निगम लि०, से रु० 2,000/- की रिश्वत लिये जाने हेतु छापा मारा गया था किन्तु छापे में कोई भी आपत्तिजनक (वस्तु) बरामद नहीं हुई ।

श्री विनोद कुमार चोपड़ा के विरुद्ध कतिपय मामलों में परिसम्पत्तियों की खुली जांच सतर्कता विभाग के विचाराधीन है । सतर्कता विभाग की आख्या प्राप्त होने पर तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बागपत/मेरठ में लगे सरकारी नलकूपों को ठीक कराये जाने की मांग

166–श्री समरपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत/मेरठ में कितने सरकारी नलकूप हैं ? उनमें से कितने खराब हैं ? क्या सरकार उनको ठीक कराने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद–बागपत/मेरठ में क्रमशः 221 व 347 राजकीय नलकूप कार्यशील हैं जिनमें से जनपद–बागपत में यांत्रिक दोष से 77 तथा विद्युत दोष से 9 एवं जनपद मेरठ में यांत्रिक दोष से 11 व विद्युत दोष से 8 नलकूप अस्थायी रूप से खराब हैं जिन्हें ठीक कराने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

प्रान्तीय चिकित्सा सेवा से संयुक्त निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के पद से सेवा निवृत्त डा० राघवेश प्रसाद के अवशेषों के भुगतान का मामला

167–श्री तेजभान सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय चिकित्सा सेवा से संयुक्त निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के पद पर से दिनांक 1-3-96 को सेवा निवृत्त हुए राघवेश प्रसाद को वेतन, भत्ते, ग्रेच्युटी आदि के भुगतान हेतु ट्रिब्युनल द्वारा क्लेम नं०–174/1109 में पारित आदेश के तहत भुगतान कर दिया है ? यदि हां, तो कितने भुगतान किस-किस मद में किये गये तथा सभी भुगतान अब तक न करने के क्या कारण हैं ?

श्री रमापति शास्त्री–

डा० राघवेश प्रसाद दिनांक 1-3-96 को सेवा निवृत्त न होकर दिनांक 1-3-76 को सेवानिवृत्त हुये हैं । डा० प्रसाद को दिनांक 31-7-69 से दिनांक 24-1-70 को अवधि का विशेष वेतन एवं एक्सरे भत्ता तथा माह फरवरी, 1976 के वेतन के भुगतान को छोड़कर शेष सभी मदों के भुगतान कर दिये गये हैं । जिन दो मदों के भुगतान नहीं हुये हैं, उस संबंध में सूचना प्राप्त की जा रही है ।

जनपद जौनपुर के ब्लाक जलालपुर में प्रस्तावित हैण्डपम्पों के लगाये जाने की मांग

168–श्री जगदीश नारायण (मुन्ना)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के ब्लाक जलालपुर में अब तक कुल कितने हैण्डपम्प लगे हैं और कितने प्रस्तावित हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड जलालपुर में 31-3-98 तक 675 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं तथा वर्ष 1998-99 में विकास खण्ड जलालपुर में कम से कम 170 हैण्डपम्प लगाया जाना प्रस्तावित है ।

इसके अतिरिक्त माननीय विधायक द्वारा चयनित पच्चीस स्थलों पर भी एक-एक हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जायेंगे ।

जिला योजनान्तर्गत जनपद जौनपुर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा सड़क मद में प्राप्त धनराशि में हुई अनियमितता की शिकायत

169—श्री जगदीश नारायण (मुन्ना)–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित जे० आर० वाई० एस० आर० वाई० जिला योजना के अन्तर्गत सड़क मद में जनपद जौनपुर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में लगभग एक करोड़ की राशि विभागीय अनियमितता के तहत सी० सी० एल० एकाउन्ट में पड़ी है ? क्या सरकार उक्त धन को अवमुक्त करने हेतु क्या कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

जी नहीं । ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में दिनांक 01-4-97 से डी० सी० एल० प्रथा लागू की गयी है । विभाग में सी० सी० एल० लागू नहीं है । अतः सी० सी० एल० एकाउन्ट में कोई धनराशि उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

170—श्री जगदीश नारायण (मुन्ना)–

[3सरे मंगलवार के अता० प्र० सं०–164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बहराइच में निर्धन परिवार के बच्चों की शादी के लिए वर्ष 1997-98 में वितरित धन की जानकारी

171—डा० वकार अहमद शाह–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभाग द्वारा जनपद बहराइच में निर्धन परिवार के बच्चों की शादी के लिए वर्ष 1997-98 में कितना धन वितरित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन अल्पसंख्यकों को भी यह लाभ देने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों/जनजातियों के निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों और विधवा पेंशन पर रही सभी वर्गों की निराश्रित विधवाओं के इलाज तथा पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की योजना संचालित है । पुत्री की शादी के लिये वित्तीय सहायता प्राप्तकर्ता को निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा विषयक कानूनी प्राविधानों का पालन करना आवश्यक है ।

"बच्चों की शादी" कानून के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है । अतः निर्धन परिवारों के "बच्चों की शादी" हेतु सहायता के रूप में धनराशि वितरित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर के सरकारी आवासों में डाक्टरों और कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य लोगों के निवास करने की शिकायत

172—श्री जय प्रताप सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर के सरकारी आवासों में डाक्टरों और कर्मचारियों को छोड़कर अन्य बाहरी व्यक्ति भी इन आवासों में रहते हैं ? यदि हां, तो वे कब से रह रहे हैं ? क्या सरकार इन लोगों को हटाने का कोई प्रयास करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

लगभग 2 वर्षों से रह रहे हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कनौरा गंगाघाट से संचालित लिफ्ट द्वारा ग्राम मुखइया के कृषकों को पानी न मिलने की शिकायत

173—श्री लोकपति त्रिपाठी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कनौरा गंगाघाट से संचालित लिफ्ट द्वारा ग्राम मुखइया को भरुपुरा रजवाहा जनपद मिर्जापुर से किन-किन कृषकों को विगत 10 वर्षों में कितना पानी सप्लाई किया गया है ? यदि नहीं किया गया है, तो किन परिस्थितियों में ? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत ग्राम व रजबहा कनौरा गंगाघाट से संचालित लिफ्ट कैनाल के कमाण्ड क्षेत्र से बाहर होने के कारण इस लिफ्ट कैनाल से ग्राम मुखइया के कृषकों को पानी की कोई सप्लाई नहीं हुई है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सरयू नहर परियोजना हेतु ग्राम नारायनपुर ब्लाक खेसरहा, तहसील बांसी, जिला सिद्धार्थनगर के गाटा सं०–61 से अधिग्रहीत जमीन के मुआवजे के भुगतान का मामला

174—श्री अक्षयवर लाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरयू नहर परियोजना हेतु ग्राम नारायनपुर ब्लाक खेसरहा, तहसील बांसी, जिला–सिद्धार्थनगर के गाटा सं०–61 से अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा दिये जाने हेतु श्री परशुराम व अन्य का रजिस्टर्ड पत्र सं०–3128 दिनांक 1-9-97 व 30-9-97 अधिशासी अभियन्ता (प्रथम) बस्ती को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? संबंधित मुआवजा कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित मा० सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 30-9-97 प्राप्त हुआ है ।

गाटा संख्या–61 की भूमि आपसी समझौते के आधार पर ली जानी प्रस्तावित थी, परन्तु संबंधित काश्तकार की मृत्यु हो जाने के कारण न तो भूमि का अधिकार लिया गया है और न ही खेत में नहर खोदी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत जनपद इलाहाबाद की सदर तहसील के अन्तर्गत लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण एवं विधवा पेंशन दिये जाने का मामला

175—श्री दया शंकर वर्मा–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि प्रधान मंत्री द्वारा घोषित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत जनपद इलाहाबाद तहसील सदर के मोहल्ला नेवादा सरकूलर रोड नेवादा ड्रमंड रोड एवं नेवादा न्याय मार्ग, अशोक नगर, मऊ सरैया, राजापुर, सदर बाजार व अनेक मोहल्लों के अनेक व्यक्तियों की मृत्यु के फलस्वरूप उनकी विधवाओं द्वारा दिये गये काफी मात्रा में आवेदन-पत्रों का निस्तारण हेतु प्रकरण विगत दो वर्षों से लम्बित चल रहे हैं ? यदि हां, तो लम्बित प्रकरणों का कब-कब निस्तारण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

योजनान्तर्गत प्राप्त कुल 97 आवेदन पत्रों में से 52 आवेदन पत्रों पर स्वीकृति की कार्यवाही कर नियमानुसार भुगतान करा दिया गया है तथा 45 आवेदन पत्र निरस्त किये गये हैं ।

176—श्री मस्तराम–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

177—श्री श्रीराम पाल–

[1ले गुरुवार में अता० प्र० सं०–128 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में विभिन्न योजनाओं से प्राप्त धनराशि तथा खर्च में हुई अनियमितता की जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

178—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग को वर्ष 1995-96 में किन-किन योजनाओं में कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई ? क्या निर्माण कार्य में अनियमिततायें बरतने संबंधी जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर जांच कराई गई थी ? क्या यह सही है कि जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा रु० 19,000/- का गबन पाया गया था ? यदि हां, तो उक्त धनराशि कब तक वसूल की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वर्ष 1995-96 में विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द के ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 1,79,328.00 रुपये तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत रु० 80,000.00 प्राप्त हुआ ।

जी हां ।

जी नहीं, बल्कि जवाहर रोजगार योजना के कार्यों में तकनीकी मूल्यांकन के फलस्वरूप 553.00 रुपये तथा सुनिश्चित रोजगार योजना में 15,000.00 रु० के कार्य का तकनीकी मूल्यांकन सम्भव न हो सकने के कारण 15,553.00 रुपये का स्वाभाविक अन्तर पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एक वर्ष बाद तालाब में मिट्टी खुदाई के कार्य का तकनीकी मूल्यांकन सम्भव नहीं है । अतः वसूली निर्धारित नहीं की जा सकती ।

जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड सुमेरपुर के अन्तर्गत पतौरा से बड़ी कचार सम्पर्क मार्ग हेतु स्वीकृत धनराशि में हुई अनियमितता की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

179—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड सुमेरपुर अन्तर्गत पतौरा से बड़ी कचार सम्पर्क मार्ग में सुनिश्चित रोजगार योजना में वित्तीय वर्ष 1996-97 में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी ? निर्माण में कितनी धनराशि खर्च की गयी ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर कार्य सहायक अभियन्ता द्वारा श्रमिकों की बजाय ट्रैक्टरों द्वारा कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड सुमेरपुर अन्तर्गत पतौरा से बड़ी कचार सम्पर्क मार्ग योजना में सुनिश्चित रोजगार योजना में वित्तीय वर्ष 1996-97 में कुल 1.67 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गयी थी ।

निर्माण कार्य में कुल रु० 4.67 लाख की धनराशि व्यय की गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

180—श्री चेतराम–

[3रे मंगलवार में अता० प्र० सं०–165 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उप मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद कार्यालय में सेवारत वरिष्ठ लिपिक के वेतन को रोके जाने के कारणों की जानकारी

18—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद के कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक का वेतन जुलाई, 1996 से किन कारणों से रोका गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वरिष्ठ लिपिक की प्रशासनिक स्तर पर चल रही जांच में किस प्रकरण में दोषी पाया गया ? क्या सरकार संबंधित प्रकरणों में जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जनपद गाजियाबाद में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद के कार्यालय में कार्यरत किसी भी वरिष्ठ लिपिक का वेतन जुलाई, 1996 से नहीं रोका गया है ।

सम्प्रति ऐसी कोई प्रशासनिक जांच नहीं हुई है और न ही लम्बित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

* श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, तारांकित प्रश्न संख्या चार पर मेरा प्रश्न नियत था उस पर काफी बहस हुई विधायकों की सहभागिता के बारे में प्रश्न था । उसमें भारत सरकार के मानक बता दिये गये प्रश्न का दूसरा भाग यह था कि वर्ष 1996-97 में क्या प्रस्ताव मांगे गये थे । जो उत्तर आया उसमें विरोधाभास था । मान्यवर, मुझे एक ही सप्लीमेंटरी करने का मौका मिला । तो मान्यवर, जो मैनपुरी में भ्रष्टाचार हुआ है क्या कोई जांच कमेटी इस संबंध में बिठायेंगे ? मान्यवर, मैनपुरी में ही इस बार भी अधिकारियों ने अपने स्तर से कार्यवाही करके ठेकेदारों से प्रस्ताव ले लिये और उनके माध्यम से योजनायें चलीं जिसमें मा० विधायकों की उपेक्षा हुई है । मान्यवर, इसमें आप अपना संरक्षण दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जहां तक माननीय सदस्य की जिज्ञासा अनुपूरक प्रश्नों के बारे में है सामान्यतया दो अनुपूरक मूल प्रश्नकर्ता जो हैं उन्हें पूछने का अवसर मिलता है इसमें अन्य माननीय सदस्यों को अवसर दिया गया है । जहां तक भ्रष्टाचार की बात कही गयी है ।

(व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, वहां पर भारत सरकार के जो मानक थे उनके अनुसार काम नहीं किया गया है और न ही विधायकों की संस्तुति के अनुसार काम किया गया है । उसमें जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करेंगे ?

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय मंत्री जी को निर्देश दिया है, यह व्यवस्था दी है कि आप इसमें बैठक बुलालें जिसमें इस सदन में उपस्थित सभी माननीय नेतागण और जो माननीय सदस्यों को आप उचित समझें, बैठक में बुला लें जो सदन में बात कही गयी या उस बैठक में कहेंगे, माननीय मंत्री उस पर कार्यवाही करेंगे। किसी एक विशिष्ट जनपद की बात कह रहे हैं किसी दूसरे जनपद की बात भी आ सकती है तो मेरे ख्याल से बैठक में उस पर विचार-विमार्श हो सकेगा।

दो-चार अनुपूरक प्रश्नों के माध्यम से तो पूरी बात नहीं आ सकेगी, हल तो बैठक में ही निकल पायेगा। मेरा मंत्री जी से विशेष रूप से अनुरोध है कि उस बैठक को व्यापक रूप दे दें, जो-जो शिकायतें आयी हैं, योजनाओं के क्रियान्वयन में आयी हैं, उसमें क्या सुधार हो सकता है सदस्यों की इच्छाओं का जो सम्मान नहीं हुआ है वह कैसे दूर हो सकती हैं उसके बारे में पूरा निर्देश दे देंगे तो अच्छा होगा। उसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें आ जायेंगी, उसमें सारी बातें आ जायेंगी।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, जो लाखों की गड़बड़ी मैनपुरी में हुई है उसकी जांच कराकर मंत्री जी दोषी लोगों को दण्डित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय बाबू राम यादव जी से लिखित सूचना मांग लीजिये और इस पर आवश्यक कार्यवाही कर दीजिए।

ग्राम विकास मंत्री (श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

जो शिकायतें हैं मान्यवर, वे माननीय सदस्य दे दें हम उसकी जांच करा लेंगे और जो दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

* श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, मैंने 2 अगस्त, 1997 को एक प्रश्न किया था, टिहरी जिले में जो ज्यादा बाढ़ आयी थी, नहरें टूट गयीं, विद्युत लाइनें टूट गयीं, पुल बह गये उनके पुनर्निर्माण के संबंध में सूचना मांगी थी उसका आज तक मुझे पूर्ण जवाब नहीं मिला है उसमें न नहरों को ठीक किया गया न विद्युत लाइनें ठीक हुई हैं।

[समय 12 बजकर 25 मिनट]

श्री अध्यक्ष–

आप तो अपनी सूचना के बारे में कह रहे हैं। यदि जवाब नहीं आया है तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उसे देख लेंगे।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज दिनांक 24 जून, 1998 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनाएं प्राप्त हुई, प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई :––

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की है, दूसरी सूचना श्री राम औतार शाक्य जी की है, तीसरी सूचना श्री मेजर जगत पाल सिंह जी की है, चौथी सूचना श्री अम्बरीष कुमार जी की है, पांचवीं सूचना श्री राम जग जी की है, छठी सूचना श्री राजेन्द्र यादव जी की है, परन्तु वह सदन में उपस्थित नहीं हैं इसलिए उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से श्री दीप लाल भारती जी की सूचना को लिया जा रहा है और सातवीं सूचना श्री राम पाल सिंह तथा श्री राम विशुन आजाद जी की है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गयीं)

मेरठ महानगर में अनियमित/अघोषित विद्युत कटौती के निराकरण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[मान्यवर, मेरठ महानगर में 12 घंटे की कटौती (3 घंटे घोषित कटौती, 3 घंटे अघोषित कटौती, 6 घंटे लो बोल्टेज) एवं लो बोल्टेज की समस्या है। औद्योगिक इकाइयां बन्द होने के कगार पर हैं मजदूरों में बेरोजगारी के कारण भुखमरी फैल रही है। पेयजल का संकट भी अपने पैर पसार रहा है।

लोक महत्व के इस प्रश्न पर तत्काल व्यवस्था में सुधार हेतु निर्देश देकर मजदूरों की बेरोजगारी/भुखमरी के संकट तथा जनता को पेयजल संकट से मुक्ति दिलाने का निवेदन है।]

जनपद मैनपुरी के भोगांव क्षेत्रान्तर्गत अधूरी सड़कों का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम औतार शाक्य–

[मान्यवर, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव जनपद मैनपुरी में बझेरा से जल्लापुर खद्दइया तक, लहरा से हन्नूखेड़ा वाया शहपुर लगला हिम्मत, इटावा बेवर मार्ग नगला केहरी से टोडरपुर तक वाया परौखा लायकपुर, बेवर मोता मार्ग से हजारा से अकबरपुर गन वाया सुल्तानपुर नमादा नगला हरी सिंह से गोविन्दपुर वाया सुल्तानगंज, बीलो-मैनपुरी मार्ग से जी० टी० मार्ग छाछा तक वाया नगला टीपा (ब्लाक सुल्तानगंज) आदि सड़कें अधूरी हैं जिनमें पोस्टिंग स्तर कार्य होना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर उक्त समस्त सड़कों का डामरीकरण कराने की मांग करता हूं।]

जनपद ज्योतिबाफूले नगर के गांव डिडौली में राम लीला मैदान व मरघट के पट्टे निरस्त करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

मेजर जगतपाल सिंह–

[मान्यवर, जनपद ज्योतिबा फूले नगर तहसील अमरोहा ब्लाक जोया गांव डिडौली में भूमि खसरा नं० 363 रकबई 2.84 एकड़ जिसमें राम लीला मैदान दर्ज है। खसरा नं० 362 रकबई 2.72 एकड़ शमशान मरघट के वास्ते छोड़ी गई है जिसमें गांव के मृतक लोगों का दाह संस्कार किया जाता है।

उक्त भूमि को गांव के प्रधान, लेखपाल, तहसीलदार, एस० डी० एम० व असरदार नेताओं ने अन्य गांव के अल्प संख्यक लोगों को भारी धन लेकर पट्टे काट कर आवंटित कर दी है, जबकि न्यायालय द्वारा उक्त भूमि को आवंटित करने पर भी रोक लगी है।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्राम सभा की समस्त जनता में आक्रोश है क्योंकि मृतक लोगों का दाह संस्कार प्रधान व पुलिस ने रोक दिया है और एक समाज की भावनाओं को ठेस लगी है। अल्पसंख्यक व हिन्दू वर्गों में तनाव भी है। माननीय मुख्य मंत्री जी तथा जिलाधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है।

उपरोक्त लोक महत्व अविलम्बनीय विषय पर सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि राम लीला मैदान व मरघट के पट्टे निरस्त कराकर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय तथा प्रशासन को उक्त समस्या के समाधान हेतु ध्यान आकृष्ट कर क्षेत्रीय जनता को राहत दिलाने का कष्ट करें।]

हरिद्वार–शाहपुर शीतला खेड़ा, भोगपुर निरंजनपुर रायसी लक्सर बस सेवा प्रारम्भ किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्बरीष कुमार–

[मान्यवर, उपर्युक्त मार्ग पूर्णरूपेण पक्का है तथा लगभग 40 किमी० हरिद्वार से रायसी की दूरी है। लगभग 50 गांव इस मार्ग पर स्थित है और आबादी 50 हजार से अधिक है हरिद्वार से शाहपुर शीतलाखेड़ा तक उ० प्र० रा० स० परिवहन निगम और निजी वाहन दोनों चलते हैं परन्तु शाहपुर शीतलाखेड़ा से भोगपुर निरंजनपुर रायसी लक्सर मार्ग पर न निजी और न उ० प्र० रा० स० प० निगम की बसें चलती हैं जिससे हजारों लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। यदि कोई रोगी भी है तो उसे चिकित्सक तक पहुंचाना एक समस्या है छात्र छात्रायें विद्यालय जाने से वंचित हैं और जिला मुख्यालय पर जाने आने में दो दिन लग जाते हैं।

अतः हरिद्वार शाहपुर शीतलखेड़ा भोगपुर, निरंजनपुर रायसी, लक्सर बस सेवा प्रारम्भ कराने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराने का कष्ट करें।]

आजमगढ़ जिले को गोपालपुर माइनर की खुदाई से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम जग–

[मान्यवर, आजमगढ़ जिले मे मेहनगर ब्लाक में गोपालपुर माइनर की खुदाई हुए करीब 25 वर्ष हो गया है ग्राम घटिया, अयारी, गोपालपुर, धिनहापुर आदि गांवों के किसानों को भूमि का मुआवजा नहीं मिला। जनता में भारी आक्रोश है लोग मुआवजा की मांग को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं।

यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है किसानों का तत्काल मुआवजा दिलवाया जाय।]

जनपद गोण्डा के मुजेहना एवं मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत जंगली जानवरों एवं नील गायों से किसानों की फसलों को बचाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना[1]

*श्री राम पाल सिंह तथा राम विशुन आजाद–

[मान्यवर, जनपद गोण्डा में जंगली जानवरों, नील गाय आदि द्वारा कृषकों द्वारा बोई फसलों को नष्ट कर दिया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में नीलगायें झुण्ड बनाकर चलती हैं और तैयार फसलों को बरबाद कर देती है। कृषक घर से धन लगाकर खाद पानी देकर फसल को तैयार करते हैं और जब पक

नोट : [] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर तैयार हो जाती है तो नील गायों के झुण्ड आकर रातो रात चर कर नष्ट कर देते हैं। विधान सभा क्षेत्र मुजेहना तथा मनकापुर में इनकी संख्या बढ़कर उग्र रूप धारण किये हुए हैं और आम किसान अपनी-अपनी फसल बचाने में असहाय है। इन क्षेत्रों के किसानों के सामने अत्यन्त भीषण समस्या है। इससे ये लोग अत्यन्त त्रसित हैं। किसानों के क्षति हो रहे फसलों का सर्वे करवा कर गरीब कृषकों को सहायता शासन दे।

अतः इस अति महत्वपूर्ण विषय को आपके संज्ञान में लाते हुए सदन में चर्चा कराने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर में चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान करने के बावजूद बैंकों द्वारा भुगतान में देरी करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री दीपलाल भारतीय–

[मान्यवर, नैपाल बिहार सीमा पर बड़ी गण्डक नदी के किनारे गन्ना बाहुल्य क्षेत्र में चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान दे दिये जाने के बावजूद कुशीनगर जनपद के बैंकों से गन्ना मूल्य भुगतान होने में काफी देरी व असुविधा हो रही है, इससे किसान त्रस्त एवं परेशान हैं।

बैंकों से सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ है कि सेन्ट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कोआपरेटिव बैंकों में स्टाफ की कमी है, इस वजह से किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान होने में महीनों देरी हो रही है।

यह अति लोक महत्व का मामला उठाते हुए कहना है कि सरकार स्थानीय बैंकों में स्टाफ की कमी को दूर करे ताकि गन्ना किसान अपने कृषि उपज का लाभकारी मूल्य समय से प्राप्त कर सके, खेती बारी कर सके तथा बच्चों की शिक्षा दीक्षा एवं शादी ब्याह तथा बूढ़े मां-बाप की दवाई और सरकारी कर्जे की अदायगी समय से कर सकें। यह भी अवगत कराना है कि छितौनी, खड्डा, लक्ष्मीगंज, रामकोला, धुधली, सिसवा बाजार के बैंकों को उचित निर्देश दिया जाये।]

विधान सभा के उपाध्यक्ष के पद पर अविलम्ब निर्वाचन कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 24-6-98 को नियम–300 के अन्तर्गत कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव तथा श्री जगदम्बिका पाल जी की विधान सभा के उपाध्यक्ष के पद पर अविलम्ब निर्वाचन कराये जाने के बारे में हैं। इसी प्रकार की सूचना डा० अशोक बाजपेयी जी की है।

पहले भी यह सूचना आई थी। उस समय भी मैंने अनुरोध किया था कि माननीय नेता सदन, माननीय नेता विपक्ष तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपस में बैठकर तय कर लें और इसके बाद मुझसे जो कहेंगे मैं उसी के अनुरूप तिथि निर्धारित कर दूंगा मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उस तिथि को उपाध्यक्ष का चुनाव हो जायेगा।

पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री (हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं तो इन लोगों से सहयोग मांग रहा हूं। जितने भी माननीय विपक्ष में नेता बैठे हैं, माननीय नेता विपक्ष, माननीय प्रमोद कुमार, माननीय कौकब हमीद तथा माननीय श्री जगदम्बिका पाल ये सब लोग मिलकर एक नाम तय कर लें और हमें बता दें।

* डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, प्रदेश में एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जैसे पिछले दिनों अखबार में छपा कि माननीय अध्यक्ष जी नेता सदन के रूप में जाने वाले हैं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

अखबार में जो छपा उसका संज्ञान नहीं लिया जायेगा । श्री बाजपेयी जी आप कृपा करके बैठ जायें ।

गन्ना किसानों को उनके बकाया का ब्याज न दिये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री समरपाल जी की है जो नियम–300 में नहीं आती है ।

*श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, यह सूचना बहुत ही गम्भीर संवैधानिक संकट के संबंध में हैं । मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 164(2) में यह साफ-साफ लिखा है कि दि काउंसिल आफ मिनिस्टर्स सैल ए कलेक्टीविली रिस्पांसविल टू दि लेजिस्लेटिव एसेम्बली आफ दि स्टेट मंत्रिपरिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी ।" इसमें आगे भी लिखा है कि "जब तक कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य रहता है वह अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये सरकार की नीति के प्रति कोई विपरीत बात जाहिर नहीं कर सकता है ." लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो वर्तमान सरकार है इसके मंत्रिमंडल के सदस्य संविधान की इस भावना का पालन नहीं कर रहे हैं, उत्तरदायित्व का पालन नहीं कर रहे हैं । प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री पिछले दिनों मेरठ में गये और वहां जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के दौरान जब कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने माननीय मंत्री से आग्रह किया कि गन्ना किसानों का भुगतान जो चीनी मिलें, 14 दिनों में नहीं कर रही है उसका भुगतान ब्याज सहित किया जाय । तो माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि यह कानून व्यावहारिक नहीं है और वह इसका पालन नहीं कर सकते । जो सुगर केन्द्र कन्ट्रोल आर्डर 1966 की धारा 3–ए है उसमें है :–

"व्हेन ए प्रोड्सर आफ सुगर आर हिज एजेन्ट फेल्स टू मेक पेमेन्ट फार दि सुगरकेन परचेस्ड विदिन 14 डेज आफ दि डेट आफ डिलेवरी हि सैल पे इनट्रेस्ट आन दि एमाउन्ट ड्यू एट दि रेट आफ 15 परसेन्ट पर एनम फार दि पीरियड आफ सच डिले नियान 14 डेज"

तो अगर 14 दिन में चीनी मिल भुगतान नहीं करती है तो इस प्रकार का आदेश शुगर केन्द्र कंट्रोल आर्डर में है कि वह ब्याज सहित भुगतान करें ।

श्री अध्यक्ष–

यह किसी भी प्रकार से नियम–300 में नहीं आती है । आप की बात आ गयी है । अब आप समाप्त करें ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर विषय है । यह सब जानते हैं कि गन्ना किसानों का भुगतान एक साल या दो साल से पहले नहीं हो पाता है और उस पर उनको ब्याज भी नहीं दिया जा रहा है जबकि इसका प्राविधान है । इसके विपरीत यदि किसान दस हजार या बीस हजार रुपया लेता है तो उस पर 20, 30 प्रतिशत ब्याज लग जाता है और नहीं देने पर उसकी कुर्की कर ली जाती है । तो चीनी मिल मालिकों से यह सरकार ब्याज क्यों नहीं दिलवा रही है जब कि वह सक्षम है और पैसा दे सकती है ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम–300 में नहीं आती है अब आप समाप्त करें ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर संवैधानिक संकट इस समय उत्पन्न हो गया है और यह सरकार जो बनाये गये कानून हैं उसका ठीक से पालन नहीं कर रही है प्रदेश के गन्ना किसानों का जो बकाया है उस पर ब्याज नहीं लिया जाता है और इसी कारण गन्ना मिलें जो हैं, उनके बकाया पैसा का भुगतान नहीं करती है ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, 9 जुलाई, 1997 को गन्ना आयुक्त ने एक शासनादेश जारी किया था ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं केवल उसका संदर्भ दे रहा हूं और कुछ नहीं कह रहा हूं ।

*सिंचाई, गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, मैं समर पाल जी का आभारी हूं कि उन्होंने गन्ने का विषय इस सदन मे उठाया । माननीय समर पाल सिंह ने पिछले वर्षों की बात दुहरायी, लेकिन मैं अपने समय की याद दिलाता हूं और कहना चाहता हूं कि कल तक 92.08 प्रतिशत गन्ने के मूल्य का भुगतान हो गया है । इसलिये मेरा आग्रह है कि माननीय सदस्य इस सदन में गलत बयानी न करें और सदन को गुमराह न करें, यह उचित नहीं है । जहां तक कानून पालन का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि यह शासन और मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी के नेतृत्व का शासन सदैव कानून स्थापित करने के लिये क्षण-क्षण प्रयत्नशील है । पिछली बार भी मैंने कहा था कि अगले वर्ष तक यह व्यवस्था कर दी जायेगी कि गन्ने के मूल्य का भुगतान समय होने लगेगा और पुनः कह रहा हूं कि अगले सत्र में 15 दिन के अन्दर प्रत्येक मिल से गन्ने का भुगतान सुनिश्चित कर दिया जायेगा । जहां तक कानून का प्रश्न है, हम कानून का आदर करते हैं । पुरानी सरकार ने जो व्यवस्था कर रखी थी, उससे किसान का हर कदम पर शोषण होता था । इसको समाप्त कर दिया गया है । आज पश्चिम का किसान खुशहाल है । मैं जब जाता हूं तो न कोई आवेदन पत्र मिलता है और न कोई शिकायत मिलती है ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, उनके बकाये पर ब्याज क्यों नहीं देते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत सूचना आती है या नहीं आती है । इसको देखना है ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, मैंने जो कहा है, उसका उत्तर नहीं आया है, इस कारण मैं मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री समर पाल सिंह और श्री कौकब हमीद सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

माननीय समर पाल सिंह और माननीय गन्ना मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिये इसको अस्वीकार किया जाता है ।

वर्तमान मंत्रिमंडल के मंत्री और राज्य मंत्री में मतभेद होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार, जगदम्बिका पाल, अखिलेश कुमार सिंह, कुंवर रेवती रमण सिंह और श्री कौकब हमीद की है । इस पर मैं दो लोगों को सुन लूं ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपने स्वयं उल्लेख किया कि 6 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं तो फिर केवल दो सदस्यों को सुनने से क्या होगा दो-दो मिनट सब को सुन लें, अगर स्वीकार न किया होता तो अलग बात थी ।

श्री अध्यक्ष–

सभी को सुनने में आप जानते हैं कि क्या व्यावहारिक कठिनाई है ?

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, भारत के संविधान के आप अक्षरशः ज्ञाता है । फिर भी आपकी सहजता के लिये बताना चाहता हूं कि आप 162(2) को देखने का कष्ट करें । उसमें साफ है कि मंत्रिपरिषद् राज्य विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा । यह ऐसा सिद्धान्त है जिस पर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार काम करती है । भले ही सरकार का बहुमत के आधार पर गठन होता है लेकिन सरकार द्वारा इस नियम का पालन होता है । दुर्भाग्य से उ० प्र० में ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां बनी कि इस सिद्धान्त का पालन नहीं हो रहा है । वर्ष 1996 में विधान सभा के चुनाव हुये और किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला, कोई गठबंधन इस काबिल नहीं था कि वह सरकार बनाने का दावा पेश करता । कालान्तर में मायावती जी की सरकार बनी और उसके बाद कल्याण सिंह जी की सरकार बनी जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी भी शामिल थी, लेकिन उससे अपना समर्थन वापस ले लिया और यह सरकार अल्पमत में आ गयी । परन्तु विधान सभा के फ्लोर पर दलबदल कराकर, दूसरे दलों के लोगों को लेकर अपना बहुमत पेश करने का 21 अक्तूबर की घटना एक शर्मनाक घटना है । जितने लोग दलबदल कर आये सबको मंत्री बना दिया । यह लोकतंत्र में गलत परम्परा थी । केवल कुर्सी के लालच में वह आये जिनको न इस सदन के प्रति बचनबद्धता है और न जनता के प्रति, वह सिर्फ कुर्सी के लालच में आये ।

श्री अध्यक्ष–

आप विषय पर आइये ।

श्री प्रमोद कुमार–

तो श्रीमन्, इस प्रकार इस मंत्रिमंडल का गठन हुआ । नाजायज तरीके से माननीय कल्याण सिंह जी को एक मंत्रिमंडल का गठन करना पड़ा जिसकी संख्या वह 100 पूरा करते-करते बचे ।

श्री अध्यक्ष–

नियम–300 पर आइये ; सदन की कार्यवाही से इसका क्या संबंध है ? इसके लिये तो बजट पर सामान्य चर्चा के समय काफी समय होगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

94 या 95 कितने मंत्री हैं यह स्वयं कल्याण सिंह जी को मालूम नहीं होगा, उनके क्या नाम हैं उन्हें स्वयं मालूम नहीं होगा ।

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रसाद शाही)–

मान्यवर, यह भूमिका रखी जा रही है या औचित्य का प्रश्न ?

श्री अध्यक्ष–

ग्राह्यता पर आइये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, 94 मंत्री हैं, विभाग कम हैं मंत्री ज्यादा हैं । पहले मारामारी रही कि यह गाड़ी मुझे मिले, लाल बत्ती मुझे मिले ।

श्री अध्यक्ष–

इससे सदन की कार्यवाही संचालन से क्या मतलब ? आप विषय पर आयें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आज स्थिति यह है कि सदन की एक गरिमा होती है, मंत्रिमंडल की एक भाषा होती है । मंत्रिमंडल को सदन के प्रति उत्तरदायी होना चाहिये । बहुत से राज्य मंत्री ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, वह कहते हैं कि जब हमारे पास काम नहीं है तो हम उत्तरदायी भी नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष–

सदन में किसी ने नहीं कहा है ।

श्री प्रमोद कुमार–

लाबी में जो सदन का ही हिस्सा है वहां वह कहते हैं [x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं अंतिम वाक्य कह रहा हूं । आज मंत्रिपरिषद् के मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के बीच विभिन्न विषयों पर जो बोला जा रहा है उससे सदन में जो सामूहिक उत्तरदायित्व होना चाहिये उसका निर्वहन नहीं हो रहा है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह मामला गम्भीर है आप चाहे इसे स्वीकार करें या न करें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री या मुख्य मंत्री जी इसका कुछ भी उत्तर दे दें लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण राज्य मंत्री और पर्यावरण कैबिनेट मंत्री के जो सार्वजनिक रूप से वक्तव्य आये । राज्य मंत्री ने कहा कि मंत्री के घर पर धरना देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

यह सदन की कार्यवाही से कहां संबंधित है ?

श्री जगदम्बिका पाल–

आज भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(2) के अन्तर्गत कोई मंत्रिपरिषद् बिना सामूहिक उत्तरदायित्व के नहीं चल सकती सामूहिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में कहीं विश्वास का संकट पैदा होता है तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि इस सरकार में जिस तरह से मंत्रियों में मतभेद हैं वह सार्वजनिक रूप से परिलक्षित हो रहे हैं । इसका कुछ भी संसदीय कार्य मंत्री उत्तर दें आप इसको अस्वीकार कर दें वह अलग बात है ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

नियमावली के किस नियम के निर्वचन व प्रवर्तन से इसका संबंध है ?

श्री जगदम्बिका पाल–

प्रदेश की जनता के समक्ष विश्वास का संकट पैदा हो गया है । पीठ में छुरा मेरी उन लोगों ने भोंका जो हमारे साथ आये और फिर वापस चले गये ।

श्री अध्यक्ष–

यह औचित्य का प्रश्न नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह सवाल सदन से इसलिये जुड़ा हुआ है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का प्राविधान हमारे संविधान और नियमावली में है । उस दिन मैं मुख्य मंत्री जी का भाषण सुन रहा था जिन्होंने एक बात का उल्लेख किया कि विकास इसलिये नहीं हो पा रहा है कि अस्थिरता है । मान्यवर, अस्थिरता के कारण विकास नहीं हुआ तो जो आज सरकार की लाचारी और कमजोरी है वह यह है कि एक मंत्री उत्तर दिशा में जा रहा है और दूसरा मंत्री दक्षिण दिशा में जा रहा है । मंत्री अलग-अलग जा रहे है ।

श्री अध्यक्ष–

सदन की कार्यवाही से इसका क्या संबंध है ? वह चारों दिशाओं में जायेंगे तभी प्रदेश की जानकारी होगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैंने कल राज्य मंत्री ऊर्जा ने एक पत्र लिखा उसमें उन्होंने जो गड़बड़ियां हैं उनका उल्लेख किया मैंने कल वह पत्र पीठ को भेजा था । आज मैं उस पत्र का उल्लेख करना चाहता हूं उससे साफ हो जायेगा कि कितने सामूहिक जिम्मेदारी से सरकार चल रही है । ऊर्जा मंत्री जी ने 30 अप्रैल, 98 को सभी विधायकों को लिखा है ।

श्री अध्यक्ष–

इसकी प्रतिलिपि भेज दें, पढ़ने के बाद ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

राज्य विद्युत परिषद् की आर्थिक स्थिति से आप अवगत ही हैं । राज्य सरकार से भी इस धन के लिये अनुरोध किया गया है लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है ।

मान्यवर, पत्र में स्वयं कहते है कि राज्य सरकार से अनुरोध किया है और कोई सकारात्मक जवाब नहीं है । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह मेरा पत्र नहीं है स्वयं एक मंत्री का है जो हम लोगों को लिखकर बता रहे हैं । मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं सरकार सामूहिक ढंग से काम करे लेकिन कर नहीं रही है जिससे क्या हो रहा है कि अस्थिरता पैदा हो रही है ? जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं वह आदेशों को मान नहीं रहे हैं । जैसा आपने देखा कि तमाम विधायक आज खड़े होकर चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि वहां का डी० एम० किसी विधायक से कोई भी .....

श्री अध्यक्ष–

इससे सदन की कार्यवाही कहां रुकती है ? नियमों के निर्वचन और प्रवर्तन जिससे सदन की कार्यवाही रुकती हो ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैंने एक उदाहरण दिया । सरकार के सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं हो पा रहा है इसलिये पूरे प्रदेश में अस्थिरता पैदा हो गई है और यह तब ही दूर होगी जब सरकार एक जुट होकर कार्य करेगी ।

(श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप कुछ कहना चाहते हैं ।

* ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

मान्यवर, हमारे पत्र का उल्लेख किया है श्रीमन्, कुंवर रेवती रमण सिंह भी विद्युत मंत्री रह चुके हैं उनको ज्ञात है कि राज्य विद्युत परिषद् राज्य सरकार के अधीन नहीं आता है । मैंने जो पत्र लिखा वह सभी सदस्यों को इस मारे लिखा है कि बहुधा बहुत सारे सदस्य इस बात की शिकायत करते हैं कि वितरण प्रणाली ठीक न होने के कारण विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाती है । इस पत्र के द्वारा मैंने लिखा कि डिस्ट्रिक्ट प्लान में जो ऊर्जा विभाग का पैसा है उसको वितरण प्रणाली में ट्रान्सफर कर दें तो विद्युत वितरण ठीक हो जायेगा । माननीय कुंवर रेवती रमण जी इसे समझ नहीं पाये इसलिये मैंने इसे स्पष्ट करना चाहा ।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जो संविधान के अनुच्छेद का उल्लेख यहां पर किया गया है उसके बारे में तो कई बार हमारी परीक्षा यहां पर हो चुकी है । हमारा सारा मंत्रिमंडल परीक्षा में पास हो चुका है और परीक्षा देने का आदी हो चुका है । एक बार नहीं तीन-तीन बार एक स्वर से खड़े होकर हम एकता कर चुके हैं । एक हैं, एक हैं, एक थे और माननीय कल्याण सिंह के राज्य में एक ही रहेंगे । परन्तु यह सही है कि इस कठिन परिस्थिति में इस प्रदेश को स्थिरता देने का श्रेय हम अपने सम्मानित नेता माननीय कल्याण सिंह जी को देते हैं जिनकी कार्य कुशलता से, निर्भीकता से, ईमानदारी के कारण आज कठिन परिस्थितियों में भी इस प्रदेश को स्थिर सरकार मिल सका । मैं कुछ लोगों के नाम नहीं लेना चाहता हूं उन्होंने हमारे साथ एक विषम परिस्थिति में हमारी पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया । वे इस प्रदेश में इलेक्शन कराना चाहते थे लेकिन मैं बनाना चाहता हूं ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ग्राह्यता पर बोलें ।

(व्यवधान)

मैं इनको ही बोल रहा हूं कि ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने हमको ग्राह्यता पर सुना ।

(श्री हुकुम सिंह व श्री प्रमोद कुमार के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी आप बैठ जायं । प्रमोद कुमार जी व्यवस्था का प्रश्न कर रहे हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब 18 लोगों ने पीठ में छुरा भोंका था तो उनमें से 17 कौन से ऐसे हो गये जो उन्हें.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष

संसदीय कार्य मंत्री जी आप बैठ जायं । प्रमोद कुमार जी कोई व्यवस्था का प्रश्न कर रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपके बार-बार निर्देश पर भी संसदीय कार्य मंत्री जी नहीं बैठ रहे हैं । इससे ज्यादा अनुशासनहीनता पीठ के प्रति और क्या हो सकती है ? यह बैठेंगे नहीं तो मैं कैसे बोलूंगा ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपका सबसे ज्यादा अनुशासित सिपाही हूं आपके निर्देशों का पालन करता हूं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं सभी सदस्यों से कि सदन को सदन रहना चाहिए । सदन की गरिमा बनी रहनी चाहिए केवल कुछ सदस्य मा० सदन को ब्लैक मेल नहीं कर सकते ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृपापूर्वक कहना चाहूंगा आपने शुरूआत में स्पष्ट कर दिया कि ग्राह्यता पर बोलना है हमने ग्राह्यता पर बोला जहां आपको अनुचित लगा आपने निर्णय दे दिया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं जब मुख्य मंत्री जी बैठे रहते हैं तो संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ न कुछ बात मुख्य मंत्री जी के कान में कहते रहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

इस तरह से टीका टिप्पणी कब तक सहन होगी मान्यवर ।

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह आक्षेप नहीं चलेगा इसको निकाल दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कृपया शान्त रहें । माननीय प्रमोद कुमार जी, श्री जगदम्बिका पाल जी, कुंवर रेवती रमण सिंह जी, नरेश चन्द्र अग्रवाल जी और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह नियम 300 में नहीं आती है इसलिये इसको निरस्त करता हूं ।

वर्तमान मंत्रिमण्डल द्वारा संविधान के अनुसार कार्य न कर पाने से उत्पन्न संवैधानिक संकट उत्पन्न विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरी सूचना के लिये आपने मुझे मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, जो पिछली सूचना थी उसी से मिलती-जुलती यह सूचना है । मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं जिस पर आपकी व्यवस्था हो गयी ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मंत्रिपरिषद् का मुखिया मुख्य मंत्री होना है मंत्रिपरिषद् की जवाबदेही राज्यपाल मे होती है मंत्रिपरिषद् की जवाबदेही विधान मण्डल से होती है । मान्यवर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 167 के सब क्लाज (3) को अपनी सूचना में उद्धृत किया है मंत्रिमंडल के कार्य और विभाजन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं मान्यवर, अनुच्छेद 167 में "राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रि परिषद् के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करें ।" मान्यवर, विगत समय में यह प्रकरण आया । महामहिम राज्यपाल ने चिन्ता जाहिर की कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं और मंत्रिमण्डलीय स्तर पर विचार किया जाएगा ।

श्री अध्यक्ष–

सूचना से अलग बात कर रहे हैं ।

श्री राम औतार शाक्य–

जब मंत्रिपरिषद् द्वारा गड़बड़ी होती है तो मुख्य मंत्री द्वारा समुचित सूचना यदि राज्यपाल को नहीं दी जाती है तो राज्यपाल अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, उसी के तहत कानून व्यवस्था ठीक न होने पर उन्हें चिन्ता हुई तो उन्होंने कहा कि मंडलीय स्तर पर बैठक होगी ।

श्री अध्यक्ष–

जो सूचना दी है उसके बाहर न जाएं ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने पत्र का हवाला दिया मैं दोहराना नहीं चाहता हूं वह राज्य मंत्री श्री रंगनाथ मिश्र जी द्वारा लिखा गया पत्र हैं जो मुख्य मंत्री जी को लिखा गया था इसमें ऊर्जा मंत्री जी पर आरोप लगाये गये थे ।

श्री अध्यक्ष–

वह पत्र इस सदन की सम्पत्ति नहीं है यह दूसरा पत्र है ।

श्री राम औतार शाक्य–

वह सदन की सम्पत्ति है संयुक्त जिम्मेदारी होती है मान्यवर । जब कार्य-स्थगन के संबंध में कुंवर रेवती रमण सिंह जी की सूचना आयी तो कोई मंत्री ऊर्जा का जवाब देने के लिए उपस्थित नहीं था । ऊर्जा के कैबिनेट मंत्री उपस्थित थे नहीं और राज्य मंत्री जवाब देने से कतरा रहे थे क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ आरोप लगाये हैं । जहां तक प्रक्रिया संबंधी विनिश्चयों का सवाल है । सामूहिक उत्तरदायित्व के

सिद्धान्त का निर्वहन नहीं हो रहा है । एक मंत्री दूसरे मंत्री पर आरोप लगाते हैं । राज्य मंत्री ट्रेड यूनियन बनाने जा रहे हैं । वह इसलिये बनाने जा रहे हैं क्योंकि उनको कोई कार्य निर्देशित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

यह संविधान में व्यवस्था है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद् और विधान सभा यह तीनों अलग-अलग संस्थाएं हैं । जब मंत्रिपरिषद् के स्तर पर कोई गड़बड़ी पैदा होती है तो विधायकों की विधान सभा में स्थिति खराब होती है । इससे जनता प्रभावित होती है । इस औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

श्री राम औतार शाक्य को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह नियम 300 में ग्राह्य करने योग्य नहीं है इसलिए इसको निरस्त करता हूं ।

दिनांक 24 मार्च, 1998 से दिनांक 26 मार्च, 1998 तक नियम 301के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश (ग्यारहवां संस्करण) के निदेश संख्या 14(3) के अनुसार विधान सभा के द्वितीय सत्र 1998 (दिनांक 24 मार्च, 1998 से दिनांक 26 मार्च, 1998 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–4 मद संख्या–5, मद संख्या–6, मद संख्या–7 में कुछ नहीं है ।

श्री भोनू द्वारा दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना के संबंध में जानकारी

श्री भोनू–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार की सूचना दे रखी है ।

श्री अध्यक्ष–

उसका परीक्षण किया जा रहा है ।

उ० प्र० युवा जनता दल के लोगों पर लाठीचार्ज तथा डा० अम्मार रिजवी के साथ कथित दुर्व्यवहार किये जाने विषयक घटना की न्यायिक जांच की मांग

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश युवा जनता दल के प्रदेश के सभी जिलों से आये हुए हजारों लोग विधान भवन के सामने धरना देने जा रहे थे । यह उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था । लेकिन विधान भवन के सामने आते ही पुलिस ने उनको रोक कर बर्बर लाठी चार्ज किया है जिसमें अधिकांश लोग घायल हुए हैं । एक व्यक्ति की हालत बहुत गम्भीर है वह अस्पताल में भरती है । श्री राम नक्षत्र विधायक जी युवा जनता दल के अध्यक्ष हैं उनको भी चोटें

आयी हैं । उनको पुलिस गिरफ्तार करके ले गयी । इस घटना में न्यायिक जांच की मांग करता हूं क्योंकि कोई तुक नहीं था लाठी चार्ज करने का । युवा जनता दल के लोग शांति पूर्वक धरना देना चाहते थे । उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़े । इस प्रकरण को गम्भीरता से लिया जाए क्योंकि इसमें राम नक्षत्र को भी चोटें आयी हैं । इसकी न्यायिक जांच कराने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

पहले संसदीय कार्य मंत्री सारी जानकारी प्राप्त कर लें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह गम्भीर प्रकरण है । मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस सम्पूर्ण प्रकरण की हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश से जांच कराई जाये । लोकतंत्र में धरना और प्रदर्शन करने का सभी को अधिकार है । यदि प्रदर्शन करते विधायक पर लाठीचार्ज हुआ है तो मैं सरकार के इस्तीफे की मांग करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस संबंध में तथ्यों की जानकारी कर लें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं कि कांग्रेस दल के एक वरिष्ठ माननीय सदस्य डा० अम्मार रिजवी के साथ महमूदाबाद में एक घटना हो गयी है । मैं आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहता हूं कि डा० अम्मार रिजवी, जो इस सदन के वरिष्ठतम सदस्य हैं जब अपने घर से इस सदन की कार्यवाही में भाग लेने आना चाहते थे और जब वह अपने घर से निकले तो उनके क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराते हुए बताया कि बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं और जो सरकार ने कनेक्शन को रेगुलराइज करने के संबंध में निर्णय लिया है उसमें बिजली विभाग वाले हम लोगों से निर्धारित फीस के अलावा 5-5 हजार रुपये मांग रहे हैं तो वह सब लोग पावर स्टेशन पर गये तो बिजली विभाग वालों ने डा० अम्मार रिजवी जी की कोई बात नहीं सुनी और उनके साथ दुव्यर्वहार किया । इसलिये वह वहां धरने पर क्षेत्र के सैकड़ों लोगों के साथ बैठे हैं । मान्यवर, ऊर्जा मंत्री जी के आदेशों को भी रिजवी जी ने वहां के अधिकारियों को दिखाया कि विद्युत कनेक्शन रेगुलराइज करने के स्पष्ट आदेश हैं किन्तु उसको अधिकारियों ने नहीं माना और उनके साथ दुव्यर्वहार किया । इसलिये मैं चाहता हूं कि मेरी बात को सदन के संज्ञान में लेकर इसकी जांच करायी जाय और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह गम्भीर विषय है । डा० अम्मार रिजवी हमारे दल के उपनेता हैं । वह जिन कारणों से महमूदाबाद में धरने पर बैठे हैं उसकी जांच करायी जाय ।

श्री अध्यक्ष–

अभी श्री जगदम्बिका पाल जी ने इस संबंध में अपनी बात कही और अब आप कहना चाहते हैं तो जब आपके दल के वह उपनेता हैं तो आपने पहले इस संबंध में क्यों नहीं कहा ? डा० अम्मार रिजवी जी के संबंध में बात यहां आ गयी है । इसलिये अब मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह इस संबंध में तथ्यों की जानकारी कर लें ।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, ठीक है मैं जानकारी कर लूंगा ।

वित्तीय वर्ष 1998-9 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) †

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–8

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, आपने वर्ष 1998-99 के प्रस्तुत बजट पर जो मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया उसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं । मान्यवर, आदरणीय सदन को मैं बताना चाहता हूं कि इस सदन के मा० नेता सदन, मुख्य मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह बजट पूरी तरह से शाब्दिक जाल में बंधा हुआ है । मान्यवर, आंकड़ों का यह एक पुलिन्दा है । प्रदेश की जनता को भ्रम में डालने वाला है और मृगतृष्णा के रूप में है जिससे प्रदेश की जनता को किंचित मात्र भी लाभ होने वाला नहीं है और इसलिये नहीं है कि बजट का जो मुख्य उद्देश्य हुआ करता है वह उद्देश्य है कि प्रदेश की जनता को यह अवगत कराया जाये कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या है, कहां से संसाधन जुटाये जायेंगे ? बायीं तरफ आमदनी का और दायीं तरफ खर्च का विवरण होना चाहिए । श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि जिन साधनों से धन जुटाये गये हैं और बजट की एक निश्चित धनराशि प्रदर्शित की गयी है उसमें भी काफी सन्देहात्मक स्थिति है । स्थिति यह है कि लोक लेखे के धन को घाटे में जोड़कर जो अन्तिम घाटा दिखाया गया है वह वास्तविक नहीं है । श्रीमन्, इसमें मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं अपने नेता विरोधी दल के भाषण के कहा था कि लोक लेखे का धन किसी भी हालत में बजट के धन के रूप में प्रदर्शित नहीं करना चाहिए क्योंकि यह धन प्राविडेंट फण्ड का है, सिक्योरिटीज का है और तमाम प्रतिभूतियों का है जो किसी भी समय वापस हो सकता है । जब यह किसी भी समय वापस हो सकती है तो उसे क्यों जोड़ लिया गया ? इस संबंध में एक बात कहूंगा कि पहले भी लोक-लेखा का 11 हजार करोड़ रुपया आपने निकाल कर खर्च किया है और उसका असर यह पड़ा कि जितने अधिकारी और कर्मचारी चाहें अध्यापक हों या किसी अन्य सेवा के हों.....

श्री अध्यक्ष–

शाक्य जी सदन में इस तरह से बातचीत ठीक नहीं है । मैं प्रेस के लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि इस तरह से कागज न लिया करें, वरना प्रेस को ऊपर भेजना पड़ेगा ।

(इस समय 1 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए)

श्री धनीराम वर्मा–

बहुतों ने अपना प्राविडेण्ट फण्ड निकालने के लिये प्रार्थना पत्र दिये इसलिए कि उनके लड़के-लड़कियों की शादी करनी है या अन्य कोई काम करने थे ऐसे समय पर उन्हें अपने प्राविडेण्ट फण्ड का पैसा नहीं मिला और उसका परिणाम यह हुआ कि या तो उनके लड़के-लड़कियों की शादी रुकी या फिर जैसे-तैसे उन्होंने शादी व्याह को निपटाया । श्रीमन् जो लोक-लेखा के धन को बजटीय धन बना रखा है वह नहीं होना चाहिए । श्रीमन्, यहीं पर मैं यह भी बात कह देना चाहता हूं कि यह जो बजट प्रस्तुत

नोट :– † दिनांक 23 जून, 1998 की कार्यवाही से ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किया गया है, तमाम हेडिंग्स और तमाम लम्बे वक्तव्य के जरिये सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, लेकिन यह है क्या ? यह ठीक वैसे ही है जैसे एक भूखा बच्चा भूख से रोता है, मां उसे दूध देने में असफल है, वह उसे चटोरा पकड़ा देती है। लड़का थोड़ी देर में चटोरा देखता है, फिर सिसक-सिसक कर रोने लगता है कि हमें तो इससे कुछ मिलने वाला नहीं। ऐसे ही यह बजट एक खिलौने की तरह रखा गया है, केवल भ्रमित करने के लिये, लेकिन जनता वास्तविकता को अतिशीघ्र समझ लेगी और इनके भ्रमजाल में आने वाली नहीं है।

पिछले वर्ष जो बजट प्रस्तुत किया गया, उसमें मात्र 10 प्रतिशत ही बढ़ोत्तरी का बजट इस साल पेश हुआ है। जो 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है, वह महंगाई से ही समाप्त हो जाती है और फिर तमाम सारे खर्च और कर्मचारियों को वेतन भी देना है। जब यह वेतन में चला जायेगा, महंगाई बढ़ने पर समाप्त हो जायेगा, बढ़ी हुई मदों में चला जायेगा तो फिर नई मदें जो विकास के लिये हुआ करती हैं, उनके लिये धन कहां से आयेगा इसीलिये मैं विस्तार से आंकड़े आपके समक्ष आगे प्रस्तुत करूंगा, किसी विभाग के लिये पिछले साल कितना धन आवंटित था और कितना इस साल है। सही बात यह है कि पिछले साल कृषि, स्वास्थ्य या अन्य विभागों के लिये जितना धन था, उससे कम धन इस साल आवंटित किया गया है। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि विकास की दर जो 6 प्रतिशत आंकी गयी है, वह 3 प्रतिशत भी आने वाली नहीं है और इस साल जो आंकड़े आये हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस साल विकास की दर 1.9 प्रतिशत रही है।

इस साल के लिये मैं कहता हूं कि इस साल तो ऋणात्मक विकास दर आयेगा, धनात्मक का कोई प्रश्न ही नहीं। मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट में प्रदेश की आर्थिक स्थिति का खुलासा किया है और यह भी कहा है कि बहुत से ऐसे प्वाइंट्स हैं, जिनमें हम शून्य से चल रहे हैं और बहुत से ऐसे हैं, जिनमें शून्य से भी नीचे से आगे बढ़ना पड़ रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है ? श्रीमन्, अगर जिम्मेदार पिछली सरकार को बनाते हैं तो मुख्य भूमिका आप ही की थी, आपके दल की थी, संख्या आपकी ज्यादा थी। जिनको समर्थन दिया था, उनकी संख्या तो इतनी नहीं थी। अगर थोड़ा सा भी प्रेशर आपने दिया होता, थोड़ा सा भी आपके दल ने अपनी बात कह दी होती, बजट के खर्च के बारे में तो यह संभव नहीं था कि वह आपके कहने के बावजूद इसे चालू रख पाते। लेकिन आपने तो केवल सत्ता की लालच में, किस तरह से 6 महीने कटेंगे और 6 महीने बाद सत्ता मुझे मिलेगा, की तरफ ध्यान था, इसी ने सारे प्रदेश के विकास कार्य को चौपट किया, सारे प्रदेश को अंधकार में रखा, फिर तो यह व्यवस्था आपको मिलनी ही थी।

लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं जब पिछली बार से 10 प्रतिशत ही आपका बजट बढ़ेगा, फिर आप लम्बी-लम्बी बातें बहुत बढ़ा-चढ़ाकर प्रदेश के विकास की बात कहते हैं वह कैसे सम्भव है, सम्भव नहीं है। श्रीमन्, कोई भी बजट होता है उसकी विशेषता यह हुआ करती है कि कुछ से लेकर अनेकों को लाभान्वित किया जाय और अगली विशेषता यह होती है कि उत्पादक मदों पर अधिक से अधिक व्यय किया जाय लेकिन यह कहां हो रहा है। वह सब फिजूलखर्ची पर जा रहा है, अभी चाय नाश्ते की बात सदन में चल रही थी कुछ हद तक ये सारी बातें अपने में एक स्थान रखती हैं। जब अनुत्पादक कार्यों पर व्यय होगा तो फिर प्रदेश आगे कैसे बढ़ सकता है, गरीबी कैसे दूर हो सकती है आपने सब्जबाग दिखाये कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हमारा बजट गरीबोन्मुख है तो जब पैसा नहीं है तो फिर गरीबी घटेगी कैसे आपके वह सात प्वाइंट जिन पर विकास की बात कही है उन पर एक-एक कर मैं चर्चा करूंगा लेकिन उसके पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट का पैसा उत्पादक कार्यों में अधिक से अधिक खर्च हो तो प्रदेश की जनता को ज्यादा फायदा मिले दूसरा बेरोजगारों को रोजगार मिले कृषि तथा अन्य उद्योगों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो तो प्रदेश खुशहाल हो सकता है अन्यथा प्रदेश की खुशहाली का कोई प्रश्न नहीं है।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने यह जो बजट प्रस्तुत किया है कहीं कोई कर आपने नहीं लगाया है यह बहुत अच्छी बात है कि कोई कर नहीं लगाया । निश्चित तौर पर मैं यह अवगत कराना चाहता हूं कि यह वित्तीय घाटा जो आपके बजट में है और जो संसाधन जुटाने की बात आपने कही है ऋणों के जरिये से, अग्रिम के जरिये से, अगर नहीं जुटाते हैं तो खर्च कहां से करेंगे । निश्चित तौर पर नये कर लगाने पड़ेंगे और नये कर लगाने पड़ेंगे तो आपकी यह घोषणा कि कर रहित बजट थोथी हो जायेगी । श्रीमन्, आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति दिवालियेपन की हो गयी है । श्रीमन्, आज प्रदेश में जो ऋण लिया जा रहा है वह विकास के लिये बल्कि ऋण के ब्याज को चुकाने के लिये ऋण लिया जा रहा है ।

(1 बजकर 25 मिनट)

श्रीमन्, जब यह स्थिति पैदा हो गयी है कि ब्याज को चुकाने के लिये ऋण लिया जायेगा तो प्रदेश तो पीछे जायेगा ही । मान्यवर, चाहे घर हो घर की पैदावार से उत्पादक कार्यों के लिये ऋण लिया जायेगा तब तो ठीक है लेकिन अगर उत्पादक कार्यों के लिये बाहर से ऋण लिया जायेगा और फिर उस ऋण का कर्जा चुकाने के लिये ऋण लिया जायेगा तो वह घर कैसे सम्पन्न होगा । ऐसा ही यह प्रदेश आपके रहते हुए इस सरकार के रहते हुए यह भानुमती के कुनबे के रहते हुए कभी भी आगे बढ़ने वाला नहीं है । आज स्थिति क्या है केवल दिमाग लग रहा है कि सरकार कैसे बची रहे कैसे व्यक्तिगत लोगों को लाभ पहुंचे विकास की तरफ तो कोई दिमाग जा नहीं रहा है । यह बजट जो है इसमें जो विकास के लिये धन नाममात्र का आवंटित किया गया है उसके बारे में अवगत कराना चाहूंगा कि जो सात बिन्दु इसमें रखे गये हैं उसका विश्लेषण करना चाहूंगा ।

(व्यवधान)

अगर माननीय मुख्य मंत्री जी चले गये तो मेरा भाषण भी बन्द हो जायेगा ।

संसदीय कार्य, पंजीयन मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, यही हैं पानी पीने गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विरोधी दल जी माननीय मुख्य मंत्री जी आ गये हैं । आप इनको पानी पीने की अनुमति नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा ?

आप कह रहे थे कि माननीय मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति में ही भाषण दूंगा अन्यथा नहीं ।

* मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, मैं आ गया हूं । उन्होंने यह बात कही अपनी ओर से आश्वस्त कर दूं कि माननीय नेता विरोधी दल इतना विद्वता पूर्ण भाषण कर रहे हैं कि मैं उन्हें न सुनूं यह हो ही नहीं सकता ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, आपने आर्थिक प्रगति के लिये कहा है इसमें सात आयाम दिये हैं मैं एक-एक पर चर्चा कर रहा हूं मुख्य मंत्री जी ने पहली बात कही है कि हमारा बजट ग्रामोन्मुखी है । गांवों के विकास के लिये हमारा बजट है । यह तो तब विकास होगा जब सड़कें हों पैदावार बढ़ें और बिजली उनको मिले । लोगों को रोजगार मिले, यह सब होना चाहिये परन्तु नहीं हो रहा है । इसलिये नहीं हो रहा है क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में आपने ग्रामीण विकास के लिये .62 प्रतिशत धन कम आवंटित किया है । पिछले वर्ष लगभग 1 लाख 11 हजार, 4 सौ 70 के बराबर था और इस वर्ष आपने एक लाख 5 सौ के करीब लिया है । जब आप धन ही कम आवंटित करेंगे तो ग्रामोन्मुखी बजट यह कहां से रह जायेगा ? यह तो

हेडिंग ही नहीं होनी चाहिये थी, यह तो ह्रासोन्मुख बजट है । यह भ्रामक, शब्दजाल तथा प्रदेश की जनता को कोई राहत न देने वाला बजट है ।

दूसरा आपने किसानोन्मुख की बात कही है, हंसी आती है । मुख्य मंत्री जी भी किसान हैं उसके बाद भी किसानों को धोखे में रख रहे हैं । पिछले वर्ष की तुलना में कृषि पर कम बजट आवंटित किया है । तो कृषि का विकास कैसे होगा और किसान का विकास कैसे होगा ? किसान की तरक्की उसकी खेती पर निर्भर करती है । उसे पैदावार का लाभकारी मूल्य मिले, खेती में जो उत्पादक खर्चे हैं उनमें राहत मिले परन्तु आपके पास पैसा नहीं है । देश की तरक्की कृषि और उद्योगों पर है । 70/72 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं । कोई दूसरा धंधा नहीं है और किसान की ऐसी दुर्दशा हो तो ऐसी स्थिति में प्रदेश की दयनीय हालत होना स्वाभाविक है । पिछले सत्र में भी मैंने कहा था कि किसान की हालत बड़ी बदतर है, आलू, धान नष्ट हो गया, तिलहन चली गई, दलहन भी नष्ट हो गयी, गेहूं कि पैदावार भी आपके आंकड़े के अनुसार 18 लाख मीट्रिक टन कम होने वाली है । एक गट्ठा जब काटो तो एक-दो किलो निकलता है तो ऐसी स्थिति में जो गेहूं काटने वाले दूसरे लोग होते हैं उन्होंने कह दिया कि हम गल्ले के हिसाब से नहीं काटेंगे बल्कि घण्टे के हिसाब से काटेंगे, क्योंकि हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है और इसलिये नहीं काटेंगे कि हमारा परता नहीं पड़ रहा है । हम लोगों ने केवल इतना कहा था कि किसानों का इस वर्ष का लगान और आबपासी माफ कर दीजिये । वह इस योग्य नहीं रह गया है कि इसे दे सके । इसके बावजूद उनसे जबरदस्ती पैसा वसूल किया गया है, काल कोठरी में बन्द किया गया, तहसील में बन्द कर दिया और अब भी वह बन्द हैं । उरई में तो 75 वर्षीय हरिजन को केवल लगान वसूली में बन्द कर दिया गया और उसकी इस हादसे से मौत भी हो गयी । यह जो सरकार अपने आपको किसानों का हितैषी बताती है उसके कान में जूं तक नहीं रेंगती है । मान्यवर, इस वर्ष ओला भी पड़ा । श्रीमन् यह कहा गया कि ओला वृष्टि पर मुआवजा भी बंटा । लेकिन औरैया और कानपुर में एक नया पैसा भी मुआवजे का नहीं मिला । मान्यवर, जिले का सृजन तो हो गया लेकिन डी० एम० कहते हैं कि टी० आर०–72 का अधिकार नहीं है, ट्रेजरी नहीं है इसलिये हम पैसा नहीं निकाल सकते हैं और किसानों को राहत नहीं दे सकते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि नये सृजित जिले में टी० आर०–72 का अधिकार दे दिया जाय और ट्रेजरी बना दी जाय ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल जी जिस टी० आर०–72 की बात कर रहे हैं वह दरसल टी० आर०–27 है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह तो केवल अंकों के आगे पीछे का खेल है ।

श्री धनीराम वर्मा–

क्या उनको वित्तीय अधिकार दिये गये हैं और यदि नहीं दिये गये हैं तो यह किसानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । जो आप किसानों को राहत देने की बात कर रहे हैं वह खोखली है । अगर आप किसानों के प्रति हमदर्द हैं तो आप निश्चित रूप से एक साल की लगान और आबपासी माफ करें । हमारी सरकार जब थी जो माननीय मुलायम सिंह ने 10 हजार माफ किया था । मान्यवर, आज गन्ना किसान परेशान है । आप कहते हैं कि 91 प्रतिशत भुगतान कर दिया लेकिन अब भी 250 करोड़

रुपया बकाया है और पडरौना जनपद में अभी 30 प्रतिशत लोगों के तो बैंक खाते नहीं खुले हैं । खाली सब्ज बाग दिखाया जा रहा है । इसकी हालत तो विदेशी सरकार से भी बदतर है । हमारे बुजुर्ग साथी जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा होगी वह अच्छी तरह से जानते होंगे तब मिन्हाई की पर्ची बंटती थी और आबपासी माफ होती थी, लेकिन इस सरकार ने उनको राहत पहुंचाने का कोई काम नहीं किया है । हमारे सामने सरकार बैठी है और उनके मुख्य मंत्री ने जब केन्द्र सरकार में यूरिया के दाम एक रुपये प्रति किलो बढ़ा दिये तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा कि यूरिया की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं उनको वापस लिया जाये । इससे पैदावार घटेगी और नुकसान भी होगा । किसान दुखी होगा और परेशान होगा । माननीय मुख्य मंत्री जी, जब उत्तर भाषण करें तो इस बात का जवाब जरूर दें ।

मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारे नेता और हमारी पार्टी का दबाव केन्द्र पर पड़ा तो केन्द्र सरकार ने यूरिया के बढ़े हुए दामों को वापस ले लिया । मैं यहां पर यह भी कह देना चाहता हूं कि आज उधर के बैठने वालों में से बहुत से लोग जानते होंगे, भले ही वह आप के डर से कुछ न कहें कि कहीं कार्यवाही न हो जाय, गेहूं की खुली लूट हो रही है । 470 रुपये से ज्यादा कीमत किसी भी किसान को नहीं मिल रही है । गेहूं की खरीद का सारा का सारा लाभ बिचौलिये लिये जा रहे हैं । किसानों का शोषण हो रहा है और सरकार उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है । मैं कहना चाहता हूं कि आलू भण्डारण का शुल्क कोल्ड स्टोरेज के मालिकों ने बढ़ा रखा है । क्या सरकार उसके बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है ? मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार थी तो 44 रुपये प्रति कुन्टल के हिसाब से आलू भण्डारण की दर थी और आज 65 रुपये 50 पैसे प्रति बोरी के हिसाब से पर्ची दे रहे हैं । मुझे भी पर्ची मिली है, जो बोरा है उसमें केवल 80 या 85 किलो ही आलू आता है । तो यह रेट पैसठ रुपये पचास पैसे से बढ़कर लगभग 75 रुपये का पड़ जाता है । तो दुगुना रेट बढ़ने का क्या औचित्य है । मैं जानना चहता हूं कि सरकार इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है ? माननीय मुख्य मंत्री जी आप इसमें हस्तक्षेप करें । आपकी सरकार है आप उसके मुखिया हैं । आपको चाहिये कि किसानों को लाभ पहुंचाये और उनको राहत मिलनी चाहिये । जो दुगुना रेट हो गया है, वह तो नहीं होना चाहिये । यह किसान के लिये अहितकर है । किसान जो पैदा करता है वह तो ऐसे ही चला जायेगी, उसके पास कुछ नहीं बचेगा न वह खा सकेगा, न पी सकेगा और न अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकेगा । उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है । यहां पर मैं यह कह देना चाहता हूं कि आपका जो आयाम है गरीबोन्मुखी, तो गरीबी तो दूर तब होगी जब खाद पर से भार कम होगा । जब तक खेती पर भार बना रहेगा तब तक विकास नहीं हो सकता, किसान को लाभ नहीं मिल सकता है । खेती सीजनल धंधा है, कुछ दिन किसान के पास काम रहता है और बाकी दिन वह बेकार रहता है, किसान का पूरा परिवार बेकार रहता है । जब उसके पास पास कोई काम नहीं है तो फिर दाम मे बढ़ोत्तरी कैसे हो सकती है ? पैदावार बढ़ेगी, उत्पादन पढ़ेगा तो आय भी बढ़ेगी । एक साइकिल बनाइये ताकि खाली दिनों में उसे काम मिल सके । जैसे एक साइकिल होती है उसके दोनों पहियों में बराबर हवा रहती है जब साइकिल के एक पहिये में हवा ही नहीं होगी तो वह कैसे चलेगी जब धन नहीं है तो कैसे विकास होगा ?

श्री कल्याण सिंह-

यह कौन से साइकिल की हवा निकल गई है ?

श्री धनीराम वर्मा–

विकास के साइकिल की बात कह रहा हूं विकास को पहिये के रूप में बता रहा हूं जब उस विकास के साइकिल में हवा नहीं होगी तो वह नहीं चल सकता विकास ठप्प हो जायेगा । जब तक आपके पास पैसा नहीं है तो विकास कैसे करेंगे मैं उदाहरण दे रहा हूं साइकिल का मतलब यह है आप समझ नहीं रहे हैं हंस रहे हैं ।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि बेरोजगारों और गरीबों का यह बजट है आप कहते हैं लेकिन उनका इससे भला होने वाला नहीं है । किसान इस देश का सबसे ज्यादा गरीब है इस प्रदेश में अभी भी 43 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे है यह आंकड़े आपके दिये हुये हैं आप की मंत्रिमंडल की बैठक हुई होगी उसके बाद यह आंकड़े आये होंगे तो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 100 में से 43 आदमी आज भी मौजूद हैं आपकी विकास की दर 1.9 है तो वह कहां चले गये तो कुछ तो कमी आनी चाहिये थी जो विकास दर दर्शायी गई है उसमें वास्तविकता नहीं है 43 से नीचे 40-41 तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या आनी चाहिये थी गरीब चाहें किसान हो चाहे मजदूर हो या जो बिल्कुल भूमिहीन हैं वह रोज कमाता है और रोज खाता है उसकी तरफ विशेष ध्यान जाना चाहिये चाहे कोई सरकार किसी दल की सरकार हो उसे इनको ऊपर उठाने के लिये कदम उठाने चाहिये रोजगार के दिन जो आपने निश्चित किये हैं उतने दिन शायद ही किसी को रोजगार मिलेगा थोड़ी बहुत मजदूरी मिल जायेगी लेकिन ज्यादा दिन वह बेकार ही रहेंगे । गरीबों को दो जून की रोटी के लिये जूझना पड़ेगा जब गरीब ही हालत खराब रहेगी तो सारे देश और प्रदेश की हालत खराब होगी यहां पर बार-बार कहा जाता है कि प्रदेश आगे बढ़ रहा है कहां बढ़ रहा है ।

जब तक देश का गरीब, किसान आगे नहीं बढ़ेगा देश आगे नहीं बढ़ेगा । देश के गरीब के आगे बढ़े बगैर देश को आगे बढ़ाने की बात खोखली है, मिथ्या है । आपको कोई ठोस योजना की घोषणा करनी चाहिये थी कि अमुक उद्योग धंधा खोलेंगे । जब माननीय मुलायम सिंह मुख्य मंत्री थे आप नेता विरोधी दल थे तो आपने सुझाव दिया था कि देश का किसान गरीब तब खुशहाल होगा जब पंचायत स्तर पर मध्यम दर्जे के उद्योग धंधे खोले जायेंगे । आपने कहीं बजट में पंचायत स्तर पर मध्यम दर्जे के उद्योग धंधे खोले जायेंगे इसका उल्लेख किया है अगर किया है तो आप अपने भाषण में बता दें कि कहां खोलेंगे और कब तक प्रारम्भ करेंगे और उनमें कितने लोगो को रोजी रोटी मिलेगी ? श्रीमन्, यह पूर्णतया असंभव है कि प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा और बेरोजगारी दूर होगी, यह तब तक नहीं होगा जब तक हर हाथ को काम नहीं मिलेगा और हर खेत को पानी नहीं मिलेगा । पानी की बात मैं आगे करूंगा इस समय मैं काम की बात कर रहा हूं । जब कोई उद्योग धंधा नहीं है । आपने कहा कि बजट रोजगारोन्मुखी है । मैंने पहले ही बताया कि रोजगार के लिये कोई ठोस कदम नहीं है कि कैसे लोगों को रोजगार देंगे कैसे लोगों को काम पर लगायेंगे ? केवल लिख देने मात्र से लोग रोजगार में नहीं लगेंगे । आज बहुत से पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं ।

आज प्रदेश में और केन्द्र में आपकी सरकार है । अब रिटायरमेंट 58 साल की जगह 60 साल पर कर दिया गया तो फिर सरकार नये पद कैसे सृजित करेगी ? 2 साल पहले जिन लोगों को सर्विसेज मिलने वाली थीं वह नहीं मिलेगी । फावड़ा और हथौड़ा चलाने वालों को तो काम मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता । यह पढ़े लिखे लोग 2 साल तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और बेरोजगारी की बीमारी से ग्रसित रहेंगे । यह जो कार्य किया गया है इससे लोगों में आक्रोश है और लोग आन्दोलन करने जा रहे हैं आपको यह झेलना होगा । श्रीमन्, आगे मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि हमारा बजट निवेशोन्मुखी है । श्रीमन्, निवेश तो पूंजीपति देश, प्रदेश में जब करना है जब विद्युत व्यवस्था ठीक हो, बिजली मिले और शान्तिमय वातावरण हो ।

जब तक शांतिमय वातावरण नहीं होगा तब तक कोई उद्यमी अपना पैसा लगाने के लिये तैयार नहीं होगा । अगर जैसी स्थिति आज की है कानून व्यवस्था की, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे । ऐसी बदतर कानून व्यवस्था में कोई आदमी अपना पैसा लगाने के लिये तैयार होने वाला नहीं है और इसलिये शायद इस प्रदेश में कोई बड़ा उद्योग अभी तक बाहर से किसी ने नहीं लगाया है । आप कोशिश कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि इसमें आपको असफलता मिलेगी और असफलता इसलिये मिलेगी क्योंकि आपने वह वातावरण ही तैयार नहीं किया । अगर वैसा वातावरण तैयार किया होता तो निश्चित तरीके से सफलता मिली होती । इसलिये निवेश का कोई प्रश्न नहीं उठता । पूंजी निवेश तो हो नहीं सकता है और यह जो आपका प्वाइन्ट है यह पूरी तरह से मृगतृष्णा की तरह है । इससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है । आपने आगे अपने बजट में कहा है कि यह क्षेत्रीय सन्तुलनोन्मुखी है ।

मैं कहना चाहता हूं कि आज आपने पूरे क्षेत्र में संतुलन स्थापित किया है चाहे पहाड़ हो, बुन्देलखण्ड हो । जो पिछले साल का बजट है उससे कुछ बढ़ाकर दिया है लेकिन श्रीमन्, आज महंगाई के समय में उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है । इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है । आप इससे पूरी तरह से सहमत होंगे । आपको इस प्वाइन्ट को लिखना नहीं चाहिए था प्रदर्शित नहीं करना चाहिए था । आगे आपने अन्त में लिखा है कि यह बजट कल्याणोन्मुखी है । श्रीमन्, जब खेत की पैदावार नहीं, उद्योग नहीं, बेरोजगारी है और लोग गरीब हैं गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं । ऊर्जा नहीं है ऊर्जा से संबंधित कार्य नहीं है तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे हो सकती है ? कैसे कल्याण हो सकता है लोगों का ? कैसे खुशहाली आ सकती है ? यह तो आप कह सकते हैं लेकिन यहां पर बैठे हुए कोई भी लोग इसको मन्जूर करने के लिये तैयार नहीं होंगे । जब साधन नहीं तो कल्याण कैसे होगा ? कल्याण तो तब ही हो सकता है जब लोग साधन सम्पन्न हों । जब लोग साधन विहीन हैं तो सम्पन्नता और खुशहाली आने का तो कोई प्रश्न है ही नहीं । इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि जो अलग-अलग विभाग के बजट हैं । मैंने पहले कहा था कि उन पर अलग-अलग चर्चा करूंगा । कृषि पर मैंने चर्चा कर दी है । अन्य हैं उन पर भी मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा । जो भी आंकड़े दिये गये हैं यह मात्र आंकड़ों का जाल है । इससे कुछ भला होने वाला नहीं है । सबसे पहले हम शिक्षा को ही लें । शिक्षा एक ऐसी शक्ति है ।

शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो समाज का मूल श्रोत है लेकिन श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में अभी तक आजादी के पचास साल तक केवल 42 परसेन्ट लोग ही शिक्षित हैं । जो आंकड़े हैं वह प्रदेश के यही हैं हां, देश के 52 परसेन्ट लोग शिक्षित हैं । हमारा देश और प्रदेश शिक्षा में इतना पिछड़ा है कि वह शिक्षा में पिछड़े होने के कारण कभी सम्पन्न और समृद्धशाली नहीं हो सकता है । लोगों के अशिक्षित होने से न तो उद्योग विकसित होंगे, न अच्छी खेती होगी न व्यापार बढ़ेगा इन सब चीजों को बढ़ाना संभव नहीं है इसमें कार्यकुशलता आना संभव नहीं है । जब कार्य कुशलता नहीं होगी तो पैदावार की क्षमता बढ़ाना संभव नहीं, इसलिये मैं आपका ध्यान शिक्षा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । कितना मखौल कितना दुरुपयोग हो रहा है शिक्षा में, इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । 21 परसेन्ट पद अध्यापकों के विश्वविद्यालयों में खाली पड़े हैं जब 1/5 पद खाली पड़े हैं तो शिक्षा विश्वविद्यालय की कैसी होगी आप स्वयं इस पर विचार कर लें । कभी शिक्षा अच्छी संभव नहीं है जब अध्यापक नहीं होंगे तो पढ़ने वालों को लाभ नहीं मिल सकेगा । मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा के बारे में भी मैं अवगत कराना चाहता हूं ।

15-20 साल हो गए हाई स्कूल क्लासेज में जनरल साइन्स सामान्य विज्ञान की शिक्षा लागू की गई है आप अपने भाषण में बताइएगा क्या एक भी अध्यापक का पद सामान्य विज्ञान के लिए आपने सृजित किया है ? क्या एक भी अध्यापक नियुक्त हुआ है ? श्रीमन्, मैं यहां यह भी कह देना चाहता हूं कि कितना खिलवाड़ हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में । एक बी० एस-सी० पास अध्यापक नियुक्त हुआ वह

वाइलौजी या फिजिक्स कैमेस्ट्री लेकर गया और उसने हिन्दी से एम० ए० कर लिया वरिष्ठता के आधार पर उसका प्रमोशन हो गया वह हिन्दी का लेक्चरर हो गया, ऐसा अध्यापक इण्टरमीडिएट को हिन्दी कैसे पढ़ाएगा ? अगर अच्छी पढ़ा लेता है तो अच्छी बात है । लेकिन उस अध्यापक की जगह प्रदेश में कहीं कोई दूसरा अध्यापक नियुक्त नहीं किया जाता है । इसी तरह से अंग्रेजी वाले को कर दिया साइन्स वाले का कर दिया । हमारे माननीय सदस्य कुछ ऐसे हैं जो विद्यालय संचालित करते हैं उन्हें भलीभांति मालुम होगा एक भी अध्यापक के पद के सृजन की बात हुई हो, नहीं हुई है तो यह खिलवाड़ नहीं हुआ बच्चों के साथ ? प्रदेश की जनता जो अपनी गाढ़ी कमाई से बच्चों को पढ़ाती है क्या उसको धोखा देना नहीं है ? इस संबंध में आप कोई उपाय करेंगे ? मैं समझता हूं इस संबंध में जरूर आपका कोई इशारा होगा आप अति शीघ्र अध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था करेंगे, लेकिन मजबूरी तो इस बात की है कि बजट आपके पास नहीं है । आपने यह अच्छा किया कि विधायक निधि की स्थापना कर दी । बजट तो टोकेन मात्र 30-35 लाख आपने दिया है बाकी आप देखें, चाहे कहीं से दें यह आपकी बात है । लेकिन आप नये पद सृजित करें और उसके लिए आपको धन का प्राविधान करना पड़ेगा । श्रीमन् प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा इन दोनों को आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए । जब प्राइमरी में ही बच्चे पढ़ने नहीं जायेंगे तो शिक्षित लोगों का प्रतिशत कैसे बढ़ेगा ? मान्यवर, एक अन्याय हो रहा है शिक्षा संस्थाओं के साथ ।

वह अन्याय हो रहा है । पहले जब सरकारें थीं उस समय जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज जो मान्यता प्राप्त थे उनमें अनुसूचित जाति के छात्रों की फीस का रिअम्बर्समेन्ट होता था । कक्षा 6 के बच्चों की फीस का भी रिअम्बर्समेन्ट होता था । हमारी सरकार ने कक्षा–12 तक के छात्रों की फीस को निःशुल्क कर दिया था । जो निःशुल्क शिक्षा में 6 से 12 तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं उनका रिअम्बर्समेन्ट होना आवश्यक नहीं है लेकिन आज तक किसी भी विद्यालय को जो वित्त विहीन है या सवित्त हैं सवित्त को तो जाने दीजिए लेकिन जो सवित्त नहीं है उन विद्यालयों रिअम्बर्स करिए नहीं करते हैं तो वायदा खिलाफी है । प्राइवेट मैनेजमेन्ट को यह तो अधिकार दे दीजिए कि वह जितना शुल्क चाहे लगा दे । इण्टरमीडिएट, हायर एजुकेशन के लिए आपने कहा है 5 हजार से 20 हजार तक शुल्क जो वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनको देना पड़ेगा । श्रीमन् गरीब जनता पांच हजार, दस हजार, बीस हजार सालाना देकर किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा पाएगी । इससे प्रदेश की जनता जो अभी तक अपने बच्चों को विद्यालयों में भेजती थी अब न भेजने के लिए मजबूर हो गई । जब उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे कपड़े नहीं होंगे तो बच्चों को कहां से पढ़ाएगी ? पिछले वर्ष इण्टरमीडिएट की परीक्षा में पांच लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा पास की थी उनमें से एक लाख 80 हजार बच्चे वैसे ही धनाभाव के कारण आगे स्कूलों में नहीं जा सके ।

(एक मा० सदस्य के सोने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सदन के अन्दर सोएं नहीं । सदन के अन्दर सोना उचित नहीं है ।

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, यहां कोई सो नहीं रहा है । सभी माननीय सदस्य नेता विरोधी दल के भाषण सुनकर स्थिरप्रज्ञ हो गए हैं ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, मैं अभी शिक्षा के बारे में कह रहा था । अब यह सरकार शिक्षा के प्रति जितनी उदासीन हैं इसके संबंध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । मान्यवर, गरीबों के संबंध में मैं अब कुछ कहना चाहूंगा । इस वर्ष तूफान आया जिससे स्कूलों की छतें टूट गई । सरकारी विद्यालयों को पहले जब दैवी आपदा से क्षति होती थी और भवन क्षतिग्रस्त हो जाते थे तो उन विद्यालयों को सरकार सहायता देती थी किन्तु इस सरकार ने इस वर्ष कुछ भी सहायता नहीं दिया है । इसलिये मुख्य मंत्री जी अपने अभिभाषण में जब जवाब देंगे तो इस संबंध में जरूर विचार करेंगे और यदि कोई सहायता दिया हो तो उसे सदन को अवश्य बतायेंगे ।

मान्यवर, पिछड़े छात्रों के लिये इस सरकार ने जोर-शोर से प्रचार कर रखा है कि हम दसमोत्तर छात्रों को वजीफा देंगे । वजीफा तो आप देंगे लेकिन क्या आप बतायेंगे कि विश्वविद्यालयों में जो अध्यापकों के पद रिक्त हैं क्या उनमें जो भर्ती की जायेगी वह मण्डल आयोग की सिफारिशें जैसे पहले से हैं वैसी क्या लागू रहेंगी ? क्या पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा ? यदि नहीं मिलेगा तो फिर पढ़ाई लिखाई पर अभिभावकों का पैसा खर्च करना बेकार ही साबित होगा । इसलिये उन छात्रों को आप हतोत्साहित कर रहे हैं । जब लोग पढ़ेंगे ही नहीं और जब उन्हें उनका हक ही नहीं मिलेगा तो मेहनत कर अभिभावकों की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च करना बेकार होगा । इसलिये इस संबंध में भी सरकार का पक्ष आना चाहिये । क्या विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी ? विश्वविद्यालयों में जो बी० एस० सी०, एम० एस० सी० की कक्षायें हैं उनमें जैसा आरक्षण हमारी सरकारों ने किया है वैसा ही आरक्षण रहेगा अथवा नहीं ?

श्रीमन् मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार से जूनियर हाई स्कूल अथवा हायर सेकेण्डरी स्कूलों में जो अध्यापक संस्कृत के हैं उनको वेतन देने के लिये ग्राण्ट दी जाती थी लेकिन अब वह ग्राण्ट संस्कृत अध्यापकों को बन्द कर दी गई है । मान्यवर, हम सभी चाहते हैं कि हमारे देश और प्रदेश में संस्कृत और सभ्यता आगे बढ़े लेकिन जब संस्कृत पढ़ाने के लिये अध्यापक ही नहीं होंगे तो शिक्षा कैसी होगी ? इसलिये उस भाषा को ही विद्यालयों में पढ़ाये जाने के लिये प्राविधान नहीं रखा गया है ।

जोर दे रहे हैं आप संस्कृति की । आपकी कथनी और करनी में अन्तर है । आप पब्लिक स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं । सरस्वती शिशु मन्दिर या और भी विद्यालय हैं उनमें अंग्रेजी माध्यम चल रहा है । लेकिन संस्कृत अध्यापक के लिए आप इतने कृपण हो रहे हैं । पता नहीं आपकी नीति क्या है, उद्देश्य क्या है, यह भी सामने आना आवश्यक है । श्रीमन्, इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में जो इस सरकार ने उदासीनता बरती है और पिछड़ों के साथ जो अन्याय करने के लिए कदम उठाने का काम किया है वह अपने में अभूतपूर्व है और यही नहीं पिछड़े के साथ क्या अन्याय नहीं हुआ कि 21 जातियों और 37 उपजातियों को पिछड़ी जाति के आरक्षण सूची से अलग किया और आपने कोई पैरवी नहीं की । श्रीमन्, आपकी मंशा रही होगी कि आप पैरवी करें लेकिन आपके मंत्रिमण्डल के बहुत से सदस्य नहीं चाहते होंगे ।

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, मैं पीठ से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या नेता विपक्ष के भाषण का बहुजन समाज पार्टी ने पूरी तरह से वायकाट कर दिया है । अगर कोई सूचना हो तो उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

श्री धनीराम वर्मा–

मैं इस संदर्भ में इतना कहना चाहूंगा कि आपके पुराने साथी रहे हैं, हो सकता है आपने कोई इशारा कर दिया हो, अन्तिम साथी आप ही रहे हैं, अन्त भला तो जग भला । आपने जो कहा होगा उसी को

मान रहे हैं । शिक्षा के क्षेत्र में जो मैंने कहा है और आरक्षण की बात जो कह रहे हैं यह कैसे संभव हुआ, दो बातें मैं कहना चाह रहा था या तो माननीय मुख्य मंत्री जी को अधिकारी भ्रम में डाले हुये हैं, गुमराह किये हुये हैं या जानबूझकर माननीय मुख्य मंत्री जी ने पैरवी के लिए हाईकोर्ट में व्यवस्था नहीं की थी । एक महीने आदेश को हो जाय और हमारे मुख्य मंत्री जी को पता नहीं चले, प्रदेश की इतनी बड़ी घटना जिसमें पिछड़ों को हक मिल रहा था जिसके लिए अनेक बार जेल जाकर मण्डल आयोग की सिफारिशें लागू करवायी, उससे अलग करने की साजिश किस स्तर पर हुई, अगर अधिकारी स्तर पर हुई है तो वह भी निन्दनीय है और सरकार की जानकारी में होते हुए भी अगर हुआ है तब भी जनहित में अच्छा नहीं है । श्रीमन्, अगर कहीं दो महीने और टाल गये होते तो फिर अपील करने लायक भी नहीं रह जाते । ऐसे ही विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों के संबंध में हो रहा है । एक विश्वविद्यालय में रिट करवा दी, रिट का फैसला आ गया कि विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति में आरक्षण अनिवार्य नहीं है । फाइल दबी हुई है और जो नियुक्तियां होंगी उसमें पिछड़ों को कोई स्थान मिलने वाला नहीं है । मैं इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी को सूचित कर रहा हूं कि अगर वह पिछड़ों के हितैषी हैं निश्चित तरीके से आरक्षण का लाभ हम लोगों ने तमाम कष्ट झेलकर, लाठियां खाकर दिलवाया हैं, इसको बरकरार रखें ।

आगे मैं कहना चाहता हूं । आप पानी की ही बात ले लीजिये ।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर)

आपमें पानी की बात ही नहीं है, जो पानीदार होता है, उसमे पानी की बात की जाती है, आप तो स्वार्थ में लिप्त है ।

(पुनः सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विरोधी दल जितना समय चाहेंगे, उतना समय दिया जायेगा ।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर)

श्री धनीराम वर्मा–

अगर आप में समझदारी नहीं है तो प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए । मुख्य मंत्री जी इनके लिये कोई क्लास लगवा दीजिये ।

श्रीमन् मनुष्य के लिये हवा के बाद पानी ही मुख्य चीज है । चाहे बुन्देलखण्ड हो, चाहे नदियों की तलहटियां हों, जहां कुएं सूख गये, हैण्डपाइप पानी छोड़ गये, मीलों से पानी लाकर लोगों ने प्यास बुझाई, और बुझा रहे हैं, इस सरकार को जरा सा भी जनता के प्रति सद्भाव होता, उनके दुख-दर्द की तरफ ध्यान दिया होता तो निश्चित ही युद्धस्तर पर ऐसे क्षेत्रों चाहें बुन्देलखण्ड हो, चाहे गंगा, चंबल की तलहटी हो, सरयू की तलहटी हो, जहां शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, वहां इण्डिया मार्का हैण्डपाइप लगवा देना चाहिए । श्रीमन् मैं इस सरकार की अक्षमता की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं । हर विधायक के क्षेत्र में 25-25 हैण्डपम्प लगवाया जाना स्वीकार किया गया था और इसके लिये जिला स्तर से भी सूचना मंगवाई गई कि कहां-कहां लगेंगे, लेकिन मैं औरैया जनपद की बात कह रहा हूं, वहां एक भी नहीं लगा है, शायद उधर बैठे सब लोगों के लग गये होंगे, मुख्य मंत्री जी की कृपा हो गई होगी । आप सूचना मंगा लीजिये, फिर अपने वक्तव्य में यह बताने की कृपा करें कि किन-किन जनपदों में किस-किस विधायक के क्षेत्र में 25 इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगवा दिये गये । श्रीमन् यह कोई पार्टीबन्दी की बात नहीं है ।

[2 बजकर 25 मिनट]

श्रीमन्, यह तो ऐसी चीज है जो जनता की आधारभूत समस्याओं से संबंधित है इसमें किसी तरह से पार्टी बन्दी की बात नहीं होनी चाहिए । मैंने इसलिये कहा कि शायद मुख्य मंत्री जी को इस तथ्य की जानकारी न हो, शायद इससे कुछ तेजी आये और कुछ फायदा लोगों को हो जाय तो यह फायदा हमें भी मिलता रहेगा । मैं यह मांग करता हूं और जोर देकर भी कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी किसी और बजट की कटौती कर लिये होते लेकिन उन्हें पानी पीने की व्यवस्था सबसे पहले सारे प्रदेश के अन्दर करनी चाहिए थी । सारे विपक्ष के विधायक तैयार है कि पेयजल की व्यवस्था कर दीजिए चाहें जितना पैसा बजट से काट लीजिए, हम सब लोग इसके लिये तैयार है । मैं समझता हूं कि शायद इस संबंध में यह सरकार कुछ कदम उठाये बजट तो पेश कर दिया है कटौती शायद संभव न हो लेकिन अगर कोई संसाधन जुटा सके तो उससे यह काम अवश्य हो जाय ।

श्रीमन् सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूं कि खेती की पैदावार सिंचाई पर निर्भर है अगर वह देश में, प्रदेश में एक तरह से अगर प्रदेश की खुशहाली चाहते हैं तो सिंचाई की व्यवस्था पर्याप्त करनी चाहिए । सिंचाई का बजट मैंने देखा है । सिंचाई का बजट जो है उसमें भी बढ़ाने का काम नहीं किया है जब बजट नहीं बढ़ा है तो रजबहे और गूले इन सबको कैसे बनवायेंगे, सिंचन क्षमता कैसे बढ़ायी जायेगी देश की पैदावार को बढ़ाने के लिए सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए । अगर सिंचन क्षमता नहीं बढ़ती है तो पैदावार बढ़ने का सवाल नहीं है बड़े दुख की बात है कि कृषि प्रधान हमारा देश है, प्रदेश है लेकिन हम तिलहन दलहन और तेल भी बाहर से मंगा रहे हैं, गेहूं भी बाहर से मंगा रहे हैं । श्रीमन्, जिस प्रदेश में गंगा यमुना का द्वाबा हो, जहां की जमीन सारी दुनिया से अधिक उपजाऊ हो उस प्रदेश में भी खाद्य पदार्थ बाहर से मंगाना पड़े तो इससे ज्यादा दुख की बात और कोई हो नहीं सकती । श्रीमन् यह तभी संभव होगा जब हम नई नहरें और रजबहे जहां निकाल सकते हैं वहां निकाल करके के सिंचन की क्षमता को बढ़ाये ।

अथवा ट्यूबवेल लगाकर जहां पर पानी की उपलब्धता नहीं है वहां ट्यूबवेल लगाकर हम सिंचन क्षमता को बढ़ायें, तभी संभव हो सकता है अन्यथा तो सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी नहीं । आज स्थिति यह है कि 50 प्रतिशत के लगभग ट्यूबवेल खराब पड़े हुये हैं सरकार के आदेश हैं कि ट्यूबवेल युद्धस्तर पर ठीक कराये जायें, लेकिन नहीं हो रहे हैं । आप औरैया जनपद की साहा ब्लाक के ट्यूबवेल की स्थिति मंगा लें कितने ट्यूबवेल हैं कितने खराब पड़े हैं उससे सारे प्रदेश की स्थिति साफ हो जायेगी । गूलों की सफाई गूल से मतलब छोटी माइनर्स और रजबहे जो हैं उनकी सफाई ठीक से नहीं होती है और न हुई है जिसकी वजह से मेन ब्रांच जो है उसमें कटान होती है पानी फैलता है निरर्थक जाता है किसान को लाभ नहीं होता है नुकसान जरूर होता है जलभराव के कारण ।

*श्री बेचन राम–

मान्यवर, मैं यह अपील करना चाहता हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष का जो भाषण है इसकी प्रतियां छपवाकर पूरे देश में बंटवाई जायं ।

*श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जो नेता प्रतिपक्ष का भाषण है वह तो कार्यवाही का अंग बन जाता है और सबके समक्ष आ जाता है लेकिन जो माननीय सदस्य ने बात रखी है उसका मैं समर्थन करते हुए मुख्य मंत्री जी से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कहना चाहता हूं कि उनके भाषण को छपवाकर देश और प्रदेश में बटवाएं ताकि इस सरकार की सही तस्वीर समाज में आयेगी ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, बड़े दुख की बात यह है कि हमारे कुछ सदस्य किसानों की समस्याओं की तरफ किंचित मात्र भी संवेदनशील नहीं हैं किसानों के दुखदर्द से उनका कोई संबंध नहीं है । हालांकि इससे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि अधिकारियों की दीर्घा में इस समय प्रमुख सचिव वित्त उपस्थित नहीं है । जब वे उपस्थित नहीं रहेंगे तो यह कोई अच्छी बात नहीं है ।

मैं इस ओर भी माननीय मुख्य मंत्री जी को इंगित करता हूं कि वह इस ओर ध्यान देंगे । 1956 में जब अपने देश में खाद्यान्न का बहुत बड़ा संकट आया था तो उस समय जापान का एक कृषि अध्ययन दल यहां आया था और उसने हमारे प्रदेश की ज्यादा छानबीन की थी और यह कहा था कि उत्तर प्रदेश की भूमि ऐसी है अगर यहां पर सिंचाई की व्यवस्था ठीक कर दी जाय और उन्नतिशील बीज पैदा किये जायें तो यह सारे हिन्दुस्तान को खिला सकता है । परन्तु ऐसा नहीं किया गया और न ही ऐसा किया जा रहा है । देश के अन्य प्रदेशों से हम बहुत पिछड़े हुए हैं, वह हम नहीं पिछड़े होते । हरियाणा, पंजाब और गुजरात की श्रेणी में हमारा प्रदेश भी होता । सिंचाई से संबंधित जलभराव की समस्या है । नालों की सफाई करवाई जाती है दूसरे विभागों से भी यह हो रहा है । आज उनका हाल यह है कि मिट्टी निकाली नहीं जाती और टेल तक घास कटती नहीं और यदि कटी भी तो पूरा पानी खेत की तरफ चला जाता है और सारा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है जिसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है, फसल नष्ट होती है और बाढ़ आती है इसलिए जलभराव के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि पैदावार में बढ़ोत्तरी हो सके । चिकित्सा विभाग की बात करना चाहूंगा जो बजट आवंटित किया गया है उसमें केवल 3.65 की बढ़ोत्तरी की गई है । सभी माननीय सदस्य परिचित होंगे जब कोई बीमार इनके अस्पतालों में जाता है तो रुई, पट्टी बाजार से मंगाई जाती है ।

मान्यवर, आज हमारे पास पट्टी और रुई नहीं है । जो सरकार गरीबों को पट्टी और रुई न दे सके, सिरदर्द की गोली न दे सके वह इस प्रदेश की जनता को और क्या दे सकती है ? आज अस्पतालों में डाक्टर नहीं है । हमारे विरोध पक्ष में जो विधायक बैठते हैं उनके क्षेत्रों में डाक्टर की नियुक्ति नहीं होती है । हमारे खुद के अपने क्षेत्र में डाक्टर नहीं है । चार-पांच अस्पताल ऐसे हैं जहां पर डाक्टर नहीं हैं और उनको अगर नियुक्ति किये भी गये थे तो उनको वापस बुला लिया है । पशु अस्पताल में डाक्टर नहीं हैं । हमारे यहां पशु अस्पताल की बिल्डिंग बन गयी है लेकिन उसकी फिनिशिंग नहीं हो पायी है । प्राइवेट बिल्डिंग में अस्पताल चल तो रहा है लेकिन वह भी ऐसा ही है । तो मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे । मान्यवर, साल भर हो गया हमको कोई आवास नहीं दिया गया हमने कहा भी नहीं । हम तो झोपड़ी में भी रह सकते हैं । अगर रहना होगा तो हम मुख्य मंत्री जी की कोठी के सामने झोपड़ी डालकर भी रह सकते हैं ।

आज जनता मेरे साथ है । कल आपके साथ होगी लेकिन यह सरकार पूरी तरह से जनता के साथ पार्टीबन्दी कर रही है । यह और किसी सरकार ने नहीं किया । दवाओं के लिए जो धन आवंटित दिखाया गया है वह न के बराबर है । कीमत बढ़ गयी है अगर थोड़ा धन बढ़ा भी दिया तो आप यह देखें कि कीमत के हिसाब से यह बढ़ा है । इस ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । सड़क के संबंध में यह कहा गया कि गड्ढा मुक्त सड़क का अभियान चलाकर सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है । लेकिन मान्यवर, आज स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है । उदाहरण के लिए हमारे कन्नौज जनपद में करवा इन्दर गांव और तालेगांव मार्ग पर, मान्यवर, यहां से एक विधायक इलेक्शन लड़े थे, उनका नाम विजय बाबू पाले था, वह इसलिये अनशन पर बैठे क्योंकि इस मार्ग की सड़क इतनी

खराब थी कि वहां पर कोई वाहन नहीं चल पाता था और इसे गड्ढा मुक्त कर दिया जाय । लेकिन इस सरकार की कान में जूं तक नहीं रेंगी । मैं स्वयं वहां गया था गाड़ी से और मेरी गाड़ी टूट गयी ।

आज गाड़ी मरम्मत में पड़ी है, इतनी हालत सड़कों की खराब है । अब सरकार कहती है कि हम सड़कों को गड्ढा मुक्त करायेंगे । वहां पर जो विधायक है, वह भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो कम से कम उस क्षेत्र में तो यह कार्य हो जाना चाहिये । मैं कहना चाहता हूं कि असरदार विधायकों के क्षेत्र में भले ही सड़कें गड्ढा मुक्त हो गयी हों, लेकिन और किसी विधायक के क्षेत्र में यह कार्य नहीं हुआ है, सड़कें गड्ढामुक्त नहीं हुई हैं, तो ऐसी स्थिति है । करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया है, 72 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया है और स्थिति जहां की तहां है । यह बड़े दुख की बात है । इनकी कथनी और करनी में अन्तर है, इतना तो फर्क नहीं होना चाहिये ।

मान्यवर, दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत कुछ सड़कें बनवाने की घोषणा की है, बड़ी खुशी है, एक समाजसेवी के नाम से सड़कें बनवाने जा रहे हैं, वह प्रशंसनीय है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह स्वर्ण जयन्ती का वर्ष है, तो आप जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, सरदार भगत सिंह, चन्द्र शेखर आजाद, राम प्रसाद विस्मिल के नाम से भी सड़कें बनवा देते, तो शायद यह पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ी उनके त्याग और बलिदान को ध्यान में रखती, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया । आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप में से बैठे हुये लोगों में से किसी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया । इसलिये मैं चाहता हूं कि जो स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रहे हैं, उनके नाम से भी सड़कें बनवायें, छोटी-छोटी ही बनवा दें, जिससे त्याग और बलिदान करने वालों का नाम लेते रहें और उनके कार्यों का अनुकरण करते रहें । आपने एक काम जरूर किया है कि जिन सड़कों पर गिट्टी और डामर पड़ा हुआ था, उसको जरूर भरवा लिया है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि औरैया में विधुना तहसील में एक सड़क तेरवा दिबियापुर रोड से हरचन्दपुर जाती है, उसकी लम्बाई 9 किलोमीटर है, हमारी सरकार के जमाने में उस सड़क पर गिट्टी और डामर पड़ा था, लेकिन जब आपकी सरकार बनी तो सारी गिट्टी और डामर को उठवा लिया गया । मैं कहना चाहता हूं कि सारे प्रदेश में ऐसा किया गया है, यह तो न्याय की बात नहीं हुई ।

यह कोई न्याय की बात नहीं है कि विपक्ष के विधायकों के यहां से सड़कों की गिट्टी हटा लें । सड़क पर से सभी निकलेंगे किसी एक पार्टी के लोग नहीं निकलेंगे । तो विरोधी पार्टी के लोगों के यहां से डामर भरवा लें यह उचित नहीं है । आप नयी सड़कों पर खर्च नहीं कर रहे हैं लेकिन पुरानी सड़कें जो अधूरी पड़ी हैं जहां पर लाखों रुपया लग चुका है उसको तो ठीक कर दीजिये । अभी हमारे सहारनपुर के विधायक जी बता रहे हैं मेरी बात की इससे पुष्टि हो जाती है जसगौर से मिर्जापुर 8 किमी० सड़क है जिस पर गिट्टी पड़ी थी उसे उठा लिया गया । तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है । हो सकता है कि यह बात आपकी जानकारी में न हो, दूसरे लोग करवा रहे हो । अगर यहां पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री होते तो मैं उन्हें भी यही बताते कि आप अधूरी सड़कों को जहां पर गिट्टी पड़ चुकी है एक-दो कोट हो गया है उनको डामर करवाकर पक्का करवाइये । जिन सड़कों पर मण्डी परिषद् या आर० ई० एस० ने लाखों रुपया खर्च कर बनवाया है उनका मेन्टीनेन्स आप करायें । क्योंकि मण्डी परिषदों की सड़कों की मरम्मत का कोई प्राविधान नहीं है । अगर यह काम सरकार नहीं करेगी तो साल दो साल के बाद वह सड़कें चलने लायक नहीं रह जायेंगी ।

मैं अब दूसरे विभागों के बारे में भी कहना चाहता हूं कि उनकी भी स्थिति आज अच्छी नहीं है कहीं से कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है जिससे लोगों को लाभ मिल सके । आज लोग निराशा के वातावरण में हैं क्योंकि सरकार ने कोई आशाजनक या उत्साहजनक काम नहीं किया है । चाहे वह उद्योगपति हो, चाहे खेतों में काम करने वाला हो, चाहे कोई उद्यमी हो या व्यापारी हो सब

निराशा की गहन निद्रा में सो रहे हैं। यही स्थिति रही तो प्रदेश आर्थिक स्थिति से उबर नहीं सकता है। इतनी गिरावट आयेगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं।

इसके पहले की कानून व्यवस्था की बात कहूं मैं सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में कहना चाहता हूं। करीब 50 के लगभग उपक्रम ऐसे हैं जो कार्यरत हैं, उनकी भी स्थिति अत्यन्त खराब है। वह आज सफेद हाथी बनकर रह गये हैं। कुछ निगमों को छोड़कर सब लगातार करोड़ों रुपया घाटा दे रहे हैं। प्रदेश की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का इन निगमों के अधिकारियों और कर्मचारियों की जेब में जा रहा है।

श्रीमन्, आप देखें कि जो कार्यरत निगम हैं उनमें से 14 निगम ऐसे हैं जिनका लेखाजोखा ही नहीं बना है। कैश बुक नहीं है। उदाहरण के लिये मैं बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का 14 साल से लेखाजोखा नहीं बना है, खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम का 11 साल से नहीं बना है, मत्स्य विकास निगम का 8 साल से नहीं बना है, पंचायत राज वित्त निगम का 7 साल से नहीं बना है, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का 6 साल से नहीं बना है इसी तरीके से अन्य जो 31 निगम हैं इनका लेखाजोखा ही नहीं है कि उनके पास क्या है और क्या खर्च कर रहे हैं। जब यही नहीं तो पता कैसे चलेगा ? लेखा परीक्षा, आडिट नहीं होता है, मनमाने तरीके से अधिकारी और कर्मचारी गुलछर्रे उड़ा रहे हैं लूट रहे हैं। इस लूट को बचायें और उनको हिदायत करिये कि लेखा तैयार करके आडिट करायें जिससे पता चलें कि किस तरीके से धन लोगों की व्यक्तिगत जेब में जा रहा है। अगर विद्युत निगम में घाटा हो तो कोई बात नहीं क्योंकि वह सार्वजनिक सेवा करता है किसानों को बिजली देता है, 1 अरब रुपये प्रतिमाह घाटा है तो उसको वाजिब मानते हैं लेकिन प्रदेश का वित्त निगम यदि घाटे में है, यदि साहूकार घाटे में है क्योंकि वह ब्याज पर पैसा देता है तो साहूकार भी घाटे में हो तो उससे ज्यादा विडम्बना क्या हो सकती है ? यह तो दुख की बात है और अपने में अभूतपूर्व बात है। श्रीमन् खनिज निगम है। खनन होता है फायदे पर बिकता है अगर उसमें घाटा होता है तो उचित नहीं है। परिवहन निगम है। जिसके पास 1 बस होती है 2 साल में दूसरी बस आ जाती है धीरे-धीरे 3-4 बसें कर लेता है लेकिन परिवहन निगम लगातार घाटे में है तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। इन निगमों पर अंकुश लगाया जाय और धन का दुरुपयोग रोका जाय जिससे जनता की गाढ़ी कमायी इन निगमों से बचायी जा सके और जनता को लाभ हो इसके लिये सख्त कदम उठाये जाने चाहिये।

श्रीमन्, दो मिनट बैठना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

क्या मान्यवर, आपने भाषण समाप्त कर दिया।

श्री अम्बिका चौधरी–

कुछ अस्वस्थ हैं बाद में कान्टीन्यू करेंगे थोड़ी देर बाद।

* श्री अजय भट्ट–

श्रीमन्, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं बजट भाषण का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। विपक्षी मित्रों की बात सुनने के बाद ऐसा लगा है कि जैसे बजट में कुछ है ही नहीं। कई मित्रों ने कहा कि यह अल्पसंख्यक विरोधी है, कई ने इसे गरीब विरोधी कहा है और कई मित्रों ने तो बजट को कह दिया कि यह बजट नाम की चीज ही नहीं है। माननीय नेता विपक्ष का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भाषण चल रहा था तो लोग ऊंघ रहे थे। विपक्ष के मित्र ही उसको सुनने में इन्टरेस्टेड नहीं थे। मैं कुछ बड़े ही छोटे प्वाइन्ट्स की और जो कि बजट में दिये गये हैं, की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जिनकी ओर हमारे मित्रों ने देखा ही नहीं और उनको अनदेखा कर दिया। यह तो सबको पता है कि जब माननीय मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी ने प्रदेश की सत्ता सम्हाली थी तो आर्थिक स्थिति वास्तव में जीरो पर चल रही थी। आज धीरे-धीरे स्थिति पटरी पर आई है और विकास कार्य हो रहे हैं। यह बजट चहुमुखी विकास का है। इसके पृष्ठ–44 की ओर ध्यान ले जाना चाहता हूं आप लोगों ने संभवतः इसे देखा ही नहीं है। इसमें लिखा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि दुगुनी कर दी गई है। यह बहुत माइन्यूट चीजे हैं। अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिये दोगुनी छात्रवृत्ति कर दी जो वर्षों से वहीं पर थी। इतना ही नहीं इसी पृष्ठ पर अनुसूचित जाति के निर्धन अभिभावकों की पुत्रियों की शादी हेतु देय अनुदान की राशि 5 हजार को बढ़ाकर 10 हजार कर दिया। बीमार, विकलांगों के लिये जो सहायता राशि 1 हजार रुपये थी उसको बढ़ाकर दो हजार कर दिया। इतना ही नहीं विकलांगों की छात्रवृत्ति को दुगुना कर दिया। यह जो लोग सरकार पर आक्षेप लगाते थे कि यह सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है आज उन्हें इस बजट को देखकर यह आभास हो जाना चाहिए था कि यह सरकार अल्पसंख्यक विरोधी नहीं है, उनकी समर्थक है। इसने विपक्ष के इस कथन को तोड़ दिया है कि यह सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है। यह सरकार अल्पसंख्यक का समर्थन करती है। उनको भी भाई मानती है। आज अजादारी और मोहर्रम का जुलूस 21 सालों में पहली बार शांतिपूर्ण ढंग से निकाला जा सका है।

(मेंजे थपथपाई गई)

आज पूरे प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे देश में एक सन्देश गया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इस तरह से यह जुलूस शांतिपूर्वक निकल सका। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरे देशवासियों को यह सन्देश दे डाला कि अल्प संख्यक भी इस देश का रहने वाला है, हमारा भाई है, हमसे अलग नहीं है। हम उसे भी बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं।

श्री इकबाल महमूद–

मोहर्रम वाले दिन पुलिस ने गोली चलाई और कई लोग घायल हुए।

श्री अधिष्ठाता–

जब आपको अवसर दिया जायेगा, तब अपनी बात कहियेगा।

श्री अजय भट्ट–

सोनार, लुहार, हस्तशिल्पी के विकास के लिये इसमें योजना बनाई गई हैं। इन छोटी-छोटी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यह छोटी-छोटी बात लगती है लेकिन यह बहुत बड़ी बात है कि छोटे तबके को ऊपर उठाने के लिये प्रयास किये गये हैं। मेरे मित्र कहते हैं कि इस बजट में कुछ है ही नहीं। नेता विरोधी दल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक हैं ही नहीं, अस्पताल में डाक्टर ही नहीं हैं। इसके लिये कौन जिम्मेदार है। अभी हमारी सरकार को आये हुये जुम्मा-जुम्मा 8 दिन हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी आप पर जाती है जिन्होंने इतने समय तक क्या किया।

श्रीमन्, हमने सत्ता संभाली, उसको जुम्मा-जुम्मा आठ दिन हुए हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने संज्ञान लिया है रिक्त पदों पर एपाइन्टमेन्ट होने वाले हैं विज्ञप्तियां जारी होने वाली हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, नकल विरोधी कानून के बारे में कहना चाहता हूं शिक्षा की बात आई तो नकल विरोधी कानून के बारे में कहा गया आप देखियेगा अब जो नौनिहाल बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं उससे उनके माता-पिता प्रसन्न हैं । गुरूजन खुशी-खुशी उनको पढ़ा रहे हैं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं जो काम छिपकर किया जाता है वह चोरी कहलाता है नकल भी छिपकर की जाती है वह भी चोरी है । हम लोग समाज में अच्छाई लाना चाहते हैं ताकि जो प्रतिभायें विलुप्त हो रही हैं वह आगे बढ़े । श्रीमन् जिनको अपना नाम भी ठीक से लिखना नहीं आता है, जो संस्कृत का श्लोक भी ठीक से नहीं पढ़ सकते हैं और नकल के जरिए आ जाते हैं उनको न लाकर हम प्रतिभाशाली लोगों को लाना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

(लाल बत्ती होने पर)

*समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री दलबहादुर कोरी)–

हमारी लाल बत्ती हो गई है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि लाल बत्ती हमारी है यह भ्रम न पालें जब तक डंग साहब जैसे व्यक्ति सम्मानित पीठ पर हैं यह लाल बत्ती आपकी नहीं है इसको अपना समझने की भूल न करें । कई बार यह समझते हैं कि पीठ उनकी है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

राजनीति में लाल बत्ती किसी की नहीं होती है यह आती है और चली जाती है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

हमारा मतलब उस लाल बत्ती से नहीं है इस लाल बत्ती से है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह लाल बत्ती सभी माननीय सदस्य जो सदन के हैं उनके लिए एक समान कार्य करेगी ।

(व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

श्रीमन्, विद्युत के बारे में प्राविधान आया हमारे कुछ मित्र भाइयों ने बाइकाट किया । जबकि समस्या कोई नहीं है 320 करोड़ रुपये का सरकार ने अतिरिक्त बजट में प्राविधान किया है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आप 37 नम्बर का पृष्ठ देखें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त कर दें ।

श्री अजय भट्ट–

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं ।

*श्री राजेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया । बजट में मात्र एक विधायक निधि ऐसा एजेण्डा है जिसकी प्रशंसा की जा सकती है लेकिन इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि इस प्रश्न पर पिछले सत्र में पक्ष और विपक्ष ने एक स्वर से समर्थन किया थी । मैं सच्चाई को नहीं नकारता हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है । इस प्रदेश में किसानों के ऊपर चौतरफा मार होती है । एक तरफ सूखा, ओला, अतिवृष्टि तथा दूसरी तरफ पूर्वांचल में सांड़, भैंसा, नील गाय अधिक है जिसके कारण फसल को नुकसान होता है । वहां पर बिजली नहीं मिली पानी टेल तक नहीं पहुंचता है इसके बाद भी सरकार की तरफ से किसानों को जेलों में बन्द किया जाता है । वसूली के नाम पर जो किसान नहर से सिंचाई भी नहीं करते हैं, उनके ऊपर लगान लगा दिया जाता है । यह उचित नहीं है । गाजीपुर जनपद में मात्र दो फैक्ट्री हैं दोनों को सरकार बन्द करने जा रही है । इस तरह हम बजट की कैसे सराहना कर सकते हैं ? गाजीपुर में 70 फीसदी ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं । जब हम लोग शिकायत करते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि मेन्टीनेन्स के लिए पैसा नहीं है । दूसरी तरफ सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर दुकानदार मनमाने तरह से पैसे वसूलते हैं । मैं शिक्षा के तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस बजट में यह बात सही है कि अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति को दो गुना कर दिया है । लेकिन दोहरी शिक्षा पद्धति को समाप्त करने के लिए बजट में कोई बात नहीं कही गई है । चार बच्चे हैं उनमें से एक बच्चा जो सबसे तेज है वह पेड़ के नीचे जो स्कूल चल रहा है उसमें पढ़ रहा है और जो तीन बच्चे कम तेज हैं वह देहरादून में कान्वेन्ट स्कूल में पढ़ रहे हैं । इसलिए तेज बच्चे का हैरासमेन्ट होता है । जहां तक कानून व्यवस्था की बात है मैं इस सच्चाई से इन्कार नहीं कर सकता कि पिछली बार जो कल्याण सिंह की सरकार थी उस समय अपराधियों के हौसले पस्त हुए थे लेकिन आज कल्याण सिंह सरकार में अपराधियों के हौसले बुलन्द हैं । पूर्वांचल में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर माफिया टैक्स न लगाते हो । मेरे सामने उदाहरण है जब मैं लखनऊ से अपने यहां जा रहा था । तो बनारस में एक बस गोरखपुर के लिए खड़ी थी एक बस गाजीपुर के लिए खड़ी थी । गोरखपुर वाली बस में 15-20 व्यक्ति बैठना चाहते थे लेकिन उनको बैठने नहीं दिया गया । यह काम 10-15 नौजवानों ने किया जो बाद में आए थे । उन्होंने जोर जबरदस्ती उनको उतारा जब हमने विरोध किया तो हमसे कहा गया कि विधायक जी आपके बस की बात नहीं है । यह एस० पी० के बस की बात नहीं है । इस तरह से कानून व्यवस्था की कितनी जर्जर स्थिति है । आपके बजट में शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता देने का कोई प्राविधान नहीं है। बेरोजगारी भत्ता देने का कोई प्राविधान नहीं है । हमारे यहां गाजीपुर में जिलाधिकारी विधायकों को कोई महत्व नही देते हैं मैं चाहूंगा कि इस तरह की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जय प्रकाश–,

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा वर्ष 1998-1999 के प्रस्तुत बजट पर मुझे आपने बोलने के लिये जो समय दिया है उसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह बड़ा ही सराहनीय बजट है। मान्यवर, हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिये वर्ष 1998-99 में 210 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है जो प्रतिवर्ष की तुलना में सात प्रतिशत अधिक है। मान्यवर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की भांति पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति की दरें भी दुगुनी कर दी गयी हैं। मान्यवर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के निर्धन अभिभावकों की पुत्रियों की शादी हेतु देय अनुदान की धनराशि जो 1997-98 में 5,000 रुपये थी उसे बढ़ाकर 10,000/–रुपये कर दिया गया है। मान्यवर, इंस्पेक्टर राज की समाप्ति/इंस्पेक्टर की भूमिका मात्र गल्तियों को निकालने की नहीं बल्कि गल्तियों के निराकरण हेतु लोगों को शिक्षित कराना भी है। मान्यवर, रिक्शा चालकों को स्वयं के लिये रिक्शा उपलब्ध कराये जाने की योजना का सरकार ने कार्यान्वयन किया है। मान्यवर, निजी बस मालिकों द्वारा आकर्षक योजना के अन्तर्गत प्रमुख शहरों में सिटी बस योजना चालू किया जाना भी सरकार ने सुनिश्चित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन देने की व्यवस्था सुनिश्चित किया है। मान्यवर, बिजली वोर्ड में नियुक्त पुलिसजनों के वोर्डों के प्रति जवाब देय बनाने की नई व्यवस्था लागू की गयी है। हमारी सरकार ने कटिया हटाओ कनेक्शन लगवाओ अभियान का क्रियान्वयन किया है। मान्यवर, चिकित्सा शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिये प्रदेश में मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। मान्यवर, पुराने राशन कार्डों के स्थान पर पुस्तिका के आकार में नये राशन कार्ड जारी करने का सरकार ने निर्णय लिया है। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिये विशेष रंग के राशन कार्ड बनाने की योजना बनायी गयी है।

मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा जन साधारण को सुविधा एवं राहत पहुंचाने के लिये कुछ वस्तुओं जो आम आदमी के उपयोग में आती है के व्यापार-कर में कमी की गयी है। जैसे मिठाई पर व्यापार की दर जो 4 प्रतिशत थी, को कर मुक्त कर दिया गया है। सभी प्रकार की वेल्डिंग पर व्यापार-कर 8 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत कर दिया गया है। खुली चाय, प्रेशर कुकर, हवन सामग्री, सभी प्रकार के छातों तथा प्लास्टिक एवं लाख की चूड़ियों पर व्यापार-कर 8 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत कर दिया गया है। सभी प्रकार के फर्नीचर पर व्यापार कर 12 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत कर दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन 1500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2250–00 रुपये प्रतिमाह कर दी गयी है। इस प्रकार सम्पूर्ण देश में उ० प्र० के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सर्वाधिक पेंशन प्राप्त होगी। तो मान्यवर, हमारी सरकार ने जनता के हित में अनेक निर्णय लिये हैं। अन्त में मैं बजट का समर्थन करते हुए वाणी को विराम देता हूं।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय, अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे जो बजट की आलोचना करने का समय दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, इस सरकार ने 29,912.28 करोड़ रुपये के आय का और 34,610.57 करोड़ रुपये के व्यय का बजट प्रस्तुत किया है।

आंकड़ों पर न जाकर के अगर हम इसको बजट की तरफ देखें तो वैसे तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में 339.90 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाया है लेकिन इसको पूरा देखें तो वास्तविक रूप से 1259.43 करोड़ रुपये का घाटा है। बहुत सारी बातें कही गयी हैं, हमारे इधर के साथी और उधर के साथी आलोचना भी कर रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं लेकिन कभी किसी ने यह विचार

नहीं किया कि यह जो 1259.43 करोड़ रुपये का घाटा है उसकी पूर्ति सरकार कहां से करेगी । इसका एक वाक्य लिखा है कि हम वित्तीय प्रबन्ध से इस घाटे को नियंत्रित करेंगे ।

मान्यवर, यह वित्तीय प्रबन्ध दिखायी नहीं दे रहा है । जिस सरकार का संसार का सबसे बड़ा मंत्रिमण्डल हो, जिस सरकार का मंत्रिमण्डलीय प्रबन्ध ठीक नहीं है, वह प्रदेश का वित्तीय प्रबन्ध कैसे करेगी यह समझ में नहीं आता । मान्यवर, इसके अतिरिक्त प्रदेश पर इस समय 50 हजार करोड़ रुपये का ऋण है उसकी अदायगी के लिए इसमें किसी तरह का सन्देश नहीं है । इतना बड़ा ऋण जिसकी किश्त व ब्याज अदा करने के लिए सरकार को निश्चित रूप से दूसरे ऋण लेने पड़ेंगे, तब गाड़ी आगे बढ़ेगी । मान्यवर, यह तो बजट की स्थिति है जिसमें सदन को गुमराह किया गया, सदन को गुमराह तो किया ही गया लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से और तमाम सूचनाओं से पूरे प्रदेश को भी गुमराह किया गया है । बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि यह बजट ग्रामोन्मुखी, गरीबोन्मुखी और जाने क्या-क्या चीजे हैं लेकिन यह वास्तविकता नहीं है । इसमें प्रदेश के विकास की बात कही गयी है । प्रदेश का विकास केवल दो ही साधनों से हो सकता है कोई तीसरा रास्ता नहीं है । यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है,अगर कृषि की उन्नति नहीं होती तो प्रदेश का विकास संभव नहीं है । दूसरा रास्ता औद्योगिक विकास का है । अगर उद्योगों का विकास नहीं होता तो प्रदेश का विकास संभव नहीं है । मान्यवर, आप इनके बजट साहित्य को देखें, तो पता चलता है कि किसानों के लिए बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं । हालांकि इतने धन की व्यवस्था सरकार इस बजट में नहीं कर सकती, अभी सदन के सामने जो चीज कही गयी वह सारी चीजें 6 महीने में तिरोहित हो जायेंगी और उसे ठिकाने लगा दिया जायेगा । कृषि की उन्नति की बात कही गयी है कि हम सन् 2000 तक कृषि का उत्पादन दूना करेंगे । इस वर्ष जो आपकी सरकार के समय की रबी की फसल हुई है और जो उत्पादन करने का लक्ष्य था उससे लाखों मीट्रिक टन पैदावार में कमी आयी है । कभी इस पर विचार हुआ, कभी विपक्ष के और सरकार के कुछ लोग इस पर विचार करने के लिए बैठे । इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई । मान्यवर, खेती की उन्नति तभी हो सकती है जब किसान को अच्छा बीज, अच्छी खाद, कीटनाशक दवाइयां और सिंचाई के साधन उपलब्ध हो । अगर सिंचाई के साधन नहीं है तो खेती की उन्नति नहीं हो सकती है । पिछले वर्ष आपकी सरकार के समय में आलू पर झुलसा रोग लगा, आलू की फसल चौपट हो गयी । उत्तर प्रदेश के अन्दर की सारी कीटनाशक दवायें नकली पायी गयी । लोगों ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों से कीटनाशक दवायें लाकर छिड़काव किया, वह प्रभावी हुई, बाकी सारी दवायें नकली पायी गयीं ।

[समय 3 बजकर 25 मिनट]

पिछले वर्ष जो खाद मिली सरकारी गोदामों में, वह घटिया और नकली मिली । हमारे यहां पेराज शाहपुर में नकली खाद रखी थी, मैंने अधिकारियों को सूचना दी, छापा मारा गया, वहां नकली डी० ए० पी० पकड़ी गई । पानी के संबंध में कहना चाहूंगा कि आज 55-56 फीसदी सरकारी ट्यूबवेल खराब हैं । जिले की मीटिंग में जब आंकड़े पूछे जाते हैं तो कहते हैं कि यांत्रिक दोष से खराब हैं, विद्युत दोष से खराब हैं, इसी तरह के बहाने बता दिये जाते हैं । आज नहरों की हालत खराब है । नहरों की सफाई नहीं हुई और मुख्य मंत्री जी कहते हैं, हमको बिन्दुवार बताइये, हम जांच करा देंगे । मैं सरकार से कहना चाहता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र करहल में पूरा रजवहा चोक पड़ा हुआ है, टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है । इनका किसानों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, अभी हमारे यहां ओला पड़ा, 100 प्रतिशत नुकसान हुआ, सरकार ने मुआवजा भी दिया लेकिन किसानों को जबरन बन्द करके आबपाशी वसूल किया जा रहा है, इस प्रकार का इनका दोहरा चरित्र है, यह किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं ।

जहां तक औद्योगिक विकास की बात है, सभी उद्योग तब पनपते हैं, जब सबसे पहले ला एण्ड आर्डर ठीक होता है, पूरे बजट में कहीं भी यह नहीं है कि किसी बड़ी कम्पनी का फलां उद्योग उत्तर

प्रदेश में स्थापित हुआ है। जो लोग पहले से उद्योग चला रहे हैं, वह गुजरात और बंगाल की ओर पलायन करते जा रहे हैं क्योंकि यहां कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। व्यापारी को पता नहीं है कि सुबह वह कारखाने जायेगा तो शाम को वापस आयेगा कि नहीं ? हुकुम सिंह चले गये, मैं उनको बताना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम हाउस में मेला लगता है, रोज 8-10 लाशें आती हैं, गाजियाबाद, लखनऊ में यही स्थिति है। आज हमारी राजधानी सुरक्षित नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको धन्यवाद देने की स्वतंत्रता ले रहा हूं।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, इसी लखनऊ शहर में बड़े-बड़े काण्ड हुये हैं, आज तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया, कोई जेल नहीं भेजा गया। सरकार ने बड़े लम्बे चौड़े आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, हम इनको चैलेन्ज देते हैं, इस सरकार के पिछले 4 माह के कार्यकाल में अपराध बढ़े हैं। मुख्यमंत्री जी हमारा चैलेन्ज स्वीकार करें कि अपराध बढ़े हैं। लूट 15 प्रतिशत, हत्या 6 प्रतिशत, दंगे 33 प्रतिशत, अजादारी जुलूस की बहुत चर्चा हुई अभी हरिद्वार महाकुम्भ में कितना खून-खराबा हुआ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें, मैंने आपको वैसे ही काफी समय दे दिया है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, वरिष्ठ लोगों में से है, थोड़ा समय और दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय यादव जी की विद्वता का कायल हूं, मैंने वैसे ही अन्य सदस्यों से 5 मिनट अधिक समय दिया है।

(श्री मेजर जगत पाल सिंह का नाम पुकारे जाने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, बाबू राम जी, वरिष्ठ सदस्य हैं इन्हें 2 मिनट का समय कनक्लूड करने के लिए दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

दो वाक्यों में अपनी बात कहकर समाप्त करें।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, इस समय कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। प्रदेश में इस समय 14 गैंगस्टर चिन्हित किये गये हैं जिन पर ए० के० 47 राइफल है। (व्यवधान)

मान्यवर, यह सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के दल-दल में फंसी हुई है इसलिए इससे प्रदेश का विकास सम्भव नहीं है इसलिए इसके बजट का मैं विरोध करता हूं।

मेजर जगत पाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह एक नियमित बजट है जिसमें हर हाथ को काम, प्रत्येक के चेहरे पर मुस्कान और समाज के पिछड़े दलित के साथ समरसता फैलाने का सही काम किया है। मान्यवर, यह जो रजिस्ट्री कार्यालयों में भष्टाचार हुआ करता था वह भ्रष्टाचार आज खत्म हो गया है और जनता को पूरी

राहत मिलने की सम्भावना है । मान्यवर, आज भयमुक्त समाज बनाया गया है । हत्यारे, बलात्कारी माफियाओं तथा उन पर हाथ रखने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है । इस तरह से जो अपराध हुआ करते थे उसमें से क़ाफी अपराध घटे हैं । पिछली सरकारों में जो अपराध हुआ करते थे उसमें 50 प्रतिशत की घटोत्तरी हुई है । मुख्य मंत्री जी ने जो लखनऊ में खास तौर से जो अजादारी का जुलूस और मुहर्रम का जुलूस निकलवाया उसके लिए 21 वर्षों तक सारी पार्टियां और सरकारें प्रयास करती रहीं परन्तु वह जुलूस नहीं निकल पाया था । मान्यवर, किसानों के गन्ने का भुगतान करने के साथ-साथ 85 प्रतिशत गन्ने की पिराई का संकल्प लिया है । पूंजी निवेश हेतु नई नीति अपनाई है और जहां उद्योग नहीं चल रहे हैं वहां उद्योग लगाने का प्रयास हो रहा है । मान्यवर, स्वतंत्रता सेनानियों को अभी तक 1500 रुपए पेंशन मिल रही थी जब कि हम गोल्डेन जुबली मनाने जा रहे हैं । हमारी सरकार ने इसे बढ़ाकर 2250 रु० पेंशन कर दिया है । मान्यवर, जनता की सरकार जनता के द्वारा, मुख्य मंत्री के दरबार में हर सोमवार को जितने लोग उपस्थित होते हैं । सबकी बात सुनकर सबका समाधान करते हैं । बृहस्पतिवार को किसान सेवा केन्द्र लगते हैं जिसमें ग्रामीण अपनी बात कहते हैं पटवारी से लेकर ऊपर तक के अधिकारी उसमें उपस्थित रहकर समस्याओं का समाधान करते हैं । पहले और तीसरे मंगलवार को तहसील दिवस मनाया जाता है जिसमें तहसील स्तर के अधिकारी और उच्च अधिकारी मौजद रहते हैं उसमें समस्याओं को सुना और उनका समाधान किया जाता है । नौकरियों में धांधली की शिकायतें आती थी जिनके अच्छे अंक हैं अच्छी डिग्री हैं उनको रोजगार अब मिल सकेगा । शिक्षा के क्षेत्र में नकल विरोधी कानून लाकर सरकार ने नकल समर्थकों पर तामाचा लगाया है । नकल के ठेके उठते थे वे ठेकेदार और प्रबन्धक नकल कानून का विरोध कर रहे हैं । किसानों के लिए सिंचाई बन्धु व्यापारियों के लिए व्यापार बन्धु का गठन कर समस्याओं के समाधान की कोशिश की जा रही है । विधायक निधि इस बजट की एक उपलब्धि है जिसमें जनता में प्रसन्नता है कि जनता के अनुरूप विधायक अपने क्षेत्रों में कार्य कर सकेंगे । माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए मैं इसका समर्थन करता हूं बजट बहुत अच्छा बना है ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, आपने बजट की आलोचना करने का मौका दिया इसके लिए मैं आभारी हूं इसमें बजट भाषण में कानून व्यवस्था एवं अपराध नियन्त्रण में बारहवीं लोकसभा के चुनाव को भी शामिल किया गया है और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने की बात कही गयी है । मान्यवर, इलाहाबाद और अमेठी के लोकसभा चुनाव अपने आप में उदाहरण हैं । इटवा और दूसरी सात सीटों पर हमारी पार्टी की जीत थी हरवा दिया गया । भय मुक्त समाज और भय ग्रस्त अपराधी की इसमें बात है लेकिन यह नारा आज उल्टा हो गया है, जनता भय ग्रस्त है और अपराधी भयमुक्त है हमारे जनपद बुलन्दशहर में 12 जून को ओम कुमारी जो भाजपा की नेता और जिला पंचायत सदस्य थीं उनका अपहरण हुआ और 14 जून को खुर्जा शहर के रजबहे में उनकी लाश मिली और गाड़ी मा० नेता सदन के जनपद में मिली जिससे भयमुक्त समाज का नारा खोखला साबित होता है । वह 50 हजार लोगों से चुनी भाजपा नेत्री थी उनकी जघन्य हत्या अपने-आप में उदाहरण है जहां तक आर्थिक विकास की बात है हर चीज में हम पीछे हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर 2.9 थी जबकि देश की 6.6 थी । प्रति व्यक्ति आय 6735 है जबकि देश और अन्य कुछ राज्यों में यह 10,771 रु० है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

विद्युत उपयोग में 94-95 में हमारे देश में उपयोग 319 यूनिट है जबकि हमारे प्रदेश में यह 197 यूनिट है । प्रति लाख जनसंख्या पर हमारे यहां 53.6 किलोमीटर सड़कें निर्मित हैं जबकि देश का औसत 65.7 किलोमीटर का है । इस तरह से प्रति लाख जनसंख्या के अनुपात में 5 हास्पिटल का औसत आता है जबकि हमारे यहां का औसत 2 हास्पिटल का है । यह जो कमी है इसको सुधारने की कोई व्यवस्था इसमें नहीं की गयी है । फिर भी आर्थिक चक्र बजट में घूम रहा है बजट को ग्रामोन्मुखी किसानोन्मुखी और गरीबोन्मुखी बताया गया है ।

मान्यवर, हम जानते है कि सदन के चलने से कई हजार रुपया का खर्चा आता है ।

मान्यवर, यह बजट व्यापारोन्मुखी है । इसमें सारी सुविधाएं व्यापारियों को दी गई हैं । सोना, चांदी, हार्डवेयर, फाईवर, आदि कई चीजों के टैक्स में कमी की गई है । केवल व्यापारियों को लाभ देने के लिए । गरीबोन्मुखी बजट की बात आपने कही है अपने रिक्शे के खुद मालिक योजना को बृहत स्तर पर चलाने की बात कही है परन्तु उन योजनाओं का आपने खुलासा नहीं किया है, उन्हें लोन मिलेगा तो कहां से मिलेगा और उसकी अदायगी कैसे करनी पड़ेंगी आदि-आदि । सिंचाई बंधु की मीटिंग की बात है । जे० ई० वहां पर जाता है परन्तु वह 500 रुपये का काम नहीं करा सकता वह कहता है कि डी० एम० के वहां से फण्ड दिला दें । तहसील दिवस पर तहसीलदार व एस० डी० एम० तो रहते ही हैं परन्तु धारा 151 व 133 के मामले भी नहीं निपटाये जाते, कहते हैं वकील लेकर आओ । कोर्ट में पेश होना । इस तरह तहसील दिवस जनता के साथ मजाक है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपा करके बैठ जायें ।

* श्री भरत सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने जो यह ऐतिहासिक बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । मान्यवर, 5-6 वर्षों से विकास के सारे कार्य ठप्प पड़े थे, यूं कहिये कि 1992 के बाद विकास का कोई भी कार्य नहीं हुआ, सड़क बनाने के काम ठप्प हो गये । एक प्रकार से सारे विकास के कार्य बन्द हो गये । इससे पहले दो सरकारें आई । माननीय श्री मुलायम सिंह जी की और सुश्री मायावती जी की । पिछले दिनों की तुलना हम करें तो माननीय कल्याण सिंह जी ने विपरीत परिस्थितियों में जब धन का अभाव है तब इस प्रकार का विकासोन्मुखी बजट पेश किया है । इससे प्रदेश का विकास बहुत तेजी से होगा ।.....

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया सीट को संबोधित करें ।

श्री भरत सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी पीठ की तरफ ही सम्बोधित कर रहा हूं लेकिन अगर इसी तरह से हमको डिस्टर्ब किया गया तो हम किसी को बोलने नहीं देंगे । मान्यवर, आज माननीय कल्याण सिंह जी ने प्रदेश के सभी विधायकों को और विधान परिषद् के सदस्यों को पचास लाख रुपया की विकास निधि का प्राविधान किया है । इससे विधान सभा सदस्य और विधान परिषद् के सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में उन पचास लाख रुपये से बिजली, सड़क, सिंचाई, हैण्ड पम्प, स्कूल की बिल्डिंग की मरम्मत इत्यादि करा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सकते हैं। हम लोग [x x x] लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया। मान्यवर, इसी सरकार के ग्राम्य विकास मंत्री जी ने 25-25 हैण्ड पम्प पाइप देकर पीने के पानी की समस्या को दूर किया है।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह लोग टीका-टिप्पणी कर रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर नकल मुक्त परीक्षायें हुई हैं। पिछले दिनों इन सरकारों ने प्रदेश की शिक्षा को [x x x] करने का काम किया था। लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी ने नकल अध्यादेश लाकर इस शिक्षा प्रणाली को चुस्त किया यह गरीबों की बात करते हैं,पिछड़ों की बात करते हैं, मान्यवर, माननीय कल्याण सिंह जी ने पिछड़े छात्रों की समस्या को जाना और हाईस्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेज्यूएट तक इनकी छात्रवृत्ति दी। पूरे प्रदेश में आज गुंडा राज्य समाप्त हो रहा है, माफिया राज समाप्त हो रहा है...

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि [x x x] ....

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया अपना-अपना आसन ग्रहण करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह कौन सा तरीका है भाषण देने का। वह लगातार आक्षेप कर रहे हैं। आप कार्यवाही देख लें और इसको निकलवा दें।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया पहले अपना आसन ग्रहण करें। माननीय भरत सिंह जी अब आप बैठ जायें। बहुत हो चुका है।

श्री अम्बिका चौधरी–

इन शब्दों को आप कार्यवाही से निकलवाइये।

(व्यवधान)

श्री. अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य का पूरा का पूरा वक्तव्य अंकित नहीं किया जायेगा। श्री भरत सिंह द्वारा प्रथम वाक्य से लेकर अंतिम वाक्य तक का भाषण अंकित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

आप बैठें। अनुशासन बरदास्त नहीं होगा। मेरे बार-बार कहने के बाद भी आप नहीं बैठे। मैंने परे के पूरे भाषण को अंकित न करने का निर्देश दिया है। सभी के साथ यह होगा। कृपया बैठ जायें। आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। कुछ भी अंकित नहीं होगा। मैंने आपसे बारम्बार आग्रह किया है। यही

नोट–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

बात दोनों पक्षों के साथ होगी । आप बैठें नहीं तो और कठोर कार्यवाही करनी पड़ेगी । मैंने बार-बार निवेदन किया है ।

युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री अमरमणि त्रिपाठी)–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, माननीय सदस्य को शोरगुल में आपके निर्देश सुनाई नहीं पड़े होंगे, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनके भाषण को न अंकित करने के अपने निर्देश को वापस ले लें और जो माननीय भरत सिंह ने कहा है, उसको अंकित करने के निर्देश देने की कृपा करें । ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपके निर्देशों का पालन नहीं किया है, उनका पीठ को असम्मान देने का कोई इरादा नहीं है । जिस तरह से शोर गुल था, उसी के कारण ऐसा हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप अपने स्थान को ग्रहण करें । यह हो सकता है कि मेरी आवाज न सुनाई दी हो, लेकिन मैं स्वयं खड़ा हुआ था । कानों में बात न गयी हो, लेकिन दिखाई न दिया हो ऐसा सम्भव नहीं है । अगर इसी प्रकार से होता रहेगा तो फिर इस पीठ की आवश्यकता नहीं रह जायेगी । फ्री फार आल नहीं छोड़ा जा सकता है । एक सबक मिलना चाहिये । कोई बात मानते नहीं हैं । अगर सत्ता पक्ष का विधायक नहीं मानेगा, तो विपक्ष के लिये क्या कहा जाये ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

पीठ को अनादर करने का किसी को हक नहीं है और ऐसी किसी की मंशा भी नहीं हो सकती है । मैंने निवेदन किया कि आप इस पर पुनर्विचार कर लें ।

श्री भरत सिंह–

मैं आपके निर्देशों को सुन नहीं सका । मुझे खेद है ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्षमा याचना की है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं अपने निर्देशों में केवल इस हद तक संशोधन करता हूं कि जो भी आपने भाषण दिया है और उसमें जो आपत्तिजनक अंश है, उसको अंकित नहीं किया जायेगा । मैं कक्ष में देखकर सुनिश्चित करूंगा कि कौन से अंश अंकित न किये जायें ।

श्री भरत सिंह––

मुझे दो मिनट दे दें ।

(श्री विनोद मणि का नाम पुकारने पर)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इसी सदन में, इसी सत्र में एक दृष्टांत आया है । (व्यवधान)

श्री भरत सिंह–

मुझे अपनी बात कहने का मौका अधिष्ठाता महोदय नहीं देंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

सदन के अन्दर धमकी से काम नहीं चलेगा ।

श्री भरत सिंह–

हमें विधान सभा में अपनी बात कहने दें । हमारी बात सुन लें (व्यवधान) कार्यवाही से निकलवा दें । दो मिनट हमारी बात सुन लें, [x x x] (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कार्यवाही में यह अंकित नहीं किया जायेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x] (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

दोनों माननीय सदस्यों की बात अंकित नहीं की जायेगी । (व्यवधान) आप कृपया अपने स्थान पर विराजे ।

श्री अनीश खां–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मैंने माननीय विनोद मणि जी को बुलाया है ।

* श्री विनोद मणि–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आभारी हूं । यह उत्तर प्रदेश का बजट जनता और कर्मचारियों को धोखा देने वाला है । यह बजट झूठ का पुलिन्दा है । हां, एक बात जरूर कहना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भ्रामक बजट बनाने में बहुत मेहनत की है वह काबिले तारीफ है . इस बजट में 340 करोड़ का घाटा दिखाया गया है वह सत्य से परे है, घाटा 3 हजार करोड़ है जिसे इस प्रदेश की जनता से छिपाने का काम मुख्य मंत्री जी ने किया है ।

मान्यवर, व्यवसाइयों को जो टैक्स में रियायतें दी गयी हैं उससे इस वित्तीय वर्ष में 1028 करोड़ रुपये की कमी आयेगी । वर्ष 1997-98 में 24 हजार करोड़ रुपये की आय का स्टीमेट था जबकि वास्तविक आय 23 हजार 979 करोड़ रुपये रही है । सरकार द्वारा 1998-99 में व्यापार कर, एक्साइज,

---

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्टाम्प रजिस्ट्रेशन में 1987 करोड़ रुपये प्राप्त करने की आशा प्रकट की गयी है जबकि राज्य सरकार के कंसालिडेटेड फण्ड में 4698 करोड़ रुपये का घाटा है इस घाटे को कम कर के 1259 करोड़ तक ले जाने का प्राविधान किया है । लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मार्च, 1998 में जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में बजट प्रस्तुत किया था तो उसमें व्हाइट पेपर के माध्यम से कहा था कि घाटे की भरपाई के लिये जी० पी० एफ० से 11 हजार करोड़ रुपये का लोन लिया गया है । लेकिन यह भी कहा गया कि अब इस स्रोत में पैसा नहीं है और स्रोत सूख गया है । यह जो 11 हजार करोड़ रुपये लोन लिया गया है इसका सूद जोड़ा जाय तो 13 सौ करोड़ रुपये देना पड़ेगा और यह घाटा जो 340 करोड़ का दिखाया गया है यह 3 या 4 हजार करोड़ रुपया हो जायेगा । पंचम वेतन आयोग को लागू उत्तर प्रदेश में किया गया है । कर्मचारियों को वेतन के रूप में जो धन दिया गया है उससे 2853 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार हमारे प्रदेश पर पड़ेगा । इस तरह से यह बजट जनता के साथ, व्यापारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ धोखा है और यह बजट झूठ का पुलिन्दा है । मैं एक बात और कहना चाहता हूं जिसकी बजट में घोषणा नहीं की गयी है । यह हिन्दुस्तान के हर सूबे के आर्थिक मुद्दे से जुड़ा हुआ है । अभी जो आणविक विस्फोट हुआ है और उसके कारण विदेशों ने जो प्रतिबन्ध लगाये हैं भारत सरकार पर, उसका असर भी उत्तर प्रदेश सरकार पर पड़ेगा और इसका कोई समाधान निकालने की बात मुख्य मंत्री जी ने नहीं किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें ।

श्री विनोद मणि–

मैं बेरोजगारी के सवाल पर कहना चाहूंगा कि हमारे सत्तापक्ष के लोग रोजगार की गारन्टी की बात कर रहे हैं । बेरोजगारी के सवाल पर विधान सभा के बाहर अप्रेन्टिस डिप्लोमाधारी, आई० टी० आई० के लोग धरने पर बैठे हैं उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है । हमारे पूर्वांचल के उद्योग धन्धे बन्द हैं । वहां पर उद्योगों का विकास हो सके इसके लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया है । इसी तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है । रोजाना चोरी डकैती हो रही है ।

(डा० वेद प्रकाश सिंह को पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

अब विनोद मणि जी जो बोलेंगे वह कार्यवाही में अंकित नहीं किया जायगा ।

श्री विनोद मणि–

[x x x]

डा० वेद प्रकाश सिंह–

मान्यवर, आपने 1998-99 के बजट पर बोलने के लिये मुझे अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । जब माननीय मुख्य मंत्री सन् 1994 में कल्याण सिंह जी नेता विरोधी दल थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि विकास के 4 तत्व होते हैं । पहला तत्व नियोजन, दूसरा क्रियान्वयन, तीसरा अनुश्रवण और चौथा मूल्यांकन । इन चारों तत्वों के आधार पर विकास की नींव रखी जाती है । उस समय कहे हुये उनके शब्दों को 1998-99 के बजट में समग्र रूप से विकास को गति देने के लिये रखा गया है जो सराहनीय एवं अनुकरणीय कदम है । उन्होंने रिले रेस की बात की थी । रिले रेस में 3-4

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

प्रकार के खिलाड़ी होते हैं उनकी गति अलग-अलग होती है लेकिन उनका उद्देश्य एक ही होता है। आज उन्होंने अपने आपको एक बहुत मजबूत, तेज और फुर्तीला खिलाड़ी साबित करके विकास को जो गति दी है वह अनुकरणीय कदम है। मुझे ध्यान आ रहा है। 1994 में जब तत्कालीन मुख्य मंत्री मुलायम सिंह जी थे कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों का जो प्रतिशत उस समय 38.7 था उसको 24.3 प्रतिशत लाने का वायदा किया था लेकिन उनकी गलत नीतियां और गलत बजट के कारण वह प्रतिशत बढ़कर आज लगभग 43 हो गया।

मान्यवर, यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके संबंध में मैं तीन-चार बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने चाहे वह मुद्दा नकल विरोधी कानून हो, संतुलित विकास का मुद्दा हो, तहसील दिवस का हो, जनता दर्शन का हो, किसान सेवा केन्द्र का हो, इससे भी आगे बढ़कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन 1500 से बढ़ाकर 2250 करने का है। हर क्षेत्र में विकास का कार्य किया है और विकास की योजनाएं बनाई हैं। मान्यवर, कल्याण सिंह जी ने विधायक निधि को 50 लाख रुपये करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इससे पहले की जो सरकारें थीं विधायकों की लम्बे समय चली आ रही इस मांग को आज तक पूरा नहीं कर सकी थीं। आज हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस तरह से विधायक निधि 50 लाख रुपये करके एक सराहनीय कार्य किया है। माननीय प्रमोद कुमार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। वे कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने कहा था कि अगर विधायक निधि को चालू करने का प्रयास किया जाय तो मैं बता सकता हूं कि उसके लिये पैसा कहां से आना चाहिए ? मैं समझता हूं उनके मन की बात पूरी हुई है उनको भी आज इस बात से सन्तुष्ट होना चाहिए कि यह विधायक निधि 50 लाख रुपये करके एक सराहनीय कार्य किया गया है।

उत्तर प्रदेश में अनेक योजनाएं विकास की हैं उनमें बहुत सी योजनाओं में महानुभाओं के नाम पर जैसे बाबा राव अम्बेडकर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, नेहरू, एन० आर० वाई०, जे० आर० वाई० आदि आदि हम इन महानुभावों का सम्मान करते हैं। यह योजनाएं किसी के भी नाम पर चलें। मेरा एक सुझाव है इन सब योजनाओं का धन एकत्रित करके एक रूप में गांव के विकास में लगाया जाय तो अच्छा होगा। विभिन्न नाम से जो अनेक योजनाएं चलती हैं उसमें जनता की समझ में नहीं आ पाता है, जन प्रतिनिधियों को भी परेशानी होती है। इन छोटी-छोटी अनेक योजनाओं में पैसा जाता है और उसका नतीजा सामने नहीं आ पाता है। मैं इस बजट का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि इन योजनाओं को एकत्रित करके एक रूपता देनी चाहिए। किसी एक बड़ी योजना को तैयार करके गांवों के विकास में धन लगाना चाहिए। मान्यवर, मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। इस वर्ष के लिये बजट में 2 हजार करोड़ रुपये ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में 255 करोड़ करों की आय का जो हमारे स्थानीय निकाय हैं उनके करों के रूप में दिया जाता है। एक हजार एक करोड़ की धनराशि दशम् वित्त आयोग और आयोजनागत मद से सीधे मिलती है 512 करोड़ विभिन्न योजनाओं में आयोजनागत में आता है यदि यह सब मिलाकर 3768 करोड़ रुपया बन जाता है। हमारे प्रदेश में 1 लाख गांव हैं यदि यह सारा पैसा गांवों में लग जाय तो तीन लाख पिछत्तर हजार (3,75000-00) प्रति गांव पड़ता है जिससे पर्याप्त मात्रा नाली, खड़न्जे, पंचायत घर, सिपेज और अन्य सुविधाएं गांवों में प्रदान की जा सकती हैं। इसी तरह से सड़कों को बनाने के लिये, विद्युतीकरण के लिये क्रमशः 557 और 240 करोड़ रुपये का बजट है, इसके अलावा पेयजल व सघन मिनी डेयरी योजना के लिये अलग पैसा है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

डा० वेद प्रकाश सिंह–

मान्यवर, दो तीन बातें और कहना चाहता हूं। मुझे थोड़ा समय दे दें। सड़कों की स्थिति अच्छी हुई है। सड़कों को चौड़ा किया गया है। इसी के साथ कहना चाहता हूं कि सड़कों के किनारे जो साइन बोर्ड लगे होते हैं, उनको ठीक से लगाया जाय ताकि एक्सीडेन्ट न हों। परिवहन विभाग झूठे लाइसेन्स को लाइसेन्स न दे।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री शिशुपाल सिंह यादव–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, इस बजट में सबसे पहले जो प्वाइन्ट लिया गया है यह कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण का है मान्यवर, यह सरकार हमेशा कथनी और करनी में अन्तर रखती है। महोदय इन्होंने कहा है कि हमारी सरकार भयमुक्त और अच्छे आचरण की सरकार है यह भयमुक्त समाज देंगे। मान्यवर, मैं अपने जिले की दो-तीन समस्याओं को बता दूं तो पता लगेगा इनका भयमुक्त समाज कैसा है।

मान्यवर, 16 तारीख को दिन के चार बजे एक मारुती कार से चार-पांच लोगों ने हमारे एक कार्यकर्ता को जो दूध का काम करता था उसकी हत्या कर दी यह इनका भयमुक्त समाज है। मान्यवर, 17-4-98 को शेष सिंह यादव इनकी थाने के अन्दर हत्या कर दी गई यह हत्या सिपाही के द्वारा की गई यह भयमुक्त समाज है। इसके अलावा मान्यवर, लोकसभा चुनाव में हमारे एक कार्यकर्ता की हत्या हुई इनकी जान ही नहीं गई मान्यवर, हमारे एक माननीय विधायक पर झूठा आरोप लगाया गया जो हत्यारे थे जिन्होंने कार्यकर्ता की हत्या की वह खुले आम घूम रहे हैं यह है भयमुक्त समाज। मान्यवर, आपके माध्यम से दूसरी बात कहना चाहूंगा परसों बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हमारी छाती बहुत चौड़ी है तो यह सच है उनकी सरकार जैसी कोई सरकार नहीं रही है जिसमें माफिया मंत्री बने बैठे हों तो छाती तो चौड़ी है ही, और कहते हैं कि भयमुक्त समाज देंगे। भ्रष्टाचार से मुक्त शासन देंगे मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार की परिभाषा इनके यहां क्या है नहीं मालूम। मान्यवर, हमारे एटा में बिजली विभाग का एक अधिकारी है जूनियर इंजीनियर है। 15-16 साल से कार्यरत है सी० के० तिवारी, मान्यवर, इतना ज्यादा भ्रष्ट है और उनका यह कहना है कि हम यहां से नहीं हटेंगे चाहे कितने अधिकारी यहां बदल जाएं।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, सी० के० तिवारी का पैसा बंधा हुआ है आते हैं और दे जाते हैं। 15 साल से एक ही जगह है चार बार ट्रांसफर हो चुका है रिलीव नहीं हुए हैं। मान्यवर, इसके अलावा मान्यवर, हमारे नगर पालिका ब्लाक में जो उनके चेयरमैन हैं उन पर चालीस लाख के गबन का आरोप है एस० डी० एम० और डी०एम० अपनी रिपोर्ट भेज चुके हैं लेकिन चेयरमैन को नहीं हटाया जा रहा है यह भ्रष्टाचार मुक्त समाज है। मान्यवर शिक्षा के बारे में मैं आपको बता दूं इतना भ्रष्टाचार फैला है बाबू जो 15-20 साल से बैठे हैं अपनी मनमानी पर उतारू हैं बी० एस० ए० चार महीने में बदले जा चुके हैं। यह है भ्रष्टाचार मुक्त समाज।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

श्री शिशुपाल सिंह यादव–

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(इस समय 4 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री धनराज यादव)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर आपने मुझे सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। वैसे यदि गौर से देखा जाए। पक्ष विपक्ष की बात को दरकिनार करके देखा जाए तो बिना कर बढ़ाए कुछ आवश्यक खर्चे को घटाकर जितना व्यवहारिक जितना यथार्थपरक यह बजट बना है, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और ऐसा नहीं है कि विपक्ष इसकी प्रशंसा नहीं कर रहा है। वह मन से जो कुछ कर रहा है केवल विपक्ष में बैठने के नाते कुछ न कुछ तो कहना ही है किन्तु उसके अन्दर से दूसरी ध्वनि निकल रही है। हमारे विरोधी दल के नेता ने शायद दो घंटे अपने विचार प्रकट किए लेकिन वह भी कोई कड़ी आलोचना नहीं कर सके। हमारी सरकार ने कल्याण सिंह की सरकार ने सरकार को जनता के द्वार तक पहुंचाने का प्रयास किया। किसान सेवा केन्द्र, तहसील दिवस आदि के द्वारा प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आज हम गारण्टी नहीं दे सकते हैं कि तहसील दिवस किसान सेवा केन्द्र में जो लोग जाते हैं उन सबके कामों को निपटारा हो जाता होगा। जितने लोग आते हैं उन सबके काम भी इस योग्य नहीं होते हैं कि उनका निपटारा हो जाएगा उनके पक्ष में निर्णय हो जाए। इसमें विपक्षी दलों के लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। चाहे इधर के माननीय सदस्य हों या उधर के माननीय सदस्य हों। सबका लक्ष्य यही है कि उत्तर प्रदेश की जनता सुखी रहे। इसलिये इन प्रोग्रामों में सबका सहयोग मिलना चाहिए। अभी एक माननीय सदस्य 2 हैण्ड पम्प की बात कर रहे थे। सब लोग अपने दिल पर हाथ रखकर कह दें कि हैण्ड पम्प लग रहे हैं कि नहीं इसके पूर्व यह हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था नहीं थी। आगे हैण्ड पम्पों की संख्या और बढ़ा दी जायेगी। उत्तर प्रदेश में बिना कर लगाए पूर्वांचल विकास निधि को बढ़ा दिया गया है। बुन्देलखण्ड के लिए धन बढ़ा है। जो 50-50 लाख रुपये की विधायक निधि की स्थापना की गई है उसकी तो प्रशंसा करनी चाहिए थी। प्रमोद जी यहां रहे होते तो जरूर इसकी प्रशंसा करते। लेकिन आप लोगों के भय के कारण वह नहीं आए। नहीं तो वह बिना प्रशंसा किए नहीं रह सकते थे। पहली बार एक नई योजना आई है। सिंचाई के लिए नलकूप लगाने पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जो किसान नलकूप लगायेंगे उनको पानी की बिक्री करने का अधिकार होगा। यह एक क्रान्तिकारी कदम है इससे सिंचाई में वृद्धि होगी। रजिस्ट्री की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है।

माननीय, अधिष्ठाता महोदय, अब वह रजिस्ट्री छः मिनट में मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है जिसके सुधार में कुछ समय तो अवश्य लगेगा। मान्यवर, लड़कियों के स्कूल के लिये दस लाख रुपये पहले मिलता था उसे बढ़ाकर हमारी सरकार ने 20 लाख रुपये कर दिया है। इस तरह से जो भी काम हमारी सरकार कर रही है वह जनहित में कर रही है। लेकिन इतने बड़े प्रदेश की व्यवस्था को विभिन्न सरकारों और राज्यपाल के शासन में जो लचर-पचर व्यवस्था बना दी गयी थी उसको दुरुस्त करने हेतु सरकार तमाम योजनायें जनहित में चालू करने जा रही है लेकिन प्रदेश के सुधार में कुछ समय तो अवश्य लगेगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

* श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने हम जैसे नये सदस्य को बोलने के लिये समय दिया । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास में अनुपम, अनूठा, सुन्दर और सर्वाधिक झूठ का पुलिन्दा है । किसी भी राष्ट्र की शक्ति और उन्नति के लिये वहां के लोगों को शिक्षा देने में निहित होती है । मान्यवर, मैं एक शिक्षक का पुत्र हूं और मैं शिक्षक हूं । इसलिये कहना चाहता हूं कि इस बजट में शिक्षा के प्रति मुझे उदासीनता देखने को मिली है जिससे इस पंगु सरकार की मानसिकता का परिचय मिलता है । मान्यवर, मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि आज इस सदन में मैंने शिक्षा से जुड़े हुये मंत्रियों को निरुत्तर होते हुये देखा है जिसका कारण है कि शिक्षा के संबंध में उनके पास न कोई योजना है और न खर्च करने के लिये बजट में कोई प्राविधान किया है ।

मान्यवर, आज उ० प्र० और उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी, के अन्तर्गत 68-हैदराबाद विधान सभा क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, के संबंध में बताना चाहता हूं कि आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर मुझे यह कहते हुये दुख हो रहा है कि चार विधान सभा क्षेत्रों जिसकी 20 लाख की आबादी है वहां मात्र एक महाविद्यालय है और कोई राजकीय इंटर कालेज नहीं है । ऐसी स्थिति में शिक्षा के प्रति बजट में किसी प्रकार का प्राविधान न करना सरकार की उदासीनता का द्योतक है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह बात सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि गोला गोकरननाथ में केन ग्रोवर्स नेहरू डिग्री कालेज में सारी औपचारिकतायें पूरी होने के बावजूद वहां दो विषयों की अनुमति नहीं दी जा रही है और उसके संबंध में इस बजट में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है । इसलिये इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

मान्यवर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सरस्वती विद्या मन्दिर जो कि विद्या भारती से संचालित है जिसे सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है लेकिन प्रबन्ध तंत्र और प्रचार के आपसी झगड़े के चलते दोनों पक्षों द्वारा विद्यालय में अपने-अपने ताले डाल दिये हैं जिससे हजारों छात्रों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है । इस संबंध में मैं चाहता हूं कि इसमें अविलम्ब कार्यवाही की जाये ।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण के संबंध में बजट के भाग–1 के पृष्ठ संख्या–8 में बताया गया है–भयमुक्त समाज और अपराधी भयग्रस्त हों लेकिन इन लुभावने नारों की आज धज्जियां उड़ायी जा रही हैं ।

[समय 4 बजकर 25 मिनट]

आपको बताना चाहता हूं कि जब मुझ जैसे सदस्य के ऊपर, मेरे परिवार के लोगों के ऊपर जीवन रक्षा की समस्या उत्पन्न हो गयी है, सारे के सारे लोगों को जेल में डालने का प्रयास किया गया है, झूठे मुकदमें दर्ज कराये गये हैं । मैं यह कहते हुए शर्म का अनुभव कर रहा हूं कि पूरा प्रदेश भयमुक्त है । यह विधान सभा उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत है । हम खबर में पढ़ते हैं कि एक मंत्री के कार्यालय में मारपीट होती है, एक मंत्री दूसरे मंत्री के कार्यालय में सिर छुपाये बैठा है । सत्तापक्ष के लोग कर्मचारियों पर आक्रमण करते हैं, सदन के परिसर की यह हालत है तो पूरे प्रदेश के अन्दर भयमुक्त समाज की बात कहना अनर्गल प्रलाप है । मान्यवर, मैं लखीमपुर खीरी से आता हूं । लखीमपुर खीरी एक कृषि प्रधान जनपद है उसके संबंध में अपनी बात कहना चाहता हूं । पिछले वर्ष धान के किसानों की जो हालत हुई थी वह छुपी नहीं है, उसके बाद गन्ने का मूल्य न मिलना, गन्ने के बाद किसान अपने आंसू भी नहीं पोंछ पाये थे कि गेहूं की बात आयी, वहां उनको मूल्य नहीं मिल पाया । शासन ने जो निर्देश जारी किया था कि गेहूं बिचौलियों के माध्यम से खरीदा जायेगा और उस आदेश के द्वारा किसानों का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शोषण किया गया । किसानों का आधे से अधिक गेहूं खरीद लिया गया उसके बाद 10 मई को आदेश जारी किया गया कि यह व्यवस्था समाप्त की जाती है । मुझे बहुत ही दुख है, उत्तर प्रदेश में अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है लखीमपुर खीरी ने, 10 मई को मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया उससे पहले ही सारी खरीददारी 7-8-9 मई को कर ली गयी । डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये की अनियमिततायें करके भुगतान लिया है । मान्यवर, यह सरकार मजदूर विरोधी, किसान विरोधी है हालांकि सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से रखने का प्रयास किया है लेकिन पूरा बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक काला बजट है । इसका मैं विरोध करता हूं । धन्यवाद ।

श्री हरवंश कपूर–

माननीय अधिष्ठाता जी, बजट के इस चर्चा पर आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, निःसन्देह हमारा प्रदेश महान है और इसे एक लघु भारत के स्वरूप में देखें तो यह कोई गलत नहीं होगा । यह दुर्भाग्य है कि हम पिछड़ गये हैं, प्रदेश पिछड़ गया है उसके लिये जिम्मेवार वर्तमान सरकार कभी नहीं हो सकती । अगर प्रदेश को विकास की गति देनी है तो इसके लिये हम सबको मिलजुलकर प्रयास करना होगा । इसकी जिम्मेवारी जितनी सत्तापक्ष की है, उतनी विपक्ष की भी है । मान्यवर, यह हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले कई वर्षों से प्रदेश को ऐसी सरकारें मिली जो अपने आप में स्थायी नहीं थी । ऐसे महामहिम राज्यपाल मिले जिन्होंने अपनी गरिमा के प्रतिकूल काम किये । मान्यवर, आज हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि हम प्रदेश को विकास की ओर ले जाएं । आज आवश्यकता इस बात की है कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसे सही परिपेक्ष्य में देखा जाय । सरकार की जिम्मेवारी है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े, प्रत्येक वर्ग या क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता दे । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान बजट में इसकी व्यवस्था की गयी है । अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति और अल्प संख्यक और महिला वर्ग के विकास की इसमें व्यवस्था की गयी है ।

मान्यवर, यह अपने आप में सराहनीय है । इसी तरह से प्रत्येक गांव में और प्रत्येक गांव के छोर तक सड़क बनाने की व्यवस्था की गई है, प्रत्येक नहर की टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, इससे विकास का लाभ उस प्रत्येक गांव को मिलेगा, जो दूर दराज का क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है । नगर क्षेत्र में मलिन बस्तियों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलकर सरकार ने एक सराहनीय कार्य किया है । इसी तरह से हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि किस तरह से यहां के विधायक जनप्रतिनिधि जब अपने क्षेत्र में जाते थे, छोटी-छोटी समस्याओं के लिये हमारे मतदाता, क्षेत्रवासी मांग करते थे, तो हम यह सोचते थे कि इस समस्या का समाधान किस तरह से होगा । कभी हम कलेक्टर के पास जाते थे, कभी ए० डी० एम० के पास जाते थे, कभी तहसीलदार के पास जाते थे । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 50 लाख रुपया प्रत्येक विधायक के लिये विधायक निधि में गठन करके सराहनीय कार्य किया है । निश्चित रूप से इससे विधायकों का सम्मान बढ़ेगा और क्षेत्र के लोगों की जो छोटी समस्यायें हैं, उनका समाधान भी होगा ।

इसी तरह से 5-10-15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो आवासीय व्यवस्था इस सरकार ने की है, यह अपने आप में एक सराहनीय कदम है । आज प्रत्येक नागरिक इस बात के लिये प्रयासरत हो सकता है कि उसका अपना स्वयं का मकान हो और अब वह अपनी समर्थता के अनुसार 5-10-15 रुपये प्रतिदिन में अपना आवास बना सकता है । इसी प्रकार से मान्यवर, इस सरकार ने गड्ढामुक्त सड़कों की

व्यवस्था की है। आज हम इस बात को महसूस करते हैं कि प्रत्येक शहर और गांव में सड़कों में सुधार हो रहा है, यातायात की समस्या जो पहले दुर्लभ समस्या थी, वह आज हल हो रही है।

मान्यवर, कानून व्यवस्था यदि ठीक नहीं है, उसके लिये वर्तमान सरकार दोषी नहीं हो सकती। वर्तमान सरकार ने और माननीय मुख्य मंत्री जी ने कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिये जो कदम उठाये हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में इसके सुपरिणाम सामने होंगे और इससे विकास को भी गति मिलेगी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

* श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, मैं आपका मशकूर हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यह बजट विकासविहीन, दिशाविहीन बजट है। इस बजट में उत्तर प्रदेश के विकास के लिये कोई नई चीज नहीं कही गई है। यह सच्चाई से परे है और 340 करोड़ के घाटे की पूर्ति कहां से की जायेगी, इसको कहीं भी नहीं दिखाया गया है। जहां तक बड़ी-बड़ी बातों का सवाल है, कर्मचारियों को देने के लिये तनख्वाह के पैसे की व्यवस्था नहीं थी, उसके लिये 1567 करोड़ केन्द्र से लेना पड़ा, इसके अलावा 1100 करोड़ कर्मचारियों की भविष्य निधि से निकालकर काम चलाया जा रहा है। इस सरकार में बैठे हुये मंत्री करोड़ों की चाय पी गये, 100 मंत्री बैठे हैं। आज इस सरकार की हालत ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, लाल बत्ती में घूमने का बड़ा शौक है इनके मंत्रियों को।

मान्यवर, इस सरकार में जो मैंने पढ़ा है माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें है कि जो तहबाजारी लेने जायेगा उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा लेकिन सरकार में बैठे हुए जो माफिया है उनको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ेगी यह कहीं नहीं कहा गया है। मान्यवर, यह है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम नई योजनायें बनायेंगे लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, मैं खिलाड़ी रहा हूं। मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं।

मान्यवर, आज सी० पी० एड०, डी० पी० एड० और एम० पी० एड० करने वाले छात्र घूम रहे हैं पहले सी० पी० एड० करने वाले लोग इण्टर कालेज में और डी० पी० एड० और एम० पी० एड०करने वाले डिग्री कालेज में हो जाया करते थे लेकिन आज यह लड़के कैसे रोजी-रोटी से जुड़ पायेंगे इसके लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया है। आज हमारा प्रदेश, हमारा देश खेल में सबसे पीछे जा रहा है कटोरा लेकर भीख मांग रहा है लेकिन खिलाड़ियों और खेल के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। इसी तरह से स्वास्थ्य के बारे में जो कहा गया है कि मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे यह बहुत अच्छी बात है लेकिन जो स्वास्थ्य केन्द्र पूरे प्रदेश में खुले हैं, हमारे क्षेत्र गोपालपुर में जो स्वास्थ्य केन्द्र खुला है, गोपाल पुर सबसे पिछड़ा क्षेत्र है इसमें कर्मचारी नहीं है। जो हमारे दूर दराज इलाके में स्वास्थ्य केन्द्र बने हुए हैं उसमें डाक्टर नहीं है, कर्मचारी नहीं है और उसकी व्यवस्था का कोई प्राविधान नहीं किया गया है। नहरों के बारे में कहा गया कि सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी। मान्यवर, नहरों में पानी दिया जाता है लेकिन जब बीज खेतों में जाता है और फसल लहलहाने को आती है तो नहरों में पानी नहीं रहता है। नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंचता है। मान्यवर, हमारे मुख्य मंत्री जब मुलायम सिंह यादव जी थे तो उन्होंने टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया था लेकिन इस सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

मान्यवर, मैं नया सदस्य हूं और पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आज चक्रवात से हमारा विधान सभा क्षेत्र कराह रहा है। हमारे माननीय सिरोही जी बैठे हुए हैं जो हमारे यहां के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रभारी हैं लेकिन एक भी पैसे का अनुदान नहीं दिया गया है और आज भी गरीब किसान अपने घरों पर खपरैल नहीं बिछा पाया है। हां, कुछ अनुदान दिया गया कि हमारे घर से एक किमी० की दूरी पर कोई कुसुम राय जी हैं उन्होंने कम्बल वगैरह बांटा है, बस यही अनुदान है। एफ० आई० आर० को लिखवाने का, थाने पर दलाली का काम आर० एस० एस०, बी० जे० पी० के लोग कर रहे हैं एस० पी० की कोई नहीं मानता। गुण्डागर्दी, माफियागर्दी बढ़ी है इसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

(व्यवधान)

जो बजट भाषण है उसमें कहा गया है कि पेयजल की व्यवस्था की जायेगी, कुएं खुदवायें जायेंगे लेकिन हमको सीधे पेयजल देने के लिये 25 हैण्डपम्प का झुनझुना दे दिया गया है। मान्यवर, मेरा क्षेत्र घाघरा से घिरा हुआ है उसमें बाढ़ से हजारों मकान बह जाते हैं उनको कोई सुविधा देने की बात नहीं कही गयी है।

जो बन्धा है उसे पक्का करने की कोई सुविधा नहीं है। आजमगढ़-घोसी चीनी मिल है, गोपालपुर विधान सभा क्षेत्र लगता है, दो पुल टूटे हुए हैं, महाराजगंज.....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री वसीम अहमद–

जो लकड़ी का पुल है, वह आवागमन का साधन है, आजमगढ़-घोसी चीनी मिल है, वह क्षेत्र पूरा का पूरा गन्ना आपूर्ति वहां करता है, जो प्रधान मंत्री रोजगार योजना है, उसमें लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिये पैसा दिया जाता है, वह भी लोगों को 10 प्रतिशत घूस देकर दिया जाता है। इसी के साथ बजट का विरोध करते हुए मैं आपको समय देने के लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री बेचन राम–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया। यह बजट किसानोन्मुखी, ग्रामोन्मुखी है और इसकी जितनी सराहना की जाय वह कम है। गांव, गरीब का उत्थान, नारी का सम्मान, शोषित दलितों का उत्थान इसके लिये भरपूर प्राविधान बजट में किया गया है। इस बजट के अध्ययन से यह आभास होता है कि मुख्य मंत्री जी ने 16 करोड़ जनता के उत्थान के लिये बजट में प्राविधान किया है। मान्यवर, बालिकाओं के विद्यालयों के निर्माण के संबंध में इसमें प्राविधान है। पहले व्यवस्था थी कि असंवित विकास खण्डों में जहां एक भी बालिका विद्यालय नहीं था, वहां के बारे में विचार होता था, अब सरकार की यह सदाशयता है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिले। यदि उस ब्लाक में एक बालिका इण्टर कालेज है तो भी दूसरी न्याय पंचायत में प्रबन्धतंत्र में खोले जाने की अनुमति दी जायेगी। भवन निर्माण के लिये साज-सज्जा के लिये अनुदान 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गयी है। नारी उत्थान के लिये बजट में भरपूर प्राविधान किया गया है। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि इस प्रदेश के मुखिया पद पर सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री रहे, मायावती जी जो अपने को दलितों की बेटी और दलितों की मसीहा के रूप में प्रस्तुत करती हैं 2-2 बार मुख्य मंत्री रहीं लेकिन नारी उत्थान के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया लेकिन हमारी सरकार ने नारी उत्थान की बाबत बजट में भरपूर प्राविधान किया है। मान्यवर, यह स्पष्ट धारणा है कि जब तक सड़कों से गांवों को जोड़ने का काम नहीं होगा, सड़कों का वहां निर्माण नहीं होगा, गांव के किसान, मजदूर बाजारों में अपना सामान नहीं ले जा सकता है। सड़कों के विकास के लिये 1365 करोड़ रु० का प्राविधान किया गया है यह निश्चित रूप से पिछली सरकारों के मुकाबले ज्यादा बजट का प्राविधान है इससे सड़कों का जाल बिछ जायेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिये और पं० दीन दयाल उपाध्याय जी का जो मानना था कि दरिद्र नारायण की सेवा ही ईश्वर की सेवा है और बाबा डा० भीमराव अम्बेडकर जी का जो दलितों के उत्थान का जो सपना था–उसको पूरा करने के लिये ही 70 प्रतिशत बजट ग्रामोत्थान के लिये दिया गया है।

इसके पहले भी माननीय मुलायम सिंह जी के जमाने में इस तरह का प्राविधान नहीं किया गया था परन्तु माननीय मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने गांवों के उत्थान के लिये बजट में इस 70 प्रतिशत कल बजट का प्राविधान किया है। देश की आजादी के स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन में साढ़े सात सौ रुपये की बढ़ोत्तरी करके एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है।

"शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों की यही बाकी निशां होगी। इस उक्ति को माननीय मुख्य मंत्री जी ने चरितार्थ किया है। आज उनकी पेंशन साढ़े बाइस सौ रुपये कर दिया है। जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आजादी की लड़ाई में भरपूर योगदान दिया, उनके सम्मान को इस सरकार ने बढ़ाया है। ऐसा करके माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक अच्छा संदेश दिया है।

वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाया है, पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति को बढ़ाया है। इसके पहले जो मुख्य मंत्री रहे उन्होंने पिछड़ों के उत्थान की तथा दलितों के उत्थान की बात नहीं सोची। अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति को बढ़ाया है। इसके पहले जो मुख्य मंत्री रहे उन्होंने पिछड़ों के उत्थान की बात नहीं सोची। अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति को दुगुना किया है। आज इसी कारण अल्पसंख्यकों की हमारे लोकप्रिय नेता कल्याण सिंह जी में आस्था बढ़ गई है। प्रतिपक्षी साथी भले ही बाहर से इसका विरोध कर रहे हो परन्तु मन से इसका समर्थन कर रहे हैं। एक बार मैं पुनः इस बजट का हृदय से समर्थन करते हुए आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं।

श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान इस बजट में है जो कानून-व्यवस्था से संबंधित है। क्या आज प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति है, उससे आप सभी वाकिफ है। आज सभी जनपदों में आये दिन हत्यायें, अपहरण, डकैतियां आदि हो रही हैं। लेकिन अपराधी गिरफ्तार नहीं किये जा रहे हैं वर्तमान सरकार द्वारा जो नारा दिया गया था कि भयमुक्त समाज होगा कानून का राज होगा उस संबंध में इतना ही कहना चाहता हूं कि समाज तो भय मुक्त नहीं हो पाया अपितु अपराधी/माफिया भयमुक्त हो गये। आज जनता भयग्रस्त है। आज जो अशान्ति प्रदेश में है जो अपराध आज प्रदेश में बढ़े हैं, इससे पहले कभी भी प्रदेश में नहीं हुए। क्या माननीय मुलायम सिंह जी के मुख्य मंत्रित्व काल में अपराधी प्रदेश में अपराध कर मंत्रियों के यहां शरण ले पाते थे, कतई नहीं। परन्तु इस सरकार में अपराधी/माफिया अपराध करके मंत्रियों के आवासों पर संरक्षण लिये हुए हैं। मैं अपने जनपद उन्नाव की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है, अपराध बढ़ रहे हैं। अभी 11.6-1998 को दिलीप सिंह नामक व्यक्ति को मात्र 3 कि०मी० दूर उन्नाव से 3 बजे दिन में हत्या कर दी जाती है। आज 13-14 दिन हो गये हैं परन्तु आज तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ तो क्या यह कानून का राज है। मान्यवर, जब कहीं पर कोई घटना घटती है, कोई अपराध करता है तो उसकी एफ० आई० आर० होती है। लेकिन हो यह रहा है कि जो भाजपा समर्थित लोग अपराध करते हैं तो उसकी जांच सी० बी० सी० आई० डी० से करा दी जाती है। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र पुरवा की एक घटना बता रहा हूं। मान्यवर, असोहा थाने के ग्राम समधा में मेरे एक साथी श्री बाबू लाल कोरी जो गांव प्रधान हैं उनको गोली लगी उसकी एफ० आई० आर० दर्ज की गयी। पुलिस एक हफ्ते तक नहीं बोली। जब मैंने इसकी जानकारी की तो मैंने यह पाया कि यह मामला सी० बी० सी० आई० डी० को सौंप दिया गया है। तो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और पुलिस पर दबाव डालकर भाजपा के लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। आज जो अपराध बढ़ रहे हैं और पूरे प्रदेश में अपराधीकरण हुआ है उसको रोकने के लिये कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं सोची

गयी है। दूसरा विकास के बारे में कहा गया। विकास के बारे में कुछ नहीं हो रहा है। मेरे स्वयं के क्षेत्र मे विकास नहीं हो रहा है। हमारा हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है और जब तक किसानों का विकास नहीं होगा, उन्नति नहीं होगी तब तक विकास होना सम्भव नहीं है। आज स्थिति इतनी खराब हो गयी है कि किसानों को सिंचाई के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है, वह उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। 60, 70 प्रतिशत ट्यूबवेल खराब पड़े हुए हैं। नहरों की स्थिति ऐसी है कि टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। हमारे मुख्य मंत्री मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में नहरों में टेल तक पानी उपलब्ध होता था। लेकिन इस समय पिछले 9 महीनों में नहरो में पानी नहीं मिल पा रहा है। किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है। जो किसानों के प्रति आप हमदर्दी दिखा रहे हैं वह कोरा झूठ है। सड़कों की स्थिति आपके सामने है। जो हमारे यहां महत्वपूर्ण सड़कें हैं उनमें गड्ढे हो गये हैं। पिछले डेढ़ साल से जिन मार्गों पर मिट्टी पड़ी हुई है उन पर कार्य रोक दिया गया है। तहसील दिवस की वाहवाही की गयी। इसमें यह कहा गया कि इसमें जनता की समस्याओं को सुना जाता है। इसी तरह से किसान सेवा केन्द्र के बारे में वाहवाही की गयी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि तहसील दिवस केवल भाजपा के प्रचार का माध्यम भर है। पिछली 19 तारीख को माननीय कण्डारी जी पुरवा तहसील में थे। मैंने कहा कि आप यहां पर आये हैं, मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं आप इस क्षेत्र की समस्या को सुन लीजिये। तो उन्होंने यह कहा कि यह कोई मंच नहीं है। फिर उन्होंने भाजपा के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया तो मैंने यह कहा कि यह तहसील दिवस है कोई मंच नहीं है। मान्यवर, इस बजट को ग्रामोन्मुख कहा गया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि सिंचाई बन्धु की मीटिंग होती है और जब उसमें किसानों की बात उठायी जाती है, लेकिन वहां पर कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं रहता है और यह एक हंसी का पात्र बन कर रह गये हैं। इस प्रकार से किसान सेवा केन्द्र हैं, वह भी हंसी के पात्र हैं।

मान्यवर, इस बजट को किसानोन्मुखी बजट कहा गया है। यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, खेती प्रधान प्रदेश है और जब माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार सत्तासीन हुई है, तब ओले पड़े और धान की फसल नष्ट हो गयी और किसान तबाह होकर रह गया और जब गेहूं की फसल तैयार हुई तो ओला वृष्टि हुई और गेहूं नष्ट होकर रह गया। इस प्रकार से किसान तबाह हो गया है, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और किसानों को राहत जो दी गयी है वह पांच सौ रुपये की दी गयी है, एक हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राहत दी गयी है। किसान जब पांच सौ रुपये की चेक लेकर बैंक जाता है, तो उससे कहा जाता है कि पांच सौ रुपये का खाता खुलवायें। उसके पास पैसा नहीं है, तो वह खाता कैसे खुलवायें और चेक को वह लिये-लिये घूमता रहता है। इस प्रकार से किसान परेशान हो रहा है। इस बजट में किसानों के लिये कोई सुविधा नहीं दी गयी है। इसी प्रकार से गन्ने के मूल्यों को भुगतान करने की बात कही गयी है, तो मैं कहना चाहता हूं कि गन्ने का बकाया प्रदेश में 250 करोड़ रुपये है। इसी रुपये से किसान अपनी लड़की की शादी करता है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करता है और अन्य कामों में लगाता है लेकिन यह सरकार उसका भुगतान नहीं करा पायी है और यह सरकार इसका ढिंढोरा पीटती है।

मान्यवर, अब मैं शिक्षा के बारे में कुछ बिन्दु रखना चाहता हूं। आज गांवों में बच्चों के पढ़ने के लिये भवन नहीं हैं, प्राथमिक विद्यालयों में टाट पट्टियां नहीं हैं, उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन दूसरी ओर यह सरकार नर्सरी विद्यालयों को चलाती है, जो इंग्लिश मीडियम से चलते हैं, उनको मान्यता देने जा रही है और जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें शिक्षक तक नहीं हैं। कानून व्यवस्था की बात मैं थोड़े शब्दों में कहना चाहता हूं। मान्यवर, कानून की व्यवस्था जो प्रदेश में है, वह किसी से छिपी नहीं है। सारे प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है और सारे लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जितने भी जिले हैं, पूर्वी जिलों को ले लें, मैं बता सकता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में बैठे हैं, इनका संरक्षण सारे गुण्डों बदमाशों को मिला हुआ है और यह इनकी शह पर पल

रहे हैं और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती है । इनके अधिकारी जो जिलों में पोस्ट हैं मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री कैलाश यादव–

यह सरकार भयमुक्त समाज की बात करती है, किसानों को बिजली देने की बात करती है पानी देने की बात करती है लेकिन यह सब कहने के लिये है हमारे जिले में 50 प्रतिशत ट्यूबवेल ऐसे हैं जो 1 साल से बेकार हैं जब कभी अधिकारियों से कहा जाता है तो वह कहते है कि मेन्टेनेन्स के लिये कोई पैसा नहीं है, इसके लिये बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है जो क्षेत्र उपेक्षित है वहां पर इस की कोई व्यवस्था नहीं है तो किसानों का हित कैसे होगा ?

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप समाप्त करें ।

श्री कैलाश यादव–

मैं समाप्त कर रहा हूं इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्रीमती सीमा त्रिवेदी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज अपनी लोकप्रिय सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मुझे आपने अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं । मान्यवर, अभी 2/3 दिन से इस बजट पर चर्चा हो रही है पक्ष और विपक्ष दोनों ने चर्चा में भाग लिया मैं सत्तापक्ष में हूं इसलिये इसका समर्थन कर रही हूं ऐसी बात नहीं है बल्कि यह एक ऐतिहासिक बजट हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है पूर्व की चाहे जो भी सरकारें रही हों किसी ने इतना अच्छा बजट प्रस्तुत नहीं किया। मैं बताना चाहती हूं कि इसके पहले पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के लोगों ने मांग की थी कि जिस तरह से सांसद निधि दी जाती है उसी तरह की निधि की स्थापना विधायकों के लिए की जाय । जब मायावती जी मुख्य मंत्री थीं सबने पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से लोगों ने कहा था विधायक निधि दी जाय लेकिन नहीं दी गयी । लेकिन हमारी इस सरकार ने विधायक निधि बिना मांगे दे दी । उसके लिये विपक्ष को विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहिए था ।

अभी हमारे सम्मानित विधायक जी बोल रहे थे कि सत्तापक्ष और विपक्ष में इस विधायक निधि में भेदभाव किया जा रहा है सत्तापक्ष के विधायकों को 50 लाख और विपक्ष के विधायकों को उससे कम दे रहे है मैं कहना चाहती हूं अगर आप विधायक निधि से अच्छा कार्य नहीं कर सकते हैं तो हमें दे दीजिए हम उसे अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं । अच्छाई अच्छाई होती है और बुराई बुराई होती है अगर सरकार ने कोई अच्छा कार्य किया है तो उसकी खुले मन से प्रशंसा करनी चाहिए आप देख सकते जितने सम्पर्क मार्ग थे जिन पर चलना कठिन था माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत कम इस बजट में भी उनको ठीक करने का काम किया है और उत्तर प्रदेश के सारे के सारे मार्गों को गड्ढा मुक्त करने की बात कही और वह मार्ग गड्ढा मुक्त हो भी गये हैं ।

प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात कही गयी तो जब हर जगह अपराधी बैठा दिये गये थे तो उनसे मुक्त दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो कहीं न कहीं अपराधियों से मिले हुए हैं हमारी सरकार ने जिस तरह से अपराधियों को बन्द किया है और जिस प्रकार

से अपराध पर नियंत्रण किया वह अपने आप में ऐतिहासिक कार्य है इसके लिये मैं अपनी लोकप्रिय सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। इतने कम समय में इतने कम बजट में इतना अच्छा काम हमारी लोकप्रिय सरकार ने किया है इससे पहले किसी ने नहीं किया ? आप जानते होंगे और महसूस करते होंगे यहां पर बहुत से दो-तीन चार बार चुनकर आये होंगे मैं पहली बार आयी हूं तो इससे पहले क्या इतना अच्छा बजट किसी ने प्रस्तुत किया है ? जब मायावती जी मुख्य मंत्री थीं तो हम लोग किसी गांव में जाते थे जहां सड़कों और पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी हम नहीं कह सकते थे कि यह कार्य हम करवा देंगे लेकिन आज हम इस स्थिति में हैं कि उनसे कह सकते हैं कि हम आपका काम कर देंगे। लेकिन अभी जो हमको 50 लाख रुपये की निधि प्राप्त हुई है उसके आधार पर कह सकते हैं कि दो वर्ष में अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में ऐसा कोई कार्य नहीं बचेगा जिसको जनप्रतिनिधि न करा दें। हमारी सरकार ने पेयजल असुविधा को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। न्याय पंचायत स्तर पर एक कुएं का निर्माण किया जायगा। कुएं के निर्माण से जहां पर पेयजल असुविधा दूर होगी वहां पर भारतीय संस्कृति को जीवित करने का प्रयास हमारी सरकार द्वारा किया गया है। आप जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है। इसकी अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति विश्व में अपना स्थान रखती है। इससे पहले जो सरकारें रही हैं वह दलगत भावनाओं से काम करती थीं। आपस में लड़ाने का काम करती थीं। लखनऊ में शिया और सुन्नी का विवाद कितना पुराना है। बाकी राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने का काम किया लेकिन हमारी सरकार ने फैसला लिया और इस बार शिया सुन्नी मिलकर उन्होंने अपना धार्मिक कार्य किया। ऐसी सरकार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। विपक्ष को ऐसा प्रस्ताव लाकर आभार व्यक्त करना चाहिए था। मैंने 2-3 दिनों की चर्चा सुनने के बाद यह महसूस किया कि आपकी नीयत यदि विरोध करने की है तो विरोध करेंगे चाहे जितना अच्छा कार्य क्यों न किया जाय। हमारी सरकार सत्तापक्ष और विपक्ष की भावना नहीं रखती है। दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर कार्य करती है इसके लिये मैं अपनी सरकार के प्रति बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। हमारी सरकार ने फैसला लिया कि दलगत राजनीति से उठकर कार्य करना है और विकास की दिशा में हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है इसलिये मैं सरकार की सराहना करती हूं।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, कोई भी बजट जब पेश किया जाता है तो वह एक आइने का काम करता है। इस प्रदेश की जनता को बताने का काम करता है कि सरकार की मंशा क्या है और सरकार चाहती क्या है ? सरकार आने वाले वर्ष में क्या जनता को देना चाहती है ? मान्यवर, यह जो मुख्य मंत्री जी का बजट भाषण है यह कुछ कविता के समान है जिसमें खूबसूरती से लिखा गया है गड्ढामुक्त सड़कें, भयमुक्त समाज इस तरह के अल्फाज ज्यादा हैं। सबसे बड़ा काम यह हुआ होता कि सारे बजट का धन जितना हो रहा है उसको जोड़कर सारा धन विद्युत में लगा दिया जाता, इनरजी के क्षेत्र में लगा दिया जाता तो आने वाली नस्लें शायद आपके बारे में सोचतीं। मान्यवर, जब मुख्य मंत्री जी का दौरा कमिश्नरियों में हुआ तो उसमें सबसे ज्यादा चिन्ता लॉ एंड आर्डर की पड़ी। जब लॉ एण्ड आर्डर की इतनी चिंता है तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश का लॉ एण्ड आर्डर वाकई खराब है और परसों इसी सदन में यहां सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि खुद मुख्य मंत्री जी को भी अपनी जान का खतरा है। मान्यवर, आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं, आपने देखा होगा जब पहले मंत्री लोग बनते थे तो उनके साथ लखनऊ के अन्दर कोई इस्कोर्ट नहीं चला करती थी और न कोई गनर, शैडो साथ में हुआ करता था। आज मान्यवर, 100 मंत्री हैं और उनके पीछे 100 सायरन बजाती हुई गाड़ियां चल रही हैं। इस तरह की स्थिति से साफ है कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन यह सब व्यवस्था अपने लिये ही कर गयी है। इस बजट के बारे में बड़ा शोर है कि हमने ये दे दिया, वो दे दिया, ये कर दिया। मान्यवर, इस बजट में आंकड़े दिये हैं। मान्यवर, इन्डस्ट्रीज का जिक्र है। मान्यवर, गाजियाबाद, नोएडा और इधर रायबरेली जो उद्योगों के केन्द्र बने थे मान्यवर, आज वह खाली हो रहे हैं। आज वहां कोई उद्योग नहीं लगाने जा रहा है। दिल्ली और बागपत की सीमा में पिछले 10 सालों से जमीन आक्यूपाई है, सड़कें बना दी हैं मगर वहां पर कोई उद्योग लगाने के लिये तैयार नहीं है। कहां से उद्योगपति लायेंगे, कहां से धन लायेंगे, कौन उद्योग लगायेगा, इस बात का इस बजट में तो जिक्र है नहीं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है। वहां से 132 उद्योग हटाये गये हैं। परसों दिल्ली के मुख्य मंत्री मेरठ तशरीफ लाये थे उन्होंने वहां कहा कि हमको जमीन दो लेकिन कोई जमीन देने के लिये तैयार नहीं है। यह 132 उद्यमी गुड़गांव और सोनीपत जाना चाह रहे हैं और फरीदाबाद की तरफ जाना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग लगाने के लिये तैयार नहीं है। लो एण्ड आर्डर की जो स्थिति आज है। आज जो नया उद्योग अपहरण का खुल गया है। पता नहीं कौन कहां गायब हो जाय। आज बिजली की जो स्थिति है। 17 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा करने के बाद भी गांव में दो-चार घंटे बिजली दे पा रहे हैं। करोड़ों रुपये लगाकर यदि इन्डस्ट्री लगाई और बिजली नहीं मिली तो वह इन्डस्ट्रियलिस्ट भागेगा ही। इस कारण से भी कोई उद्योग नहीं लगाने जा रहा है। आपने जो भी उद्योग का जिक्र किया है वह गलत किया है। मान्यवर, आपने जिक्र किया है कि हम जो पुरानी योजनाएं खत्म हो गयी थी। दस साल से टप्प थी जैसे मनेरी भाली और लखवार व्यासी जल विद्युत परियोजनाओं को फिर से शुरू करने जा रहे हैं। आप शुरू करने जा रहे हैं यह अच्छी बात है। शुरू करना चाहिए था। आप पहले भी सरकार में रहे हैं शुरू क्यों नहीं की ? इतने रुपये में तो उनका काम शुरू क्या तैयार भी नहीं हो पायेगा ? पैसा देना है तो कम से कम इतना तो दें कि लगे काम शुरू हो रहा है। इतनी बड़ी परियोजनाएं हैं उनके लिये 100 करोड़ से क्या होगा ? अगर सरकार बाकई में कुछ करना चाहती हैं और यह दिखाना चाहती है कि यह योजनाएं तैयार हो जायं तो 1000 करोड़ या 1500 करोड़ रुपया कम से कम दें। 4500 करोड़ रुपये का काम बाकी रह गया है। बड़ी जोरदारी के साथ, भ्रष्टाचार का जिक्र किया है कि हमने भ्रष्टाचारमुक्त समाज दे दिया। भ्रष्टाचारमुक्त लखनऊ दे दिया; भ्रष्टाचारमुक्त सैक्रेटेरियट दे दिया। भ्रष्टाचार सचिवालय के जो अधिकारी हैं वह करें वह अलग बात है। लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं इसका जिक्र अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा। 32 करोड़ की चाय यह पी गये।

श्री हुकुम सिंह–

यह गलत है। कम है।

श्री कौकब हमीद–

तो 32 लाख होगा लाखों की बात है 50 लाख होगा 55 लाख होगा लाखों की बात है इतनी चाय पी गए आप कहते हैं भ्रष्टाचारमुक्त समाज है। तहसील दिवस की बात का जिक्र हुआ मैं गुजारिश करूंगा एक दिन कोई सा मंत्री जाकर हमारे यहां देख लें तहसील दिवस में कौन आता है कौन नहीं आता है और इसमें जो बातें होती हैं वह अगले तहसील दिवस तक पूरी होती या नहीं, अफसरों के बैठने का काम पूरा हो जाता है।

श्री जे० पी० सिंह–

मान्यवर, लालजी वर्मा एक महीने मंत्री रहे थे उनके चाय नास्ते का खर्चा एक लाख आया जगदम्बिका पाल जी डेढ़ दिन मुख्य मंत्री रहे उनका तीन लाख रुपये का खर्चा आया।

(हंसी)

श्री बाबूराम यादव–

हुकुम सिंह जी ने इनको बात बता दी इन्होंने कह दिया लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है दिल से बता दें।

श्री हुकुम सिंह–

सच्चाई तो है लेकिन हमने नहीं बनाई।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, चीनी उद्योगों के बारे में जिक्र किया गया हमने उनका बकाया पूरा करवा दिया है 268 करोड़ रुपये की आज भी देनदारी है इसमें जिक्र यह भी है कि जो सड़कें बनेंगी, शुगर निधि योजना के अन्तर्गत पहले बनती थीं लेकिन अब यह ख्वाबों-ख्यालों की बातें हो गयी यह सारा पैसा लखनऊ आ गया उससे पुल बन गया। माननीय मुख्य मंत्री जी के कहने पर आ गया अब यह कौन जानता है कि कौन से बी० आई० पी० क्षेत्र को वह जाता है। पहले तो यह होता था कि जितनी कटौती होनी थी उसकी सड़कें बन जाती थीं। प्राइवेट वाले जो सड़क बना रहे हैं लेकिन सरकार में आवंटन पक्षपात के जरिए होते हैं नीति के तौर पर नहीं होते हैं। मान्यवर, अब मैं कृषि का जिक्र करूंगा आपने यह कहा होता कि आने वाले सीजन में जो गन्ना आयेगा उसमें हम अच्छे बीज उपलब्ध करायेंगे, तो बीज तो आप उपलब्ध करायेंगे ही काम भी अच्छा करेंगे.....

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री कौकब हमीद–

जिक्र यह किया गया कि नये बीज उपलब्ध कराये जायेंगे लेकिन यह नहीं लिखा यह बीज कहां मिलेंगे ? मान्यवर, मंडी परिषद् के बारे में आपने सुना होगा यह बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग है इसका कार्य समझ में नहीं आया जो सड़कें मंडी परिषद् ने बनाई हैं वह अधूरी पड़ी हैं। लोगों ने वहां से रास्ता बना लिया है। जो नल आवंटित किये गये थे उनके लिये पैसा नहीं है। एग्रो वाले कहते हैं कि हमको पैसा नहीं मिला है इसलिये हम नहीं लगायेंगे। मंडी परिषद् को पैसा भिजवाया जाए तभी वह काम पूरा करे। गड्ढा मुक्त सड़क का नारा दिया गया है हमारे यहां मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच जो सड़क है वह तारकोल न पड़ने की वजह से सफेद हो गयी है। जब बारिस होगी तो गड्ढे फिर बन जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

समय का ध्यान दें।

श्री कौकब हमीद–

पीने के पानी के बारे में कहा गया कि कुएं खुदवाए जायेंगे इससे कोई फायदा नहीं उसमें मिट्टी भर जायेगी क्योंकि उनकी सफाई तो हो नहीं सकेगी। उसकी जगह हैण्ड पम्प या ओवरहेड टैंक की व्यवस्था कर दी जाये जिससे वहां से तो तीन गांवों में पाइप डालकर पानी की सप्लाई की जाए। पहले यह सिस्टम कुछ जगह था। कुएं बन्द ही इसलिए हो गये क्योंकि उनकी सफाई व्यवस्था सुचारु रूप से

नहीं हो सकी । लड़कियों के बारे में गवर्नमेंट कन्या इण्टर कालेज खोलने की बात की गयी है । हमारे यहां बागपत में बाकायदा एक बिल्डिंग मौजूद है, उसमें ग्राउन्ड भी है इसके बारे में शासनादेश भी है कि कन्या इण्टर कालेज खोल दिया जाए । आज तक उस कन्या इण्टर कालेज को नहीं खोला गया । जिसकी बिल्डिंग मौजूद है । जिसका उद्घाटन गवर्नर साहब ने किया था इन गवर्नर के पूर्व वाले गवर्नर ने नहीं किया था । इस इण्टर कालेज को शीघ्र खोला जाए । हमारे यहां इसके अलावा तीन डिग्री कालेज हैं जिनकी घोषणा हो चुकी है । 10-10 लाख उनको दिये जाने की घोषणा हो चुकी है लेकिन अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला । मैं आपको नाम दे दूंगा ।

आपका वायदा है कि पानी टेल तक पहुंचायेंगे लेकिन न तो नालियां सही हैं जिनसे आप पानी ले जायेंगे ? तो सिंचाई कैसे हो सकती है ? सिंचाई केवल कागजों पर हुई है । मेरठ जनपद में 50 फीसदी सरकारी ट्यूबवेल खराब पड़े हैं । हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि जब हमने सत्ता सम्भाली थी तो खजाना खाली था बिल्कुल पैसा नहीं था जिससे दिक्कत हुई है ।

[समय 8 बजकर 25 मिनट]

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि उससे पहले तो वहीं थे और जिनके वरिष्ठ मंत्रियों के कारण इनको परेशानी हुई है । भूतपूर्व मुख्य मंत्री के कारण इन्हें परेशानी हुई । तो यह हमारी गल्ती नहीं थी । इसलिए आप उनसे पूछें । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं ।

* श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट के विरोध में बोलने के लिए समय दिया । मान्यवर, इस बजट में कहा गया है कि यह बजट किसानोन्मुखी है लेकिन यह गलत है । क्योंकि इस बजट में कोई किसानों को राहत और सब्सिडी नहीं दी गयी है । बजट में किसानों को न तो खाद, न बीज और न कीटनाशक दवाइयों पर ही कोई सब्सिडी दी गयी है ।

मान्यवर, गन्ना किसानों के लिए 1997-98 में जब यह सरकार गन्ना मूल्य का निर्धारण कर रही थी तो यहां हमेशा अगेती और पछेती यानि सामान्य जाति में चार रुपये का अन्तर रहता था लेकिन इस सरकार की मंशा पूंजीपतियों के प्रति अधिक थी इसलिए उनको लाभ देने के लिये अगेता का 80 रुपये और सामान्य जाति के गन्ने का मूल्य मात्र 75 रुपये किया । जबकि उत्तर प्रदेश में अगेती 10 प्रतिशत और पछेती 90 प्रतिशत पैदा होता है, तो सारा का सारा लाभ उद्योगपतियों को दिया गया है ।

मान्यवर, बिजली के संबंध में कहा गया कि किसानों को 10 घंटे बिजली दी जाती है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसानों को दो-ढाई घंटे से अधिक बिजली नहीं दी जा रही है ।

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने बजट को क्षेत्रीय संतुलनोन्मुखी बजट कहा है जबकि यह क्षेत्रीय असंतुलनोन्मुखी बजट है क्योंकि हमने देखा है कि बुन्देलखण्ड विकास निधि के लिये 1998-99 हेतु 40 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । इसी प्रकार पूर्वांचल विकास निधि के लिए 120 करोड़ रुपये और उत्तरांचल विकास निधि के लिए 527 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । मान्यवर,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए एक रुपये का भी बजट में प्राविधान नहीं किया गया है। जबकि इस उत्तर प्रदेश की सारी आय के आधे से अधिक भाग पश्चिम उत्तर प्रदेश से आती है लेकिन उसके विकास के लिए बजट में कुछ नहीं किया गया है।

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने इस बजट को गरीबोन्मुखी बजट बताया है लेकिन इसमें न्यूनतम मजदूरी जो मजदूरों को दी जायेगी वह 43 रुपये है तो मुझे आप बतायें कि कौन ऐसा आदमी है जो दो हजार रुपये से कम की आय पर गुजर बसर कर सके जबकि महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 80 रुपये से कम न की जाए और मान्यवर, जो इन्दिरा आवास का जिक्र किया गया है, इन्दिरा आवास पर 20 हजार रुपया गरीब को मकान बनाने के लिये दिया जाता है लेकिन उस गरीब को मात्र 10 या 12 हजार रुपया मिलता है बाकी आपके अधिकारी खा जाते हैं। अभी विधायक निधि की बात आयी, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है कि उसने प्रत्येक विधायक को 50 लाख रुपये विकास कार्यों हेतु देने के लिये एक निधि बनायी है। दूसरी तरफ केन्द्र में इनकी सरकार है उसने एम० पी० को जो एक करोड़ रुपया मिलता था उसे बढ़ाकर दो करोड़ प्रतिवर्ष कर दिया है। दिल्ली में भी इनकी सरकार है वहां पर प्रत्येक एम० एल० ए० को एक करोड़ रुपया दिया जा रहा है जबकि उनका क्षेत्र छोटा है, इसलिये उत्तर प्रदेश-में भी विधायकों को कम से कम एक करोड़ रुपया देना चाहिए था। माननीय अधिष्ठाता जी, यह गरीब और किसान विरोधी बजट है। मैं इसका विरोध करता हूं।

* श्री महेन्द्र कुमार (सीतापुर)–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो बजट सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है इसमें हर हाथ को काम, अंधेरे घर को उजाला और हर खेत को पानी देने की बात कही गयी है। मैं एक छोटा सा उदाहरण इस संबंध में अपने बेहटा विधान सभा क्षेत्र जनपद सीतापुर का देना चाहता हूं। अप्रैल, मई और जून के महीने में हमारे यहां इतना अग्निकाण्ड होती है कि आग लगने से हर घर में उजाला हो जाता है क्योंकि झोपड़ियां हैं वहां हर घरों में अंधेरा रहता है। इस बजट की सत्यता इस बात से प्रतीत होता है कि हर अंधेरे घर को उजाला उस अग्निकाण्ड से मिल जाता है। दूसरे हमारे बेहटा विधान सभा क्षेत्र तीन तरफ शारदा, घाघरा और सरयू नदियों से घिरा हुआ है जिसके कारण जुलाई, अगस्त और सितम्बर तीन माह बाढ़ के प्रकोप से जूझता रहता है और वहां की सारी जमीन बाढ़ से प्रभावित हो जाती है। हर खेत को पानी तो मिल जाता है लेकिन उसका प्रभाव क्या होता है यह तो वहां के लोग ही जानते हैं। दैवी आपदाएं वहां आती हैं जिसके लिये बजट में कोई भी घोषणा नहीं की गयी है जिससे वहां के गरीब लोगों को राहत मिल सके। बाढ़ आने से वहां तरह-तरह की बीमारियां और जहरीले जीव-जन्तु आ जाते हैं जिनकी वजह से तमाम लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। दुर्भाग्य की बात है कि बेहटा विधान सभा क्षेत्र में पांच-पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और वहां पर दवाई, उपकरण, चिकित्साधिकारी व कर्मचारियों के नाम पर बहुत ही कम लोग हैं जिससे लोगों को पूर्ण-रूपेण चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है, वहां अप्रैल, मई, जून माह में बराबर कहीं न कहीं अग्निकांड होता रहता है, सीतापुर जनपद में सबसे ज्यादा अग्निकांड हमारे ही क्षेत्र में होते हैं, जब तक अग्निशमन दल वहां पहुंचता है, तब तक सब कुछ राख हो चुका होता है, क्योंकि हमारे जनपद में बिसवां में अग्निशमन केन्द्र है, जो हमारे यहां से 40 कि० मी० की दूरी पर है । मेरी आपके माध्यम से मांग है कि हमारे क्षेत्र में रऊसा या तम्बौर में एक अग्निशमन केन्द्र खोला जाय, ताकि वहां के स्थानीय लोगों को कुछ राहत मिल सके । यह बजट हमारे क्षेत्र के लोगों के लिये कोई बढ़िया बजट नहीं है, इसलिये मैं इसका विरोध करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्रीमती सुशीला अग्रवाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद । इस सदन में वर्ष 1998-99 का बजट प्रस्तुत किया गया, इसमें गर्व की बात है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी विधान सभा सदस्यों, परिषद् के सदस्यों के लिये 50 लाख की धनराशि की व्यवस्था की है, उसके लिये हार्दिक धन्यवाद देती हूं । इसी प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों के लिये मासिक पेंशन बढ़ाई गई है, विकलांग छात्र-छात्राओं के लिये तथा निर्धन छात्रों के लिये भी अब पहले से ज्यादा छात्रवृत्ति दी जायेगी । मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे । जनसाधारण को सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से डेलीचूज की चीजों पर व्यापार कर कम किया जा रहा है, यह भी एक सराहनीय कदम है ।

भयमुक्त समाज की काफी दिनों से चर्चा चल रही है । हमारे प्रदेश की सरकार ने इस नारे को लगाया था, लेकिन वास्तव में यह नारा अपनी आशाओं के अनुरूप नहीं निकल रहा था, इसका कारण जैसा कि मैं समझ पा रही हूं कि जो हमारी इस सरकार को, पिछली सरकार द्वारा छोड़ा गया प्रदेश मिला था, इस प्रदेश की पिछली सरकार ने परवाह नहीं की, उस स्थिति से उबरने में हमारे माननीय सदस्यों को थोड़ा धैर्य रखना होगा क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसकी मुझे पूर्ण आशा है, इसके लिये हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी का सघन प्रयास चल रहा है, मैं बजट का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

* श्री भीम प्रसाद सोनकर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आपने इस ढपोरशंख बजट पर बोलने का अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । इस समय पूरे प्रदेश में बिजली की स्थिति अत्यन्त विकट है । शहरों में तो किसी तरह से बिजली उपलब्ध हो जाती है लेकिन हमारे क्षेत्र में, जो किसान क्षेत्र है, वहां बिजली आज आई और गई तो कब आयेगी,इसका कोई अता-पता नहीं है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं...

मान्यवर, सड़कों को गड्ढामुक्त करने की योजना चलाई गयी है, यह पूरे प्रदेश में ढपोरशंख पीटा जा रहा है कि सभी सड़कें गड्ढामुक्त हो गयी है । मेरा क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं आपके सामने रखना चाहता हूं । मान्यवर, बसखारी से लेकर राजेसुल्तानपुर तक कितना गड्ढा पाटा गया और राजेसुल्तानपुर से साबेपुर तक कितना गड्ढा पाटा गया, यह बता दें ? मान्यवर, पदुमपुर से कुमहरिया घाट के बीच में एक पुल बना हुआ है । उसके एक तरफ मिट्टी पड़ गयी है लेकिन दूसरी तरफ मिट्टी पड़ने की कोई योजना नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि दूसरी तरफ मिट्टी पड़ने की योजना कब लागू की जायेगी ? हमारा क्षेत्र चारों तरफ नदी से घिरा हुआ है और बरसात होने वाली है, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है । मेरा अनुरोध है कि इसे पटवाने की तत्काल व्यवस्था की जाय । घाघरा से देबारा क्षेत्र का माइस कमरिया, करिया ननिया का पूरा आराजी देबारा पानी में डूबा रहता है वहां के निवासियों को अलग बसाने की व्यवस्था की जाय । इसके अतिरिक्त अतिक्रमण हटाओ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अभियान में जिन गरीबों को उजाड़ा गया है उनको बसाने की व्यवस्था की जाय । मान्यवर, तहसील दिवस पर अधिकारी बुलाये जाते हैं वह बैठते हैं जनता अपने प्रार्थना-पत्र देती है उस पर कितनी कार्यवाही हुई उसकी भी सूचना हमारे देश की जनता को नहीं मिल पाती है तो इसकी कोई व्यवस्था की जाय ताकि पता चल सके कितना निस्तारण हुआ । किसान सेवा केन्द्र पर कर्मचारी आते हैं, बैठते हैं शिकायतें होती हैं लेकिन उसका निस्तारण नहीं होता है । मान्यवर, देवारा एरिया बरसात में जलमग्न रहता है खेतों की कटान हो जाती है और लोगों के घर भी गिर जाते हैं उनके लिए व्यवस्था की जाय और मेरे क्षेत्र में पावर हाउस बना हुआ है उसको चालू कराने की व्यवस्था की जाय । धन्यवाद ।

* श्री श्याम लाल रावत–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने प्रदेश की 16 करोड़ महान जनता के लिए प्रस्तुत बजट पर विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है । मान्यवर, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है उसको मैंने देखा है, यह बजट 300 पेजों का 2 खण्डों में है । यह बजट नहीं बल्कि चुनावी भाषण लगता है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने सांसद निधि की भांति जो विधायक निधि का प्राविधान किया है यह एक सराहनीय कदम है । इसका मैं स्वागत भी करता हूं और बधाई भी देता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण के पहले भाग के पेज 8 पर कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण का उल्लेख किया है ।

जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश की आम जनता को यह आश्वासन दिया था और संकल्प लिया था कि कानून का राज होगा, भयमुक्त समाज होगा । लेकिन, जो स्थिति है, उस पर इस सदन में और उच्च सदन में काफी चर्चा हो चुकी है । अगर भारत के प्रधान मंत्री के संसदीय क्षेत्र ''लखनऊ'' का विश्लेषण करें तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जायेगा कि इनका आश्वासन, संकल्प कितना थोथा है । इस बजट को ग्रामोन्मुखी बजट की संज्ञा दी गयी है और कहा गया है कि ग्रामों के विकास और उत्थान के लिये 70 फीसदी धन खर्च किया जायेगा । मान्यवर, यह व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नहीं है, यह व्यवस्था तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के समय की है उन्होंने जो स्टैण्डर्ड स्थापित किया है, उससे कोई भी सरकार अब नीचे नहीं जा सकती है अन्यथा वह रह नहीं सकती । अगर इसको बढ़ाकर 75 या 80 फीसदी किया गया होता तो इसका श्रेय आपको जाता ।

मान्यवर, शहरों में तो आवास व्यवस्था की अनेक योजनायें चल रही हैं लेकिन गांवों की जो आबादी बढ़ रही है मकान छोटे पड़ रहे हैं परिवार बढ़ गये हैं उनके लिये बड़ा संकट है आवास का । चकबंदी करवाकर पुनः गांवों की आबादी के स्थल की व्यवस्था कराने पर विचार करें । इसका इसमें कोई जिक्र नहीं है । गांवों में शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों की बहुत बड़ी फौज है, कुछ इसमें जिक्र किया गया है जवाहर रोजगार और सुनिश्चित रोजगार योजना का लेकिन यह अपर्याप्त है । गरीबी का जिक्र है कि 43 प्रतिशत लोग गरीबी के नीचे रह रहे हैं उनके बारे में सम्यक समाधान का कोई जिक्र नहीं है । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये पुनः धन्यवाद प्रकट करता हूं ।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव–

मान्यवर, माननीय नेता सदन द्वारा जो बजट पेश किया गया है यह बजट पूर्ण रूप से किसान विरोधी, नौजवान, गरीब विरोधी एवं झूठ का पुलिंदा है । यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है यहां ज्यादा से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ज्यादा लोग खेती पर आधारित जीवन व्यतीत करते हैं यह सरकार किसानों के उत्पादन को बढ़ाने की बात करती है ।

इस बजट में किसानों की उपज को दुगुना करने की बात कही गई है परन्तु सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं हैं, नहरों में पानी नहीं है, ट्यूबवेल्स चल नहीं रहे हैं, खाद-बीज उपलब्ध नहीं है । इन सारी चीजों के लिये सरकार संवेदनशील नहीं है । नदियों के किनारें, चाहे वह गंगा, गोमती व घाघरा हो, इनके किनारे बसने वाले लोग बेघर होने की स्थिति में है । कटान जारी है । मछुवारे समाज के लोग इनके किनारे रहते हैं, उनके घर गिरने की स्थिति में हैं परन्तु उनके जमीन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । आज विद्युत-व्यवस्था की काफी हालत खराब है । चार घण्टे बिजली नहीं मिल पा रही है । ट्यूबवेल चल नहीं रहे हैं, नहरों की व्यवस्था ठीक नहीं है । यह सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है । कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के बारे में नेता सदन ने स्पष्ट कहा था कि कानून का राज होगा । परन्तु आज कानून नाम की चीज नहीं है । प्रदेश में जो चिन्हित अपराधी थे, वे सब मंत्री बने हुए हैं और जो बचे-खुचे थे, वह इन मंत्रियों के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं ।...

श्री अधिष्ठाता–

आपकी भावना आ गई है, अब आप कृपा करके बैठ जायं ।

श्री प्रभुनारायण सिंह यादव–

आज बनारस जनपद में आये दिन 1-2 हत्यायें हो रहीं हैं । इसी से अलग हुए नव सृजित जनपद चन्दौली में वहां का प्रभारी मंत्री समीक्षा मीटिंग ले रहा था, जिसमें जिलाधिकारी, एस० पी०, कमिश्नर सभी अधिकारी थे, इस मीटिंग स्थान से मात्र 200 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े हत्या की जा रही है । आज अपराधी भय मुक्त हैं । इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है । यह बजट नौजवान विरोधी है । नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है परन्तु इस बजट में उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा जारी रहेगी ।

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 24-6-98 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनाएं प्राप्त हुई । इसमें पहली सूचना श्री राम नरेश यादव की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिट्टी का तेल एवं चीनी जैसे आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता के कारण उपभोक्ताओं की खुली लूट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है को वक्तव्य हेतु स्वीकार किया जाता है । दूसरी सूचना श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया की विद्युत परिषद् के अभियन्ताओं द्वारा सिस्टम कंट्रोल के आदेशों का पालन न किये जाने से जनपद गाजियाबाद के कतिपय क्षेत्रों में व्याप्त असंतोष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है । तीसरी सूचना श्री नेतराम सिंह जी की नगरपालिका परिषद् कासगंज, जनपद एटा में नालों की सफाई न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । शेष जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत की गयी हैं उनके नाम निम्न प्रकार है :– श्री अजय भट्ट, श्री मुन्ना चौहान, श्री लाखीराम जोशी, श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी", श्री समर पाल सिंह, डा० राम बाबू हरित, श्री कृपा शंकर सिंह, श्री राम विशुन आजाद, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री राम जग, श्री राम कृपाल, श्री भारत सिंह रावत, श्री अम्बरीष कुमार, श्री दद्दू प्रसाद ।

अब हम उठते हैं । दिनांक 26-6-98 को 11.00 बजे पुनः बैठेगें ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 55 मिनट पर शुक्रवार दि० 26 जून, 1998 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
24 जून, 1998

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बस्ती "क"

(देखिये अता० प्र० सं०-28 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

ग्राम सभा दोथ में वर्ष 1996-97 में कराये गये कार्यों का विवरण

1-मोहन के दरवाजे से श्री कान्त के दरवाजे तक खडन्जा/मिट्टी कार्य
2-सम्पर्क मार्ग मरम्मत-भगवानपुर से कल्यानपुर तक
3-महन्थ के मठ से रामधनी के ट्यूबवेल तक सम्पर्क मार्ग
4-दोथ भरटोला से पी० डब्लू० डी० तक सम्पर्क मार्ग
5-सम्पर्क मार्ग नया भगवानपुर से सोनाडीह सीवान तक
6-सत्यदेव के ट्यूबवेल से सुरेश के कोने तक मिट्टी कार्य
7-घूरा के ट्यूबवेल से पी० डब्लू० डी० तक मिट्टी कार्य
8-राजेन्दर के पोखरा से लालजी के ट्यूबवेल तक मिट्टी कार्य
9-मेन खड़न्जा से सुबाष के प्लानी तक खड़न्जा निर्माण
10-कपूरचन्द दुसाध के दरवाजे पर नाली निर्माण

वर्ष 1997-98

1-हरिजन बस्ती के पिछवारे मिट्टी कार्य
2-हरिनारायण के दरवाजे से घूरा के ट्यूबवेल तक पड़न्जा कार्य
3-भगवानपुर में बलेसर के घर से राम प्रदेश के घर तक पड़न्जा कार्य
4-सुबाष के घर के पीछे से मेन खड़न्जा तक पड़न्जा निर्माण नालीनुमा
5-देव नारायण के मकान से गड़ही तक नाली निर्माण
6-सुख देव दुसाध के घर से ताल तक पढ़न्जा मरम्मत एवं नाली निर्माण

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये अता० प्र० सं०–62 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर)

जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 96-97 में कराये गये कार्यों का विवरण

विकास खण्ड	ग्राम सभा	कार्य का नाम	संख्या/माप कि०मी०	व्यय की गयी धनराशि	सृजित मानव दिवस
कुरावली	आठपुरा	प्रा० पा० स्कूल	1	81,000	991
	रूस्तमपुर	,,	1	81,000	991
	दूल्हापुर	,,	1	81,000	991
	हाफिजपुर	,,	1	81,000	991
	चंदाई	,,	1	81,000	991
	विक्रमपुर	,,	1	81,000	991
	फतेहजंगपुर	जू० हा० स्कूल	1	1,62,000	1983
	गंगा जमुनी जी० टी० रोड से गंगा जमुनी	लेपन	125मी०	69,00	844
घिरौर	रठेह	प्रा० पा० स्कूल	1	81,000	991
	मधुपुरी	,,	1	81,000	991
	महटोली	,,	1	81,000	991
	बमरौली	जू० हा० स्कूल	1	1,62,000	1983
	उसनीदासे मोहकमपुर सम्पर्क मार्ग	मिट्टी कार्य	5किमी०	5,67,995	1159
	हिम्मतपुर उजियारी से भगिया से सेंगर नदी तक	नाला निर्माण	6.50	1,35,380	2762
मैनपुरी	शिवसिंहपुर	पुलिया निर्माण	1	10,000,00	12244

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विकास खण्ड	ग्राम सभा	कार्य का नाम	संख्या/माप कि०मी०	व्यय की गयी धनराशि	सृजित मानव दिवस
	अम्बेडकर ग्राम में लहरामहुअन में	टैंक निर्माण	1	9,700	118
मैनपुरी	देवपुर–भरथरा	प्रा० पा० स्कूल	1	81,000	991
	न० झाला	,,	1	81,000	991
	बेटा	,,	1	81,000	991
	जसरथपुर	,,	1	81,000	991
	सिकन्दरपुर	जू० हा० स्कूल	1	1,62,000	1983
दस लाख कूप योजनान्तर्गत वर्ष 96-97 में कराये गये कार्यों का विवरण					
घिरोर	ढकरई	जल निकास सिंचाई नाली	72हे०	2,13,990	6114
	केहरी	,,	80 "	1,25,965	3599
	न० निर्भय	,,	72 "	2,89,415	8269
	घिरोर देहात	,,	80 "	69,650	1990
	हाजीपुर	,,	70 "	2,61,660	7476
	क्रोसोन	,,	60 "	2,60,386	5314
	मुहम्मदपुर	आवलों की खेती	4.30 "	1,29,000	2632
कुरावली	नगलाहटी	जल निकास सिंचाई नाली	52 "	1,52,320	4352
	ज्योती देहात	,,	84 "	52,430	1498
	मनोना प्रथम	,,	52 "	2,19,785	6279
	मनोना द्वितीय	,,	52 "	1,51,445	4327
	डगऊ	,,	110 "	1,34,995	3557
	उद्देतपुर	,,	85 "	84,770	2422
	कुम्हरौआ	,,	40 "	1,59,887	3263
	वसरा	,,	50"	1,91,982	3918
	सुल्तानपुर				
मैनपुरी	करीमगंज	,,	110 "	2,12,800	6080
	बदनपुर	,,	60 "	2,40,000	4898

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

देखिये अता० प्र० सं०-131 का उत्तर पीछे पृष्ठ 73 पर ।

संविदा के आधार पर नियुक्त संवासिनियों की सूची :-

क्र०सं०	नियुक्त संवासिनी का नाम	नियुक्ति का पद
1	2	3
1	कु० आशा	सिलाई प्रशिक्षिका
2	कु० सन्ध्या	सिलाई प्रशिक्षिका
3	कु० गीता	कहार
4	कु० शारदा	कनिष्ठ लिपिक
5	कु० प्रीती कौर	आया
6	कु० शहनाज	रसोइयां
7	कु० शबनम	कहार
8	कु० वन्दना सिंह	कहार
9	कु० नीता	सिलाई प्रशिक्षिका
10	कु० सुमन कुशवाहा	रसोइयां
11	कु० शिखा भट्टाचार्या	रसोइयां
12	कु० संगीता शुक्ला	रसोइयां
13	कु० शीला ईश्वरी	समन्वयक

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०-एल० 262 विधान सभा ( )-1998-813 (डी० टी० पी०) ।